खण्ड-414, अंक-6
बुधवार, 19 माघ, शक संवत् 1916
(8 फरवरी, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1995)

खण्ड 414 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	1
प्रश्नोत्तर	1–106
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	107
जनपद उन्नाव के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम लालपुर में तहसीलदार द्वारा अकारण ग्रामीणों का उत्पीड़न किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107
लालबाग काम्पलेक्स, आफिसर्स कालोनी, लखनऊ में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु एक ट्यूबवेल की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108
किसान इंटर कालेज, कोठी खिदमतपुर व अमरोहा मुरादाबाद की प्रबन्ध समिति में भ्रष्टाचार की जांच विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108
प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108-109
मेरठ के निबन्धन कार्यालय में दस्तावेजों में जालसाजी व हेराफेरी विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद सहारनपुर नागल में वन चेतना पार्क में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109
ग्राम सभा भेड़, तहसील कोंच, जालौन की सीलिंग की कृषि योग्य भूमि को भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को वितरित करवाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
सर्वेन्ट क्वाटर संख्या-5, जमादारी लेन, दारुलशफा, लखनऊ की जर्जर व्यवस्था को ठीक कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद अल्मोड़ा के क्षेत्र रानीखेत में कई मोटर मार्गों पर नियमित बस सेवा उपलब्ध न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
लखनऊ नगर के मोहल्ला अछूती गली, वार्ड मंसूरनगर में अनाधिकृत निर्माण को रोकने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
हरदोई जनपद के ग्राम अर्जुनपुर व ज्ञानपुर में पुलिया बनवाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
ग्राम जुई पापड़ी, विकास खण्ड रिखनीखाल (गढ़वाल) में आदमखोर बाघ को मारने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री के० आर० सिंह, स्थानिक अभियन्ता, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लखनऊ द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112-113
जनपद गाजियाबाद में राजनगर स्थित नये कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं हेतु चैम्बर के लिये स्थान आरक्षित कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
वाराणसी नगर में ईंधन गैस की आपूर्ति कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
प्रतापगढ़ जनपद गौरा पावर हाउस 33/11 के० वी० के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
बाराबंकी के हैदरगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत समस्त माइनरों की खुदाई व सफाई कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
बांदा जिले के विकास खण्ड मऊ में स्थित बरगढ़ मढ़हा मार्ग में रपटा बनावाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
आगरा महानगर को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
वाराणसी के कई क्षेत्रों में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
आगरा के तहसील किरावली के ग्राम ढिलावड़ी में हजारों एकड़ फसल आगरा टर्मिनल नहर के रिसाव से नष्ट होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	116-117
जनपद ललितपुर के मंडावरा विकास खण्ड के कतिपय ग्रामों में ओलावृष्टि से पीड़ित लोगों को राहत दिलाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	117
दिनांक 17/18 जनवरी, 95 को इलाहाबाद शहर में हुई घटना की जांच कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117-118
जनपद बांदा की कर्वी तहसील में नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
सहकारी बैंक चोपन, जनपद सोनभद्र कैम्वस कोन के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धनों के शोषण विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	118-119
शाहजहांपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों को पिछले दस माह के बकाये वेतन के भुगतान की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के पुनर्वास योजना से संबंधित शासनादेश दिनांक 4 जनवरी, 93 के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	120-121

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य कमजोर वर्ग की बस्तियों के समीप खोले गये शराब के ठेकों को हटाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद देवरिया में विद्युत आपूर्ति सुधार विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	121-122
देशी शराब की दुकान बंसीवाला देहरादून को स्वीकृत स्थान पर ले जाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	122
मेसर्स सीतापुर प्राइवेट मैन्युफैक्चर्स लि० सीतापुर में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों पर हो रहे उत्पीड़न विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
जनपद सिद्धार्थनगर के गोपाल कृष्ण गोखले शिक्षा सदन की दैवी आपदा क्षतिपूर्ति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद देवरिया के क्षेत्र रुद्रपुर को गोरा व राप्ती नदियों के कटान से बचाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	123-124
जनपद गोण्डा की बलरामपुर चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों को बेसिक कोटे के हिसाब से पर्ची जारी करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	124
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् से हस्तान्तरित लखनऊ जल संस्थान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी पम्प आपरेटरों को नियमति करने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	124-125
जनपद चमोली में भूस्खलन से अनेकों गांवों के धसने व हजारों लोगों के जीवन को खतरा विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	125
प्रदेश में उच्च शिक्षा आयोग द्वारा चयनित प्राचार्यों को निजी प्रबन्धकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	125-126
जनपद उन्नाव में पुलिस उत्पीड़न विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	126
सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासनादेश की उपेक्षा विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा महानगर में यू० पी० अरबन प्लानिंग एवं डेवलपमेन्ट ऐक्ट, 1993 के विरुद्ध कार्य करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
जिला अस्पताल सीतापुर में रसायनों के न होने से पैथालोजी का कार्य ठप्प होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127
प्रदेश में लाटरी टिकटों की बिक्री से लाखों लोगों के भुखमरी का शिकार होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	127-135
आतंकवादियों द्वारा बाजपुर में जुझारू नेता श्री गुरु बचन लाल शर्मा तथा उनके अंगरक्षक की हत्या किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	135-137

विषय	पृष्ठ संख्या
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	137-138
पूर्वांचल नेता तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भोलाराय पर हमला किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	138-139
नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	140-142
विधान सभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने से याचिकाओं एवं समितियों का कार्य सुचारु रूप से न चलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	142-146
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993 (सदन के पटल पर रखी गयी)	146-147
उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1993 (सदन के पटल पर रखी गयी)	147
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गयी)	147
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गयी)	147
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक 1995 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	147
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक 1995 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	148
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1995 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	148
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 70वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	148
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम खगौड़ा आदि गांवों को हापुड़ तहसील से हटाकर गाजियाबाद तहसील में शामिल किये जाने विषयक श्री रघुवीर सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	148
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम डासना देहात की पांचों गढ़ियों को अलग-अलग गांव पंचायत बनवाने विषयक श्री धूमसिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	148-149

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद वाराणसी के अन्तर्गत गिरजाघर चौराहे से रामापुर रेवड़ी तालाब होकर मेसपुर चौराहा तक की सड़क तथा विजया सिनेमा की सड़कों को अविलम्ब निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय कृष्ण गुप्ता आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	149
जनपद कानपुर देहात की तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत हमीरपुर रोड से बुद्धानपुर तक के सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री चन्द्रभान सचान आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	149
जनपद कानपुर देहात की तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम सिधौल से बगरिया होते हुए लहुरीमऊ चांदपुर मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री गुलाब सचान आदि की याचिका (उपस्थित की गयी) ...	149
जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के दुर्जनपुर घाट से लेकर बेगमगंज तक पी० डी० बन्धे के कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री शत्रुघ्न सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गयी)	149
जनपद सिद्धार्थनगर के सोहांस घाट पर पक्का सेतु बनवाये जाने विषयक श्री संत प्रकाश त्रिपाठी आदि की याचिका (उपस्थित की गयी).. ..	149
प्रथम सत्र 1994 के पहले शुक्रवार के अतरांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर के संबंध में नगर विकास राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य	150
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	151-191
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर मतगणना की मांग	191-193
सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	194
राष्ट्रगान	194
नत्थियां	195-196

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 8 फरवरी, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
2–इन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
3–काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
4–निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
5–सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 8 फरवरी, 1995

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

(मद संख्या–1 पुकारे जाने पर विपक्ष के अनेक माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें। मैंने मद संख्या–1 पुकार ली है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। आज यह परिपाटी बनती चली जा रही है कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया जाता है तो कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर प्राण घातक हमला किया जा रहा है। मैंने नियम–311 के अन्तर्गत इस आशय की नोटिस दी है। मान्यवर, मऊ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भोलाराय जी के ऊपर 21-12-94 को प्राण घातक हमला हुआ।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें मैं इसे बाद में देख लूंगा।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मेरठ विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, भदोही जनपद के पडरौना जिले में सैकड़ों दुकानें जला दी गयीं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के आंदोलनरत कर्मचारियों की प्रमुख मांगों के संबंध में जानकारी

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लगभग 7 लाख कर्मचारी माह दिसम्बर, 1994 में कुछ मांगों को लेकर आन्दोलनरत हुए थे ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं तथा उन मांगों को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या ठोस उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार होमगार्ड्स एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)–

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, उत्तर प्रदेश (श्री बी० एन० सिंह गुट) एवं उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के आवाह्न पर उक्त संघों से सम्बद्ध कर्मचारी आन्दोलनरत हुए थे।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तर प्रदेश (बी० एन० सिंह गुट) की प्रमुख मांगें निम्न हैं :–

(1) अधिकारियों की पद्धति पर ही तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी पांच वर्ष एवं 12 वर्ष की निरन्तर सेवा पर दो प्रोन्नति वेतनमान दिया जाना।

(2) राज्य कर्मचारियों, रोडवेज कर्मचारियों तथा राजकीय शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनमानों में व्याप्त वेतन विसंगतियों का निवारण किया जाना।

(3) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रथम प्रोन्नति वेतनमान रुपये 950-1500 दिया जाना।

(4) नगर की भांति ग्रामीण आवास भत्ता अनुमन्य कराया जाना।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ की प्रमुख मांगें निम्न हैं :–

(1) समस्त कर्मचारियों एवं जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों को तीन प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाना।

(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रु०–950-1500 का प्रथम प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना तथा इन्हें सचिवालय कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष वेतन एवं भत्ते दिया जाना।

(3) समान कार्य के लिए समान वेतन के स्वीकृत सिद्धान्त पर लिपिकीय कर्मचारियों के वेतनमानों में राज्य स्तरीय वेतन-विषमता दूर किया जाना। प्रत्येक तृतीय श्रेणी के 50 पदों पर एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित किया जाना। कलेक्ट्रेट के लिपिकीय कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के 10 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति दिया जाना। समस्त लिपिकीय कर्मचारियों को राज्य सचिवालय में स्वीकृत विशेष वेतन एवं भत्ते स्वीकृत किया जाना।

(4) केन्द्र के कर्मचारियों को अनुमन्य समस्त भत्ते एवं सुविधायें राज्य कर्मचारियों एवं जूनियर हाईस्कूल शिक्षकों को स्वीकृत किया जाना।

(5) समस्त वर्ग के कर्मचारियों एवं परिषदीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की वेतन विसंगतियां समाप्त किया जाना।

(6) कार्य प्रभारित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में खपाया जाना और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक उन्हें नियमित कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं स्वीकृत किया जाना।

(7) समस्त कर्मचारियों एवं शिक्षकों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी/शिक्षकों तथा उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा एवं दवाएं उपलब्ध कराया जाना एवं अनुषांगिक व्यय के लिए 100 रुपये प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया जाना।

राज्य कर्मचारियों की उपर्युक्त मांगों के संबंध में कर्मचारियों से कई चक्रों में वार्ता की गई तथा वार्ता का क्रम जारी था, परन्तु इसी मध्य कर्मचारी संघ हड़ताल पर चले गये एवं शासन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया। अनेक मांगों के संबंध में स्थिति कर्मचारियों को पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी वैसे अभी उपरोक्त दोनों संघों के प्रतिनिधियों से वार्ता चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, जो पिछले दिनों राज्य कर्मचारियों की हड़ताल चली और जिसमें मैंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि प्रदेश के जो 7 लाख कर्मचारी दिसम्बर, 94 में आन्दोलनरत हुए थे उनकी प्रमुख मांगें क्या थीं ? उस समय माननीय मंत्री जी ने मांग पत्रों का उल्लेख किया था उन मांगों को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाया जा रहा है यह मैं जानना चाहता हूं। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

जो प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की मांगें हैं, उसके संबंध में शासन क्या ठोस उपाय कर रहा है, इसके संबंध में कदाचित कोई भी उत्तर नहीं आया है, केवल कहा गया है कि वार्ता चल रही है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो दोनों संघों की मांगें हैं, इसमें कितनी मांगों के संबंध में इसके पूर्व सरकारों से और राज्य कर्मचारियों के इन संगठनों से समझौता हो चुका है और यदि समझौता हो चुका है तो उसका केवल अनुपालन करने की बात है, शासनादेश निकालने की बात है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार के समक्ष क्या कठिनाई है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों से समझौता इन संगठनों का हो चुका है, सरकार राज्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये क्यों इन बातों को पूरा करने से कतरा रही है ? दूसरी बात कहना चाहता हूं कि सरकार की हठवादिता के कारण आजाद भारत में राज्य कर्मचारियों का पहली बार इतना बड़ा आन्दोलन चला, पूरे 50 दिन तक यह आन्दोलन चलता रहा, उसके बावजूद भी सरकार के स्तर पर वार्ता करने का कोई प्रयास नहीं हुआ, जब कि संगठन वार्ता करना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूं कि यह आन्दोलन किसी तिथि से शुरू हुआ और इस आन्दोलन सरकार के संसाधनों का कितना नुकसान हुआ क्योंकि प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यालय में काम ठप्प था, इस आन्दोलन के दौरान कब-कब मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई तथा जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया, बर्खास्त किया गया, जिनका उत्पीड़न हुआ, उनकी दंडात्मक कार्यवाही खत्म करने के लिये सरकार विचार करेगी। इस संबंध में जानना चाहता हूं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, हमारी सरकार अपने कर्मचारियों की जायज मांगों को मानने के लिये हमेशा तत्पर है। जहां तक माननीय पाल जी ने पूछा है कि कर्मचारियों के महासंघों के विभिन्न गुटों के साथ कब-कब बातें हुई, उस संबंध में आपके माध्यम से माननीय पाल जी को बताना चाहता हूं कि 26 मई, 1994 को माननीय मुख्य मंत्री और कर्मचारी संघ के नेताओं से बात हुई, उसके बाद 30 अगस्त, को फिर माननीय मुख्यमंत्री से और कर्मचारी संघ के नेताओं से बात हुई, उसके बाद फिर श्रीमन प्रमुख सचिव से, मुख्य सचिव से राज्य कर्मचारी संघ के नेताओं से बात हुई। अन्तिम बात 24 तारीख को कार्मिक सचिव से हुई। उसके बाद 31 जनवरी, को पुनः माननीय मुख्य मंत्री से और कर्मचारियों से बात हुई। फिर 24 जनवरी, 95 को

माननीय मुख्य मंत्री और कर्मचारी नेताओं से वार्ता हुई, 26 जनवरी, 95 को फिर माननीय मुख्यमंत्री से और नेताओं से सायंकाल बात हुई । यही नहीं, श्रीमन् 2 फरवरी, 95 को मुख्य सचिव से और कर्मचारी नेताओं से वार्ता हुई । 31 जनवरी, 95 को मुख्य सचिव और कर्मचारी नेताओं की पुनः वार्ता हुई । अब 10 फरवरी, 95 यानि परसों पुनः मुख्य सचिव से और कर्मचारी नेताओं से बात होनी है । जितनी भी बातें हुई हैं, सभी बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

जिन मांगों पर पूर्व में समझौता हो चुका है, उसको लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जहां तक कठिनाई का सवाल है, उसके संबंध में बताना चाहता हूं । श्रीमन् यह हड़ताल 5-6 दिसम्बर से शुरू हुई और इस हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के उत्पीड़न के संबंध में जो पूछा गया है तो इस दिशा में श्रीमन्, यह हड़ताल 24 जनवरी को राज्य कर्मचारियों ने वापस ले ली और 27 जनवरी, 95 को शासनादेश निर्गत कर दिया गया है कि जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी है, उसको वापस लिया जाय । हमारी सरकार राज्य कर्मचारियों की जायज मांगों को मानने के लिये अपने वित्तीय संसाधनों को देखते हुये सदैव तत्पर है ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, बहुत सीधा-साधा प्रश्न आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों और पूर्ववर्ती सरकारों के बीच में किन-किन बिन्दुओं पर समझौते हुये और उनमें से कौन-कौन से समझौते लागू कर दिये गये, कौन-कौन से समझौते हैं जो अभी तक लागू नहीं किये गये हैं । उनके लागू न करने के कारण क्या है ? शेष जो रह गये हैं उनको कब तक लागू कर दिया जायेगा ? क्योंकि सरकार तो मान्यवर, सतत् चलने वाली प्रक्रिया है । मान्यवर, इन प्रश्नों का उत्तर मैं स्पष्ट रूप से सरकार से चाहता हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल ने कर्मचारियों की मांगों के संबंध में जो बात उठाई और चिन्ता व्यक्त की है उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में वर्ष 1986 और 1989 में राज्य कर्मचारियों की हड़तालें हुई हैं और उस हड़ताल के दरम्यान जो कर्मचारी हड़ताल पर थे, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार काम नहीं तो दाम नहीं, को ध्यान में रखते हुये उनको वेतन नहीं दिया गया था, उनको कुछ पैसा एडवांस दिया गया और राज्य कर्मचारी बराबर मांग करते रहे कि हमारा समायोजन कर दिया जाये लेकिन माननीय नेता विरोधी दल, को नेता सदन और मुख्य मंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ और इन्होंने राज्य कर्मचारियों के उस वेतन समायोजन पर कोई सुनवाई नहीं की और आज जब हट गये हैं तो राज्य कर्मचारियों की बात कर रहे हैं । माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार इस प्रदेश के किसानों के लिये, राज्य कर्मचारियों के लिये और मजदूरों के लिये है, इस प्रदेश के विकास के लिये है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, राज्य कर्मचारी सपा और बसपा की सरकार में पिसा है और भाजपा की सरकार में भी पिसा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के प्रति हमदर्दी दिखा रहे हैं। कर्मचारी शासन और प्रशासन का अंग है, वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी या बेनी प्रसाद वर्मा जी का गुलाम नहीं है। कर्मचारियों ने अपनी जायज हक के लिये एक लंबी लड़ाई लड़ी। अभी उनकी मांगों का जिक्र माननीय कारागार मंत्री जी ने कर दिया है लेकिन स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि कुछ मांगों पर कर्मचारी प्रतिनिधियों और सरकार के बीच में समझौता हुआ था, वह कौन-कौन सी मांगें थीं जिस पर समझौते हुये थे और उन समझौतों को आधार बनाकर क्या शासनादेश जारी किये गये और यदि नहीं किये गये तो क्यों ? दूसरी बात जो उत्पीड़न की कार्यवाहियां सरकार ने की उनमें कितने लोग गिरफ्तार किये गये, कितने लोगों के खिलाफ निलम्बन की या बर्खास्तगी की कार्यवाही की गयी और कितने कर्मचारी सरकार के व्यवहार से क्षुब्ध, पीड़ित होकर सदमें के शिकार होकर मौत के मुंह में समा गये ? इसके साथ ही यह भी बताने का कष्ट करें कि उत्पीड़न की कार्यवाही समाप्त की गयी या नहीं और मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिये किसी विशेष सहायता की घोषणा की गयी है यदि की गयी है तो वह क्या है और नहीं की गयी है तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

हमारी सरकार कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने की नीयत से नहीं, उनका मनोबल तोड़ने की नियत से नहीं, लेकिन हड़ताल के दौरान, जैसा कि माननीय श्री वर्मा जी ने पूछा कि कितने कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई, उसके संबध में बताना चाहता हूं हड़ताल के दौरान 5433 कर्मचारियों का निलम्बन हुआ, 4392 कर्मचारी गिरफ्तार हुए तथा 1594 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त हुईं, लेकिन कोई मरा नहीं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, यह सारा उत्तर प्रदेश जानता है कि इनके व्यवहार के कारण सदमें से 18 कर्मचारी मर गये।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, सरकार की इस हठवादिता के कारण 17 कर्मचारियों की जानें जा चुकी हैं। आज भी उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मैंने जो सवाल किया था, उसका कोई जवाब नहीं आया। यह सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है, इसलिए सरकार के इस रवैये के खिलाफ मैं और मेरा दल पांच मिनट के लिए सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री कल्याण सिंह व अपने दल के माननीय सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सरकार का जो यह कर्मचारी विरोधी रवैया है, कर्मचारियों का जो उत्पीड़न इस सरकार ने किया है जिसके कारण 18 कर्मचारियों की जानें चली गईं और आज सरकार जवाब भी नहीं दे रही है इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री राम आसरे वर्मा व अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कर्मचारियों के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही हुई । उनकी जायज मांगों को नहीं माना गया । इससे साबित होता है कि यह सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है । इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

लोक. निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, राज्य कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई थी वह बिना शर्त समाप्त हुई है । जब कर्मचारी नेताओं व कर्मचारियों ने यह समझ लिया कि तमाम कई राज्यों की तुलना में हमारे राज्य कर्मचारियों को ज्यादा सुविधायें मिल रही हैं, यहां तक कि कई मामलों में केन्द्र सरकार से भी बेहत्तर सुविधायें हमारे यहां राज्य कर्मचारियों को मिल रही हैं तो उन्होंने अपनी हड़ताल बिना शर्त समाप्त कर दी । ये लोग फिर चाहते हैं कि उस स्तर का वातावरण फिर बने परन्तु इनकी यह साजिश फेल हो गयी और थोड़ा ये लोग निराश भी हुए हैं । इसलिए ये लोग सिद्धान्त रूप में तो नहीं मात्र विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं ।

राज्य के पूर्ण शराब बन्दी की शासकीय घोषणा की जानकारी

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी ''दादा''–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती के विशेष अवसर पर राज्य में पूर्ण शराब बन्दी की घोषणा तथा उसे लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–47 में निरूपति सिद्धान्त के अनुरूप प्रदेश सरकार की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है । तदनुसार मद्य निषेध नीति को प्रमुखता देते हुए प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से समुचित राजस्व प्राप्त किया जाय ।

अतः जब तक जनता मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग की बुराईयों से अवगत नहीं हो जाती और पूर्ण नशाबन्दी को स्वतः स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी लागू करना उचित न होगा ।

श्री श्याम देव राय चौधरी "दादा"–

मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संबंध में कई प्रसंग ऐसे आये हैं जिसमें उन्होंने अपने जीवन में 125 वर्ष जीने की इच्छा व्यक्त की है। चूंकि यह वर्ष उनकी 125वीं जयंती का है मैंने इसीलिये यह प्रश्न किया था जिसके उत्तर में सरकार ने कहा है "जी नहीं" और प्रश्न ही नहीं उठता" तो इससे निश्चित रूप से मुझे और जो इस बुराई से लोग समाज में पीड़ित हैं उन्हें काफी दुख हुआ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा जैसा उन्होंने कहा है जब तक जनता इसकी बुराईयों से अवगत नहीं हो जाती है, तो क्या गुजरात और आंध्र प्रदेश में पूर्ण शराब बन्दी लागू है तो क्या यह मान लिया जाय कि वहां की जनता इसकी बुराई से पूरी तरह से अवगत हो गयी है? अपने प्रदेश की जनता को उससे अवगत कराने के लिये क्या कोई विपरीत परिस्थिति सरकार मानती है?

दूसरी बात उनकी सरकार की जो वर्तमान नीति है उसमें इसकी बुराईयों से जनता को अवगत कराने की प्रक्रिया में जो शिथिलता है, उसे अपर्याप्त प्रयासों के कारण पूर्णनशा बंदी के लिये जनता को अवगत कराने में कब तक सक्षम हो जायेगी और जनता को इस विषय में कब तक अवगत करा देगी ताकि पूर्ण नशाबन्दी हो सके?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्रीमन्, माननीय चौधरी जी ने सही कहा कि गांधी जी 125 वर्ष तक जिंदा रहना चाहते थे लेकिन बाद में कुछ लोगों से दुखी होकर उन्होंने यह भी कहा कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है चौधरी साहब को, कि गांधी जी मार डाले गये, वह अपनी मौत से नहीं मरे। इससे दुखद और निंदनीय घटना भारत के लिये नहीं कही जा सकती है।

गांधी जी पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में थे और हमारी सरकार की भी मद्य निषेध की स्थापित नीति है। उत्तर में जो कहा है कि पूर्ण नशाबन्दी के लिये जब तक जनता अवगत नहीं हो जाती वह जनहित में भी नहीं है। ऐसे में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने से नये माफिया पैदा होंगे और जहरीली शराब पिला कर लोगों को मार डालेंगे। तो सरकार का कर्तव्य है कि उनको स्वस्थ रहने वाली शराब उपलब्ध कराये।

श्री किरन पाल सिंह–

अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि प्रदेश की जनता को हम शराब दें जब तक वह शिक्षित न हो जाय, मुझे बड़ा दुख और अफसोस है। आंध्र प्रदेश में जो राष्ट्रीय मोर्चा की तेलगूदेशम की सरकार है उन्होंने पूर्ण मद्य निषेध लागू किया है, यहां सरकार ने शिक्षित होने का बहाना लिया है लेकिन मुख्य कारण राजस्व है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री किरन पाल सिंह–

राजस्व मिल जायेगा क्योंकि शराब पीने से खराब कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है इस पर स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग को ज्यादा खर्च करना पड़ता है।

मैं जानना चाहता हूं कि यदि आप सिद्धान्त रूप से सहमत हैं कि मद्य निषेध होना चाहिए तो जिस प्रकार आन्ध्र प्रदेश में 700 करोड़ का घाटा उठाकर कोई न कोई रेवेन्यू का स्रोत ढूंढा है, उसी प्रकार क्या वहां के मुख्य मंत्री से सलाह मशविरा आप करेंगे कि इस संबंध में क्या उपाय कर रहे हैं ? यदि आप राजी उनसे हो जाते हैं तो क्या आप यहां मद्य निषेध लागू करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमारा प्रदेश भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों से सबसे बड़ा है तो आन्ध्र प्रदेश की तरह यहां क्यों लागू होगा ? मान्यवर, हमारी स्थापित नीति है मद्य-निषेध की लेकिन जब तक लोग स्वतः नशाबन्दी के लिए राजी न हों और समाज में दूसरी बुराईयां लागू न हो जांय तब तक पूर्ण नशाबन्दी कैसे लागू होगी ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

टपका सिंचाई प्रणाली की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये कृषकों के प्रोत्साहन हेतु कृषि विभाग की कार्य योजना की जानकारी

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली (टपका सिंचाई प्रणाली)की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे किसानों के बीच अधिक प्रोत्साहन के लिये क्या कोई कार्य योजना कृषि विभाग ने बनायी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव)–

जी हां ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना काल से टपका सिंचाई कार्यक्रम (ड्रिप सिंचाई) लागू किया गया है । इसके अन्तर्गत प्लास्टिक के पाइपों के माध्यम से सिंचाई के मुख्य स्रोत से पौधों की जड़ों के पास बूंद-बूंद कर पानी उनकी आवश्यकता के अनुरूप पहुंचाया जाता है । कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 51 जनपदों में 4167 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप सिंचाई प्रणाली की स्थापना का कार्यक्रम है जिस पर प्रति कृषक एक हेक्टेयर भूमि में प्रणाली की स्थापना पर केन्द्र सरकार द्वारा 50% अधिकतम रु० 15,000 तथा राज्य सरकार द्वारा 25% अधिकतम रु०7500 कुल रु० 22,500 का अनुदान अनुमन्य है । वित्तीय वर्ष 1994-95 के उपरान्त आठवीं योजना के शेष वर्षों में कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 40% अनुदान तथा राज्य सरकार द्वारा 10% अनुदान अनुमन्य रहेगा । कृषक अपने अंश हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकता है । कृषक को अनुदान प्राप्त करने हेतु खण्ड विकास अधिकारी से प्रार्थना पत्र को प्रमाणित कराकर जिला उद्यान अधिकारी को प्रेषित करना होगा जिसकी स्वीकृति के उपरान्त कृषक अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा । योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए दूर दर्शन, आकाशवाणी तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है । राजकीय प्रक्षेत्रों पर प्रदर्शन भी कराये जा रहे हैं । जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से टपक (ड्रिप) सिंचाई अनुदान योजना निर्देशिका कृषकों के मध्य वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया है। केन्द्र सरकार से प्राप्त वीडियो कैसेट्स को भी जनपदों में होने वाली गोष्ठियों में

दिखाने हेतु विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। अनुदान के भुगतान हेतु उसकी प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए जनपदीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना को अधिक लोकप्रिय बनाने के सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं और उसके तहत लक्ष्य 4167 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, क्या सरकार को जानकारी है कि इसमें कितना क्षेत्रफल अच्छादित किया जा चुका है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जो हमारा लक्ष्य है, 1991-92 में जब योजना प्रारम्भ हुई थी तो जो उपलब्धियां होनी चाहिए थीं वह नहीं हुई, लेकिन वर्ष 1994-95 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए हम बराबर तत्पर हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सरकार ने स्वीकार किया है कि इस योजना के कार्यान्वयन और उसकी उपलब्धि के आंकड़े जो सरकार के पास होने चाहिए वह नहीं हैं, इसलिए सरकार इसमें गंभीर नहीं है। लेकिन इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से सम्प्रति 25 प्रतिशत जो अनुदान दिया जा रहा था वह अगले वित्तीय वर्ष में 25 से घटाकर 10 प्रतिशत क्यों किया जा रहा है ? तो जब इस स्कीम को लोकप्रिय बनाना है और उसका एक तरीका सब्सिडी भी है, तो जो आपने इस योजना में सब्सिडी कम करने की घोषणा की उसका क्या कारण है ? इस परस्पर विरोधाभास का क्या कारण है ?

श्री बलराम यादव–

किसी योजना को सार्वजनिक करने के लिए, प्रचार करने के लिए पहले कुछ अनुदान दिया जाता है, लेकिन जब कृषक उसको अपना लेते हैं, तो उसको अपने आधार पर ही कराने का प्रयास रहता है और वह करते हैं। लेकिन भारत सरकार ने जब इस योजना में अपने अनुदान में कटौती की है तो प्रदेश सरकार को भी वैसा निर्णय लेना पड़ता है। इसका काफी प्रचार हो गया है और यह प्रचलित योजना हो गई है।

देश विदेश में नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को यशभारती पुरस्कार से सम्मानित करने की प्रक्रिया की जानकारी

*2–श्री जगदम्बिका पाल तथा डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश विदेश में विशिष्ट क्षेत्रों में नाम रोशन करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल रूप से निवासी प्रतिभाओं एवं विशिष्ट हस्तियों को "यश भारती" सम्मान से पुरस्कृत करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप है तथा 31 दिसम्बर, 94 तक यश भारती पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया जा चुका है ? सम्मान हेतु चयन का आधार तथा प्रक्रिया क्या है ? अलंकरण हेतु उन्हें अब तक प्रदत्त की गयी कुल धनराशि क्या है ? अभी किन-किन अन्य विभूतियों को सम्मानित करने का लक्ष्य है ?

पशुधन राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)–

देश-विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन करने वाले उत्तर प्रदेश के मूल रूप से निवासी या जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से रहा हो, को "यश भारती" सम्मान से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है।

यश भारती पुरस्कार उन कलाकारों को तथा प्रतिभाओं को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विधा में ख्याति प्राप्त की हो।

31 दिसम्बर, 1994 तक 29 विशिष्ट व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

पुरस्कृत किये जाने वाले कलाकारों/व्यक्तियों के प्रस्ताव संबंधित विभागों द्वारा तैयार किये जाते हैं। कुछ प्रस्ताव सीधे भी प्राप्त होते हैं। इन प्रस्तावों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति, जिनके सदस्य प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव, गृह संबंधित विभाग के सचिव एवं सचिव, संस्कृति द्वारा निर्णय लिया जाता है। आवश्कतानुसार समिति संबंधित विधा के विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकती है।

31 दिसम्बर, 1994 तक 29 विभूतियों को सम्मानित करने में 29 लाख रुपये की धनराशि पुरस्कार के रूप में व्यय की गई है। 31 मार्च, 1995 तक लगभग 42 विभूतियों को सम्मानित करने का लक्ष्य है। किन्तु इसके अतिरिक्त यदि कुछ और विभूतियों के नाम उक्त समिति को प्राप्त होते हैं जिन्हें समिति योग्य समझती है, तो उन पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा विचार किया जा सकता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

जो ये पुरस्कार 29 लोगों को दिए गये हैं, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि यशभारती पुरस्कार उन कलाकारों को तथा प्रतिभाओं को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विधा में ख्याति प्राप्त की हो, तो जो विभिन्न विधाओं के कलाकार हैं–चाहे कला या संस्कृति के क्षेत्र के कलाकार हों या किसी अन्य क्षेत्र के हों–तो उन क्षेत्रों में जो दिये गये हैं, उन विधाओं के प्रदेश में और जितने कलाकार हैं, जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं ? क्या उनका कोई पैनेल तैयार किया गया है ? यदि तैयार किया गया है तो कितने लोगों का पैनेल तैयार किया गया है ? साथ ही क्या सरकार ्ला और संस्कृति के साथ विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में भी यशभारती पुरस्कार देने पर विचार करेगी ? मानक के संबंध में यह कहना है कि क्या सरकार कोई मानक बनाकर जितने भी लोग उस क्षेत्रमें उस स्तर के हैं उन सबको यशभारती देने का सरकार प्रयास करेगी ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

सबसे पहले पाल साहब को इस सरकार को बधाई देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले की सरकारें सामन्तों के संबंध में थी और वह किसी का सम्मान नहीं करती थीं। यह पहली किसानों की सरकार है मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में, मान्यवर, जो प्रदेश में पैदा हुए या प्रदेश से संबंधित जो लोग हैं, जिन्होंने विशिष्ट सेवाएं की हैं या विशिष्ट रूप से ख्याति प्राप्त की है, देश और विदेश में हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनको सम्मानित करके यह पुरस्कार दे रहे हैं। इसके द्वारा नवजवानों को प्रेरणा दे रहे हैं ताकि वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें और ख्याति प्राप्त करें। अगर कोई सदस्य या पाल साहब भी

कोई ऐसा काम करेंगे तो उन्हें भी दिया जायेगा । यह विशिष्ट क्षेत्र हैं फिल्म जगत में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, कविताओं और लेखन के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कला का प्रदर्शन आप करेंगे जिससे प्रदेश का नाम देश और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो । हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके लिए एक कमेटी बनी हुई है...

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बीच में बाधा मत डालिये ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, इसमें मेरा भी प्रश्नकर्ता में नाम है, मुझे भी बोलने का अवसर दीजिये ।

श्री ऊदल–

क्या माननीय मंत्री जी उस लिस्ट को देखकर बतायेंगे कि दो ऐसे सज्जनों को यश भारती पुरस्कार दिया गया है एक हैं अभिताभ बच्चन जिनके ऊपर साढ़े तीन करोड़ रुपये का इन्कम टैक्स बकाया है और दूसरे हैं श्री राज बब्बर जिनके ऊपर डेढ़ करोड़ रुपये बकाया है । ऐसे बकायेदारों को, इनकम टैक्स चोरों को यह यश भारती का पुरस्कार क्यों दिया गया ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, यह यश भारती पुरस्कार देकर ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अपनी विधा में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है । उनके जीवन के अन्दर और चीजें क्या हैं, यह दूसरे विभागों का काम है । कैफी आजमी शायर, मुजफ्फर अली फिल्म जगत, बिस्मिल्ला खां शहनाई और बिरजू महाराज ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने-अपने कला के क्षेत्र में देश और विदेश स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है । हमारी सरकार ने यश भारती पुरस्कार देकर इन सभी लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिनका प्रश्न है, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए । आप लोग एक ही प्रश्न पर बोलना चाहते हैं तो 49 में लिख कर दे दें मैं आधे घंटे की चर्चा करा लूंगा ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 29 लाख रुपये की धनराशि 29 विभूतियों को सम्मानित करने में व्यय की गई । यह ठीक है कि 29 लोगों के लिये 29 लाख रुपये व्यय किये गये लेकिन इसके लिये जो आयोजन किया गया उसमें करोड़ों रुपया व्यय किया गया । यह आयोजन कहां-कहां पर किये गये और इन पर कितना रुपया व्यय किया गया इसको बताने का कष्ट करें ? एक बात और कही गई है कि एक कमेटी गठिन की गई है, तो इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कमेटी कितनी बार बैठी और संबंधित विधा के किन-किन व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया ?

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की जिज्ञासा को समझ रहा हूं। इसमें एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। ताम्रपत्र, अंग वस्त्र, बैंक ड्राफ्ट रखने के लिये पात्र और वायुयान का किराया दिया जाता है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार साम्प्रदायिक है यह किसी को पुरस्कृत नहीं करना चाहती है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

भाषण मत करिए। चर्चा नहीं होगी। जवाब आ गया है मैं चर्चा नहीं कराऊंगा और भी माननीय सदस्यों को अधिकार है मैं अधिकारों का हनन नहीं होने दूंगा। आप चर्चा चाहते हैं। तो नियम–49 में दीजिए।

(व्यवधान)

सबको समान अधिकार है।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक व्यक्ति की बात सदन में सुनी जाए ऐसा नहीं होगा, सबका प्रतिनिधित्व बराबर है।

श्री किरन पाल सिंह–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा।

(व्यवधान)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, जो विधायक दल बदल करने में एक्सपर्ट हैं उनमें कौन से विधायक यशभारती की श्रेणी में आ रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, भारत वर्ष के बाली बाल टीम के भूतपूर्व कप्तान जिन्होने देश का नेतृत्व किया, उनको लक्ष्मण एवार्ड दिया गया, वह उत्तर प्रदेश की सेवा में, सेवारत हैं ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए शासन क्या कर रहा है ? उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक बाली-बाल का खिलाड़ी है जो भूतपूर्व कप्तान है उसको पुरस्कृत क्यों नहीं किया गया है ?

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करें । सदन में अव्यवस्था मत पैदा करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा । आप लोग प्रश्न प्रहर चलने ही नहीं देना चाहते हैं । दूसरे सदस्यों के प्रश्न भी आने दीजिए । अगर आप इस चर्चा करना चाहते हैं तो नियम 49 के अन्तर्गत इसको दें । यदि संभव होगा तो इसपर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जायेगी । मैंने प्रश्न–3 ले लिया है ।

[बुधवार दिनांक 8 फरवरी, 1995 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद पडरौना की नहरों की सफाई कराने की मांग

*1–श्री विश्वनाथ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–पडरौना की नहरों की इस वर्ष सफाई न किये जाने का क्या कारण है ? क्या इससे किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद–

जनपद पडरौना में 534.9 किमी० नहरों की सील्ट सफाई 31-12-94 तक चालू वर्ष में कराई गई है ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*2–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

[3रे बुध के लिए स्थगित]

लखनऊ मेडिकल कालेज के कर्मचारियों की सेवायें राज्य सरकार से हटाकर लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर अन्य सुविधायें समाप्त किए जाने की जानकारी

*3–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मेडिकल कालेज के कर्मचारियों की सेवायें राज्य सरकार से हटाकर लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गई हैं ? यदि हां, तो क्या कर्मचारियों की यात्रा सुविधा, गृह निर्माण के लिये अग्रिम धन आदि प्राप्त करने की सुविधा समाप्त कर दी गई है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मेडिकल कालेज में दक्षता के अभाव में मरीजों की संख्या कम हो गई है ? यदि हां, तो सरकार एतदर्थ क्या उपाय कर रही है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रश्न बड़ा साफ था लेकिन उसका उत्तर दे दिया "जी नहीं" । वैसे तो इस सरकार की आदत है चाहे जो खड़ा होता है जो प्रश्न होता है उसका उत्तर "जी नहीं" देते हैं । मैंने इसमें पूछा है कि क्या लखनऊ में मेडिकल कालेज के कर्मचारियों की सेवाएं राज्य सरकार से हटाकर लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गईं इन्होंने कह दिया "जी" । लेकिन मैं उसके साथ जो दूसरा प्रश्न किया उनका कोई उत्तर नहीं दिया कि इन कर्मचारियों को यात्रा भत्ता सुविधा और गृह निर्माण कर जो अग्रिम धन दिया जाता था वह दिया जा रहा है या समाप्त कर दिया गया है और अगर समाप्त कर दिया गया है तो हम मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जो पिछली बार सुविधा दी गई वह क्यों समाप्त कर दी गई जबकि वहां के कर्मचारियों का स्टाफ उन्हीं सर्विस कंडीशन के ऊपर विश्वविद्यालय से एटैच किया गया था यह क्यों समाप्त कर दिया गया ?

श्री बलराम यादव–

इनकी सेवा जब विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित कर दी गई तो यह राज्य कर्मचारी नहीं रहे और जब राज्य कर्मचारी नहीं रहे तो मान्यवर, यह सारी सुविधाएं कैसे अनुमन्य हो सकती हैं ?

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब यह अनुबन्ध किया गया था कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किए गए कर्मचारियों को वह सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो पहले राज्य सरकार से मिलती रही हैं आखिर उन सुख सुविधाओं को क्यों समाप्त कर दिया गया ?

श्री बलराम यादव–

जब वह कर्मचारी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो गए तो उसको वही सुविधाएं प्राप्त होंगी जो विश्वविद्यालय देगा ।

मैदानी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु आबादी के मानक की जानकारी

*4–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का आबादी का मानक क्या है ? क्या नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का मानक समान है ? यदि नहीं, तो अलग-अलग मानक क्या है ? गाजियाबाद नगर के हिण्डन पार क्षेत्र व लाइन पार क्षेत्र (विजयनगर) में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं ?

श्री बलराम यादव–

वर्तमान में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों में 30 हजार तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 20 हजार की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का मानक है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है अतः नगरीय क्षेत्र में मानक का प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद नगर के हिण्डन पार क्षेत्र में केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पसौंड़ा में क्रियाशील है किन्तु उक्त केन्द्र के अतिरिक्त :–

1–100 शैय्यायुक्त ई० एस० आई० चिकित्सालय, साहिबाबाद ।

2–20 शैय्यायुक्त पी० ए० सी० चिकित्सालय तथा

3–हेल्थपोस्ट मोहन नगर, महराजपुर एवं शहीद नगर में भी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

लाइन पार क्षेत्र (विजय नगर) में यद्यपि कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील नहीं है फिर भी इस क्षेत्र में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं :–

1–राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय ।

2–हेल्थ पोस्ट विजय नगर एवं केला भट्टा ।

3–आबादी के निकट ही जिला चिकित्सालय जिला महिला चिकित्सालय तथा टी० बी० अस्पताल भी हैं ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, अफसोस की बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राविधान है लेकिन नगरीय क्षेत्र में नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने विभिन्न क्षेत्रों में हैल्थ पोस्ट की बात कही है इन हैल्थ पोस्टों में किस-किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है और किस-किस स्तर का स्टाफ इन हैल्थ पोस्टों में नियुक्त है और दूसरी बात ई० एस० आई० अस्पताल तथा पी० एच० सी० अस्पताल में क्या सामान्य नागरिक को भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त होने के अवसर प्राप्त हैं और क्या शासन नगरीय क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने पर विचार करेगा ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, त्यागी जी ने अपनी पूरी समस्या अपने गाजियाबाद के प्रश्न के माध्यम से कह दी । उन्होंने एक नीतिगत प्रश्न पूछा था लेकिन वह केन्द्रित हो गए गाजियाबाद में । गाजियाबाद में जो भी हमारे हैल्थ पोस्ट हैं उसमें मानक के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं । प्रत्येक हैल्थपोस्ट में डाक्टर हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ है । गाजियाबाद नगर और गाजियाबाद देहात में समुचित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मानक हैं उसके आधार पर प्रदेश में कितने स्वास्थ्य केन्द्र और खोले जाने चाहिए, और यह केन्द्र जो नहीं खोले गये हैं उनको कब तक खोल दिया जायेगा ? दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स जो खोले गये हैं उनमें कितनों में बिल्डिंग नहीं हैं और कितनों में डाक्टर्स नहीं हैं और उसके लिये माननीय मंत्री जी क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, वर्ष 1987 की जनसंख्या के आधार पर जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता थी उससे 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिक खोले जा चुके हैं । 3631 की आवश्यकता थी और 3751 स्थापित हो चुके हैं । जो माननीय अग्रवाल ने दूसरा प्रश्न पूछा कि कितनों में डाक्टर्स नहीं हैं तो उनकी चिन्ता के साथ मैं अपने को जोड़ता हूं । अभी अधिकांश में पूरे भवन उपलब्ध नहीं हैं और एलोपैथिक चिकित्सकों की कमी है । हम प्रयास कर रहे हैं कि इन चिकित्सालयों में अधिक से अधिक सुविधायें हों इसलिये नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना को छोड़कर जो स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं उनमें साज सज्जा और डाक्टर्स तथा दवाओं की व्यवस्था कर रहे हैं ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने बताया मैं जानना चाहता हूं कि हेल्थ पोस्ट में नियुक्तियों का मानक क्या है वहां पर कितना स्टाफ होता है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, एलोपैथिक बूथ में एक चिकित्सक, एक फार्मेसिस्ट, एक वार्ड ब्वाय और एक स्वीपर होता है । विशिष्ट सुविधा के तौर पर महिला डाक्टर की भी व्यवस्था की जाती है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के गठन में सरकारी सदस्यों के मनोनयन में विधायकों की संस्तुतियों पर विचार

*5–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के गठन के सिलसिले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इन अभिकरणों में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन में विधायकों की संस्तुतियों को आधार बनाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (श्री दीनानाथ भाष्कर)–

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 91 में प्रकाशित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की नियम पुस्तक के अध्याय 4.4 में जिला ग्राम्य विकास एजेन्सियों के शासी निकाय का गठन प्राविधानित है । तद्नुसार ही प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–4989(1)/38-6-93-1664/71 टीसी, दिनांक 26 अगस्त, 1993 जारी किया गया है । जिले के सभी माननीय संसद सदस्य तथा सदस्य, विधान सभा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी के सदस्य हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा सवाल कुछ था उसका जवाब कुछ है । मेरा सवाल था कि जिलों में जो विकास अभिकरण हैं उनके गठन की कोई कार्यवाही चल रही है ? आप राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के शासनादेशों का हवाला दे रहे हैं । मेरा सवाल है कि जो जिला विकास अभिकरण समितियां हैं उनमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन होता है, उनके मनोनयन का आधार क्या है ? क्या इस संबंध में विधायकों की संस्तुतियों को उन्होंने आधार बनाया है या नहीं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई इस तरह की कार्यवाही जिला विकास अभिकरणों के गठन में की गयी है या नहीं की गयी है ? और जो गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन हुआ है, क्या उसमें विधायकों की संस्तुति को आधार बनाया गया है या नहीं बनाया गया है ?

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री श्रीराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वर्मा जी को बताना चाहता हूं कि डी० आर० डी० ए० का जो गठन होता है, वह भारत सरकार के निर्देशों पर होता है । आपका जो प्रश्न है क्या कोई इस तरह का गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है या यहां से कोई निर्देश दिये गये हैं तो मैं बताना चाहता हूं डी० आर० डी० ए० के गठन में जो भी प्रक्रिया है वह भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार होती है।

(व्यवधान)

आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो उत्तर माननीय मंत्री जी देना चाहते हैं, उसको मैं समझ गया । मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि जो गैर सरकारी सदस्यों का जो मनोनयन किया गया है, उसका आधार क्या है ? क्या उस का आधार विधायकों की संस्तुति भी है, क्या विधायकों की संस्तुति को आधार माना गया है ? केन्द्र सरकार ने तो केवल गाइड लाइन्स दी हैं और उनके अनुसार डी० आर० डी० ए० की सारी प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और जब राज्य सरकार को प्रक्रिया पूरी करनी होती है तो राज्य सरकार के स्तर से सारे आदेश जारी किये जाते हैं । अगर कार्यवाही आपके स्तर से नहीं की गयी है, तो ठीक है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, उसमें क्या विधायकों की संस्तुति को भी आधार माना जाता है या नहीं माना जाता है, इसको आप बता दें ?

श्री श्रीराम यादव–

इस संबंध में मान्यवर, जो भारत सरकार की नीति है, उसको स्पष्ट करना पड़ेगा । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जिलाधिकारी अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष को नामित करने का अधिकार है । गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित करने का अधिकार है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अध्यक्ष किस आधार पर नामित करता है, इसे आप बता दें ?

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, ग्रामीण महिला लाभार्थी का एक प्रतिनिधि होता है, कमजोर वर्ग के दो प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधि होता है। नामित करने का अधिकार केवल अध्यक्ष को है। डी० आर० डी० ए० के सदस्यों को नामित करने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब तो स्पष्ट हो गया।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक बात बार-बार पूछी जा रही है कि गैर सरकारी सदस्यों को जो नामित किया जाता है, उसका आधार क्या है, आपने कह दिया निर्बल वर्ग। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में कोई व्यक्ति निर्बल वर्ग का मिला जो आपके दल का न हो ?

श्री श्रीराम यादव–

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ भी यहां से कोई निर्देश नहीं है, जो भी निर्देश भारत सरकार के हैं उसी के द्वारा यह कार्यवाही हुई है यदि हमारे माननीय सदस्यों के कोई सुझाव हो तो उसे भेज देंगे।

(व्यवधान)

(तारांकित प्रश्न संख्या 6 पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

अब वह हो गया।

श्री प्रमोद तिवारी–

हो कैसे गया ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को विशेषाधिकार हनन की मौखिक सूचना दे रहा हूं। मैं आपको यह पत्र दिये देता हूं। जो शासन द्वारा नामित करने के लिये लिखा गया है। इसलिये मौखिक रूप से विशेषाधिकार हनन और सदन को गुमराह करने का प्रस्ताव देता हूं।

प्रसव पूर्व निदान तकनीक दुरुपयोग को रोकने तथा भ्रूण हत्या पर रोक लगाने की मांग

*6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनका ध्यान प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग की ओर गया है, जिसके कारण परीक्षणोपरान्त स्त्री भ्रूणों की हत्या का प्रचलन हो गया है ? यदि हां, तो उक्त तकनीकी दुरुपयोग के रोकने तथा भ्रूण हत्या पर रोक लगाने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को पूर्व से ही आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। इस पर और प्रभावी प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा संसद से "दि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टैक्नीक्स (रेगुलेशन एण्ड प्रीवेन्स आफ मिसयूज) ऐक्ट, 1994" भी पारित कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ी चिन्ताजनक बात है और स्त्री भ्रूणों की हत्या जैसी एक बड़ी सामाजिक बुराई पूरे समाज में फैल रही है तो इसकी रोकथाम के लिये माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने सी० एम० ओ० को इंस्ट्रक्शन दे दिये हैं। मान्यवर, जिस ऐक्ट का हवाला अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है इसका मुख्य प्राविधान क्या है और इसको कड़ाई से लागू करने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जो पूर्व परीक्षण रोकने की चिन्ता व्यक्त की गयी है और यह सही भी है इनकी चिन्ता पर भारत सरकार ने इस पर एक्ट बना दिया है। अब इसको पूर्ण रूप से निषिद्ध कर दिया गया है। इसमें केवल एक्ट बना है, नियमावली नहीं बन पायी है जब यह भारत सरकार से आयेगा तो उसका पालन कर लिया जायेगा। जो वर्तमान प्राविधान है उसी के अन्तर्गत संजग होकर कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सेन्ट्रल एक्ट का हवाला दिया गया है, नियमावली किसी भी चीज की न भी बनी होती है तो उसमें जो शासन की व्यवहारिक नियमावली होती है वह काम करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें मुख्य प्राविधान क्या है और उनको लागू करने के लिये, प्रभावी करने के लिये कोई कार्ययोजना तो सरकार के पास होगी अन्यथा मात्र कानून बन जाने से काम नहीं होगा। जो जिलाधिकारी के पास आपके द्वारा निर्देश दिये गये हैं वह क्या हैं ? और इस ऐक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन की कोई योजना है तो वह बता दें ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैंने तो सपष्ट कह ही दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सब होने के बाद भी बड़े पैमाने पर क्लीनिक खुले हुए हैं और सी० एम० ओ० जाकर उसमें खुद बैठते हैं। जो इसमें विज्ञापन है तो वह सूचना विभाग की निरीक्षिका शाखा से माननीय मंत्री जी के पास आता होगा। इस सबके बावजूद वह चीज पनप रही है तो कोई न कोई कार्यान्वयन मंत्री जी के पास होना चाहिए। अगर है तो बता दें ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जो एक्ट भारत सरकार ने बनाया है उसके अन्तर्गत इतने कड़े प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं कि अब कोई साहस नहीं करेगा विज्ञापन का, उसमें तीन साल की कैद और 10 हजार का जुर्माना

होगा। यदि कोई पति भी पत्नी का परीक्षण कराना चाहेगा तो निश्चित तरीके से उन पर भी 3 साल की सजा और 10 हजार का जुर्माना होगा। इसी तरीके से परीक्षण करने वाले डाक्टर और क्लीनिक पर व्यवस्था है। तो मान्यवर, इस पर जब नियमावली आ जायेगी तो उसका पालन किया जायेगा।

जनपद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज के गेटों की वेल्डिंग हेतु फर्जी भुगतान किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*7–श्री परशुराम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि हरिद्वार जनपद में भीमगौड़ा बैराज के गेटों की वेल्डिंग की एक्सरे टेस्टिंग हेतु रुड़की विश्वविद्यालय से दिनांक 9-10-93 को कोटेशन मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि रुड़की विश्वविद्यालय के पत्र सं०–617, दिनांक 12-10-85 द्वारा 4200/- का कोटेशन दिया गया था और इस कोटेशन पर बिना कोई आपूर्ति आदेश के 4200/- के स्थान पर 15,000/- का बिल बिना कार्य किये ही तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी बिल का भुगतान करने वाले अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

रुड़की विश्वविद्यालय के पत्रांक संख्या 617, दिनांक 12-10-85 द्वारा इस हेतु रु० 4,200 का कोटेशन प्राप्त हुआ। इस कोटेशन में कन्सल्टेशन चार्जेज हेतु रु० 3,000 तथा दो स्थल विजिट के लिये रु० 1,200 कुल धनराशि रु० 4,200 की मांग की गयी थी। बाद में रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा रु० 15,000 बीजक प्रस्तुत किया गया, जिसका भुगतान सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया गया।

मूल कोटेशन की धनराशि के विपरीत रु० 15,000 की धनराशि का भुगतान किन परिस्थितियों में किया गया। इस बारे में सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए यथावश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री परशुराम यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि 4,200/- के स्थान पर 15,000/- का पेमेन्ट हुआ है। यह भी कहा गया है कि सम्बन्धित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मिलने पर कार्यवाही की जायेगी।

मान्यवर, मैंने 5 माह पूर्व इसमें जांच की मांग की थी। किन्तु अभी तक यही उत्तर है कि स्पष्टीकरण मिलने पर कार्यवाही की जायेगी। क्या इसमें सरकार 15 दिन का समय निर्धारित करेगी कि स्पष्टीकरण इस बीच मिल जायेगा और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होगी ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता प्रकट की है, यह सही बात है कि कोटेशन 4,200/- का था और पेमेन्ट 15,000/- का हुआ है। यह प्रकरण वैसे तो सन् 1985 का है, लेकिन जब यह प्रश्न

हुआ तब यह प्रकरण प्रकाश में आया । इसमें आडिट सेल ने भी जांच की थी, परन्तु उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं आयी थी । जो लोग भी इसमें दोषी हैं, जो भी कमियां और अनियमितता पायी गयी है, निश्चित तरीके से जो भी इसमें होगा, कार्यवाही की जायेगी ।

वित्तीय वर्ष 1990–91 से अब तक भावलखेडा ब्लाक में की गई कार्यवाही की जानकारी

*8–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भावलखेडा ब्लाक में पिछले 1990 से अब तक कितने ट्यूबबेल स्वीकृत हुये ? क्या उन सभी ट्यूबबेल का निर्माण पूरा हो चुका है ? यदि नहीं तो क्यों ? इनका निर्माण नाली आदि के स्तर तक कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? अब तक निर्माण में विलम्ब के लिये कौन दोषी है ? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव–

वित्तीय वर्ष 1990–91 से अब तक भावलखेडा ब्लाक में तीन नलकूप स्वीकृत हुये है ।

दो राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । वर्ष 93–94में स्वीकृत तीसरा नलकूप निर्माणाधीन है जिसका ऊर्जाकरण शेष है ।

वर्ष 1993–94 में निर्मित तीसरे नलकूप पर आवश्यक 2 कि०मी० में से 1 कि०मी० पाइप लाइन इस वर्ष डाली जा चुकी है तथा शेष एक कि०मी० वर्ष 95–96 की जनपद योजना में स्वीकृत एवं धन की उपलब्धता होने पर पूरी की जा सकेगी । शेष दोनों नलकूपों से सिंचाई हो रही है ।

कोई दोषी नहीं है ।

कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सन 1992 में क्षेत्र में इस बाद की आवश्यकता महसूस हुई थी कि वहां सिंचाई की कमी है, इसको देखते हुये नलकूप वहां पर स्वीकृत किया गया । 1993 में वह ट्यूबवेल बन गया लेकिन उसकी नाली और ऊर्जीकरण का कार्य आज तक पूरा नहीं किया गया । 1993–94, 1994–95 और अब 1995–96 आ रहा है, इस अवधि में दोनों कार्य नहीं हो सके हैं । यह कार्य कब तक पूरे कर लिये जायेगे ? दूसरे, इस देरी के लिये दोषी लोगों के विरुरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जो स्वीकृत नलकूप है, इसका वित्त पोषण जिला योजना के द्वारा किया गया है । जिला योजना में, जिस स्तर के निर्माण की स्वीकृति है, माननीय सदस्यों की सहमति से ही जिला अनुश्रवण समिति में उसकी स्वीकृति होती है, उस स्तर तक का काम करा दिया जाता है ।

श्री बलराम यादव–

लेकिन मान्यवर, यह सही बात है कि इतने दिनों से निर्माणाधीन राजकीय नलकूप का कार्य समय से पूरा न करने का कारण वित्त का अभाव रहा है। वर्ष 1995-96 में इसका प्राविधान कर दिया गया है और निश्चित अवधि के भीतर यह कार्य करा दिया जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसमें वित्त का अभाव पहले रहा होगा लेकिन उसके बाद तो अधिकारियों की ढिलाई रही होगी जिसके कारण यह विलम्ब हुआ। ऊर्जा का जहां तक सवाल है सरकार समय-समय पर आंकड़े देती है कि उतने ट्यूबवेल ऊर्जीकृत करा दिये। मान्यवर, इसमें अधिकारियों की ढिलाई दिखायी देती है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये और इसका कार्य जल्दी से पूरा करा दिया जाये।

श्री बलराम यादव–

इसी वित्तीय वर्ष में करा दिया जायेगा।

वर्ष 1990 में प्रदेश में नियुक्त एम० बी० बी० एस० डाक्टरों के स्थायीकरण/नियमितीकरण की मांग

*9–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के एम० बी० बी० एस० डाक्टरों की तदर्थ नियुक्ति वर्ष 1990-91 में रिक्त प्रा० स्वा० केन्द्रों पर योगदान देने के लिये नियमित वेतनमान एवं अनुमन्य देयों के भुगतान के आधार पर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उन कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों का स्थायीकरण/नियमितीकरण करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि कोई नियुक्ति नहीं हुई है और जब नियुक्ति नहीं हुई है तो कोई प्रश्न नहीं उठता। तो मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से डाक्टर थे जिनको तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव ने निकाल दिया था और वे इलाहाबाद हाईकोर्ट से और लखनऊ पीठ से आदेश लेकर आये थे ? आज भी वहां पर वही डाक्टर कार्यरत हैं।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, नियत वेतनमान पर तदर्थ रूप से डाक्टरों की वहां पर नियुक्ति की गयी थी और यह नियुक्ति निश्चित अवधि के लिये की गयी थी जिसका वेतनमान उनको दे दिया गया है। जो हाईकोर्ट ने आदेश किया है वह इसी से संबंधित है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

मान्यवर, आज भी वहां पर डाक्टर कार्यरत हैं और उनको वेतन दिया जाता है क्या उनको नियमित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

जितने दिनों की सेवायें उनसे ली गयी थीं उतने दिनों का उनको वेतन दे दिया गया है।

(प्रश्न संख्या–10 पुकारे जाने पर और माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर देने के लिये खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब समय समाप्त हो गया।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं तो नाम पुकारे जाने पर खड़ा हो गया लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर ढूढने में विलम्ब हो गया। यह मेरा अधिकार था मुझे उत्तर मिलना चाहिये था लेकिन आपने कह दिया कि अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। मैं एक दो अनुपूरक तो कर ही सकता था। आप व्यवस्था दें। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इसके लिये आप उत्तरदायी मंत्री जी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे।

आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्रामों में सिंचाई सुविधा हेतु राजस्थान सरकार से समझौते की मांग

*10–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के राजस्थान सीमा से जुड़े ग्रामों (सामरा, दाऊदपुर आदि) में रबी पलेवट के लिये राजस्थान के अजान बांध से कृषि सिंचाई हो सकती है ? यदि हां, तो इस सिंचाई हेतु राजस्थान सरकार से समझौता कर इस क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था पलेवट मात्र के लिये सरकार करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हां।

राजस्थान के अजान बांध से जुड़े दौलतगढ़ बांध का जल खाली करने हेतु (उत्तर प्रदेश के सहनपुर बांध में निस्तारण किया जाता है।

सहनपुर बांध से इस क्षेत्र के ग्राम सामर व दाऊदपुर की भूमि सिंचित होती है। अतः अलग से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*11–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[2रे मंगल में ता० प्र० सं० 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट :– नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या–10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

मण्डी परिषद् में कार्यरत वर्कचार्ज/दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने हेतु प्रस्ताव की जानकारी

*12–श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड की 56वीं बैठक में मण्डी परिषद् में कार्यरत वर्कचार्ज/दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था तथा बोर्ड की 61वीं बैठक में मण्डी परिषद् ने 1-10-88 तक कार्यरत वर्कचार्ज/दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने हेतु पुनः प्रस्ताव पारित किया था ? क्या बोर्ड में स्वीकृति के अनुसार इन कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इनको प्रस्ताव के अनुसार कब तक नियमित किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

56वीं बैठक में वर्कचार्ज पर कार्यरत कर्मियों की सेवायें सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रचलित शासनादेशों के अनुरूप किये जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसी बैठक में दूसरा प्रस्ताव दैनिक वेतन पर दि० 1-10-86 तक कार्यरत कर्मियों को विनियमित किये जाने का पारित हुआ था।

जी हां।

56वीं बैठक में पारित संकल्पों के अनुरूप कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। 61 वीं बैठक के पश्चात् प्रश्नगत प्रकरणों पर 62 वीं बैठक में संशोधनोपरान्त मा० परिषद् ने यह निर्णय लिया कि मेरिट के आधार पर पद के विरुद्ध समिति बनाकर विनियमित किया जाय।

वर्कचार्ज कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु पद उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 67 वीं बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। परिषद् ने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया कि जो पद रिक्त हों, उनको भरने के लिये चयन की प्रक्रिया में इन कर्मियों को भी अवसर दिया जाय।

दैनिक वेतन/वर्कचार्ज के कर्मचारियों को परिषद् के संकल्पों/शासनादेशों के प्राविधानान्तर्गत तथा पदों की उपलब्धता, मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया में अवसर प्रदान किया जायेगा।

वर्ष 1987 से 91 के मध्य उ० प्र० के चार मेडिकल कालेजों कानपुर, आगरा, मेरठ, तथा इलाहाबाद से उत्तीर्ण डिप्लोमा फार्मेसिस्ट प्रशिक्षणार्थियों की नियुक्ति की मांग

*13–श्री घूरा राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० के चार मेंडिकल कालेजों (कानपुर,आगरा,मेरठ, इलाहाबाद) से सन् 1987–1991 के मध्य केवल एक ही बैच से 180 डिप्लोमा फार्मेसिस्टों को उत्तीर्ण किया गया है ? यदि हां, तो उक्त तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद कितनी नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या यह सही है कि उनमें से अभी तक एक भी नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त पात्र व्यक्तियों की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं। वर्ष 1987 से वर्ष 1991 के मध्य उत्तर प्रदेश के चार मेंडिकल कालेजों (कानपुर, आगरा, मेरठ तथा इलाहाबाद) से कुल 917 डिप्लोमा फार्मेसिस्ट प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

वर्ष 1992 में कुल 267 नियुक्तियां की गई थी। वर्ष 1994 में कुल 433 अभ्यर्थियों का चयन कर 290 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा चुकी है। एक नियुक्ति आदेश मा० न्यायालय में वाद लम्बित

होने के कारण आरक्षित रखा गया है तथा अवशेष 142 अभ्यर्थियों के पर्वतीय क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*14–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[6 वें मंगल में ता० प्र० सं० 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश में जन्मदर पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अमेरिकी एजेन्सी यू० एस० एड० की सहायता से दस वर्षीय प्रोजेक्ट शुरू करने की जानकारी

*15–श्री श्यामदेव राय चौधरी "दादा"–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जन्मदर पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अमेरीकी एजेंसी "यू० एस० एड०" की मदद से कोई दस वर्षीय प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है ? यदि हां, तो प्रोजेक्ट की रूप रेखा क्या है ? यह प्रोजेक्ट जन्मदर पर नियंत्रण किस प्रकार प्राप्त करेगा ? क्या राज्य स्तर पर इस हेतु कोई गवर्निंग बाडी गठित की जा चुकी है ? यदि हां, तो वह परियोजना कब तक शुरू होगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

परियोजना का लक्ष्य 10 वर्षों में वर्तमान प्रजनन दर 5.4 को घटाकर 4.0 किया जाना तथा वर्तमान दम्पत्ति सुरक्षा दर 35 प्रतिशत को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु परिवार कल्याण सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि, परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार तथा नियोजित परिवार के आदर्श को प्रोत्साहन दिये जाने के भी उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं। परियोजना के 4 प्रमुख घटक-सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन तथा शोध एवं मूल्यांकन है। इन चारों घटकों में प्रशिक्षण सूचना, शिक्षा एवं प्रसार तथा प्रबन्ध का समावेश रहेगा। परियोजना के उपर्युक्त घटकों के माध्यम से उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए जन्मदर में नियंत्रण का प्रयास किया जायेगा।

प्रादेशिक स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परियोजना की गवर्निंग बाडी गठित की जा चुकी है। परियोजना अपने प्रारम्भिक चरण में कार्यरत है।

अतरांकित प्रश्न

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी तराई भावर व नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु जल निगम जल संस्थान के नलकूपों के विषय में जानकारी

1–श्री तिलक राज बेहड़ तथा श्री अब्दुल रईस–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी तराई भावर व नगर क्षेत्र में भीषण पेयजल संकट के कारण जिससे क्षेत्र में अधिकांशतया नलकूप फेल हो चुके हैं, क्या इस संबंध में कोई विभागीय सूचना शासन के पास है ? यदि नहीं, तो प्रश्नकर्ता की इस सूचना के आधार पर उक्त क्षेत्र को इस संकट से बचाने के लिये तुरन्त सर्वे कराकर किसी नयी योजना को तुरन्त लागू करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । सिंचाई विभाग के नलकूप केवल सिंचाई के लिये है । जनपद नैनीताल के हल्द्वानी तराई भावर व नगर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु जल निगम-जल संस्थान के 19 नलकूप है । इनमें से 2 का स्राव बन्द हो गया है एवं 3 का स्राव कम हो गया है ।

जी नहीं ।

दो बन्द नलकूपों में से एक निर्माणाधीन है तथा दूसरे के लिये कार्यवाही की जा रही है । कम स्राव वाले एक नलकूप को पुनः बना दिया गया है अन्य दो नलकूपों को ठीक करने की कार्यवाही की जा रही है ।

वर्ष 1995-96 की जिला योजना में जनपद मुरादाबाद के ब्लाक धनौरा में पपसरी ग्राम के निकट नाले पर पुल बनाये जाने की मांग

2–श्री तुलाराम सैनी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद के ब्लाक धनौरा में पपसरी ग्राम के निकट नाले पर जून, 1993 में डी० आर० डी० ए० से स्वीकृत पुल बनाया गया था ? क्या उक्त पुल निर्माण के 2 माह बाद ही नाले में पानी के बहाव के कारण टूट गया है ? यदि हां,तो क्या पुल का पुनर्निर्माण होगा ? यदि हां, तो कब तक ? उक्त पुल के घटिया निर्माण में किन-किन अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है ? शासन द्वारा दोषीजनों के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

वर्ष 1995-96 की जिला योजना में प्राविधान किया जायेगा ।

उक्त पुलिया में घटिया सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि तकनीकी कमी से पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है । पुलिया क्षतिग्रस्त होने में तकनीकी अधिकारी तत्कालीन सहायक अभियन्ता, डी० आर० डी० ए० तथा विकास खण्ड में कार्यरत तत्कालीन अवर अभियन्ता (ग्रा० अ० से०) की तकनीकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ।

तत्कालीन अवर अभियन्ता (ग्रा० अ० से०) श्री विकास अग्रवाल तथा तत्कालीन सहायक अभियन्ता (डी० आर० डी० ए०) श्री राजा राम प्रसाद को निलम्बित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग में स्थाई पदों की जानकारी

3–श्री बचनू राम पटेल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के पी० एम० एस०, पैरामेडिकल, नर्सिंग, बी० एच० डब्लू०, एच बी/एच० भी लिपिकीय व अन्य संवर्ग में शासन द्वारा कुल कितने स्थाई

पद स्वीकृत हैं ? क्या उनमें शासनादेश संख्या–15/25/75 रा० एकी० दिनांक 10-5-76 व संशोधित शासनादेश संख्या–22/6/83 कार्मिक–2 दिनांक 25 मार्च, 1989 का पालन करके प्रथम स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों का आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गई ? क्या उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करके तत्काल स्थायीकरण में आरक्षण कोटा पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

पैरामेडिकल/नर्सिंग संवर्ग में स्थायी पदों का विवरण निम्नवत् है :–

1–<u>पैरामेडिकल</u>

(1) फार्मेसिस्ट	3335
(2) एल० टी०	1190
(3) एक्सरे टेक्नीशियन	190

2–<u>नर्सिंग</u>

(1) राजपत्रित	126
(2) अराजपत्रित	2128

अन्य संवर्गों की सूचना एकत्र की जा रही है ।

नर्सिंग संवर्ग में उपचारिका के 1446 स्थायी पदों के विरुद्ध 18.2% के हिसाब से 289 पद बनते हैं । उक्त श्रेणी के 395 कर्मी कार्यरत हैं, जिसमें 196 कर्मियों के स्थायीकरण के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं । शेष पदों/संवर्गों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में चल रहे संस्कृत महाविद्यालयों की जानकारी

4–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने संस्कृत महाविद्यालय चल रहे हैं । प्रत्येक संस्कृत महाविद्यालय में कितने अध्यापक, परिचारक एवं छात्र हैं ? यदि छात्रों की संख्या बहुत कम या शून्य है तो कार्यरत अध्यापक एवं परिचारक क्या काम करते हैं ? क्या उन्हें बिना कार्य के वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

एक महाविद्यालय (राजकीय संस्कृत महाविद्यालय-टिहरी) चल रहा है ।

उपर्युक्त महाविद्यालय में तीन अध्यापक एक परिचारक तथा उन्नीस छात्र हैं।

कार्यरत अध्यापक छात्रों के अध्यापन का कार्य करते हैं व परिचारक द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्डों में स्कूलों के भवन निर्माण की जानकारी

5–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देव प्रयाग में बेसिक पाठशाल गवांण, बेसिक पाठशाला डांग, बेसिक पाठशाला नोसाबगी के भवन निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया था ? इन भवनों में निर्माण में कितनी-कितनी धनराशि खर्च हुई है ? क्या इनका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या भवन निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं के लिये दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

बेसिक पाठशाल गवांण के भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1980-81 में प्रारम्भ किया गया एवं रु० 39,695/- व्यय किया गया। भवन अपूर्ण है।

बेसिक पाठशाल डांग के भवन का निर्माण कार्य दिनांक 1-1-1987 को प्रारम्भ किया गया एवं रु० 77,600 व्यय किया गया। भवन अपूर्ण है।

बेसिक पाठशाला नोसावागी के भवन का निर्माण कार्य दिनांक 17-1-90 को प्रारम्भ किया गया। रु० 90,000/- की लागत से भवन का निर्माण पूर्ण किया गया। वर्ष से भवन क्षतिग्रस्त हो गया।

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

श्री हीरालाल बाजपेयी, सहायक अधीक्षक, लाला लाजपतराय चिकित्सालय, कानपुर की पदोन्नति के अनियमित घोषित किये जाने के संबंध में शासन से मांग

6–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार, दिनांक 23-2-94 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–29 के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1976 में जारी वरिष्ठता सूची में श्री हीरालाल बाजपेई का क्रमांक क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वह सूची किस अधिकारी द्वारा, किस संवर्ग के कर्मचारियों के लिये निर्गत की गयी है ? क्या यह सत्य है कि उक्त वरिष्ठता सूची प्रान्तीय संवर्ग के कर्मचारियों की है और श्री बाजपेई को उनके द्वारा न्यायालय में दायर परिवार के निर्णय के फलस्वरूप उन्हें लोकल कैडर का माना गया है ? यदि हां, तो क्या यह शिशु चिकित्सालय से अन्यत्र स्थानान्तरण पर जाने में माननीय न्यायालय के अवमानना के दोषी हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कानपुर मेडिकल कालेज के प्रधान लिपिक श्री बाबू लाल द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही

7–श्री बच्चा पाठक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर मेडिकल कालेज के प्रधान लिपिक, श्री बाबू लाल द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच के संबंध में उन्हें श्री गिरधारी लाल, विधायक (तत्कालीन) का पत्र संख्या क–267636, दिनांक 16 जुलाई, 1992 प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त प्रकरण के पत्रोल्लिखित सभी बिन्दुओं की जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

पूर्व विधायक श्री गिरधारी लाल का पत्र संख्या क–267636 दिनांक 16-7-92 मुख्यमंत्री कार्यालय (विधायक कोष्ठक) में प्राप्त हुआ परन्तु चिकित्सा शिक्षा विभाग में उक्त पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

श्री गिरधारी लाल पूर्व विधायक से उक्त संदर्भित पत्र की प्रति प्राप्त करके यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

यू० पी० स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लि० को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति की जानकारी

8–श्री इन्द्र भद्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० स्टेट हार्टिको के छंटनी शुदा कर्मचारियों/अधिकारियों को, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सेवाओं में समायोजित कर दिया गया है, के वेतन संरक्षण के संबंध में विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमानों को संरक्षित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

यू० पी० स्टेट हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लि० को बन्द किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी सेवा हेतु अर्हता एवं अनुमन्यता विषयक शासनादेश संख्या–3/6/90-कार्मिक-2 दिनांक 26 अप्रैल, 1991 के बिन्दु–6 में यह व्यवस्था है कि "हार्टिको की सेवा में कार्मिकों को अहरित अन्तिम वेतन का संरक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसके विषय में वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।" प्रशासनिक विभाग का आशय उन सम्बन्धित विभागों से है जहां हार्टिको के कर्मचारियों को सेवायोजन प्रदान किया जायेगा। जहां तक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का प्रश्न है, विभाग के मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र निदेशालयों में समायोजित कुल–22 कर्मचारियों/अधिकारियों में दो के वेतन संरक्षण का प्रकरण लम्बित है, जिसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

9–श्री शिवराम सिंह कुशवाहा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

स्वास्थ्य विभाग में स्टीवर्डों के नियुक्ति एवं प्रोन्नति अधिकारियों की जानकारी

10–श्री सुन्दर लाल लोधी–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के पांचवे बुधवार के लिये निर्धारित अ० प्र० संख्या 104 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि कार्यरत एवं कार्य कर चुके स्टीवर्डों के नियुक्ति एवं प्रोन्नति अधिकारी कौन-कौन हैं ? समस्त कर्मचारियों के नियुक्ति एवं प्रोन्नति अधिकारी, निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, उ० प्र० लखनऊ कब तक रहे हैं ? वर्तमान में किस आदेश संख्या व दिनांक से नियुक्ति प्राधिकारी, प्रमुख अधीक्षक एवं प्रोन्नति अधिकारी महानिदेशक, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० लखनऊ अथवा प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, कानपुर हैं ? क्या यह भी सत्य है कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० लखनऊ के अधीनस्थ स्टीवर्ड का वेतनमान 975–1660 है ? यदि हां, तो 1200–2040 का वेतनमान स्वीकृत करने का आधार क्या है ? इस अनियमितता के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या वर्तमान सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

शासनादेश संख्या 3022 चिकित्सा चार–1039 दिनांक 3 जुलाई, 1973 के अनुसार स्टीवर्डों के नियुक्ति एवं प्रोन्नति अधिकारी सम्बन्धित मेडिकल कालेजों के प्राचार्य थे ।

शासनादेश संख्या 1237–सेक–3/पांच 10(15)/85, दिनांक 2-6-87 द्वारा पी० एम० एस० संवर्ग के नियुक्ति एवं प्रोन्नति अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक तथा मेडिकल कालेज संवर्ग के प्रधानाचार्य सम्बन्धित मेडिकल कालेज हैं तथा वर्तमान में कालेज संवर्ग के पद के लिये उ० प्र० चिकित्सा शिक्षा अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली संख्या–5524–सेक/1/पांच-जी-53/82, दिनांक 10 दिसम्बर, 1991 के प्रख्यापित होने पर नियुक्ति प्राधिकारी सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य एवं प्रोन्नति अधिकारी निदेशक (वर्तमान में महानिदेशक) चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण हैं ।

जी हां ।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० के अधीनस्थ स्टीवर्ड का वेतनमान रु० 975–1660 है । त्रुटिवश स्टीवर्ड का पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1200–2040 स्वीकृत कर दिया गया था जिसे वित्त वेतन आयोग के परामर्श से संशोधित कर रु० 975–1660 कर दिया गया है ।

छानबीन की जा रही है ।

चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत संस्थाओं के अतिरिक्त अनधिकृत रूप से कार्यरत फर्जी संस्थाओं की जानकारी

11–श्री श्याम देव राय चौधरी

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये अधिकृत संस्थाओं के अतिरिक्त अनाधिकृत रूप से दर्जनों फर्जी संस्थाओं द्वारा डाक्टरी की डिग्रियां

बेची जा रही है, जिनके सहारे महानगरों तथा दूर-दराज गांवों तक हजारों डाक्टर जन स्वास्थ्य के लिये खतरा बने हुए हैं ? यदि हां, तो इस पर प्रभावी रोक लगाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को अनधिकृत रूप से स्थापित मेडिकल कालेजों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ? इस संबंध में जन-साधारण की सूचना के लिये विज्ञप्ति भी जारी कर दी गयी है ।

श्री एम० जी० सिंघल, सेवाच्युत सहायक अभियन्ता के संबंध में समस्त अनुषांगिक मामलों की जांच

12–श्री किशन लाल दिलेर–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार दिनांक 23-2-94 के अतारांकित प्रश्न संख्या–108, 109 व 110 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक (प्रशासन) ने शासन, संयुक्त निदेशक (महिला) व उपनिदेशक (महिला) व उपनिदेशक प्राविधिक को पृष्ठांकन सहित, अभियन्ता श्री सिंघल के संबंध में ही लिखित अपने पत्रांक नि० प्र० कैम्प/630--633 दिनांक 5-11-88 द्वारा श्री एम० जी० सिंघल अभियन्ता का उक्त प्रश्नों में संदर्भित प्रश्नगत पत्र दिनांक 27-10-88 संयुक्त निदेशक, प्रशासन एवं जांच अधिकारी डा० माथुर को अन्य 6 पत्रों के साथ भेजा है ? यदि हां, तो क्या वह पत्र निदेशालय में उपलब्ध हैं । पत्र दिनांक 27-10-88 को उल्लिखित प्रश्नों में निदेशक (प्रशासन) के यहां प्राप्त न होने की सूचना देने का क्या आधार है ? यदि उक्त पत्र निदेशक (प्रशासन) के यहां प्राप्त हुआ है तो 27-10-88 के पत्र डा० माथुर निदेशक (प्रशासन) श्री वी० एन० पाण्डेय ने वर्ष 1990 में शासन को जांच संबंधी रिपोर्ट भेजने से पूर्व क्या कार्यवाही की ? यदि इस पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया, तो क्या मंत्री जी इस पत्र के संदर्भ में पुनर्विचार करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

श्री एम० जी० सिंघल, सहायक अभियन्ता आदेश दिनांक 28-1-93 द्वारा सेवाच्युत किये जा चुके हैं । श्री सिंघल के पत्र दिनांक 27-10-88 के प्राप्त होने तथा अन्य आनुषांगिक समस्त मामलों में जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

ग्राम सभा भैरवा, विकास खण्ड दाने रावल, जनपद सोनभद्र के ग्राम प्रधान के विरुद्ध शिकायतों की जाँच की माँग

13–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा–भैरवा, विकास खण्ड–दानेराबल, जनपद–सोनभद्र के ग्राम प्रधान के विरुद्ध कोई शिकायत दिनांक 25-8-92 को जवाहर रोजगार योजना में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संदर्भ में की गयी थी ? यदि हां, तो क्या जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र ने 29-8-92 को इस शिकायत की जांच करके कोई आख्या प्रेषित की है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या 16-4-93 को पुनः इस संदर्भ में शिकायत की गयी जिस पर तत्कालीन जिला विकास अधिकारी, सोनभद्र ने 3-9-93 प्रपत्र सं०–1116 में जिलाधिकारी को जांच

आख्या प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो जांच आख्या के प्रकाश में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

शिकायती पत्र दिनांक 25-8-92 पूर्व मंत्री लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 9-5-93 में जिलाधिकारी, सोनभद्र के निर्देश दिनांक 17-5-93 के क्रम में तत्कालीन जिला विकास अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 3-9-93 को जांच आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की ।

जांच में प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों में कार्य की गुणवत्ता में कमी पाई गयी जिसके क्रम में जिलाधिकारी के स्तर से पुनः जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया । मामले में सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) की आख्या दिनांक 1-11-94 के अनुसार कोई अनियमितता नहीं पाई गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एम० जी० सिंघल सेवाच्युत सहायक अभियन्ता के संबंध में प्रसंगाधीन प्रकरण में जांच

14–श्री हरपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशालय के संयुक्त निदेशक, कार्मिक के सरकुलर पत्रांक 3-फ-ए०/102 दिनांक 13/14 जनवरी, 93 द्वारा अभियन्ताओं की गायब हुई पत्रावलियों को ढूढ़ने हेतु कोई आदेश जारी किया गया है ? क्या सरकुलर में उल्लिखित सभी पत्रावलियां ढूढ़ ली गयी है ? यदि हां, तो संबंधित सभी पत्रावलियों का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि अभियन्ताओं की पत्रावलियां/अभिलेख गायब होने इत्यादि के संदर्भ में ही निदेशक, प्रशासन द्वारा पत्रांक-12 फ/7062 दि० 12-11-93 जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या पत्र दिनांक 12-11-93 से संबंधित मूल पत्रावली निदेशालय में उपलब्ध हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त पत्रावली कब से गायब हुई थी ? क्या अनुभाग–12 निदेशालय के अधिकारियों द्वारा उल्लिखित 14-1-93 के सरकुलर के अनुरूप पत्रावलियां गायब होने की जानकारी होने के बाद पूर्व में अथवा इस सरकुलर के बाद कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उत्तर देने की तिथि तक कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिये कोई दोषी पाया गया है ?

श्री बलराम यादव–

श्री एम० जी० सिंघल, सहायक अभियन्ता आदेश दिनांक 28-1-93 द्वारा सेवाच्युत किये जा चुके हैं । प्रसंगाधीन प्रकरण में जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत निदेशालयों के कर्मचारियों के सेवा संवर्ग व नियुक्तियों की जानकारी

15–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कितने पद सृजित हैं ? उसमें सवर्ण, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा

करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत दो निदेशालय मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र गठित है । दोनों निदेशालयों के कर्मचारियों का सेवा संवर्ग अलग-अलग है । पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न संवर्गों में 3774 पद सृजित है जिसमें से 74 पद स्थगन में है । वर्तमान में कुल 3700 पद सृजित हैं ।

मैदानी क्षेत्र के अधीन कुल 4447 पद सृजित है ।

पर्वतीय क्षेत्र के कुल सृजित पदों में सवर्ण की संख्या 2604, पिछड़ी जाति की 199, अनुसूचित जाति की 528 है ।

मैदानी क्षेत्र के कुल सृजित पदों में संवर्ग की संख्या–1896, पिछड़ी जाति के 1660 एवं अनुसूचित जाति के 662 लोग कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

16–श्री लाल मणि प्रसाद–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

कृषि विभाग के अधीनस्थ विभागों, निगमों, परिषद् तथा संस्थाओं में पिछड़े व अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किये जाने की मांग

17–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में कितने पद सृजित हैं ? उसमें सवर्ण, पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी है ? क्या पिछड़े एवं अनुसूचित जाति के लोगों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटा पूरा करने का प्रयास कर रही है ? क्या कोटा न भरने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कृषि विभाग के अधीनस्थ विभागों, निगमों, परिषद् तथा संस्थाओं में कुल 41,267 पद सृजित है ।

इनमें सवर्ण, पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या क्रमशः 24,558, 9251 तथा 6262 है ।

जी नहीं ।

शासन की वर्तमान आरक्षण नीति के अनुसार कोटा पूर्ण करने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के भवन विहीन बेसिक पाठशालाओं की जानकारी

18–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने बेसिक पाठशालायें भवन विहीन हैं ? क्या सरकार इन भवन विहीन बेसिक पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद हिटरी गढ़वाल में कोई भी बेसिक पाठशाला भवन विहीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों की जानकारी व रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

18अ–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने बेसिक पाठशालायें हैं ? इन बेसिक पाठशालाओं में कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? जनपद में कितने अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं ? क्या सरकार इन रिक्त स्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक सभी बेसिक पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद टिहरी गढ़वाल में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित, एक हजार एक सौ बारह प्राइमरी पाठशालायें हैं ।

कुल दो हजार चौसठ अध्यापक कार्यरत हैं ।

चार सौ तैंतीस अध्यापकों के पद रिक्त हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त 1994 तक के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो चुका है । इस प्रकार नियुक्ति की कार्यवाही प्रगति पर है ।

रा० उ० मा० वि० खोला जनपद टिहरी गढ़वाल को पपोलीधार स्थानान्तरित किये जाने का प्रकरण

19–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० उ० मा० वि० खोला टिहरी गढ़वाल के लिये उपयुक्त भूमि भवन निर्माण हेतु मिल चुकी है ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान समय में जहां विद्यालय चलाया जा रहा है वह स्थान भूस्खलन से कटता जा रहा है ? क्या शिक्षा विभाग इस स्थान को छोड़कर पास के स्थान पपोलीधार में इस विद्यालय को शिफ्ट करने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक विद्यालय पपोलीधार में शिफ्ट हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या शिक्षा विभाग भूस्खलन से क्षतिग्रस्त स्थान पर ही विद्यालय भवन का निर्माण करेगा ? क्या पपोलीधार में उक्त विद्यालय शिफ्ट करने का

प्रस्ताव जन प्रतिनिधि द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

जी नहीं । दि० 11-8-88 व 18-8-88 को हुई अतिवृष्टि से भूमि खिसकने के कारण विद्यालय का एक कमरा पूर्णरूप से तथा दो कमरे व आंगन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था किन्तु उसके बाद भूस्खलन नहीं हुआ और विद्यालय उसी स्थान पर चल रहा है ।

उक्त विद्यालय को वर्ष 1988 में पपोलीधार में स्थानान्तरित करने की योजना बनाई गयी थी ।

स्थानीय जनता के विवाद के कारण उपलब्ध भूमि पर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया तथा दूसरे ग्राम सभा कपरोली ने विद्यालय को स्थान पपोलीधार में शिफ्ट न किये जाने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय आदर्श विद्यालयों एवं क्रमोत्तर विद्यालयों हेतु भवन की जानकारी

20–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने राजकीय आदर्श विद्यालय एवं कितने क्रमोत्तर विद्यालय हैं ? क्या यह सही है कि इन विद्यालयों को भवन अनुदान नहीं दिया जाता हैं ? क्या ऐसे विद्यालय बिना भवन के चल रहे हैं ? क्या सरकार रा० अ० वि० एवं क्रमोत्तर विद्यालयों को परिषदीय जू० हा० स्कूल में परिवर्तित करने का विचार कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिलाधिकारी सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री शिवचरन शुक्ल एवं श्री राम अचल आदि के नाम से प्राप्त शिकायती पत्रों की जांच

21–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, शाहगढ़ जनपद सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री शिवराम शुक्ल व श्री राम अचल मौर्य आदि निवासी ग्राम चिलचिली वि० खण्ड शाहगढ़ का दि० 14-1-94 का रजि० प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में की जा रही अनियमितता की शिकायत अंकित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

श्री शिवबरन शुक्ल एवं श्री राम अचल आदि के नाम से शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है।

शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई सुल्तानपुर से कराई गई।

जांच अधिकारी ने दिनांक 22-8-94 को मौके पर जाकर जांच की।

जांच के फलस्वरूप शिकायत निराधार पाई गई। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

उ० प्र० सिंचाई विभाग में डिग्रीधारी अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के कोटे में अनुसूचित/जनजाति के अभ्यर्थियों की पदोन्नति की मांग

22–श्री गजराज सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सिंचाई विभाग में 1987 से कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के डिग्रीधारी अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर पदोन्नत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्री प्रेम चन्द्र दोहरे अवर अभियन्ता (यांत्रिक) को जी० वी० ई० डिग्रीधारी हैं, उन्हें अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर अनुसूचित जाति के कोटे में पदोन्नत क्यों नहीं किया गया है ? अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों को कब तक शासन द्वारा भर दिया गया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कोई नहीं।

डिग्रीधारी अवर अभियन्ता (यांत्रिक) के कोटे में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति नहीं की गई।

श्री प्रेम चन्द्र दोहरे अवर अभियन्ता द्वारा विद्युत अभियंत्रण में बी० ई० डिग्री प्राप्त की गई है और उत्तर प्रदेश अभियन्ता सेवा (सिंचाई विभाग) समूह "ख" सेवा नियमावली 1993 में सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पद पर अवर अभियन्ता (विद्युत) की प्रोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है।

अवर अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के पदों पर पदोन्नति किये जाने पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक समाप्त होने के उपरान्त अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रोन्नति के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

नलकूप निर्माण खण्ड जनपद महराजगंज के सब डिवीजन के अन्तर्गत कार्यरत सहा० अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता द्वारा नलकूप निर्माण की जानकारी

23–श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि नलकूप निर्माण खण्ड, जनपद महराजगंज के सब-डिवीजन के अन्तर्गत नलकूप निर्माण उपखण्ड द्वितीय, जनपद देवरिया पर दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता एवं श्री एम०के० सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता (तत्कालीन) द्वारा वर्ष 1990 से वर्ष 1994 तक कितने नलकूप बनवाये गये हैं ? उनमें से कितने चालू हैं और कितने बन्द पड़े हैं। क्या यह सही है कि उक्त नलकूपों के मकान बनकर तैयार हैं ? क्या बिना पाइप डाले व बिना नाली बनाये ही फर्जी पेमेन्ट कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले अभियन्ताओं को निलम्बित करते हुए जांच कराकर जांच कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नलकूप निर्माण खण्ड महराजगंज के अन्तर्गत नलकूप निर्माण उपखण्ड द्वितीय देवरिया में दिनांक 18-9-91 से अब तक श्री दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं तथा श्री एम० के० सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता नलकूप निर्माण खण्ड जनपद महराजगंज में, 8/91 खण्ड के सृजन की तिथि से 4-8-94 तक कार्यरत रहे।

उपरोक्त अधिकारियों ने अपने कार्यकाल में अर्थात् 1-8-91 से 4-8-94 तक नये नलकूप का निर्माण कराया तथा पूर्व में निर्मित अपूर्ण 23 नलकूपों में से 2 पर पम्प हाउस, 10 नलकूपों पर एलीमेटेड टैंक पर पम्प सेट स्थापित करके इन 11 नलकूपों तो उर्जाकृत कराया।

उपरोक्त 42 (19+23) नलकूपों में से 40(17+23) नलकूप चालू हैं तथा नलकूप संख्या 271 देवरिया समूह विद्युत अनापूर्ति होने के कारण एवं 555 सलेमपुर समूह विद्युत विभाग द्वारा ऊर्जाकृत न किये जाने के कारण चालू नहीं हैं।

जी हां, उपरोक्त सभी 42 नलकूपों के मकान (पम्प हाउस) बनकर तैयार हैं।

प्रकरण में टी०ए०सी० से जांच कराने हेतु आदेश दे दिये गए हैं। अतः प्रश्न के शेष भाग का उत्तर दिये जाने का अभी प्रश्न नहीं उठता।

अधीक्षक राजकीय आयुर्वेद यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ द्वारा वर्ष 1985 से 1988 तक लिए गये आवास भत्ते की जानकारी

24–श्री राम करन आर्य–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेद यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ के श्री सुरेश चन्द्र द्विवेदी अगस्त, 1985 से मई, 1988 तक सरकारी आवास में रहते हुए आवास भत्ता लिया गया हैं ? यदि हां, तो इससे सरकार को कितनी धनराशि की हानि हुई

है? उसमें से कितनी धनराशि की वसूली कर ली गयी है ? शेष कितनी धनराशि अभी वसूल करनी है? क्या उन्हें विभागीय कोई दण्ड दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

रुपये 4760/- की हानि हुई है।

रुपये 3,360/- की वसूली कर ली गई है।

रुपये 1400/- की धनराशि की वसूली करनी है जिसके आदेश निदेशक, आयुर्वेद द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को दे दिये गये हैं।

श्री द्विवेदी को चेतावनी दे दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत जनवरी, 1990 से सितम्बर 1994 तक बनवाये गये नलकूप तथा उन पर व्यय धनराशि का विवरण

25–श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय नलकूप निर्माण उपखण्ड द्वितीय, जनपद देवरिया के अन्तर्गत वर्ष जनवरी, 1990 से सितम्बर, 1994 तक कितने नलकूप देवरिया जनपद में नये बनवाये गये हैं ? उन पर कितना-कितना धन खर्च हो चुका है ? किन-किन अधिकारियों की देख-रेख में नलकूप बना है। क्या यह सही है कि उक्त नलकूप में से ज्यादातर बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? नलकूप चालू कराने की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या सरकार इन सभी नलकूपों की बिन्दुवार जांच कराते हुए, आगणन सहित खर्चे के धन की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कार्यालय निर्माण उपखण्ड द्वितीय जनपद देवरिया का सृजन दिनांक 1-8-91 में हुआ। उपरोक्त उपखण्ड के अन्तर्गत माह 8/91 से सितम्बर 1994 तक जनपद देवरिया में कुल 19 नये तथा 23 अदद पूर्व निर्मित नलकूपों के अवशेष कार्य कराये गये, जिस पर रु० 129.00 लाख हुआ है।

श्री महेन्द्र कुमार सक्सेना अधिशासी अभियन्ता व श्री दुर्गेश कुमार सहायक अभियन्ता की देख रेख में नलकूप बने हैं।

जी नहीं। केवल एक नलकूप संख्या–555 सलेमपुर उर्जीकरण न होने के कारण तथा नलकूप संख्या–271 देवरिया समूह विद्युत अनापूर्ति के कारण चालू नहीं है। विद्युत व यांत्रिक दोष के कारण नलकूप अस्थाई रूप से बन्द होते रहते हैं जिन्हें समय-समय पर ठीक कराया जाता रहता है। इनकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है जिसमें विद्युत संबंधी कार्य विद्युत परिषद् द्वारा किया जाता है।

प्रकरण में टी०ए०सी० से जांच कराने हेतु आदेश दे दिये गये हैं। अतः प्रश्न के शेष भाग का उत्तर दिये जाने का अभी प्रश्न नहीं उठता है।

26–श्री चेतराम–

[दि० 7-2-95 को अता० प्र० सं० 36 द्वारा उत्तरित]

वर्ष 1991-92 तथा 1994-95 में बस्ती जनपद के जिला अस्पतालों को दिये गये बजट की जानकारी

27–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991-92 में जो बजट बस्ती जनपद के जिला अस्पताल को दिया गया था क्या मंहगाई एवं दवाओं के मूल्यों में वृद्धि के बावजूद वर्ष 1994-95 प्राप्त बजट सबसे कम है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या जनपद बस्ती, को 91-92 के बजट का दूना धन जिला अस्पताल को देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक जिलों के शहरी चिकित्सालयों को आवंटन हेतु व्यावर्तन एवं अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के कारण अधिक धनराशि उपलब्ध हुयी थी, जबकि वर्ष 1994-95 में अभी तक इस हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो सकी है।

जी नहीं, किन्तु यदि जिलों के शहरी चिकित्सालयों के आवंटन हेतु अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हो जायेगी, तो बस्ती जिला अस्पताल की आवश्यकता एवं मांग के आधार पर अतिरिक्त धनराशि के आवंटन पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बची सिंह विधायक के पत्र दिनांक 25-8-94 में दिये गये आरापों की जांच

28–श्री बची सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत सेल के श्री देव सिंह रावत के प्रकरण में जांच अधिकारी, डा० डी० एन० तिवारी, निदेशक, (चिकित्सा) के पत्र संख्या–नि०वि०/शिविर/1017/दिनांक 11-8-94 के क्रम में विधायक द्वारा सत्यापित उल्लिखित संलग्नकों/साक्ष्यों सहित प्रश्नकर्ता/श्री बची सिंह रावत विधायक का पत्र दिनांक 25-8-94 जांच अधिकारी एवं निदेशक (प्रशासन) तथा शासन में, कब-कब प्राप्त हुआ है ? उसके साथ कितने व कौन-कौन संलग्नक/साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ? पत्र के बारे में निदेशालय के किन-किन व्यक्तियों से साक्ष्यों के पुष्टीकरण/खण्डन प्राप्त करने की तथा क्या-क्या कार्यवाही की मांग की गयी है ? इस क्रम में साक्ष्यों के बारे में अग्रिम गवाहों से प्राप्त स्वीकृति/खण्डन का विवरण क्या है ? क्या सरकार गवाहों से प्राप्त खण्डन के बारे में अग्रिम साक्ष्य देने हेतु उत्पीड़ित श्री रावत को अवसर दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार गवाहों से प्राप्त स्वीकृति के सन्दर्भ

में श्री रावत को वर्ष 1991 से मांगा जा रहा बकाया वेतन एवं कार्य दिलाने के लिए कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 25-8-94 जांच अधिकारी निदेशक (चिकित्सा) को दिनांक 25-8-94 को तथा शासन को दिनांक 5-9-94 को प्राप्त हुआ । निदेशक (प्रशासन) को उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्नकर्ता के उक्त पत्र दिनांक 25-8-94 के साथ संलग्न किये गये उन्नीस संलग्नक/साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ।

प्रश्नगत पत्र दिनांक 25-8-94 में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सर्वश्री वी० के० सिंह, डा० ए० के० गुप्ता, श्री ए० एच० खान, श्री एस० पी० भूटानी, श्री जे० एन० जोशी, श्री एन० के० बाथम व श्री मथुरा प्रसाद आदि अधिकारी/कर्मचारियों से स्पष्टीकरण/खण्डन प्राप्त करने तथा संबंधित साक्ष्यों को सही प्रमाणित करने के लिए अभिलेख अथवा अन्य गवाही देने हेतु श्री रावत को निर्देशित करने आदि की कार्यवाही की मांग की गयी है ।

साक्ष्यों के बारे में गवाहों से प्राप्त स्वीकृति/खण्डन का विवरण निम्नवत् है :–

(1) वर्ष 1991 से श्री देव सिंह रावत द्वारा टंकक के रूप में कार्य किये जाने के संबंध में जांच में बताया गया है कि श्री वी० के० सिंह, उप निदेशक (विद्युत) से पूछे जाने पर बताया कि ऐसा कोई प्रमाण उन्होंने जारी नहीं किया । जांच अधिकारी ने जब श्री रावत से टंकक के पद पर दैनिक वेतन पर नियुक्ति का आदेश मांगा तो वह नियुक्ति आदेश प्रस्तुत नहीं कर सके ।

(2) जांच में डा० ए० के० गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा दिसम्बर, 1992 में कर्फ्यू अवधि में श्री रावत के लिए हेल्पर के रूप में सद्भावना में यह मानते हुए कि उक्त व्यक्ति महानिदेशक में कार्यरत होगा, प्रवेश-पत्र जारी किया गया था । टाइपिस्ट शब्द बाद में लिखा गया था ।

(3) श्री जे० एन० जोशी वैयक्तिक सहायक सेवानिवृत्त हो गये हैं । श्री जोशी के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके बयान नहीं लिए जा सके ।

(4) श्री ए० एच० खान के जांच में बताया कि श्री रावत उनके पास एक अनुभव पत्र टंकित कराकर लाये और बताया कि उन्हें किसी दूसरे विभाग में आवेदन करना है । अतः श्री खान ने बिना इस बात की जांच किये कि वह विद्युत सेल में वास्तव में टंकक के रूप में कार्यरत हैं अथवा नहीं, प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये ।

(5) डा० एस० पी० भूटानी ने जांच में अवगत कराया है कि कर्फ्यू अवधि में श्री रावत को महानिदेशालय के कर्मचारी श्री जे० के० लाल की पहचान पर प्रवेश-पत्र जारी किया गया था । श्री जे० के० लाल ने अपने स्पष्टीकरण में अवगत कराया है कि वर्ष 1992 की कर्फ्यू अवधि की उग्र स्थिति में किसी कर्मचारी से पूर्ण जानकारी प्राप्त करना सम्भव नहीं था और मानवता के आधार पर कार्यालय प्रवेश-पत्र निर्गत किये गये थे ।

(6) श्री वी० के० सिंह द्वारा दिनांक 11-3-93 को श्री रावत को टाइप करने के संबंध में दिये गये आदेश के संबंध में श्री एन० के० बाथम ने अपने स्पष्टीकरण में यह अवगत कराया है कि टिप्पणी दिनांक 11-3-93 के बजाय दिनांक 11-1-93 को टंकित करायी गयी थी जो अनुभाग के कनिष्ठ लिपिक श्री समीर बोस ने टंकित किया था। हस्तलिपि टिप्पणी श्री एन० के० बाथम की थी न कि मथुरा प्रसाद की हस्तलिपि में।

जांच में श्री रावत को अवसर दिया गया था अतः पुनः अवसर देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रावत केवल दिनांक 16-4-92 से 15-7-92 तक कार्यरत रहे जिसकी समस्त देय राशि का भुगतान उन्हें किया जा चुका है।

राज्य सरकार से दानदाता संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान की जानकारी

29–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार से दानदाता संस्थाओं को राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष अनुदान देती थी ? यदि हां, तो इस वर्ष के बजट में उनके लिए कितने धन का प्राविधान रखा गया है ? क्या उसका कुछ भाग इन संस्थाओं को दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां। वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या–32 में इन संस्थाओं को आवर्तक अनुदान हेतु रु० 1,52,92,000 एवं अनावर्तक अनुदान हेतु रु० 15,00,000 का प्राविधान है। आवर्तक अनुदान के मद में प्राविधानित धनराशि में से अब तक रु० 87,89,520 का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। आवर्तक मद की शेष धनराशि की स्वीकृति संस्थाओं द्वारा नियमानुसार औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के अभाव में नहीं स्वीकृत की जा सकी है। अनावर्तक अनुदान की स्वीकृति विचाराधीन है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा कडसर के ग्राम प्रधान द्वारा किए गये भ्रष्टाचार की जांच

30–श्री मुक्ति नाथ–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 94 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–113 जो जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के ग्राम सभा कडसर के ग्राम प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार करने की जांच कराने के संबंध में था तथा जिसके उत्तर में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया कुछ कार्यों में अनियमितता पायी है, अनियमितता के बिन्दु क्या थे ? उस प्रकरण पर अब क्या कार्यवाही की गई ? जांच के निर्देश जो दिये गये हैं, उसमें किस अधिकारी से जांच करा रहे हैं ? क्या दोषी को दण्डित करते हुए ग्राम प्रधान से पैसे की रिकवरी करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

विभिन्न निर्माण कार्यों पर ग्राम प्रधान द्वारा 14 प्रोजेक्ट पर अधिक व्यय दिखाया गया है जबकि मूल्यांकन द्वारा कम व्यय होना पाया गया है।

ब्लाक विकास अधिकारी, सीयर एवं अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सीयर द्वारा जांच की गई।

जी हां, ग्राम प्रधान से धन की वसूली हेतु परगनाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है।

भूमि संरक्षण अधिकारी, बलरामपुर गोण्डा की देख रेख में वर्ष 1989 से अक्टूबर 1994 तक विकास खण्ड हरैया सतघरवा तुलसीपुर/गैसड़ी/पचपेड़वा में कराये गये कार्यों की जानकारी

31–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि भूमि संरक्षण अधिकारी (डी०पी०ए०पी०) बलरामपुर, गोण्डा की देख-रेख में वर्ष 1989 से अक्टूबर, 1994 तक जो कार्य विकास खण्ड हरैया, सतघरवा, तुलसीपुर/गैसड़ी/पचपेड़वा में कराये गये थे, वे 80 प्रतिशत कार्य पूरे नहीं हुए थे और मौके पर कार्य अधूरा पड़ा है ? क्या यह सही है कि जो निर्माण कार्य कराया गया है वह मानक के अनुसार नहीं कराया गया है ? क्या यह भी सही है कि मजदूरों को दैनिक मजदूरी नहीं दी गयी है और कई लाख रुपयों का घपला किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शासन स्तर से जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

परियोजनाओं का केवल 0.22 प्रतिशत कार्य ही शेष है।

जी नहीं।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा पूर्ण धनराशि अभी तक न उपलब्ध कराये जाने के कारण 9 परियोजनाओं में रु० 4,87,347 की धनराशि श्रमिकों को अभी भुगतान नहीं की जा सकी है।

जी नहीं। कोई घपला प्रकाश में नहीं आया अतः अधिकारियों को दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नायनगर जनपद बस्ती के डा० एस० के सिंह के विरुद्ध शिकायत की जांच की मांग

32–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र नायनगर, जनपद बस्ती पर स्थानान्तरण के बावजूद डा० एस० के० सिंह, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ? क्या लिखित शिकायत के बावजूद डा० एस० के० सिंह के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई ? यदि कार्यवाही होगी, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

लिखित शिकायत पर जांच की गयी परन्तु डा० सिंह को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती के जिला कैंसर अस्पताल प्रांगण की जमीन पर अवैध कब्जे की जानकारी

33–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला कैंसर अस्पताल, बस्ती के प्रांगण की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

बस्ती में जिला कैंसर अस्पताल न तो स्वीकृत है और न ही निर्माणाधीन । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के खराब नलकूपों की मरम्मत कराये जाने की मांग

34–श्री परशुराम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बीकापुर, जनपद फैजाबाद में कितने राजकीय नलकूप एक वर्ष, 6 माह एवं कितने 15 दिनों से ज्यादा समय से खराब पड़े हैं ? शासन द्वारा खराब नलकूपों को ठीक कराये जाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र बीकापुर जनपद फैजाबाद में कोई नलकूप एक वर्ष से बन्द नहीं है ।

राजकीय नलकूप संख्या–105 बी०जी ग्राम बिजैनपुर सदहरा माह मई 1994 में फेल हो जाने के कारण 6 माह से अधिक अवधि से बन्द हैं ।

सप्ताहान्त 12-1-95 में 18 नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 3 नलकूप विद्युत दोष से अर्थात् कुल 21 नलकूप बन्द हैं । इसके अतिरिक्त राजकीय नलकूप संख्या–84 बी०जी० फेल हो जाने के कारण नवम्बर, 1994 से बन्द हैं ।

राजकीय नलकूप संख्या–84 बी०जी० तथा 105 बी०जी०, जो फेल हैं के पुनः निर्माण की कार्यवाही प्रगति में है तथा चलते-चलते उत्पन्न यांत्रिक व विद्युत दोष से अस्थाई रूप से बन्द नलकूपों को शीघ्रता से ठीक कराकर चालू किया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

35–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बांदा के विकास टाण्डा महुआ व बड़ोखर खुर्द में फ्री बोरिंग योजना की जानकारी

36–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा के ग्राम महुआ में फ्री बोरिंग योजना के अन्तर्गत किसानों को 4,000/- अथवा 5,000/– अनुदान दिया जा रहा है, जबकि इससे संलग्न ब्लाक बड़ोखर खुर्द में किसानों को 6,000/- का अनुदान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ये विषमतायें शासन के किस नियम अथवा निर्देश के तहत संदर्भित दोनों विकास खण्डों में हो रही हैं ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं कठिन स्ट्रेटा को दृष्टिगत रखते हुये फ्री बोरिंग के लिये विकास खण्डवार लागत सीमा शासनादेश संख्या–8582/54–2–1299(33)/90, दिनांक 5-1-91 द्वारा निर्धारित किया गया है ।

जनपद गाजियाबाद में रेंट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत आपत्तियों की सुनवाई के लिए नियुक्ति प्राधिकृत अधिकारी एवं उसके द्वारा निपटाये गये मामलों की जानकारी

37–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जनपद में रेंट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत आवेदन में आपत्तियों की सुनवाई के लिए कौन अधिकारी प्राधिकृत हैं ? मामलों की सुनवाई हेतु सप्ताह में कितने दिन निर्धारित हैं ? उक्त अधिकारी ने पिछले छः माह में कितने मामलों का निपटारा किया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराया तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत आवेदन पत्रों में आपत्तियों की सुनवाई के लिए जिला पूर्ति अधिकारी, गाजियाबाद प्राधिकृत है ।

प्रश्नगत मामलों की सुनवाई के लिए सप्ताह में एक दिन (बुधवार का दिन) निर्धारित है ।

उक्त अधिकारी ने पिछले छः माह में कुल तीन मामलों का निस्तारण किया है ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद नगर के पास की ग्राम सभाओं के विकास हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग

38–श्री बालेश्वर त्यागी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 94 के पहले बुधवार दिनांक 23-2-94 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–73 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "जवाहर रोजगार योजना" के अन्तर्गत ग्रामों के विकास हेतु धन उपलब्ध कराने का आधार वर्ष 1981 की जनगणना है यदि हां, तो क्या गाजियाबाद नगर के पास के गांवों के वर्ष 1981 के बाद बढ़ी आबादी को भी धन उपलब्ध कराने में जोड़ा जायेगा ?

श्री श्रीराम यादव–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विकास हेतु ग्राम प्रधानों को वित्तीय वर्ष 1993-94 तक वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर धन उपलब्ध कराया गया है किन्तु वित्तीय वर्ष 1994-95 में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ग्राम सभाओं को धनावंटन किया गया है ।

गाजियाबाद नगर के पास की ग्राम सभाओं को भी निर्धारित मानक के अनुसार धन आवंटित किया गया है।

उ० प्र० मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ के महासचिव के पदोन्नति की जानकारी

39–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० मिनिस्ट्रीयल सर्विस एसोसिएशन मेडिकल एवं पब्लिक हैल्थ के महासचिव की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के पद पर तदुपरान्त पदोन्नति द्वारा उन्हें स्टोर कीपर लिपिक, तदुपरान्त वरिष्ठ लिपिक के पद पर की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनकी वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी तिथि पर निर्धारित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त सुविधा विभाग में कार्यरत अन्य सभी चतुर्थ श्रेणी से पदोन्नति एवं स्टोर कीपरों को लिपिकीय संवर्ग के प्रोन्नति पदों पर प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं। उ०प्र० मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन मेडिकल एण्ड पब्लिक हैल्थ के महासचिव नहीं महामंत्री श्री लल्लन राय की पदोन्नति नहीं वरन् स्टोर लिपिक के पद पर निदेशक के आदेश दिनांक 7-11-67 द्वारा नियुक्ति की गयी थी।

जी नहीं। स्टोर लिपिक के पद पर नवम्बर 1967 में कार्यभार ग्रहण किया (स्टोर लिपिक के पद पर) जिसके आधार पर लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता निर्धारित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पी०जी०आई० के हृदय, उदर, गुर्दों के रोग से पीड़ित मरीजों के आहार की गुणवत्ता के निरीक्षण की मांग

40–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हृदय रोग, मधुमेह गुर्दों के रोग एवं उदर आदि रोगों से पीड़ित मरीजों को थिरेप्यूटिक आहार दिया जाना मेडिकल साइंस के अनुसार आवश्यक है ? यदि हां, तो संजय गांधी प्रो० ग्रे० इंस्टी० आफ मेडिकल साइसेंस, लखनऊ में उक्त रोगों से पीड़ित मरीजों के आहार की पाठशाला में कुकिंग व तैयार आहार की गुणवत्ता का निरीक्षण किस प्रशिक्षित अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है ?क्या नियुक्ति प्राधिकारी आहारविद किचेन में बैठक कर उक्त भोजन अपनी देखरेख में बनवा रहे हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य वहां पर नियुक्ति आहार विद से कब तक पुनः लिया जाना सरकार सुनिश्चित करेगी ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

पी०जी०आई० में उक्त रोगों से पीड़ित मरीजों के आहार की कुकिंग तथा तैयार आहार की गुणवत्ता का निरीक्षण संस्थान के पेशेन्ट किचन में सहायक अधीक्षक (हाऊस कीपिंग) द्वारा करवाया जाता है।

जी हां ।

दिनांक 26-11-92 से

प्रश्न नहीं उठता ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सी० वी० टी० एस० विभाग में रक्त में आक्सीजन का स्तर नियंत्रित करने हेतु जीवन रक्षक मशीनों के क्रय की जानकारी

41–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन निदेशक, संजय गांधी पो० ग्रे० इंस्टी० आफ मेडिकल साइसेंस लखनऊ के द्वारा सी०वी०टी०एस० वार्ड में रक्त में आक्सीजन का स्तर नियंत्रित करने हेतु जीवन रक्षक मशीनें वर्ष 1988 में कितनी क्रय की गयी थी ? क्या यह सत्य है कि उक्त मशीन माह जनवरी, 1994 से 11-2-1994 तक तकनीकी खराबी के कारण कार्य में नहीं लाई गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त अवधि में उक्त वार्ड में कितने लघु तथा कितने दीर्घ ओपेन हार्ट सर्जरी के आपरेशन हुए हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त वार्ड में उक्त मशीन खराब होने के कारण वहां पर आपरेशन के दौरान मरीजों की दर्दनाक मौतें शल्य चिकित्सा के दौरान व बाद में वार्ड में हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा वहीं पर उक्त मशीन खराब होने पर डाक्टरी टैक्नी० की शिकायत मिलते ही मशीन ठीक कराने तथा दो अतिरिक्त मशीनें क्रय किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में सी० वी० टी० एस० विभाग में रक्त में आक्सीजन का स्तर नियंत्रित करने हेतु 1987-88 में जायका ग्रान्ट-इन-ऐड के अन्तर्गत 2 ए०वी०एस०–945 माडल की मशीनें उपलब्ध कराई गयी थी ।

यह सत्य है कि उक्त मशीनें माह जनवरी, 1994 से 11-2-94 तक तकनीकी खराब एवं मशीनों में प्रयुक्त होने वाले आवश्यक कन्जूयोविलस, एसेसरीज, स्पेयर पार्टस के अभाव के कारण कार्यशील नहीं रही ।

संस्थान में इस अवधि में ओपेन हार्ट सर्जरी के 32 तथा 8 क्लोज आपरेशन किये गये ।

इस अवधि में ए०वी०एल० मशीन की अनुपलब्धता के कारण किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई ।

इनमें से एक मशीन के स्पेयर्स आ गये हैं और फर्म के इंजीनियर्स के द्वारा आवश्यक रिपेयर की जा रही है । अतिरिक्त मशीनों के खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं ।

श्री एन० ए० खान फोरमैन के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में श्री चरन सिंह, स० वि० स० के पत्र पर कृत कार्यवाही

42–श्री हरपाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि सेवामुक्त सहायक अभियन्ताओं द्वारा श्री एन०ए० खान फोरमैन के विरुद्ध शिकायतों के संदर्भ में विधायक श्री चरन सिंह का कोई पत्र दिनांक 19-8-94 प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं निदेशक प्रशासन के यहां उल्लिखित संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र

किन-किन एवं कितने संलग्नों के साथ प्राप्त हुआ है ? पत्र में क्या-क्या बिन्दु उठाकर किस-किस कार्यवाही की मांग की गयी है ? शिकायती पत्र 19-8-94 एवं उसके संलग्नक (फरवरी, 1994 एवं जनवरी, 1993 के शिकायती पत्रों) के क्रम में आरोपित व्यक्ति/फोरमैन के रिटायरमेन्ट के पूर्व क्या उचित कार्यवाही एवं पूछतांछ उचित-समय में की गयी है ? यदि हां, तों कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो बिलम्ब का क्या औचित्य है तथा उसके लिए कौन दोषी है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां । श्री चरन सिंह, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 19-8-1994 दो संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ ।

पत्र में मांग की गयी कि श्री किशन सिंह दिलेर, सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 27-2-94 एवं श्री एम०जी० सिंघल के पत्र दिनांक 27-1-93 में उल्लिखित विभागीय पत्र, कार्यालय की टिप्पणियां एवं पृष्ठांकन श्री एन०ए० खान फोरमैन को कैसे प्राप्त हुए, की जांच करायी जाये और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये । उक्त अभिलेखों की प्राप्ति के सम्बन्ध में श्री एन० ए० खान, फोरमैन से लिखित पूछतांछ की गयी । श्री खान ने अपने लिखित उत्तर में अवगत कराया है कि उल्लिखित पत्र श्री एम०जी० सिंघल (सेवाच्युत) सहायक परिवहन अभियन्ता ने उन्हें अपने निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु दिये थे ।

दैनिक कर्मचारियों विषयक सदस्य विधान सभा श्री चरन सिंह के पत्र दिनांक 19-5-94 की जानकारी

43–श्री बच्ची सिंह रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र 94 के पहले बुधवार को श्री चरन सिंह द्वारा दैनिक कर्मचारियों की समस्याओं विषयक पूछे गये अतारांकित प्र० सं०–117, 118, 119 के उत्तर के सबन्ध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सदन में असत्य सूचना देने सम्बन्धी विधायक श्री चरन सिंह का पत्र दिनांक 19-5-94 स्वास्थ्य मंत्रालय एवं निदेशक प्रशासन के यहां कितने तथा किन-किन संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ है ? पत्र के पैरा 3 में क्या तथ्य दिये गये हैं तथा क्या संस्तुति एवं मांग की गयी है ? पत्र के पैरा–5 में क्या-क्या संस्तुति एवं मांग की गयी है पत्र में की गयी संस्तुतियों एवं मांग के क्रम में क्या कार्यवाही की गयी है ? तथा शेष कार्यवाही कब तक करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी पत्र के क्रम में कृत कार्यवाही से प्रश्नकर्ता एवं पत्र प्रेषक विधायक को अवगत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रश्नगत प्रकरण में मा० विधायक श्री चरन सिंह का पत्र दिनांक 19-5-94 प्राप्त नहीं हुआ है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मुंसिफ मजिस्ट्रेट बिसवां के स्टे आर्डर को वैकेंट कराने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

44–श्री राम विशुन आजाद–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1994 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–58 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत सड़क निर्माण रोके जाने के आधार क्या हैं और मुंसिफ मजिस्ट्रेट बिसवां के स्टे आर्डर को वैकेट कराने के संबंध में विभाग द्वारा

क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या इस मामले की त्वरित गति से पैरवी कराकर इस मार्ग को शीघ्र बनवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

याची की खड़ी फसल पर स्टे होने के कारण सड़क का निर्माण कार्य रुक गया था और अब फसल कट जाने के बाद अवशेष 750 मी० भाग में से 510 मी० भाग पर कार्य हो चुका है ।

शेष 240 मी० भाग पर कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु वर्ष 1994-95 में दिये जानेवाले बजट की जानकारी

45–श्री अमर जीत सिंह ''जनसेवक''–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 94-95 में जन स्वास्थ्य, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि का प्राविधान बजट में किया गया है ? क्या प्रदेश के चिकित्सालयों में फाइलेरिया से पीड़ित रोगियों के पैरों की शल्क चिकित्सा द्वारा प्लास्टिक सर्जरी किये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त से संबंधित व्यवस्था तथा सी० आर० आई० द्वारा नव उत्पादित औषधि को प्रदेश के चिकित्सालयों में सुलभ कराने हेतु सरकार आवश्यक उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु वर्ष 94-95 में रु० 4,40,37,000 (चार करोड़ चालीस लाख सैंतीस हजार) का प्राविधान बजट में किया गया है ।

जी नहीं ।

फीलपांव की प्लास्टिक सर्जरी सफल नहीं है । प्रसंगहीन औषधि अभी परीक्षणाधीन है । अतः इसे चिकित्सालयों में उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गैस्टो मेडिसिन विभाग में वर्ष 1988 में इण्डोस्कोपी के लिए प्राप्त मशीनों की जानकारी

46–श्री राम कुमार वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी पो० ग्रे० मेडि० इंस्टी० लखनऊ के गेस्टो सर्जरी/गेस्टो मेडिसिन वार्ड में वर्ष 1988 में अब तक कितनी इन्डोस्कोपी की मशीनें क्रय की गयी हैं ? क्या यह सही है कि माह 2/94 से वहां पर एक-एक मशीन उनमें से खराब चल रही है ? क्या यह भी सही है कि उक्त उत्कृष्ट मशीन की खराबी के कारण वहां पर भर्ती गम्भीर रोगियों के उदर में स्टेन्टिग की प्रक्रिया सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो सरकार वहां के लिए कब तक कम से कम तीन अतिरिक्त इन्डोस्कोपिक की अद्यतन मशीनें क्रय कराकर उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त मशीन वहां पर खराब होने के कारण मरीजों को रेडियोलांजी विभाग में उक्त प्रक्रिया संबंधी कार्य अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त उपचार से वहां पर

इस विधि से रेडियोलांजी विभाग में रोगियों को कम लाभ हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या ठोस और उपयोगी कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के गैस्टो मेडिसिन विभाग के वर्ष 1988 में इण्डोस्कोपी के लिए 19 मशीनें जापान सरकार से अनुदान स्वरूप प्राप्त हुई थीं ।

जी हां, माह फरवरी, 1994 से 6 मशीनें खराब थीं ।

जी हां, कतिपय उत्कृष्ट इण्डोस्कोपी मशीन की खराबी के कारण फरवरी, 1994 में इससे संबंधित रोगियों के उदर में स्टेन्टिग एवं ह्यू० आर० सी० पी० प्रक्रिया को सुचारु रूप से किये जाने में कुछ कठिनाइयां हुई थीं ।

जी नहीं, क्योंकि 3 उत्कृष्ट मशीनों की मरम्मत कराकर क्रियाशील करा दी गयी है तथा शेष मशीनों की मरम्मत का प्रयास जारी है ।

जी हां, परन्तु मशीनों की मरम्मत कराकर क्रियाशील किये जाने के फलस्वरूप स्थिति में सुधार आ गया है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग की गण्डक सरयू शारदा सहायक हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

47–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा सतीश भाटिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग की गण्डक सरयू, शारदा सहायक परियोजनायें योजना आयोग से कब तक कितनी धनराशि की स्वीकृति हुई थी ? उन परियोजनाओं की वर्तमान लागत क्या है ? क्या इन्हें पुनरीक्षित करके योजना आयोग को भेजा गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त परियोजनायें कब तक पूर्ण होंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सिंचाई विभाग की गण्डक नहर, सरयू नहर एवं शारदा सहायक की मूल परियोजनायें योजना आयोग से क्रमशः वर्ष 7/81, 4/78, व 1/76 में क्रमशः रु० 15.47 करोड़, रु० 73.69 करोड़ तथा रु० 199 करोड़ धनराशि की स्वीकृति हुई थी । पुनरीक्षित परियोजनाओं का विवरण संलग्नक में दर्शित है । इन परियोजनाओं में से गण्डक नहर परियोजना की वर्तमान लागत वर्ष 1991 के आधार पर रु० 154.38 करोड़ सरयू नहर परियोजना की वर्ष 1993 के आधार पर रु० 1256 करोड़ तथा शारदा सहायक परियोजना की वर्ष 1992-93 के आधार पर रु० 1064.60 करोड़ है । पुनरीक्षित गण्डक नहर परियोजना वर्ष 1/94 में भारत सरकार की जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदित हो चुकी है । सरयू नहर की पुनरीक्षित परियोजना वर्ष 7/94 में केन्द्रीय जल आयोग भेजा गया है । शारदा सहायक का पुनरीक्षित प्राक्कलन वर्ष 1985 में केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया था । केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के अनुसार पुनरीक्षित परियोजना भेजी जानी है ।

गण्डक नहर परियोजना वर्ष 1994-95 में पूर्ण करना प्रस्तावित है। सरयू नहर एवं शारदा सहायक परियोजनायें अष्टम प्लान के अनुसार नवीं योजना में स्लिप होगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 195 पर)

आगरा महानगर की पेयजल समस्या को हल करने हेतु मांट ब्रान्च, गंग नहर से निकलने वाले रजवहे के माध्यम से यमुना में पानी छोड़े जाने की मांग

48–श्री रमेशकान्त लवानियां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर की पेयजल समस्या को हल करने के लिए मांट, ब्रान्च, गंग नहर में से निकलने वाले बल्देव रजवाह के माध्यम से गांव नेरा (बल्देव) पर यमुना नदी में पानी छोड़े जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अरुण मेडिकल स्टोर, जनपद बस्ती द्वारा आपूर्ति किये गये दवाओं की गुणवत्ता की जांच एवं बीजों का भुगतान

49–श्री सतीश भाटिया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरुण मेडिकल स्टोर, जनपद बस्ती द्वारा अधीक्षक संक्रामक रोग चिकित्सालय अयोध्या जनपद फैजाबाद को बीजक संख्या–8439, दिनांक 9-11-91 वास्ते रु० 17384 तथा इसी फर्म द्वारा अधीक्षक, नेहरू चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज, गोरखपुर को बीजक संख्या–3181, दिनांक 28-5-88, 3484, दिनांक 26-7-88, 3485, दिनांक 26-7-88 तथा 3962, दिनांक 28-11-88, क्रमशः वास्ते रु० 4361.15, 11431.80, 6208.80 तथा रु० 3654.00 की आपूर्ति आदेशों पर की गयी है ? यदि हां, तो क्या इसका भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

दवाओं की गुणवत्ता एवं अन्य सभी पहलुओं की जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद बस्ती में अनुसूचित जाति की बस्तियों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

50–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में कितनी अनुसूचित जाति की बस्तियां हैं जो सम्पर्क मार्ग से नहीं जुड़ी हैं ? क्या सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का प्रयास जमीन एक्वायर करा कर सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राधे श्याम कटियार, मौजा उरसान, जनपद कानपुर देहात के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

51–श्री विश्वनाथ–

क्या ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राधे श्याम कटियार, मौजा–उरसान, जिला–कानपुर देहात ने कोई दरख्वास्त दिनांक 4-8-1989 को उप राजस्व अधिकारी रामगंगा कमाण्ड कानपुर के कार्यालय में दी थी ? यदि हां, तो इस शिकायत की जांच किस अधिकारी ने की और परिणाम स्वरूप क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्री राम यादव–

उप राजस्व अधिकारी राम गंगा कमाण्ड कानपुर पूर्व का कार्यालय लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व विघटित हो चुका है और इस विघटित इकाई के उन अभिलेखों को शासनादेश के अनुसार नष्ट कर दिया गया है, जो अभिलेखों के दृष्टिकोण से स्थाई प्रकृति के नहीं थे । अतः इकाई के विघटित हो जाने और विघटित इकाई के अस्थाई प्रकृति के अभिलेख नियमानुसार विनिष्ट कर दिये गये ।

जिला सिद्धार्थनगर के बांसी तथा मिठवल विकास खण्डों में पुरानी सड़कों की मरम्मत एवं ड्रेनों में सफाई में कथित घपले की जांच

51–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विकास क्षेत्र बांसी तथा मिठवल में पुरानी सड़कों के मरम्मत तथा पुरानी ड्रेनों के सफाई कार्य हेतु विगत वर्ष डी० आर० डी० ए० की योजना के अन्तर्गत जो धन उपलब्ध कराया गया था और इस धन से जो कार्य करवाया गया उसमें भारी घपला किये जाने का कोई शिकायती-पत्र श्री विश्व नाथ पाण्डेय भू० पू० विधायक द्वारा रजिस्ट्री भेजा हुआ, आयुक्त ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज उ० प्र० तथा मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर को मई, 1994 के तीसरे अथवा चौथे सप्ताह में मिला था ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने की ? जांच में क्या कोई अभियन्ता भी थे ? क्या यह सच है कि शिकायती-पत्र में जांच वर्षाकाल से पूर्व कराने की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो क्या शिकायतकर्ता को जांच के समय साक्ष्य हेतु बुलाया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्री राम यादव–

जी हां ।

जांच परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर द्वारा करायी गयी ।

जी हां । जांच में अवर अभियन्ता भी थे ।

जी हां ।

जी नहीं। शिकायत की जांच स्थलीय सत्यापन के दौरान की गयी थी।

अनियमितता न पाये जाने के कारण शिकायतकर्ता को साक्ष्य हेतु बुलाया जाना आवश्यक नहीं था।

जनपद सिद्धार्थनगर के कतिपय विकास खण्डों में चालू एवं बन्द नलकूपों का विवरण

53–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड बांसी, मिठवल तथा खेसरहा में विश्व बैंक द्वारा निर्मित कुल कितने राजकीय नलकूप हैं ? मई, 1994 से 15 सितम्बर, 1994 की अवधि में कितने नलकूप विधिवत् चालू थे तथा जो बन्द थे उनके बन्द होने के कारण क्या थे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड बांसी, मिठवल तथा खेसरहा में विश्व बैंक द्वारा निर्मित निम्न 30 राजकीय नलकूप हैं :–

ब्लाक मिठवल	शून्य
ब्लाक बांसी	12 नलकूप
ब्लाक खेसरहा	18 नलकूप
कुल :–	30 नलकूप

मई, 94 में	23 नलकूप
जून, 94 में	24 नलकूप
जुलाई, 94 में	26 नलकूप
अगस्त, 94 में	23 नलकूप
15 सितम्बर, तक	27 नलकूप

विधिवत् चालू थे।

बन्द नलकूपों के बन्द होने का कारण विद्युत अथवा यांत्रित दोष था।

जनपद सिद्धार्थनगर में नलकूप उपखण्ड बांसी में क्षतिग्रस्त नालियों एवं पाइप लाइन की मरम्मत हेतु आवंटित धनराशि

54–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत नलकूप उप खण्ड बांसी में वर्ष 1993 में आयी भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त नालियों हेतु कुल कितनी धनराशि सरकार से प्राप्त हुई तथा किन-किन नलकूपों से संबंधित नालियों पर कार्य करवाया गया ? क्या यह सच है कि ग्राम कडुजा में आउटलेट बाढ़ के बाद नलकूप बनाया गया ? यदि हां, तो उसके बनाने में कितनी ईंटों का इस्तेमाल किया गया और उसकी लागत क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मद में प्राप्त धनराशि से नलकूप उप खण्ड, बांसी से संबंधित बाढ़ से क्षतिग्रस्त राजकीय नलकूप संख्या–96, 72, 95, 105, 97, 116, 125, 115, 107, 104 तथा 111 (सभी बांसी समूह) इस प्रकार 11 नलकूपों की क्षतिग्रस्त नालियों/पाइप लाइन की मरम्मत का कार्य कराया गया जिसमें कुल रु० 46,239.00 का व्यय हुआ।

जी हां, ग्राम कुड़जा में बाढ़ के उपरान्त नलकूप संख्या–107 बांसी पर 18 अदद आउटलेट का मरम्मत सामान्य वार्षिक अनुरक्षण मद में कराया गया।

उक्त आउटलेट बनवाने में कुल 2448 अदद ईंट का उपयोग किया गया, जिसकी लागत रु० 2311 मात्र है।

जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत नलकूप उपखण्ड, बांसी में वर्ष 1993 में आयी भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत हेतु बाढ़ मद से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सिद्धार्थनगर से प्राप्त धन में से बांसी उप खण्ड में संबंधित बाढ़ से क्षतिग्रस्त राजकीय नलकूप संख्या–83, 1, 8, 126, 128, 17, 19, 24, 20, 30, 85, 25, 78, 109, 110 (सभी बांसी समूह) तथा 34 के० जी०, इस प्रकार 16 राजकीय नलकूपों की नालियों पर कार्य कराया गया जिसमें कुल 8,51,970.00 रुपये का व्यय हुआ।

इसके अतिरिक्त सामान्य अनुरक्षण हुआ।

जनपद जौनपुर में केराकत राजबहा पर रख-रखाव एवं मरम्मत में व्यय धनराशि का विवरण

55–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1993-94 में जनपद जौनपुर में स्थित केराकत राजबहा पर रख-रखाव और मरम्मत पर कितना-कितना धन व्यय किया गया ? क्या यह सत्य है कि इस धन का सही उपयोग न किये जाने के कारण ही यह राजबहा वर्तमान खरीफ फसल हेतु समय से पर्याप्त पानी नहीं दे सका जिसके कारण क्षेत्रीय कृषकों की अधिकांश धान की फसल नष्ट हो गयी ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि इस राजबहा से संबंधित कुछ ड्रेनों की वर्ष 1994 में फर्जी सफाई दिखाकर अधिकारियों द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो क्या उक्त ड्रेनों की सरकार स्थलीय जांच कर सही रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां।

वर्ष 93-94 में केराकत रजवहा के रख-रखाव एवं मरम्मत पर 10.99 लाख रु० की धनराशि व्यय की गयी।

जी नहीं।

जी नहीं।

ड्रेनों की जांच मुख्य अभियन्ता (शा०स०) द्वारा गठित समिति द्वारा पूर्व में ही की जा चुकी है। अतः अब कोई समिति से स्थलीय जांच कराने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में वर्ष 1992-93 से परिवार कल्याण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु आई० एफ०पी०एस० परियोजना की जानकारी

56–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्ष 1992-93 से परिवार कल्याण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु आई०एफ०पी०एस० परियोजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो अब तक इस परियोजना के क्रियान्वयन पर विभिन्न मदों में कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पूर्व में चलाये जा रहे परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियों में इस परियोजना से क्या-क्या गुणात्मक सुधार परिलक्षित हुआ है ? यदि नहीं, तो इस परियोजना के क्रियान्वयन का क्या औचित्य है ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

दिनांक 31 दिसम्बर तक आई०एफ०पी०एस० परियोजना में मदवार निम्नवत् व्यय किया गया है :–

सर्विस डिलिवरी	
प्रोजेक्ट एवं प्रोग्राम–	99,67,911.06
बेसलाइन सर्वे एवं	
एक्शन प्लान	128,27,851.00
स्वास्थ्य अवस्थापना	
सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	98,29,680.00
अन्य	82,06,344.38
योग ..	4,05,31,786.44

आई० एफ०पी०एस० परियोजना के क्रियान्वयन हेतु "सिफसा" को सोसाइटी ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण मई, 1993 में किया गया है। अब तक 15 जिलों का बेसलाइन सर्वेक्षण करा लिया गया है और सर्विस डिलीवरी, ट्रेनिंग आदि की 12 परियोजनायें सरकारी एवं निजी क्षेत्र में स्वीकृत की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओ की कार्य अवधि लगभग 2 वर्ष है।

उर्पुक्त वर्णित परियोजनाओं के पूर्ण होने पर ही उपब्धियों में गुणात्मक सुधार का आंकलन सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड प्रथम, जौनपुर के कर्मचारियों के वेतन आदि सम्बन्धी सिंचाई मजदूर संघ जौनपुर के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

57–श्री वासुदेव तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखण्ड प्रथम जौनपुर के अन्तर्गत प्रभारित कर्मचारियों के वेतन भुगतान आदि में अनियमितता बरती जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में सिंचाई मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ जौनपुर का पत्रांक–अ-2/दिनांक 17-11-92 मंत्री जी व अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखण्ड प्रथम, जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी बिन्दुवार समस्यायें क्या हैं ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

उल्लिखित पत्र अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड प्रथम जौनपुर को प्राप्त हुआ है । प्रश्नगत पत्र में अंकित बिन्दुवार समस्याएं निम्न प्रकार हैं :–

1–कार्य प्रभारित कर्मचारियों को सभी भुगतान नियमित कर्मचारियों के साथ ही देने की व्यवस्था की जाय ।

2–कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित करने हेतु कार्यवाही की जाय ।

3–खण्ड में उपलब्ध ट्रकों की मरम्मत कराकर अविलम्ब चलायी जायं जिससे ढुलाई आदि का कार्य समय से तथा अल्प खर्चे में हो सके ।

4–कार्यशाला में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करायी जाय ।

5–नलकूप मरम्मत का सामान सही माप का तथा आवश्यक चलने घिसने वाले पुर्जे (मूविंग पार्ट्स) की व्यवस्था की जाय ।

6–कारीगरों, मिस्त्री, मैकेनिक, फिटर, टर्नर, वेल्डर हेतु औजारों की व्यवस्था की जाय ।

7–कर्मचारियों की दक्षतारोक समाप्त की जाय जिनकी अवधि पूरी हो चुकी है ।

बिन्दुवार कार्यवाही निम्नानुसार है :–

1–कार्यप्रभारित कर्मचारियों को देय भुगतान, नियमित कर्मचारियों के साथ करने की व्यवस्था कर दी गई है ।

2–कार्यभारित कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार योग्यता के अनुरूप नियमित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3–खण्ड में उपलब्ध ट्रकों की मरम्मत आवश्यकतानुसार कराकर चालू हालत में रखा जाता है एवं ट्रकों से उनकी क्षमता के अनुसार ढुलाई का कार्य लिया जाता है ।

4–कार्यशाला में प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है ।

5–नलकूपों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार सामान की व्यवस्था की जाती है।

6–संबंधित कार्मिकों के लिये औजारों की व्यवस्था नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार की जाती है।

7–कर्मचारियों की दक्षतारोक पार करने की नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

राजकीय अस्पताल देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल की खराब एक्सरे मशीन के मरम्मत की मांग

58–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पताल देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में एक्सरे मशीन कब से खराब पड़ी है ? क्या इस एक्सरे मशीन को ठीक करवाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक एक्सरे मशीन ठीक हो जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मई, 1990 से खराब हैं।

जी हां।

एक्सरे मशीन को ठीक कराने के लिए सीमेन्स इण्डिया लिमिटेड फर्म को 9000 रु० का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है तथा तुरन्त मशीन ठीक कराने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

राजकीय इण्टर कालेज जाजल टिहरी गढ़वाल में विज्ञान विषयों की मान्यता व अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

59–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा०इ० का० जाजल टिहरी गढ़वाल में विज्ञान विषयों की मान्यता किस वर्ष दी गयी थी ? क्या कारण है कि उक्त विद्यालय में विज्ञान अध्यापकों के पदों का सृजन नहीं हुआ ? क्या सरकार उक्त विद्यालय में विज्ञान अध्यापकों के पदों का सृजन करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक पदों का सृजन हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य परिवार कल्याण ब्यूरों में सृजित डेमोग्राफर के पद पर नियुक्ति की मांग

60–श्री राम देव वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि परिवार कल्याण निदेशालय के अन्तर्गत संख्याविद द्वारा दिसम्बर, 1982 से डेमोग्राफर का कार्य देखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उन्हें तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा निदेशकों के अनुरोध पर प्रोन्नति दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन ने वरिष्ठतम संख्याविदों से डेमोग्राफर के पद को भरे जाने के लिये लोक सेवा आयोग को दो बार पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या लोक सेवा आयोग से अनुमति प्राप्त हो गई थी ? यदि नहीं, तो क्या मंत्रि परिषद् में

प्रकरण प्रस्तुत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में प्रोन्नति से पद भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

उत्तर प्रदेश राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो में सृजित डेमोग्राफर का पद सीधी भर्ती का पद है । नवम्बर, 1982 में डेमोग्राफर के पद पर कार्यरत अधिकारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपर निदेशक, परिवार कल्याण ने राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो में कार्यरत संख्याविद को अपने पद के साथ-साथ अग्रिम आदेशों तक डेमोग्राफर के पद का भी कार्य देखने का आदेश दिया था । आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि इसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय न होगा ।

जी नहीं, क्योंकि डेमोग्राफर का पद सीधी भर्ती का पद है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं, क्योंकि कार्मिक नीति के अनुसार सीधी भर्ती के कोटे की रिक्तियों की सीधी भर्ती के माध्यम से तथा पदोन्नति के कोटे की रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से ही भरे जाने का प्राविधान है । इसलिए उसका औचित्य नहीं पाया गया ।

जी नहीं ।

जी नहीं, क्योंकि वह कार्मिक नीति के विरुद्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ के हस्तिनापुर में सिविल चिकित्सालय की जानकारी

61–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हस्तिनापुर (जनपद मेरठ) में सिविल चिकित्सालय पहले संचालित था ? क्या उसे विगत वर्षों में प्राथमिक चिकित्सालय केन्द्र बना दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सच है कि 40 कि०मी० की परिधि में वहां पर कोई समुचित स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या इसे सिविल हास्पिटल अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक पुनः उच्चीकरण करके शासन वहां उपलब्ध एक्सरे मशीन इत्यादि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

हस्तिनापुर (जनपद मेरठ) में सिविल चिकित्सालय पहले से संचालित था ।

जी हां, शासन की नीति के अनुसार वर्ष 1972 में इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया परन्तु सिविल चिकित्सालय की 28 शैय्या एवं स्टाफ की सुविधायें यथावत् उपलब्ध हैं । दन्त चिकित्सा की

सुविधा भी उपलब्ध है तथा इसके प्रागंण में प्रसवोत्तर केन्द्र स्थापित हैं जिसमें गायनाकोलोजिस्ट तथा शिशु विशेषज्ञ द्वारा महिलाओं एवं शिशुओं के उपचार की सुविधायें भी उपलब्ध हैं।

हस्तिनापुर से 40 कि०मी० की परिधि में अन्य कई चिकित्सा केन्द्रों के अतिरिक्त जनपद मुख्यालय मेरठ में मेडिकल कालेज प्यारे लाल शर्मा चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, कैण्ट चिकित्सालय, नगरपालिका चिकित्सालय, आई० डी० एच० चिकित्सालय स्थापित हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला योजना के अन्तर्गत आते हैं जिस हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। उक्त केन्द्र पर पहले से उपलब्ध एक्सरे मशीन विगत 20 वर्षों से मरम्मत योग्य न होने के कारण क्रियाशील नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में डिपो प्रबन्धकों की गृह जनपद में तैनाती की जानकारी

62–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में ऐसे कितने डिपो प्रबन्धक हैं, जो अपने गृह नगर/जनपद में तैनात हैं ? क्या कुछ ऐसे भी प्रबन्धक हैं, जो अपने मुहल्ले में ही तैनात हैं ? क्या सरकार ऐसे अवैध तैनात व्यक्तियों को नियमानुसार दूसरे जनपदों में भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी डिपो प्रबन्धकों को अपने गृह नगर/जनपद में तैनात होने की सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में 16 डिपो प्रबन्धक ऐसे हैं, जो अपने गृह नगर/जनपद में तैनात हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि इस प्रकार की तैनाती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। निगम कर्मचारियों की डिपो पर तैनाती उनके अनुभव योग्यता आदि को ध्यान में रखकर निगम हित में किये जाने की व्यवस्था है।

63–श्री राम आसरे वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ए० एम० एम० के पद पर नियुक्ति हेतु लगे प्रतिबन्ध को हटाये जाने की मांग

64–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मयंकर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–7187/5-12-90–328(13)/90, दिनांक 21 जनवरी, 1991 के द्वारा ए० एन० एम० के पद पर नियुक्ति हेतु जो प्रतिबन्ध लगाया गया था, को कब तक हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रश्नगत कर्मचारियों से संबंधित सेवानियमावली विचाराधीन है तथा इसका प्रख्यापन होना शेष है इसके पश्चात् नियुक्ति से प्रतिबन्ध हटा दिया जायेगा तथा नियमानुसार नियुक्तियां सम्भव हो सकेंगी।

जनपद बांदा में कार्यरत रामगंगा कमाण्ड परियोजना द्वारा वर्ष 1993-94 में कराये गये कार्यों की जानकारी

65–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में कार्यरत रामगंगा कमाण्ड परियोजना द्वारा गत वित्तीय वर्ष 1993-94 में वार्षिक योजना के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर और कौन-कौन से कार्य पूर्ण कराये गये ? सन्दर्भित वित्तीय वर्ष में कराये गये कार्यों को अधूरा छोड़ने के क्या कारण हैं ?

श्री श्री राम यादव–

वित्तीय वर्ष 1993-94 में राम गंगा कमाण्ड परियोजना के कार्य क्षेत्र में इकाई बांदा, अर्तरा, बबेरू, नरैनी, कमासिन एवं विसण्डा में कच्ची नाली, जल निकास नाली का कार्य पूर्ण कराया गया जो निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	इकाई का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित कार्य		कार्य जो पूर्ण कराया गया	
			कच्ची गूल कि०मी०	जल निकास कि०मी०	कच्ची गूल कि०मी०	जल निकास कि०मी०
1	2	3	4	5	6	7
1	बांदा	महुबाबडोखर	125.092	12.50	130.948	9.958
2	अतर्रा	नरैनी महुवा	125.374	12.50	126.00	12.50
3	बबेरू	विसण्डा, बबेरू	125.711	11.45	126.00	12.85
4	नरैनी	नरैनी महुआ	126.00	12.85	138.20	12.50
5	कमासिन	कमासिन विसण्डा	125.279	8.90	125.00	9.40
6	विसण्डा	विसण्डा बबेरू	125.694	6.33	125.00	6.30
		योग :	751.150	64.55	771.148	63.508

वित्तीय वर्ष 1993-94 में धनाभाव के कारण पक्की गूल एवं संरचनाओं का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका, अधूरे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	इकाई का नाम	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित कार्य		निष्पादित कार्य		अवशेष कार्य जो धनाभाव के कारण अपूर्ण रहा	
			पक्की गूल कि०मी०	संरचनायें संख्या	पक्की गूल कि०मी०	संरचनायें संख्या	पक्की गूल कि०मी०	संरचनायें संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बांदा	महुवा बडोखर	25.00	250	16.75	114	8.25	136
2	अतर्रा	नरैनी महुवा	25.085	251	15.00	113	10.085	138
3	बबेरू	विसण्डा, बबेरू	29.20	251	12.98	102	16.22	149
4	नरैनी	नरैनी महुआ	28.85	252	14.50	90	14.35	162
5	कमासिन	कमासिन विसण्डा	17.36	250	5.50	75	11.86	175
6	विसण्डा	विसण्डा बबेरू	25.01	252	8.00	40	17.01	212
		योग :	150.465	1506	72.73	564	77.735	972

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय एवं स्वास्थ्य सेवा में उ०प्र० लखनऊ के समूह "ग" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का विवरण

66–श्री लक्ष्मी चन्द–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में समूह "ग" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नियमों के अनुसार पूरा है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आरक्षण संबंधी नये नियमों के प्राविधानों के फलस्वरूप कोटा पूर्ण नहीं है । वर्तमान नियमों के अनुसार कोटा शीघ्र पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है ।

67–श्री लक्ष्मी चन्द–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश में शासन की आरक्षण की नीति एवं नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि हां, तो श्रेणीवार समूह "क" "ख" "ग" व "घ" में प्रतिनिधित्व का क्या ब्यौरा है ? यदि नहीं, तो क्या इसे पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

नियमानुसार कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा विकास खण्ड के सरकारी अस्पतालों में डाक्टर आदि की नियुक्ति की मांग

68–श्री लक्ष्मी चन्द–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा विकास खण्ड के ग्राम सौंदा हबीपुर व ग्राम सनैता भाईपुर में सरकारी अस्पतालों का भवन निर्माण दो वर्ष पूर्व हो चुका है किन्तु अभी तक इन अस्पतालों में किसी डाक्टर, कम्पाउन्डर या अन्य कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो इन अस्पतालों में कब तक उक्त नियुक्ति कर दी जायेंगी ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं ।

सौदा हबीपुर में उपकेन्द्र है, जो सरकारी भवन में है ।

ग्राम सनेता–भाईपुर में उपकेन्द्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है जो किराये के भवन में चल रहे हैं ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सनेता पर नियत वेतन पर चिकित्सक तथा स्वीपर कमचौकीदार नियुक्ति हैं । फार्मेसिस्ट तथा वार्ड ब्वाय की तैनाती के आदेश मुख्य चिकित्साधिकारी को जारी कर दिये गये हैं ।

प्रदेश में प्लेग की फैली महामारी से बचाव की जानकारी

69–श्री रंगनाथ मिश्र–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में प्लेग की महामारी फैल गई है ? यदि हां, तो कौन से जिले में कितने रोगी हैं तथा उनकी चिकित्सा व्यवस्था हेतु सरकार ने कौन से प्रयास किये तथा इस रोग से प्रदेश में कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा इस महामारी से बचने हेतु प्रदेश में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? इस रोग से जनता को बचाने के लिये क्या सरकार मुफ्त में डी०डी०टी० तथा टेट्रासाईक्लीन कैप्सूल बटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम यादव–

वर्ष 1994 के सितम्बर माह के अन्त में प्रदेश में प्लेग महामारी के प्रकोप की संभावना थी ।

जनपद बलिया में दो, जनपद गाजियाबाद में चार तथा जनपद वाराणसी में चार प्लेग के रोगियों की पुष्टि राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली द्वारा की गई थी ।

राज्य सरकार द्वारा प्लेग की रोकथाम हेतु निम्नांकित प्रयास किये गये :–

1–प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा टेलेक्स के माध्यम से मण्डलायुक्तों, जिला अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एवं महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा दिनांक 24-9-94 को प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को प्लेग के संबंध में विस्तृत जानकारी व दिशा निर्देश दिए गए थे ।

2–प्लेग से प्रभावित जनपदों तथा प्रदेश के अन्य समस्त जनपदों में प्लेग सम्बन्धी औषधियां, कीटनाशक आदि सामग्री का वितरण किया गया था ।

3–समस्त जनपदों में महाराष्ट्र एवं गुजरात की ओर से आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, तथा एयरपोर्ट पर चिकित्सकों की टीम द्वारा जांच एवं परीक्षण की व्यवस्था की गई थी । प्रदेश से कुल 204 रक्त के नमूने राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, नई दिल्ली को परीक्षण हेतु भेजे गये थे, जिसमें से मात्र 10 में प्लेग की पुष्टि हुई थी ।

4–उक्त रोग की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर 24 घन्टे कार्य करने वाले नियंत्रण की स्थापना की गई थी ।

5–प्राप्त सूचनाओं का दैनिक अनुश्रवण महानिदेशालय स्तर पर तथा साप्ताहिक समीक्षा उच्च स्तरीय समन्वय समिति द्वारा शासन स्तर पर की जाती थी ।

प्रदेश में प्लेग से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी । सरकार द्वारा प्लेग से बचाव हेतु औषधियों कीटनाशक तथा स्वास्थ्य शिक्षा मद में रु० 50 लाख स्वीकृत किया गया था । भारत सरकार ने भी 200 मैट्रिक टन गैमेक्सीन प्रदेश को भेजा था और उसका वितरण जनपदों में करवाया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमाफियों द्वारा सिंचाई विभाग की भूमिपर कब्जा कर बिक्री करने वालों के विरुद्ध शिकायत व कार्यवाही की मांग

70–श्री परशुराम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग की भूमि पर भूमाफियों द्वारा कब्जा कर उसे बिक्री करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र 19 अप्रैल, 1994 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक भूमाफियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

विभाग की भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी परियोजना गोरखपुर द्वारा धन अवमुक्त न किये जाने की शिकायत

71–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार की जानकारी में है कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत ग्राम विकास अभिकरण गोरखपुर के पत्र सं० 17978 दिनांक 29-7-89 एन०आर० 5-32/89-90 दिनांक 29 जुलाई, 89 द्वारा विकास खण्ड भिठौरा के ग्राम जगदौर सेमरा, हरदी से पश्चिम, दमकी गांव से अनुसूचित जाति की बस्तियों के बीच तीन पुलियों के निर्माण के लिये अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड गोरखपुर को रु० 39,600/- आवंटन करने काआदेश दिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्तधनराशि का आवंटन अधिशासी अभियन्ता ग्रा० अ० से० प्र० गोरखपुर के पत्रांक 560 दिनांक 26-6-90 द्वारा धनकी मांग करने के लिये लिखा गया था किन्तु आज तक अपर जिलाधिकारी परियोजना गोरखपुर द्वारा धन अवमुक्त नहीं किया गया है जिसके कारण पुलिया का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां,तो क्या सरकार आवंटित धनराशि से तत्काल कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कराने एवं अपूर्ण पुलियों को पूर्ण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां,तो कब तक ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वर्ष 1990 से 1993 तक जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा खसरहां जनपद महराजगंज को दी गयी धनराशि की जानकारी

72–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 90-91, 91-92, 92-93 में ग्राम सभा खसरहां विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज को जिला योजना के अन्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि एवं जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा के विकास के लिये कुल कितना धनराशि आवंटित की गयी है ?

आवंटित धनराशि से ग्राम प्रधान द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये हैं ? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा के अन्तर्गत तीन सड़कों पर सोलिंग कराने के नाम पर धन का भुगतान फर्जी वाउचरों एवं मस्ट्रोल पर कर लिया है किन्तु आज तक सड़कों पर खड़ंजा कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार फर्जी भुगतान की जांच कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

वर्ष 90-91,91-92, 92-93 में ग्राम सभा खसरहां विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज को जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा के विकास के लिये पूर्वान्चल विकास निधि से कोई धनराशि नहीं दी गई है । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत मु० 76,517.70 रुपये का आवंटन किया गया है ।

आवंटित धनराशि से ग्राम प्रधान द्वारा सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी, खड़न्जा, हैण्डपम्प एवं पंचायत भवन का कार्य कराया गया है ।

अब प्रधान द्वारा संदर्भित कार्य पूर्ण करा दिया गया है जिसको जांच करा ली गई और खड़न्जा का कार्य भी करा दिया गया है ।

जांच की कार्यवाही पूर्ण करा ली गई है । अब कार्य पूर्ण पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड-2 जनपद महराजगंज के द्वितीय उपखण्ड के सहा० अभियन्ता व अधि०-अभि० के विरुद्ध दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही

73–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई खण्ड–2 जनपद महराजंगज के द्वितीय उपखण्ड के सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध वी० गैप पर मरम्मत निर्माण के नाम पर 10 लाख रुपये का फर्जी भुगतान करने का मामला विभागीय अवरअभियन्ता श्री सुवास यादव द्वारा उठाया गया है, जिसकी लिखित शिकायत श्री यादव द्वारा सरकार में तथा प्रमुख अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता गण्डक गोरखपुर को दि० 1-6-94 को भेजी है ? यदि हां, तो शिकायती प्रार्थना-पत्र में कौन-कौन सी शिकायतें की गई है । क्या सरकार शिकायती पत्र की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराने एवं जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री सुवास यादव, अवरअभियन्ता का नहीं बल्कि श्री सुभाष चन्द्र पाण्डेय, मण्डल चेयरमैन, संघर्ष समिति, उ० प्र० डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ, गोरखपुर का शिकायती पत्र दिनांक 27-5-1994 प्राप्त हुआ है ।

शिकायती पत्र में निम्नलिखित शिकायतें की गयी हैं:–

(1) वी०-गैप बांध पर रु० 10 लाख बोल्डरों का फर्जी भुगतान मार्च 1994 में किया गया है ।

(2) रु० 12 लाख फर्जी भुगतान करने की कार्यवाही कर रहे हैं ।

(3) ठोकर नम्बर 9, 10, 15 व 20 ए–गैप बांध पर बोल्डरों की फर्जी सप्लाई दिखाई गई है।

(4) सहायक अभियन्ता द्वारा अनुबंध की प्रतियां खण्डीय कार्यालय को नहीं भेजी गई हैं।

उक्त शिकायतों की विभागीय जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्रामों के खारेपानी के शुद्धिकरण हेतु रिचार्ज्ड परियोजना प्रारम्भ किए जाने की मांग

74–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्रामों की 80 प्रतिशत पानी खारी है ? यदि हां, तो रिचार्जड योजना के अन्तर्गत तहसील किरावली के खारी पानी को पोखर तालाबों और नदी नालों की वर्षाती जल भूमि में अवशोषित करायेंगे ? यदि हां, तो रिचार्जड परियोजना कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन के ग्राम सभा रोरवा को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत उपलब्ध कराई गयी धनराशि व उससे किये गये कार्यों की जानकारी

75–श्री तीरथ राज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकासखण्ड चोपन के ग्राम सभा रोरवा (कोन क्षेत्र) जनपद सोनभद्र को अब तक जवाहर रोजगार योजनन्तर्गतन कितना धन प्राप्त हुआ है ? प्राप्त धनराशि से ग्राम सभा ने कौन से कार्य किये ? प्राप्त जे० आर० वाई० के धन से ग्राम सभा में विकास कार्य न किये जाने का कारण क्या है ? क्या शासन इसके लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

विकास खण्ड चोपन के ग्राम सभा रोरवा (कौन क्षेत्र) जनपद सोनभद्र को अब तक जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कुल रुपये 3,63,612.00 प्राप्त हुआ।

प्राप्त धनराशि से ग्राम सभा द्वारा वृक्षारोपड़, बंधी मरम्मत, खड़न्जा निर्माण, खड़न्जा मरम्मत, सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत कूप निर्माण, कूप मरम्मत, नाली निर्माण, निर्बल वर्ग आवास, सम्पर्क मार्ग निर्माण, सम्पर्क मार्ग मरम्मत, कूप सफाई तथा चबूतरा निर्माण कार्य कराये गये।

प्राप्त जे०आर०वाई० के धन से ग्राम सभा के उपरोक्त विकास कार्य कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के खण्ड विकास कार्यालय चोपन द्वारा तैयार कराये गये मार्बल शिला लेखों में की गयी धोखाधड़ी की जांच

76–श्री तीरथ राज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 24"x18" साइज के मार्बल शिलालेख खण्ड विकास कार्यालय चोपन, सोनभद्र द्वारा थोक के भाव आर्डर देकर रु० 725/- (सात सौ पच्चीस रु०) प्रति के दर से तैयार कराये जाने के बाद संबंधित ग्राम सभाओं को दिये गये हैं ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उक्त साइज के मार्बल शिला लेख सूर्यबली सिंह, ग्राम प्रधान गायघाट ने उसी समय चोपन, सोनभद्र के द्वारा मात्र रु० 170.00 (एक सौ सत्तर रु०) प्रति के भाव से खरीदा है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि मूल्य में भारी घोटाले के कारण उक्त ग्राम प्रधान ने विकास खण्ड द्वारा प्रदत्त मार्बल शिला लेख लेने से इन्कार कर दिया है ? क्या सरकार इस भ्रष्टाचार व घोटाले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा कराने के साथ ही दोषीअधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मा० मुख्य मंत्री द्वारा मुस्लिम गाड़ा बिरादरी को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किये जाने विषयक जानकारी

77–श्री मोहर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 12-2-94 को मुस्लिम गाड़ा बिरादरी को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने की कोई घोषणा की है ? यदि हां, तो उक्त बिरादरी को मुस्लिम पिछड़ी जाति में कब तक सम्मिलित कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

दिनांक 12-2-94 को मुस्लिम गाड़ा बिरादरी को पिछड़ी जाति में सम्मिलित करने की कोई घोषणा नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तदैव ।

जिला लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज की ग्राम सभा जहांगीरपुर को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि की जानकारी

78–श्री बी० के० गुप्ता–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जहांगीर पो०-बेगरिया मऊ, ब्लाक-गोसाईगंज, जिला-लखनऊ के ग्राम विकास हेतु विभिन्न मदों में वर्ष 1989 से अब तक कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा उपलब्ध कराई गई उक्त धनराशि में से कितनी धनराशि ग्राम्य विकास हेतु प्रधान द्वारा खर्च की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम प्रधान द्वारा उपलब्ध धनराशि में से केवल लगभग तीस हजार रुपये ही खर्च किये गये हैं जिसकी जांच सहायक खण्ड विकास अधिकारी

(कृषि) गोसाईगंज लखनऊ द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? जांच में दोषी पाये गये ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

विकास खण्ड-गोसाईगंज की ग्राम सभा जहांगीरपुर को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 से 94-95 (प्रथम किश्त) तक कुल रु० 3,36,902/= उपलब्ध कराया गया । उक्त उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष प्रधान द्वारा रु० 3,32,371/- का व्यय दर्शित किया गया है ।

ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों की जांच विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी श्री धीरेन्द्र बहादुर द्वारा की गई । जांच रिपोर्ट के अनुसार मु० 28,432-78 का कार्य होना पाया गया । पुनः अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से जांच कराई गई, जिस पर 23, 182–47 का अतिरिक्त कार्य पाया गया । इस प्रकार कुल 51,615–25 का व्यय पाया गया । इसकेअतिरिक्त रु० 33, 422–00 निर्बल वर्ग आवास निर्माण एवं रु० 3, 086–00 प्रशासनिक व्यय पर व्यय किया गया । इस प्रकार कुल रु० 88, 123–25 का व्यय पाया गया । प्रथम दृष्टया रु० 2, 34, 247–75 का दुरुपयोग परिलक्षित हुआ । पुनः विस्तृत जांच उप कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ से करायी जा रही है । आख्या प्राप्त होने पर ही कोई निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद लखनऊ के ग्राम-जहांगीरपुर ब्लाक-गोसाईगंज के ग्राम प्रधान के विरुद्ध भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष द्वारा दिये गये शिकायती-पत्र के आधार पर कार्यवाही की मांग

79–श्री बी० के० गुप्ता–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जहांगीरपुर ब्लाक-गोसाईगंज जनपद लखनऊ के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 21-9-94 को उक्त ग्राम प्रधान के विरुद्ध एक शिकायती-पत्र माननीय राज्य मंत्री नगर विकास को दिया गया था, उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में संदर्भित शिकायतो की जांच कराई गई ? यदि हां,तो जांच में दोषी पाये गये प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

जांच उप कृषि निदेशक (प्रसार) लखनऊ द्वारा की जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर ही तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद् से उत्तीर्ण फार्मेसिस्टों की नियुक्ति की मांग

80–श्री घूरा राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद् से 1990 के (मेडिकल कालेज के बाद के बैच) उत्तीर्ण डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की नियुक्तियां 15 फरवरी, 92 तक उ० प्र० स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा मांगे गये आवेदन पत्रों के क्रम में कर दी गयी जबकि मेडिकल कालेज के 1987-91 वाले डिप्लोमा फार्मेसिस्टों में किसी की भी नियुक्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी नहीं, उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद् से 1990 के उत्तीर्ण डिप्लोमा फार्मेसिस्टों में से 15 फरवरी, 1992 तक उ० प्र० स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा मांगे गये आवेदन पत्रों के क्रम में केवल 10 की नियुक्ति की गई। मेडिकल कालेज के 87-91 वाले कुल 35 डिप्लोमा फार्मेसिस्टों की नियुक्तियां की गई थी।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद् के डिप्लोमा फार्मेसी प्रशिक्षण छात्रों को अप्रेन्टिस हेतु चिकित्सालयों में भेजे जाने की जानकारी

81–श्री घूरा राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद् के डिप्लोमा फार्मेसी प्रशिक्षण के छात्रों को परीक्षा देने के तुरन्त बाद (परीक्षाफल आने से पूर्व ही) अप्रेन्टिस हेतु उ० प्र० के विभिन्न चिकित्सालयों में भेज दिया जाता है जबकि मेडिकल कालेज के फार्मेसी छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही अप्रेन्टिस में भेजा जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री बलराम यादव–

डिप्लोमा फार्मेसी छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण (एप्रेन्टिस) फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा डिप्लोमा फार्मेसी प्रशिक्षण के लिये निर्धारित प्राविधानों के अनुसार फार्मेसी की पार्ट II ए० परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही दिया जाता है, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश व प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों के फार्मेसी विभाग द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षणों पर समान रूप से लागू है।

आगरा मेडिकल कालेज के फार्मेसी विभाग की कमियों को दूर किये जाने की मांग

82–श्री घूरा राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मेडिकल कालेज में सत्र 1993-94 में फार्मेसी विभाग में छात्रों को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त सत्र में छात्रो के प्रशिक्षण हेतु न भेजने के कारण स्थायी शिक्षक एवं कर्मचारियों से कोई कार्य नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कालेज में अविलम्ब छात्रों को प्रशिक्षण हेतु भेजने की व्यवस्था करेंगे। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री बलराम यादव–

जी नहीं।

आगरा मेडिकल कालेज के फार्मेसी विभाग में कुछ कमियों के कारण फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली नेआगरा में डिप्लोमा फार्मेसी प्रवेश पर रोक लगा दी थी।

आगरा में डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स न होने के कारण वहां पर इस हेतु कार्यरत शिक्षकों से सम्प्रति शैक्षिक संबंधी कोई कार्य नहीं लिया जा रहा है, परन्तु चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से कालेज के अन्य विभागों के कार्य लिए जा रहे हैं।

मेडिकल कालेज, आगरा के फार्मेसी विभाग में फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया द्वारा लगाई गई कमियों के निस्तारण संबंध कार्यवाही पूर्ण होने के फलस्वरूप फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपराणन्त ही इस केन्द्र में भी प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जायेगा ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्राविधिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं में चलाये जा रहे डिप्लोमा फार्मेसी प्रशिक्षण को समाप्त किये जाने की मांग

83–श्री घूरा राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० के चार मेडिकल कालेजों के फार्मेसी में फार्मेसी प्रशिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद भी उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा परिषद् के फार्मेसी प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि मेडिकल कालेजों में कई वर्षों तक प्रवेश नहीं लिया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रकार की व्यवस्था किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इस व्यवस्था को अविलम्ब समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं में चलाये जा रहे डिप्लोमा फार्मेसी प्रशिक्षण फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है ।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी, अर्धसरकारी एवं गैरसरकारी चिकित्सालयों एवं औषधालयों तथा फुटकर एलोपैथिक दवाओं की दुकानों में नियमानुसार प्रशिक्षित फार्मासिस्ट की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं एवं मेडिकल कालेजों के फार्मेसी विभाग में फार्मेसी प्रशिक्षण चलाये जाने का औचित्य है ।

उ० प्र० स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा निजी संस्थानों से उत्तीर्ण डिप्लोमा फार्मेसिस्टों से वर्ष 1994 में लिए गये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जानकारी

84–श्री घूरा राम–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न प्रान्तों से अनुदान देकर निजी संस्थानों से उत्तीर्ण हुए डिप्लोमा फार्मेसिस्टों के आवेदन पत्र उ० प्र० स्वास्थ्य महानिदेशक के कार्यालय में मार्च/अप्रैल, 1994 में लिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उ० प्र० के प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं मेडिकल कालेजों से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र लेने का औचित्य क्या है ?

श्री बलराम यादव–

केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं से फार्मेसी में डिप्लोमा धारक एवं स्टेट फार्मेसी काउन्सिल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत भारत के नागरिकों से आवेदन-पत्र लिये गये थे?

जी नहीं, अब मैदानी क्षेत्र के रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। उत्तराखण्ड की रिक्तियों पर चयन कर लिया गया है। नियुक्ति पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

85–श्री राम कान्त यादव–

[दि० 7-2-95 को अता० प्र० सं० 169 द्वारा उत्तरित]

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ० प्र० के उपनिदेशक निर्माण जनपद मेरठ के विरुद्ध की गयी शिकायतों के जांच की मांग

86–श्री रमाकान्त यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् उ० प्र० के उप निदेशक निर्माण मेरठ श्री बी० आर० सिंह वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 30 जून, 1994 तक कहां-कहां कार्यरत रहे ? इस अवधि में इनके विरुद्ध कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई किस अधिकारी ने जांच की और क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री बी० आर० सिंह, उप निदेशक (निर्माण) दि० 3-8-91 से दि० 6-7-93 तक निर्माण खण्ड बरेली में, दि० 7-7-93 से दि० 1-6-94 तक निर्माण खण्ड झांसी में एवं दि० 4-6-94 से निर्माण खण्ड मेरठ में कार्यरत हैं।

कुल चार शिकायतें प्राप्त हुई।

तीन शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता से कराई गयी, जिसमें से दो शिकायतें निराधार पायी जाने पर निक्षेप कर दी गयी। तीसरी शिकायत के आधार पर निर्धारित समय में अल्पकालिक निविदाओं का प्रकाशन न होने के कारण पत्र दिनांक 4-3-94 द्वारा निविदायें निरस्त कर दी गयी। चौथी शिकायत की जांच संयुक्त उप निदेशक (प्रशासन) बरेली व मुख्य अभियन्ता से कराई जा रही है। जांच आख्या अभी तक प्रतीक्षित है।

जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के अन्तर्गत जगदीशपुर पम्प नहर से वर्ष 1994 में की गयी सिंचाई की जानकारी

87–श्री नरेन्द्र सिंह (मैनपुरी)–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के अन्तर्गत जगदीशपुर पम्प नहर के वर्ष 1994 की खरीफ फसल हेतु पानी न देने के कारण क्षेत्रीय कृषक धान की खेती नहीं कर सकें ? यदि हां,तो इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?क्या सरकार संबंधित किसानों की क्षतिपूर्ति करायेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के अन्तर्गत जगदीशपुर पम्प नहर से वर्ष 1994 की खरीफ फसल में, विगत पांच वर्षों में धान की औसत सींच 19 हेक्टेयर के विरुद्ध 20 हेक्टेयर धान की सींच की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

88–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन न होने के कारण निरस्त]

जनपद जौनपुर के ग्राम लेटुका में केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् भारत सरकार द्वारा कराये गये अन्वेषणात्मक छिद्रण से प्राप्त जल के संबंध में जानकारी

89–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे बुधवार हेतु निर्धारित श्री तेजभान सिंह एवं श्री जगदम्बा सिंह द्वारा पूछे गये अता० प्रश्न संख्या 23 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त स्थल के भूगर्भ जल के खारा होने की जांच कब एवं किस एजेन्सी से कराई गई ? क्या उक्त न्याय पंचायत के ग्राम भेलपुर गौरा गजेन्द्रपुर एवं वेसहूपुर में जितने निजी नलकूप लगे हैं उनका पानी खारा है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर पानी खारा बताया गया है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि गर्मी के दिनों में उक्त क्षेत्र में लगे निजी नलकूप प्रायः बन्द हो जाते हैं, जिस कारण रबी की फसलों को भारी नुकसान एवं उनकी पैदावार में गिरावट आ जाती है ? यदि हां, तो फसल की पैदावार एवं कृषकों की खुशहाली हेतु प्रथम बार सरकारी नलकूप उक्त स्थल जो ग्राम समाज की खाली पड़ी जमीन में इसी वित्तीय वर्ष में लगवाने हेतु अनुज्ञा प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

संबंधित ग्राम (गौरा भेलपुर) जनपद जौनपुर से लगभग 11 कि० मी० पर स्थित ग्राम लेटुका में केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् भारत सरकार द्वारा कराये गये अन्वेषणात्मक छिद्रण से प्राप्त जल के संबंध में उनका केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट पर विश्लेषण सहायक निदेशक क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी द्वारा वर्ष 1993 में कराया गया ।

निजी नलकूप जो कम गहराई के होते हैं, का पानी सामान्यतः खारा नहीं है ।

ऊपर वर्णित केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् की रिपोर्ट तथा सहायक निदेशक क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी की रिपोर्ट के आधार पर गहरे स्ट्रेटा का पानी सिंचाई हेतु अनुपयुक्त बताया गया है ।

जी नहीं । गर्मियों में बोरिंग का स्तर नीचे चला जाता है तब सेक्शन हेड की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पम्प को नीचे करना होता है ।कृषकों से जानकारी प्राप्त हुई है कि गर्मियों में पानी का स्तर

स्तर नीचे जाने के कारण उनकी रबी की फसलों पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है । राजकीय नलकूपों का निर्माण जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत होता है तथा परिव्यय का निर्धारण एवं स्थल चयन का निर्णय भी जिला स्तर पर ही होता है । उपर्युक्त वर्णित कारण से गहरे स्ट्रेटा का पानी सिंचाई हेतु अनुपयुक्त है । अतः तकनीकी दृष्टिकोण से नलकूप का निर्माण उचित नहीं है ।

90–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[दिनांक 7-2-95 को अता० प्र० सं० 109 द्वारा उत्तरित]

मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला अंशकालिक चिकित्सकों की नियुक्ति/समायोजन का प्रकरण

91–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला अंशकालिक चिकित्सकों को अभी तक नियमित/समायोजित क्यों नहीं किया गया है जबकि इनसे एक वर्ष बाद पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्त अंशकालिक चिकित्सकों को उनकी नियुक्ति स्थानों में ही उन्हें नियमित/समायोजित कर दिया गया है ? शासन मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत सन्दर्भित चिकित्सकों को कब तक नियमित/समायोजित करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम यादव–

मैदानी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत महिला अंशकालिक चिकित्सकों की नियुक्ति/समायोजन का प्रकरण एक उच्च स्तरीय समिति को संदर्भित है । उक्त समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी ।

जनपद बांदा के प्रसंग में भारत सरकार की सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदर्शक योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जन स्वास्थ्य रक्षकों को मानदेय दिये जाने की जानकारी

92–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुआ के 124 जन स्वास्थ्य रक्षकों (सी० एच० जी०) व जनपद बांदा तथा प्रदेश के जन स्वास्थ्य रक्षकों का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दि० 1-10-86 श्री बृजगोपाल अध्यक्ष जन स्वास्थ्य रक्षक संघ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महुआ जनपद बांदा बनाम राज्य सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आदेश देने के बावजूद मानदेयों व दवाओं के किटों की आपूर्ति स्वास्थ्य रक्षकों को क्यों नहीं दी की जा रही है ?

श्री बलराम यादव–

भारत सरकार की सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदर्शक योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जन स्वास्थ्य रक्षक 50 रुपये प्रतिमाह मानदेय पर रखे गये थे । इस योजना के अन्तर्गत उन्हें मानदेय की धनराशि भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होती थी । भारत सरकार ने वर्ष 1986 में इस योजना क समाप्ति की घोषणा के साथ जन स्वास्थ्य रक्षकों के मानदेय के मद में दी जा रही केन्द्रीय सहायता को बन्द करने काआदेश दिया था, जिसके विरुद्ध जन स्वास्थ्य रक्षकों ने मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था । मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के उपरान्त शासनादेश दिनांक

3-12-86 द्वारा जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 3 नसबन्दी केस कराने पर 50 रुपया प्रतिमाह मानदेय दिये जाने काआदेश दिया गया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,महुआ, जनपद बांदा तथा जनपद के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता शासनादेश में निर्धारित मापदण्ड पूरा नहीं करते, जिसके कारण इनको मानदेय की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया । दवाओं की किट की आपूर्ति भी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं की जा रही है ।अतः जन स्वास्थ्य रक्षकों को दवाओं की किट भी उपलब्ध नहीं करायी जा रही है ।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धन के उपभोग की जानकारी

93–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जवाहर रोजगार योजना केअन्तर्गत प्राप्त धन का कितना प्रतिशत किस मद में व्यय किया जाता है तथा उस व्यय की स्वीकृति कौन देता है ? क्या बिना स्वीकृति के भी कुछ मदों में व्यय किया जा सकता है ? यदि हां,तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का उपभोग निम्नानुसार है:–

1–इन्दिरा आवास योजना	10 प्रतिशत
2–दस लाख कूप योजना	30 प्रतिशत
3–प्रशासनिक/प्रांसगिक मद	2 प्रतिशत
4–प्रशिक्षण मद में प्रति जनपद रु०	50,000/=
5–उपरोक्त मात्राकरण को कम करने के उपरान्त अवशेष धनराशि का ग्राम सभाओं द्वारा	80 प्रतिशत
तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा	20 प्रतिशत

योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि के व्यय की स्वीकृति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अपने अंश के लिए परियोजनाओं का अनुमोदन देने के लिये एक मात्र प्राधिकारी है ।

ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गयी परियोजनाओं का पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन करने व अनुमोदन देने के पश्चात ग्राम पंचायतों स्वयं परियोजनाओं का अनुमोदन देने के लिये सक्षम होंगी । यदि पंचायत समिति नहीं है तो तकनीकी जांच का अधिकारी जिला स्तर का होगा ।

योजनान्तर्गत बिना स्वीकृति के किसी मद में कार्य नहीं कराया जा सकता है ।

ग्राम सभा नवइला, विकास खण्ड बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में दी गयी धनराशि की जानकारी

94–श्री जय प्रताप सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा नवैला विकास क्षेत्र बांसी जिला सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 89-90, 90-91, 91-92, तथा 92-93 एवं 93-94 में कुल कितना धन अलग-अलग वर्षों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त हुआ ? उस धन से कौन-कौन निर्माण कार्य कराये गये ? मिट्टी के कार्य पर कौन-कौन सा कार्य हुआ ? क्या इन सब कामों में अनियमितताओं

और भ्रष्टाचार से संबंधित स्थानीय नागरिकयों की ओर से कई शिकायती पत्र दिनांक 18-5-90 से 20-8-90 में अपर जिलाधिकारी (परियोजना) सिद्धार्थनगर को रजिस्ट्री डाक द्वारा व जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को डाक द्वारा भेजा गया प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इन पर जांच न होने का कारण क्या है ? क्या सरकार इस गांव सभा का उक्त अवधि का विशेष आडिट कराने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

ग्राम सभा नवइला, वि० खं० बांसी को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत निम्न प्रकार वित्तीय वर्षवार अलग-अलग धनराशि प्राप्त हुई:–

1989-90	29,520.00
1990-91	20,550.00
1991-92	17,165.00
1992-93	17,876.00
1993-94	22,907.00
योग	1,08,018.00

उक्त धन से खड़न्जा, हैण्डपम्प, आवास आदि कार्य कराये गये ।

मिट्टी के कार्य का विवरण कार्यपूर्ति के अनुसार निम्नवत् है:–

1–श्री दल सिंगार के घर से श्री जाबिर के घर तक एवं श्री दल सिंगार के घर से गांव के पूरब तथा गांव के दक्षिण नरकटहा बन्धा में ढाल तक कच्ची सड़क का निर्माण कार्य ।

2–बन्धे से हीरा के घर तक, श्री दल सिंगार के घर से श्री राजमन के घर तक, श्री रंजीत के घर से श्री चिन्नी लाल के घर तक मिट्टी का कार्य ।

3–कच्ची सड़क गांव सभा नवइला ।

4–नरकटहा से नवेला के उत्तर तक मिट्टी कार्य ।

5–मिट्टी पटाई ग्राम सभा नवइला ।

जी हां ।

शिकायती पत्र की जांच सहायक निदेशक (बचत) से करायी गयी ।

जांच में कराये गये कार्यों में रु० 16,365.80 की कमी पाई गयी । कार्य को पूर्ण कराने हेतु प्रधान को कड़े निर्देश दे दिये गये हैं ।

जिला चमोली एवं पौड़ी में विगत वर्ष लघु सिंचाई के अन्तर्गत व्यय धन का विवरण

95–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली एवं पौड़ी में विगत वर्ष लघु सिंचाई के अन्तर्गत कुल कितना धन व्यय किया गया ? इस व्यय धन से कुल कितनी कि० मी० गूलें बनी और कितनी भूमि सिंचित हुई । क्या जिस अनुपात में धन व्यय किया गया उस अनुपात में स्टाफ पर्याप्त था ? यदि नहीं, तो कार्यरत स्टाफ की कितनी क्षमता थी और शेष कार्य किस माध्यम से किया गया ? क्या मंत्री जी वर्तमान सत्र में भी चल रहे लघु सिंचाई के कार्यों का उपरोक्त बिन्दुओं पर अभी तक का विवरण सदन के समक्ष करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विगत वर्ष 1993-94 में लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा जनपद चमोली एवं पौड़ी में क्रमशः रु० 78.76 लाख तथा रु० 254.70 लाख की धनराशि व्यय की गयी ।

उपरोक्त व्यय धनराशि से जनपद चमोली में 85 हौज, 29.37 कि० मी० गूल तथा पौड़ी में 133 हौज, 44.71 कि० मी० गूल का निर्माण किया गया । निर्मित कार्यों से जनपद चमोली एवं पौड़ी में क्रमशः 244.26 हेक्टेयर तथा 386.67 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ ।

जनपद चमोली एवं पौड़ी में सहायक अभियन्ता के दो पदों तथा अवर अभियन्ता के नौ पदों के रिक्त होने के बावजूद उपलब्ध संसाधनों एवं क्षमता का भरपूर प्रयोग करके इन कार्यों को निष्पादित कराया गया ।

वर्तमान सत्र में माह दिसम्बर, 1994 तक लघु सिंचाई कार्यों पर जनपद चमोली एवं पौड़ी में क्रमशः रु० 78.97 लाख तथा रु० 85.13 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है । इससे जनपद चमोली में 18.2 कि० मी० गूल एवं 8 हौज तथा जनपद पौड़ी में 15.82 कि० मी० गूल व 15 हौज का निर्माण किया गया । हैक्टेयर एवं जनपद पौड़ी में 106.92 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की गयी है ।

जिला पौड़ी एवं चमोली में डी० पी० ए० पी० के तहत हुए विगत पांच वर्ष के कार्यों का विवरण

96–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री पौड़ी जिला एवं चमोली जिले में डी० पी० ए० पी० के तहत हुये विगत पांच वर्ष के कार्यों का सम्पूर्ण विवरण देते हुए इन कार्यों की किसी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

97-98 श्री विश्वनाथ–

। विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।

युवाओं के शरीरिक संवर्धन हेतु जनपद अलीगढ़ की व्यायामशालाओं को विकसित करने की मांग

99–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युवाओं के शरीरिक संवर्धन हेतु प्रदेश में स्थापित 318 व्यायामशालाओं में से अलीगढ़ जिले में कितनी तथा कहां-कहां पर स्थापित है ? क्या अलीगढ़ नगर में भी कोई व्यायामशाला है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अलीगढ़ में भी इसे स्थापित करेगी ? क्या यह सही है कि अलीगढ़ में एक भूतेवश्र व्यायामशाला समाज सेवी संस्था द्वारा सुन्दर व्यवस्था से चलाया जा रहा है जिससे हजारों की संख्या में युवक लाभ उठा रहे हैं ? क्या सरकार इस व्यायामशाला को संरक्षण व सहयोग देकर प्रोत्साहित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अलीगढ़ जिले में 10 व्यायामशालायें, विकास खण्ड–चण्डौस, टप्पल, खेर, सासनी, सिकन्दराराऊ, अतरौली, बिजौली, जवां, लोधा तथा धनीपुर में स्थापित हैं ।

जी हां ।

अलीगढ़ मंडी समिति के पास विकास खण्ड कार्यालय धनीपुर के परिसर में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह सही है कि अलीगढ़ नगर में पालीवाल इण्टर कालेज, अलीगढ़ के पास एक भूतेश्वर व्यायामशाला समाज सेवी संस्था द्वारा चलायी जा रही है तथा उससे युवक लाभ भी उठा रहे हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी समिति (धनीपुर) जनपद अलीगढ़ को तीन वर्षों में हुयी आय से कराये गये कार्यों की जानकारी

100–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी समिति, (धनीपुर) अलीगढ़ को विगत 3 वर्षों में शासन द्वारा तथा स्थानीय रूप से कितनी आय हुई ? क्या जितनी आय हुई है उसका 60 प्रतिशत संबंधित क्षेत्र में खर्च हुआ है ? यदि हां,तो किन-किन क्षेत्रों में कितना काम हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन द्वारा कोई आय नहीं हुई ।

स्थानीय रूप से हुई आय का विवरण निम्नवत् है:–

क्र० मद सं०	वर्ष–91-92	वर्ष–92-93	वर्ष–93-94
1–मण्डी शुल्क	10515375	7121648	9353744
2–लाइसेंस शुल्क	291207	183685	197265
3–अन्य (ऋण अनुदान को छोड़कर)	1367427	1322861	1106129
कुल आय रु०	1,21,74,009	8,62,81,94	1,06,57,138

जी हां ।

(1) नवीन मण्डी स्थल में अतिरिक्त निर्माण व मरम्मत कार्य रु०-125.06 लाख ।

(2) विकास खण्ड धनीपुर में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य लम्बाई 8.55 कि० मी० लागत रु० 31.04 लाख ।

(3) विकास खण्ड गोड़ा में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य लम्बाई 5.50 कि० मी० लागत रु० 19.50 लाख ।

(4) विकास खण्ड जबां में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य लम्बाई 2.65 कि० मी० लागत रु० 10.68 लाख ।

(5) विकास काण्ड लोधा में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य लम्बाई 4.60 कि० मी० लागत रु० 15.69 लाख ।

(6) विकास खण्ड धनीपुर में हैण्ड पम्प का कार्य 05 नग लागत रु० 0.625 लाख ।

प्रश्न नहीं उठता ।

101-श्री राम सरन वर्मा-

[3रे शुक्र में अता० प्र० सं० 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप मुख्य चिकित्साधिकारियों को तहसील मुख्यालय पर रहने हेतु शासनादेश की जानकारी

102-श्री राम सरन वर्मा-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप मुख्य चिकित्साधिकारियों को तहसील मुख्यालय पर आवास बनाकर रहने के आदेश/निर्देश निर्गत हो चुके हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में कितने तहसील मुख्यालयों पर उप मुख्य चिकित्साधिकारियों आवासित हो चुके हैं ? क्या जनपद पीलीभीत में उप मुख्य चिकित्साधिकारियों तहसील मुख्यालयों पर आवासित हैं ? यदि नहीं,तो कब तक आवासित हो जायेंगे ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरज्ञान सिंह, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग जौनपुर के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

103–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशेष सचिव सिंचाई उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित श्री शहीद हमीद खां जिला मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् उत्तर प्रदेश जनपद शाखा जौनपुर का पत्र दिनांक 7-9-94 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में वर्णित तथ्य क्या थे तथा उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? दोषी व्यक्ति को कब तक निलम्बित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या प्रदेश सरकार एक लाख चौंतीस हजार तीन सौ सात (1,34,307.00) की क्षति पूर्ति दोषी व्यक्ति से करायी जायेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उक्त पत्र में श्री हरज्ञान सिंह, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड–प्रथम जौनपुर के विरुद्ध मुख्य रूप से भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं इत्यादि की शिकायतें की गई हैं । शिकायतों की विभागीय जांच के आदेश कर दिये हैं ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

104–श्री महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह–

[दि० 7-2-95 को अता० प्र० सं० 111 द्वारा उत्तरित]

एस० जी० पी० जी० आई० लखनऊ में प्रभारी किचेन की योग्यता व नियुक्ति की जानकारी

105–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० जी० पी० जी० आई० लखनऊ के किचेन विभाग में कार्यरत प्रभारी किचेन आवश्यक योग्यता धारण करते हैं ? यदि हां,तो इनकी योग्यता क्या है और प्रभारी किचेन की क्या योग्यता निर्धारित है ? क्या निर्धारित योग्यता धारक को प्रभारी किचेन नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और निर्धारित योग्यता धारक को प्रभारी किचेन बनाया जायगा ?यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

संस्थान में प्रभारी किचेन का कोई पद स्वीकृत नहीं है । इस कारण कोई योग्यता निर्धारित नहीं है ।

अस्थायी रूप से सहायक अधीक्षक हाउस कीपर को किचेन का कार्यभार सौंपा गया है । इनके पास त्रिवर्षीय होटल मैनेजमेन्ट में डिप्लोमा प्राप्त हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्त स्थिति में किसी प्रकार की जांच को कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

106–श्री रमेश कान्त लवानियां–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

कृषि विभाग द्वारा ऊंची नीची जमीन के समतलीकरण की योजनाओं की जानकारी

107–श्री तीरथ राज–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में ऊंची-नीची भूमि के समतलीकरण के कौन-कौन सी योजनायें प्रस्तावित एवं लागू हैं ? समतलीकरण का कार्य किस माध्यम (एजेन्सी) द्वारा कराया जा रहा है ? समतलीकरण के कार्य में व्यय धनराशि का कितने प्रतिशत भार वहन करेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्तमान समय में कृषि विभाग द्वारा ऊंची-नीची जमीन के समतलीकरण की कोई योजना प्रस्तावित अथवा लागू नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हैदरगढ़ के त्रिवेदीगंज तथा सिद्धौर में घोषित अम्बेडकर गांवों के विकास की मांग

108–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के अन्तर्गत विकास खण्ड हैदरगढ़, त्रिवेदीगंज, सिद्धौर में कितने अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ? क्या उक्त ग्रामों में पेयजल, विद्युतीकरण, जनसम्पर्क मार्ग बनाने की कोई कार्य योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां,तो यह कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड हैदरगढ़ में 17 त्रिवेदीगंज में 20 तथा सिद्धौर में 46 अम्बेडकर ग्राम घोषित किये गये हैं ।

प्रश्नगत योजनायें लागू है । जिन्हें पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में जल भराव समाप्त करने हेतु शासन द्वारा बनाई गयी योजना की जानकारी

109–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में जलभराव समाप्त करने के लिए पेचरूवा, चिलूला, इन्हौना, रकसही, पलिया, हुसैनपुर, फिरोजाबाद, गोमिया पाताल ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई का कार्य शासन के विचाराधीन है ? यदि हां,तो कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

रकसहा तथा पलिया ड्रेनों पर कार्य कराया जा रहा है । पेचरूवा व चिलूला ड्रेनों की परियोजनायें, जिलाधिकारी, बाराबंकी को प्रेषित कर दी गई है । इन्हौंना, हुसैनपुर तथा फिरोजाबाद ड्रेनों की सफाई का कार्य आगामी वर्ष की विभागीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा तथा धन की उपलब्धता के अनुसार माह मई व जून, 1995 में कार्य कराया जायेगा तथा गोमिया पाताल ड्रेन को कि० मी० रोच में जल प्लावन की समस्या थी । जून, 1994 के पूर्व खुदाई कराई गई में जल भराव की समस्या नहीं उत्पन्न हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली मण्डल में तैनात स्टाफ नर्सों के स्थानान्तरण नीति की जानकारी

110–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली मण्डल में कितनी स्टाफ नर्स ऐसी हैं, जो 10 वर्ष या इससे अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? सरकार की स्थानान्तरण की नीति क्या है ? नियमानुसार इनको कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ?

श्री बलराम यादव–

बरेली मण्डल में कुल 52 स्टाफ नर्स ऐसी हैं जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं । वर्ष 1994 में जारी की गई स्थानान्तरण नीति के अर्न्तगत समूह "ग" के ऐसे कर्मचारियों को जो एक ही जनपद में 10 वर्ष या इससे अधिक समय से कार्यरत थे को स्थानान्तरण किए जाने की व्यवस्था थी ।

आगामी स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण नीति को दृष्टिगत रखते हुए स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण, मिर्जापुर के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच

111–श्री रमाकान्त यादव–

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण मिर्जापुर श्री एस० डी० शर्मा के विरुद्ध वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 30 जून, 1994 तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीराम यादव–

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण मिर्जापुर श्री एस० डी० शर्मा के विरुद्ध वर्ष 1992-93 में कोई नहीं, 1993-94 में दो तथा 30 जून, 1994 तक कुल 3 शिकायतें प्राप्त हुई ।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल वाराणसी से जांच करायी जा रही है ।

यू० एच० एम० चिकित्सालय में किये गये गोल-माल की जांच की मांग

112–श्री राम कुमार वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–23 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब श्री हीरा लाल बाजपेई ने स्टाफ बुकें ही हस्तान्तरित नहीं की तो गायब वस्तुओं का आंकलन एवं सरकारी धनराशि की वसूली सरकार किस प्रकार करेगी ? क्या सरकार उनहें निलम्बित करने संबंधी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

यू० एच० एम० चिकित्सालय की विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध सब डेडस्टाक बुक्स व श्री बाजपेयी द्वारा दी गयी चार्ज लिस्ट तथा श्री बाजपेयी की अवधि में क्रय किये गये डेड एवं कन्ज्यूमेबुल स्टाक (जिनका भुगतान किया गया) आदि सबका मिलान करने पर स्टाक पूर्ण पाया गया, केवल कन्ज्यूमेबुल स्टाक में 155 पैकेट काटन भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाया गया जिसकी वसूली प्रमुख अधीक्षक एल० एल० आर० चिकित्सालय के कार्यालय द्वारा कर ली गयी है ।

श्री बाजपेयी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्ट कर दी गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

113–श्री घनश्याम शुक्ल–

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में राजकीय नलकूपों की मरम्मत हेतु उपलब्ध धनराशि के विवरण की जानकारी

114–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना के किस-किस ग्राम सभा में राजकीय नलकूपों को मरम्मत कराने के लिए कितनी-कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93 व 1993-94 में व्यय की गयी है ? क्या सरकार इसकी सूचना सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना के विभिन्न ग्राम सभा में स्थित राजकीय नलकूप, नलकूप खण्ड गोण्डा के अधीन है । नलकूप खण्ड गोण्डा के नलकूपों पर औसत प्रति नलकूप अनुरक्षण मद में व्यय वित्तीय वर्ष 1991-92, 1992-93 व 1993-94 में क्रमशः रु० 6770.00, 8870.00 तथा 6826.00 हुआ । खण्ड स्तर पर विभाग में नलकूपवार अनुरक्षण व्यय नहीं रखा जाता है ।

सिंचाई खण्ड गोण्डा द्वारा बेलहा-गौरा मार्ग को राप्ती नदी के कटान हेतु सुरक्षा बांध के लिए जरवा बोल्डर क्रय किये जाने की जानकारी

115–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 से 1991 तक सिंचाई खण्ड गोण्डा द्वारा बेलहा-गौरा मार्ग को राप्ती नदी के कटान हेतु सुरक्षा बांध के लिए कितनी धनराशि का जरवा बोल्डर किया गया ? क्या यह सही है कि बेलहा-गौरा लोक निर्माण मार्ग बचाने का कोई उपाय नहीं किया गया और सम्पूर्ण धनराशि का अपव्यय कर दिया गया ? क्या सरकार इसकी जांच टी० ए० सी०/विजिलेन्स से करायेगी और दोषी अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

2.77 लाख रुपये का जरवा बोल्डर क्रय किया गया ।

बाढ़ नियंत्रण परिषद् द्वारा जनवरी, 1989 में स्वीकृत योजना अनुसार उपाय किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त निर्मित कार्यों से सार्वजनिक मार्ग, राप्ती नदी के कटान से सुरक्षित है ।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में उच्चीकृत चिकित्सालय की मांग

116–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र-मुजेहना में कोई उच्चीकृत चिकित्सालय नहीं है ? क्या जनहित में सरकार खरगपुर टाऊन एरिया में/इंटिया थोक/धानेपुर बाजार में उच्चीकृत चिकित्सालय खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां, जनपद-गोंडा के विधान सभा क्षेत्र मुजेहना में वर्तमान में कोई उच्चीकृत चिकित्सालय (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) नहीं है ।

अभी तक कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । खरगूपुर टाउन एरिया में क्रियाशील नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा इंटिया थोक व धानेपुर बाजार में क्रियाशील प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत किये जाने का प्रस्ताव अगली जिला योजना में जिला नियोजन एवंअनुश्रवण समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जा सकता है वशर्ते कि इस प्रयोजन हेतु भवन निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध हो, एवं जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति परिव्यय उपलब्ध कराने हेतु सहमत हो ।

लघु सिंचाई विभाग में मानचित्रकार पद से संगणक के पद पर की गयी पदोन्नति की जानकारी

117–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में मानचित्रकार के पद से संगणक के पद पर कितने कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी है ? क्या यह की गयी पदोन्नति नियमानुसार है ? क्या विभागीय पदोन्नति कोटे को पूरा किया गया है ? क्या यह सही है कि विभाग में कार्यरत मानचित्रकार के पद पर 15 वर्ष की अवधि से अधिक से कार्यरत कर्मचारियों को नजरन्दाज करते हुए कनिष्ठ (5 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि वाले) तथा अनक्वालीफाइड मानचित्रकारों को पदोन्नत किया गया है जबकि क्वालीफाइड 15 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारी विभागीय पदोन्नति कोटे में भी आते हैं फिर भी उनको छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

लघु सिंचाई विभाग में मानचित्रकार पद से संगणक के पद पर कुल 09 कर्मचारियों तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में 37 मानचित्रकार पद से संगणक पद पर एवं भूगर्भ जल विभाग में मानचित्रकार पद से संगणक के पद पर 03 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

पर्वतीय क्षेत्र की विकास योजनाओं में पहाड़ की महिलाओं को प्राथमिकता दिये जाने की मांग

118–डा० रमेश पोखरियाल''निशंक''–

क्या मुख्य मंत्री पर्वतीय क्षेत्र की विकास योजनाओं में पहाड़ की महिलाओं के सीधे सहभागी होने की कोई योजना बना रहे हैं ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तराखण्ड क्षेत्र की 3 विकास योजनाओं में उत्तराखण्ड की महिलाओं के सीधे सहभागी होना प्रस्तावित है । उक्त 3 योजनायें निम्नानुसार है :–

(1) महिला जागृति योजना:–इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड क्षेत्र की महिलाओं को उनकी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विकास खण्ड स्तर पर एवं जनपद स्तर पर गोष्ठियां, सेमिनार, नाटक, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं एवं प्रदर्शिनियों का आयोजन किया जाता है । यह योजना प्रदेश के मैदानी जिलों में भी संचालित है ।

(2) महिला मंगल दलों को सहायता योजना:–इस योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में विकास कार्यक्रमों को संचालित करने के साथ-साथ महिलाओं को संस्था के रूप में संगठित करने तथा महिला मिलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिला मंगलदलों को वित्तीय सहायता दिया जाना प्रस्तावित है । यह योजना प्रदेश के मैदानी जिलों में भी संचालित है ।

(3) समन्वित महिला विकास योजना:–इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड क्षेत्र की महिलाओं को परम्परागत तथा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार में लगाना है । इस हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सरकारी उपक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराके संचालित किया जाना प्रस्तावित है । यह योजना प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र में ही संचालित है ।

गढ़वाल मण्डल में जिलेवार पेयजल के लिये उपलब्ध कराये गये धनराशि के विवरण की जानकारी

119–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल में जिलेवार किस जनपद के जिला प्लान में पेयजल के लिए कितनी धनराशि का प्राविधान था ? क्या उक्त धनराशि विगत दो वर्षों में उन्हें दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? किस जनपद को कितनी धनराशि के विपरीत नई पेयजल योजनाओं के लिए कितनी धनराशि अभी तक मुक्त हुई ? पेयजल जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर धनराशि की कटौती का क्या औचित्य है ? क्या सरकार जिला प्लान में प्रस्तावित विगत तीन वर्षों की सभी पेयजल योजनाओं पर धनराशि आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–36 जौनपुर को प्रेषित भारतीय मजदूर संघ के पत्र पर कृत कार्यवाही

120–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु समान नीति एवं आचार संहिता का पालन न किये जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–36 जौनपुर को भारतीय मजदूर संघ का पत्रांक–422/दिनांक 26-8-1992 प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित शारदा सहायक खण्ड–36 जौनपुर के कार्यालय ज्ञाप द्वारा श्री दयाशंकर दीक्षित, वरिष्ठ लिपिक का कार्य परिवर्तन अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड–36, जौनपुर द्वारा अपने कार्यालय में ही प्रशासनिक आधार पर किया गया था जो विभागीय नीति के विरुद्ध नहीं था । संघ के पत्र दिनांक 26-8-92 में और किसी विशेष प्रकरण का उल्लेख न होने के फलस्वरूप किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जिला मुख्यालय पौड़ी में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन स्वामी को किराया भुगतान किये जाने की मांग

121–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला मुख्यालय पौड़ी में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन स्वामी श्री डोभाल को विगत लगभग एक वर्ष से भवन का किराया नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो किराया न दिये जाने के क्या कारण रहे हैं ? क्या उन्हें उनका सम्पूर्ण अवशेष किराया ब्याज सहित दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

122–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[2रे सोम में अता० प्र० सं० 109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई खण्ड गोण्डा को डी० पी० ए० पी० योजना से पहाड़ी नालों पर चेक डैमों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

123–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे वर्ष 1985 से 1989 तक सिंचाई खण्ड गोण्डा को कितनी धनराशि डी० पी० ए० पी० योजना से पहाड़ी नालों पर चेकडैम निर्माण हेतु दी गयी तथा किन-किन नालों पर किस-किस कार्य हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई और किस-किस चेकडैम पर जरवा बोल्डर का पिचिंग कराया गया ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि गुणवत्ता के आधार पर कार्य नहीं कराया गया और आज भी सभी चेकडैम अधूरे पड़े हैं ? क्या वर्ष 1994 जनवरी से आज तक कई सौ ट्रक डरवा बोल्डर रामनगर चेकडैम से अवर अभियन्ता ने ठेकेदारों को चोरी से विक्रय कर दिया ? यदि हां, तो सरकार दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1985 से 89 तक सिंचाई खण्ड गोण्डा को डी० पी० ए० पी० योजना से 7 पहाड़ी नालों पर 15 चैक डैमों के निर्माण हेतु 84.13 लाख रुपये आवंटित हुआ था जिसमें से निम्नानुसार 71.29 लाख व्यय किये गये :–

नाले का नाम	चेकडैम का नाम	व्यय धनराशि लाख रुपये में
1–बरनी नाला	1–गनवरिया	3.25
	2–ठकुरापुर	2.77
	3–नरायनपुर	4.52
2–दधिया नाला	1–रामनगर	6.71
	2–शिवपुर भगवानपुर	6.52
3–कटहनाला	1–लैबुइवा	6.63
4–सिरियानाला	1–भगवानपुर	13.50
	2–पिपरहवा	9.39
5–बहदिनवा	1–लखौरा	2.68
	2–बलवा	—
6–डोरवा	1–भरहापारा	4.16
	2–मगराकोहल	3.48
	3–विशनपुरकला	4.95
	4–मदरगढ़	—
7–सोहानी	1–मोतीपुर	2.37
		71.29

गन्वरिया,नरायनपुर,लखैरा,नगराकोहल पर पिचिंग का कार्य कराया गया है।

कार्य गुणवत्ता के आधार पर कराया गया है मात्र 3 चैकडैम अधूरे पड़े हैं।

रामनगर चैकडैम कार्यस्थल पर जरवां बोलडर के स्टाक में कमी की जांच कराई जा रही है दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर जनपद -गोण्डा के निर्माण में अब तक हुए व्यय की जानकारी

124–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर गोण्डा कितने वर्षों से निर्माणधीन है और अब तक कितनी लागत आयी है ? दिनांक 31 मार्च, 1994 के पूर्व किस-किस कार्य पर कितनी धनराशि का भुगतान किस-किस ठेकेदार को किया गया है ? विभाग द्वारा पक्के कार्य हेतु कितनी बोरियां सीमेंट तथा कितनी कुन्टल सरिया आंवटित की गयी है ? कितने बी० आर० बी० डी० आर० बी०/ एस आर० बी० पर कार्य कराया गया और कितने पर कार्य अवशेष हैं. तथा किस-किस स्थान पर पक्का कार्य प्रस्तावित है एवं कितनी लम्बाई की नहर खोदाई की जा चुकी ? वर्तमान समय में कितनी कि० मी० अवशेष है ? कार्य गुणवत्ता के आधार पर कराये गये हैं अथवा नहीं ? क्या सरकार इसकी टी० ए० सी० भेजकर चित्तौड़गढ़ बांध के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 1993-1994 के सभी कार्यों की भौतिक सत्यापन करायेगी? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

चित्तौड़गढ़ बांध वर्ष 1976–77 से निर्माणाधीन है ।

3/94 तक 2300.75 लाख की लागत आयी है।

इस सम्बन्ध में 18 वर्ष की अवधि का विवरण तैयार किया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार

123 बी० आर० बी० डी० आर० बी०/एस० आर० बी० पर कार्य कराये गये ।

83 पक्के कार्य अवशेष हैं ।

मुख्य नहर पर 5 रजवाहे और माइनर पर 78 पक्के कार्य प्रस्तावित हैं ।

113.44 कि० मी० नहर की खोदाई की जा सकती है ।

41.57 कि० मी० नहर बनना शेष है ।

जी हां, कार्य गुणवत्ता के आधार पर कराये गये ।

टी० ए० सी० द्वारा दिनांक 23 अप्रैल, 1994 को चित्तौड़गढ़ बांध से सम्बन्धित कार्यों की जांच सम्पन्न की जा चुकी है । जांच के प्रसंग में दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड गोण्डा/चित्तौड़ बांध/सरयू खण्ड प्रथम/सरयू खण्ड द्वितीय/सरयू खण्ड तृतीय बलरामपुर जनपद गोण्डा में तैनात अभियन्ताओं के कार्यकाल की जानकारी

125–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड गोण्डा/चित्तौड़गढ़ बांध/सरयू खण्ड प्रथम/सरयू खण्ड द्वितीय/सरयू खण्ड तृतीय/बलरामपुर जनपद गोण्डा में कौन-कौन अधिशासी

अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता ऐसे हैं जो तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार शासन की नीति के अनुसार स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में इंगित खण्डों में कोई भी अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत नहीं है । जहां तक अवर अभियन्ता का सम्बन्ध है, निम्नलिखित अवर अभियन्ता, जिनका विवरण निम्नवत् है, तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं:–

खण्ड का नाम	अवर अभियन्ता का नाम	किस दिनांक से कार्यरत है ।
1	2	3
1–सिंचाई खण्ड गोण्डा	सर्वश्री	
	1–सहवेज अहमद	16-7-81
	2–हीरा सिंह	17-8-87
	3–महेश चन्द्र अग्रवाल	1-6-89
	4–बृजेश कुमार श्रीवास्तव	20-6-89
	5–श्याम राज	30-6-90
2–चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर	6–हरद्वार सिंह	7-7-89
3–सरयू नहर खण्ड प्रथम, बलरामपुर	7–दीप चन्द्र	19-9-88
4–सरयू नहर खण्ड, द्वितीय, बलरामपुर	कोई नहीं ।	–
5–सरयू नहर खण्ड, तृतीय, बलरामपुर	8–कमलाकर सिंह	1-9-88
	9–दिनेश कुमार श्रीवास्तव	1-9-88
	10–विजय नाथ खरे	1-9-88
	11–अशोक कुमार	29-11-89

जी हां । जहां उपरोक्त खण्डों में अधिवक्ता अवधि गुजर जाने पर भी स्थानान्तरण नहीं हुये, ऐसे प्रकरणों की जांच के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नगर क्षेत्र न्यूरिया सुसेनपुर में उप मण्डी स्थल घोषित किये जाने की मांग

श्री राम सरन वर्मा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नगर क्षेत्र न्यूरिया सुसेनपुर में उप मण्डी स्थल घोषित किये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उप मण्डी स्थल घोषित हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पीलीभीत के क्षेत्रान्तर्गत नगर क्षेत्र न्यूरिया सुसेनपुर नाम का कोई स्थल नहीं है, अपितु मण्डी समिति, पीलीभीत के क्षेत्रान्तर्गत नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर है, जो दिनांक 14-4-72 को जारी अधिसूचना के अनुसार न्यूरिया नाम से उपमण्डी स्थल घोषित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

12–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

। 2रे गुरु में अता० प्र० सं० 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

झण्डीधार (सौन्दणा कोट) जनपद-टिहरी गढ़वाल में पेयजल योजना पम्पिंग योजना पर प्रस्तावित व्यय की जानकारी

128–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झण्डीधार (सौन्दणा कोट) में ग्रामीण समूह पेयजल योजना हिन्डोलाखाल, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत 22.5 लाख रुपये की लागत का टैंक जिला प्लान 94-95 में स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक नहीं बनाया गया है ? क्या सरकार पेयजल संकट को देखते हुए उक्त टैंक का निर्माण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

झण्डीधार (सौन्दणा कोट) पेयजल योजना हिंडोलाखाल पम्पिंग पेयजल योजना की अनुपूरक योजना है, जिसमें जलाशय तथा पाइप लाइन से सम्बन्धित कार्य हेतु 25.00 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है ।

जी हां । उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को निर्देश दे दिये गये हैं ।

पूर्ति निरीक्षक क्षेत्र मिश्रिख जिला सीतापुर के विरुद्ध शिकायती बिन्दुओं की जांच की मांग

129–श्री अनिल कुमार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-8-94 जो पूर्ति निरीक्षक क्षेत्र मिश्रिख जिला सीतापुर के विरुद्ध था तथा पत्रांक सं० 97/वी० आई० पी०/5-8-94 सी० एम० वि० को० जो कि खाद्य सचिव को कार्यवाही के लिए भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो किस राजपत्रित अधिकारी/सक्षम अधिकारी से जांच करायी गयी ? उक्त जांच अधिकारी का क्या नाम है और किस पद पर तैनात है ? क्या जांच के दौरान शिकायर्ताओं/जनप्रतिनिधि/विधायक लहरपुर से पूछ-ताछ की गयी थी ? यदि हां, तो कब ? क्या जांच के पूर्व से ही उनको सूचित किया गया था ? यदि नहीं,

नहीं, तो क्यों ? क्या जांच में सभी शिकायती बिन्दु सही पाये गये ? यदि हां, तो क्या पूर्ति निरीक्षक को निलम्बित किया जा चुका है ? यदि नहीं,तो कब तक निलम्बित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह याध्व–

जी हां,

प्रश्नगत पत्र प्राप्त होने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध न होने के कारण अग्रिम जांच नहीं कराई जा सकी । उक्त पत्र के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में जांच कराने के आदेश दिये जा चुके हैं । माननीय सदस्य, विधान सभा से उक्त पत्र की दूसरी प्रति भेजने हेतु अनुरोध किया जा चुका है और जैसे ही पत्र की दूसरी प्रति प्राप्त होगी, उसपर एक माह के अन्दर जांच कराकर यदि पूर्ति निरीक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी । जांच के परिणाम से मा० सदस्य, विधान सभा को अवगत करा दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शारदा नहर खण्ड हरदोई में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक को दी गयी वेतनवृद्धि की जानकारी

130–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शारदा नहर खण्ड हरदोई में कार्यरत श्री मंगल सिंह कनौजिया वरिष्ठ लिपिक को 1987 में देय वेतन वृद्धि तथा 1993 में देय वेतनमान वेतनवृद्धि का लाभ अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है ? क्या यह भी सही है कि उक्त खण्ड में और भी ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें उक्त का लाभ मात्र अधिशासी अभियन्ता की उदासीनता के कारण नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध कार्यवाही कराते हुए संबंधित कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ कब तक दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री मंगल सिंह कनौजिया वरिष्ठ लिपिक को 1987 में देय 10 वर्ष की सेवा पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा 1993 में देय प्रोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशुलिपिकों को अनुमन्य वेतनमान की जानकारी

131–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-1-86 के पूर्व जिन्हें 470-735 का वेतनमान दिया जा रहा था उन्हें कौन सा वेतनमान दिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशुलिपिक जिन्हें 1-1-86 से पूर्व 470-735 का वेतनमान दिया गया था, को वर्तमान में 1200-2040 का ही वेतनमान दिया जा रहा है जबकि 470-735 के वेतनमान के पदधारकों को 1350-2200 का वेतनमान दिया जा रहा है ? ऐसी वेतन विसंगति क्यों है जबकि इन्द्र कुमार पाण्डे, वित्त सचिव, उ० प्र० शासन की संस्तुति दिनांक 16-7-93 जिसमें आशुलिपिक संवर्ग के वेतनमान विसंगति को दूर करने हेतु वेतनमान 1600-2900 दिये जाने की संस्तुति की गयी है ? इस वेतनमान को कब तक शासन लागू करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रश्न में उल्लिखित कर्मचारियों जिन्हें 1-1-86 से पूर्व 470-735 का वेतनमान अनुमन्य था, उन्हें 1-1-86 से 1200-2040 का वेतनमान दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशुलिपिक को जिन्हें दिनांक 1-1-86 से पूर्व 470-735 का वेतनमान दिया गया था, को 1200-2040 का ही वेतनमान दिया जा रहा है। श्री इन्दु कुमार पाण्डे, वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की संस्तुति दिनांक 16-7-1993 के आधार पर शासनादेश संख्या–1279 सेक–5/पांच-94-700 (53)/89, दिनांक 2 दिसम्बर, 1994 द्वारा महानिदेशालय के आशुलिपिक संवर्ग के लिए वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ कार्यालयों के संवर्ग में आशुलिपिक के लिए वेतनमान स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1993 में आयी भीषण बाढ़ से लखनापार बैदोला तटबन्धों के कटान से बचाव हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी

132–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में 1993 में आयी भीषण बाढ़ से लखनापार बैदोला तटबन्ध में हुए क्रमशः भासी गांव के पास 150 मीटर, बेहलिहवां गांव से सटे 100 मीटर लहसा गांव से सटें 98 मीटर बेदौली गांव आदि के कटानों से बचाव हेतु अभी तक क्या प्रयास किये गये हैं ? यदि प्रयास नहीं किये गये, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

लखनापार बैदोला बांध अभी निर्माणाधीन स्थिति में है। इस बांध पर ग्राम–भासी के पास हुये 150 मीटर कटान को भरने का कार्य प्रगति पर है। ग्राम–बेइलिहवा के सटे हुए 100 मीटर नहीं अपितु 110 मीटर का कटान भरा जा चुका है। ग्राम–लमटा के पास प्रस्तावित रेगुलेटर निर्माण हेतु छोड़े गये गैप, जो कटान के कारण लगभग 98 मीटर चौड़ा हो गया है, रेगुलेटर निर्माण के साथ ही भरा जाना है। बेदोला गांव के पास ऐसा कोई कटान नहीं हुआ था, जिसे भरा जाना था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में मछली सागर के रेगुलेटर के नष्ट होने की जानकारी

133–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर में जमींदारी सिंचाई योजना के अन्तर्गत मछली-सागर का रेगुलेटर विभागीय लापरवाही के कारण कई वर्षों पूर्व बह गया है जिससे सागर में पानी न रुकने के कारण हजारों बीघे जमीन की सिंचाई का कार्य रुक गया है ? यदि हां, तो उसे बनवाने हेतु क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मछली सागर का रेगुलेटर विभागीय लापरवाही के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक पुराना होने के कारण दिनांक 3/4-8-89 के भीषण बाढ़ में पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया किन्तु रेगुलेटर के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी अस्थाई वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष मछली सागर में पानी रोककर सिंचाई कराई जाती है।

वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पात्र फार्मेसिस्टों का समय से नियमानुसार स्थायीकरण किए जाने की मांग

134-श्री राम आसरे वर्मा-

विधान सभा के वर्ष 1994 के प्रथम सत्र के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०-91 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 15 शेष फार्मेसिस्टों का स्थायीकरण कर दिया गया है ? क्या स्थायीकरण की प्रविष्टि उनकी सेवा पुस्तिका में करके संबंधित फार्मेसिस्टों को आदेश की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है ? क्या पात्र फार्मेसिस्टों का स्थायीकरण शासनादेशनुसार निर्धारित अवधि से काफी विलम्ब से किया गया है ? क्या विलम्ब के लिए जिम्मेदार के विरुद्ध कार्यवाही कर विलम्ब से शासनादेश का अनुपालन करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री बलराम यादव-

जी हां ।

जी हां ।

भविष्य में पात्र फार्मेसिस्टों का समय से नियमानुसार स्थायीकरण करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दे दिये गये हैं । प्रश्नगत प्रकरण में विलम्ब हेतु उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी को भी सचेत कर दिया गया है ।

यहियागंज जनपद लखनऊ के दुकान संख्या-34 के मालिक के विरुद्ध शिकायत की जांच की मांग

135-श्री घूरा राम-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में 34 यहियागंज में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर 60 प्रतिशत चीनी की आपूर्ति की जाती है ? क्या श्री सुरेश चन्द्र उसके मालिक हैं ? क्या उनके द्वारा 60 प्रतिशत चीनी का वितरण सन्तोषजनक कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं । प्रश्न में दिए गये विवरण सत्य नहीं है ।

यहियागंज दुकान संख्या 34 के मालिक श्री सुरेश चन्द्र नहीं है । बल्कि इस क्षेत्र के अधीन श्री सुरेश कुमार जायसवाल मोहल्ला अर्शफाबाद/टूरियागंज, लखनऊ में कार्यरत है जिसकी दुकान सं० यहियागंज 53 है ।

श्री सुरेश कुमार जायसवाल को कभी भी 60 प्रतिशत चीनी की आपूर्ति नहीं की गयी बल्कि उन्हें आवंटित 90 प्रतिशत चीनी का कार्ड धारकों में वितरण सन्तोषजनक पाया गया ।

जनपद हमीरपुर की विकास खण्ड मौदहा के ग्राम ग्योड़ी में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत नालियों में खड़न्जा बिछाये जाने की मांग

136-श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के पिछड़े एवं दलित बाहुल्य लगभग 35 हजार आबादी के ग्राम-ग्योड़ी को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत गलियों में खण्ड़जा बिछवाने तथा नालियों को पक्का कराने का काम कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव-

ग्राम पंचायत स्तर पर कराये जाने वाले कार्य ग्राम सभा की खुली बैठकों में अनुमोदित होने के द्वारा कराये जाते हैं। जवाहर रोज़गार योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 से 94-95 तक कुल मू० 16,81, 432-00 धनराशि ग्राम सभा ग्योड़ी को दी गई है जिसके सापेक्ष ग्राम सभा ने कुल धनराशि मु० 15,63,317-00 व्यय करके ग्राम सभा ने बनीकरण, सम्पर्क मार्ग, निर्बल वर्ग आवास, पेयजल कूप निर्माण तथा मरम्मत, पुलिया निर्माण तथा गलियों में खड़न्जा एवं नाली निर्माण कराया गया है। गलियों में खड़न्जा बिछवाने तथा नालियों को पक्का कराने का शेष कार्य योजना में उपलब्ध धनराशि के ऊपर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

137-श्री सतीश भाटिया-

13गुरु में अता० प्र० सं०-168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

जनपद बस्ती में ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्मित इन्दिरा आवास तथा निर्बल वर्ग आवासों के संबंध में जानकारी

138-श्री लाल मणि प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में ग्रामीण आवासीय योजना के अन्तर्गत कितने इन्दिरा आवास-निर्बल वर्ग आवास विगत वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक स्वीकृत हुए हैं तथा उसमें से क्या सभी मकानों का भौतिक सत्यापन कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या सभी मकान पूर्ण पाये गये हैं ? यदि नहीं, तो कितने मकान अपूर्ण पाये गये हैं ? क्या अपूर्ण मकानों को पूर्ण कराने के विषय में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीराम यादव-

वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक जनपद बस्ती में कुल 2659 इन्दिरा आवास तथा 11077 निर्बल वर्ग आवास स्वीकृत हुये हैं।

जी हां, भौतिक सत्यापन कराया गया।

जी नहीं।

कुल 8 इन्दिरा आवास तथा 306 निर्बल वर्ग आवास अपूर्ण पाये गये हैं।

अपूर्ण आवासों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

महाराजगंज जिले को सृजन के पूर्व गोरखपुर जिले में सर्वेलेंस निरीक्षक के पद की जानकारी

139–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में सर्वेलेंस निरीक्षक का पद सृजित है ? यदि नहीं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जंगल कौड़िया एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरगावां, जनपद गोरखपुर में क्रमशः श्री राम समुझ प्रसाद एवं श्री ज्ञान चन्द, सर्वेलेंस निरीक्षक कैसे तैनात हैं ? क्या संयुक्त निदेशक (मलेरिया) उत्तर प्रदेश लखनऊ ने मार्च माह, 1993 में अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को कोई आदेश इस संबंध में दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

महाराजगंज जिले के सृजन के पूर्व गोरखपुर जिले में सर्वेलेंस निरीक्षक के पद सृजित थे। महाराजगंज जिला बन जाने पर मलेरिया ग्रस्त अधिकांश क्षेत्र उस जिले में चले गये। विभागाध्यक्ष के स्वविवेक से एवं कार्य हित में कुछ सर्वेलेंस निरीक्षक अब भी गोरखपुर में तैनात हैं। कार्य एवं आवश्यकता के पुर्नमूल्यांकन पर परिवर्तन हो सकता है।

उपलब्ध सामग्री के आधार पर मार्च, 1993 के पत्र की पुष्टि नहीं होती है।

प्रदेश में ऊसर और परती भूमि सुधार हेतु योजनाओं की जानकारी

140–श्री तीरथ राज–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊसर परती भूमि सुधार योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ? क्या इस योजना के अन्तर्गत कृषकों की निजी भूमि को भी सुधार पर कृषि योग्य बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या इसकी सुविधा लघु, सीमान्त और बड़े सभी कृषकों को प्रदत्त है ? यह योजना प्रदेश के किन-किन जनपदों में लागू है ? इस योजना में व्यय धनराशि का कितने प्रतिशत शासन वहन करेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां। प्रदेश में वर्तमान समय में ऊसर और परती भूमि सुधार हेतु निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है–

1–विश्वबैंक पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट।

2–यूरोपियन आर्थिक समुदाय से सहायतित अल्कलाइन लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट।

3–केन्द्र पुरोनिर्धानित ऊसर की एकीकृत योजना।

4–भूमि सेना योजना।

इन योजनाओं के माध्यम से ऊसर भूमि का पूर्ण उपचार कर इसे कृषि योग्य बनाने का कार्य किया जा रहा है।

जी हां।

लघु एवं सीमान्त कृषकों को उक्त सभी योजनाओं में ऊसर सुधार की सुविधा उपलब्ध है लेकिन बड़े कृषकों को यह सुविधा केवल सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट तथा अल्कलाइन लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट में ही उपलब्ध है ।

उक्त योजना की जनपदवार स्थिति संलग्न परिशिष्ट-I पर अवलोकनीय है ।

उक्त योजनाओं में बाह्य सहायतित परियोजनाएं शत-प्रतिशत बाह्य वित्त पोषित है । ऊसर सुधार की एकीकृत योजना का 50% राज्य सरकार व 50% केन्द्र सरकार वहन कर रही है । जबकि भूमि सेना योजना विभिन्न विभागों के समन्वय से क्रियान्वित की जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 196 पर)

श्रीमती मुन्ना देवी सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षिका के सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान किये जाने की मांग

141-श्री रमापति शास्त्री-

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान किया जाता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि श्रीमती मुन्नी देवी, स्वास्थ्य निरीक्षिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोड़उर, जनपद गाजीपुर के सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां ।

श्रीमती मुन्नी देवी, सेवानिवृत्त स्वास्थ्य निरीक्षिका के सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि रु० 5,519.00 का भुगतान किये जाने हेतु चेक संख्या-312304 दिनांक 23-11-1994 विशेष पत्रवाहक के माध्यम से दिनांक 31 जनवरी, 1995 को प्रेषित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत बेलदारों को नियमित करने की मांग

142-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में उ० प्र० में कितने अंशकालीन बेलदार कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन्हें नियमित करने की सोच रही है ? यदि हां,तो कब तक नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में कोई भी अंशकालीन बेलदार कार्यरत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

143–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[3रे शुक्र में अता० प्र० सं० 86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

144–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[3रे शुक्र में अता० प्र० सं० 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय अस्पताल देव प्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल में एक्स-रे मशीन की खराबी को ठीक किये जाने की मांग

145–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय अस्पताल देव प्रयाग टिहरी गढ़वाल में एक्स-रे मशीन कब से खराब पड़ी है ? क्या कारण है कि लम्बे समय से एक्स-रे मशीन को ठीक नहीं कराया गया है ? इसी अस्पताल में महिला चिकित्सक का पद कब से खाली पड़ा है ? क्या सरकार राजकीय अस्पताल देव प्रयाग टिहरी गढ़वाल में महिला चिकित्सक की नियुक्ति करने जा रही है ?

श्री बलराम यादव–

मशीन मई, 1990 से खराब है ।

यू० पी० हिल्ट्रान ने एक्स-रे मशीन की मरम्मत हेतु रु० 40,000.00 की बेहद अधिक मांग की थी । इसके पश्चात् सीमेंस इण्डिया लि० ने 13,000.00 रु० में मरम्मत करने का आगणन दिया । फर्म को दिनांक 22-3-93 को रु० 9,000.00 अग्रिम भुगतान कर दिया गया था किन्तु फर्म द्वारा खराब मशीन ठीक नहीं की जा सकी । इसके उपरान्त एक अन्य फर्म श्रीमंत वि० प्रो० जी० ई० से इस संबंध में पत्र व्यवहार किया गया । फर्म द्वारा बीच में उत्तराखण्ड क्षेत्र की अशान्त स्थिति के कारण मशीन की मरम्मत नही की जा सकी । फर्म ने अब शीघ्र ही मशीन की मरम्मत का आश्वासन दिया है ।

महिला चिकित्सालय पर महिला चिकित्सक डा० (श्रीमती) शकुन्तला सेठ दिनांक 2-7-1994 से कार्यरत हैं ।

जनपद मिर्जापुर में कार्यरत स्टाफ नर्सों को अनुमन्य लाभ उपलब्ध कराने की मांग

146–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में कार्यरत कितनी स्टाफ नर्सें 10 वर्ष और 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकी है ? कितनी पात्र नर्सेज को सेलेक्शन ग्रेड और पदोन्नति वेतनमान शासनादेशानुसार दे दिया गया है और कितने को देना शेष है ? शेष पात्र नर्सेस को सेलेक्शन ग्रेड और पदोन्नति वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा और कब तक उनके बकाये का भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या विलम्ब से देयों के भुगतान की क्षतिपूर्ति जिम्मेदार व्यक्ति से करायेंगे ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जनपद मिर्जापुर में कुल 42 उपचारिकाओं में से जून 1994 तक 10 स्टाफ नर्सें 10 वर्ष तथा 4 स्टाफ नर्सें 16 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकी हैं ।

सभी पात्र नर्सेज को सेलेक्शन ग्रेड तथा प्रोन्नति वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराये जाने के आदेश जारी कर दिए गये हैं।

सभी पात्र नर्सेज को वांछित लाभ दे दिया गया है अतः प्रश्न नहीं उठता।

संबंधित कर्मचारियों को वेतन निर्धारित कर अवशेष आहरित करने के आदेश दे दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजीव मिश्रा, डार्करूम असिस्टेन्ट प्रा० स्वा० केन्द्र तिलोई जनपद-रायबरेली का वेतन भुगतान किए जाने की मांग

147–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लखन वर्मा, मंत्री, पंचायती राज, उ० प्र० का पत्र दिनांक 14-2-1994 जो श्री राजीव मिश्रा, डार्करूम असिस्टेन्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलोई, जनपद रायबरेली के वेतन भुगतान एवं सेवा पुस्तिका बनाये जाने के संबंध में था, दिनांक 21-2-94 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस आदेश पर कब तक उक्त वेतन भुगतान कराकर उनकी सेवा पुस्तिका बना दी जायेगी ? क्या इस विलम्ब के लिये जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

श्री राजीव मिश्रा, डार्करूम असिस्टेन्ट का वेतन भुगतान हो गया है और उनकी सेवा पुस्तिका पहले से ही बनी है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

महिला अस्पताल, लखनऊ में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पुरुष फार्मेसिस्टों का विवरण

148–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला अस्पताल, लखनऊ में कितने ऐसे पुरुष फार्मेसिस्ट हैं जो 10 वर्ष से अधिक समय से इसी अस्पताल में कार्यरत हैं ? क्या शासन की नीति के अनुसार ऐसे सभी फार्मेसिस्टों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

महिला अस्पताल,लखनऊ में दो पुरुष फार्मेसिस्ट 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

वर्तमान वर्ष का स्थानान्तरण सत्र समाप्त हो चुका है अतः शासन का आगामी वर्ष की स्थानान्तरण नीति निर्धारित होने पर तद्नुसार यथासमय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में लिपिक एवं स्टोर कीपर के नियुक्ति के आधार की जानकारी

149–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोविन्द सिह विष्ट तथा श्री आर० एन० मिश्रा का मूल नियुक्ति पद क्रमशः स्टोर कीपर लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक है ? यदि हां, तो इन्हें महिला चिकित्सालय, लखनऊ में क्रमशः लिपिक एवं स्टोर कीपर के पद पर नियुक्ति किये जाने का आधार क्या है ?क्या सरकार यही प्रक्रिया अन्य कर्मचारियों के साथ भी अपनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां ।

महानिदेशक द्वारा उक्त नियुक्तियां प्रशासनिक आधार पर की गयी हैं।

जी नहीं ।

150–श्री बालेश्वर त्यागी–

[3रे शुक्र में अता० प्र० सं० 168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत कोहरौली ग्राम के दक्षिण की ओर भगवानपुर माइनर से जल निकासी हेतु नाले की मांग

151–श्री वासुदेव सिंह, श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत कोहरौली ग्राम के दक्षिण तरफ भगवानपुर राजवाहा से जल निकासी की कोई व्यवस्था है? क्या यह सही है कि वर्षा के दिनों में बेसो नदी के जल जमाव व वर्षा के कारण जल जमाव/जल भराव से उक्त ग्राम की इत्यादि की फसलें डूब जाती हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी राजवहा के जल निकासी व निचले स्थान पर जल भराव को समाप्त कराने के लिये कोई स्थायी कार्य योजना बनायेंगे? यदि हां तो किस प्रकार से और इस मद में कुल कितनी धनराशि के खर्च होने का अनुमान है? यह कार्य कब से प्रारम्भ कराया जायेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी हां, आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत कोहरौली ग्राम के दक्षिण की ओर भगवानपुर माइनर से जल निकासी हेतु नाले की व्यवस्था है जो बेसी नदी में जाकर मिलता है। यह माइनर 10.0 कि०मी० तक बनी है तथा इसकी टेल नाले से मिलती है।

जी हां ।

भगवानपुर माइनर का टेल भाग कोहरौली ग्राम में पड़ता है । माइनर के टेल को नाले से मिला दिया गया है । यह नाला ग्राम सिन्दूरी व कोहरौली की सीमा पर है जिसकी लम्बाई लगभग 1.5 कि० मी० है । नाले की सफाई न होने तथा कहीं-कहीं पटा होने के कारण पानी निकलने में बिलम्ब होता था, किन्तु अब नाले की सफाई कराई जा रही है । सफाई पूर्ण होने पर भगवानपुर माइनर का पानी तथा वर्षा का पानी भी नाले द्वारा बेसी नदी में चला जायेगा ।

ग्राम भगवानपुर व सिन्दूरी की सीमा पर स्थित पुराने नाले की सफाई का कार्य प्रगति पर है। इसमें लगभग 20,000.00 रुपया खर्च का अनुमान है। कार्य दिसम्बर,1994 में प्रारम्भ करा दिया गया है।

कार्मिकअनुभाग-1 की अधिसूचना द्वारा 31 विभागों में पर्वतीय उप संवर्ग लागू किये जाने की मांग

152–डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि कार्मिक अनुभाग की अधिसूचना संख्या–13-8-92-1/1992, दिनांक 25 नवम्बर,1992 द्वारा प्रख्यापित नियमावली के अनुसार 25 फरवरी, 93 तक सभी 31 विभागों के कर्मचारी/अधिकारियों के विकल्प मांगे गए थे। क्या 25 फरवरी 93 तक दो माह के अन्दर पर्वतीय उप संवर्ग के भरे जाने थे ? क्या यह भी सही है कि यदि दो माह के अन्दर उप संवर्ग के विकल्प नहीं भरा जाता है तो यह भी मान लिये जाने का प्राविधान था कि वह उसी विकल्प में रहने का इच्छुक है पर्वतीय उप संवर्ग को लागू कर दिया जायगा। यदि हां तो क्या सभी संबंधित 31 विभागों में पर्वतीय उप संवर्ग लागू हो गया है ? क्या उसके तहत नियुक्तियां कर दी गई हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? कब तक उक्त नियुक्तियां की जायेंगी ? क्या शासनादेश का उल्लंघन करने के खिलाफ दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं।

कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–13-8-92 का-1–1992, दिनांक 25 नवम्बर,1992 द्वारा 31 विभागों में पर्वतीय उप संवर्ग लागू किया जाना था। नियमावली के नियम 6(1) में यह प्राविधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में विद्यमान सदस्यों से पर्वतीय उप संवर्ग में आवंटन के लिये या सामान्य संवर्ग में बने रहने के लिये 3 मास के भीतर अपना विकल्प देने की अपेक्षा की जायेगी।

जी नहीं।

दो माह के अन्दर विकल्प प्रस्तुत करने का कोई प्राविधान नियमावली में नहीं है। विकल्प मांगे जाने पर नियमावली के नियम–(3) में यह प्राविधान है कि यदि नियम–6(1) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय (3 मास) के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि सेवा का सदस्य सामान्य संवर्ग में रहना चाहता है और अपना आवंटन पर्वतीय संवर्ग में नहीं चाहता है।

पर्वतीय उप संवर्ग 31 विभागों में लागू किया जाना था। 31 विभागों ने उनके कार्यालय उत्तराखण्ड में न होने या निसंवर्गीय होने के कारण पर्वतीय उप संवर्ग लागू न करने की सूचना दी है। 24 विभागों में पर्वतीय उप संवर्ग लागू कर दिया गया है। 4 विभागों में गठन की कार्यवाही कर दी गई है परन्तु वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

जी नहीं। विभिन्न विभागों के उत्तराखण्ड क्षेत्र में कुल सृजित पदों के सापेक्ष पर्वतीय उप संवर्ग का विकल्प कम कार्मिकों ने भरा है, अतः फिलहाल सामान्य संवर्ग के कार्मिक भी उत्तराखण्ड में तैनात है।

उपर्युक्तानुसार।

पर्वतीय उप संवर्ग नियमावली में उल्लिखित व्यवस्था के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

चूंकि सम्बन्धित विभाग उक्त संवर्ग के गठन के लिये सक्रियता से कार्यवाही कर रहे है, अतः उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता है।

डा० कटियार के पत्र को सचिव लोक सेवा आयोग उ० प्र० इलाहाबाद को कार्यवाही हेतु भेजे जाने की मांग

153–श्री महेश चन्द्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र,1992 के दूसरे शुक्रवार हेतु निर्धारित डा० गंगा बक्श सिंह, विधायक द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–86 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को क्रियान्वित किये जाने के संबंध में डा० कटियार, निवासी 103/277 कर्नलगंज, कानपुर का पत्र दिनांक 28-1-95 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम यादव–

डा० कटियार का पत्र दिनांक 28-1-93 पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी छाया प्रति अब प्राप्त कर ली गई है।

डा० कटियार के उक्त संदर्भित पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सचिव लोक सेवा आयोग, उ० प्र०, इलाहाबाद को निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के जूनियर हाई स्कूल त्यूखर लस्या के भवन को बनाये जाने की मांग

154–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जूनियर हाईस्कूल त्यूखर लस्या टिहरी गढ़वाल के नव निर्मित भवन को सन् 1984 से वीरान छोड़ रखा है ? इस भवन को गलत स्थान पर किसने बनाया था ? क्या दोषी व्यक्ति को दण्डित किया गया ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या सरकार उक्त के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग के बे० पा० डांग, गोसाबागी एवं गवांणा पट्टी हिसरियाखाल तथा विकास खण्ड नरेन्द्र नगर के बे० पा० डांगर के भवन निर्माण की जांच

155–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बे० पा० गवांणा पट्टी हिसरियाखाल, वि० खं० देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण कब से अधूरा है ? क्या कारण है कि इसका निर्माण पूर्ण नहीं हो पा रहा है ? क्या दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 1979-80 से।

जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को जांच कर उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

156–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बे० पा० डांग, वि० खं० देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण अधर में लटका हुआ है ? इसको पूर्ण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

157–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बे० पा० नोसाबागी, वि० खं० देवप्रयाग तथा बे० पा० डागर, वि० खं० नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण कार्य कब से अधूरा पड़ा हुआ है ? लम्बे समय से उक्त भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं ? इसके लिये दोषी कौन है ? क्या दोषी व्यक्ति को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत विद्यालयों के भवन पूर्ण बन गये थे जो अधिक वर्षा एवं भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में सेलेक्शन ग्रेड हेतु पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड का भुगतान किये जाने की मांग

158–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के द्वितीय बुधवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–102 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शेष 10 पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड दे दिया गया है ? यदि हां,तो कब ? क्या उनके बकाये का भी भुगतान कर दिया गया है ? क्या शेष पात्र 25 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति वेतनमान दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या उनके बकाये का भी भुगतान कर दिया गया है ? क्या शासनादेश का पालन समय से न करने के कारण हुई क्षतिपूर्ति उसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम यादव–

जी हां । सेलेक्शन ग्रेड हेतु पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अक्टूबर,1994 में सेलेक्शन ग्रेड दिया जा चुका है और उनके बकाये के भुगतान हेतु भी निर्देश दिये गये है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना द्वारा शारदा नहर खण्ड हरदोई को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

159–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शारदा नहर खण्ड हरदोई के कर्मचारियों की सेवापुस्तिका में त्रुटियों की पूर्ति करा दी गयी है ? यदि नहीं,तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त त्रुटियों को दर्शाते हुए अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना द्वारा एक पत्र भी शारदा नहर खण्ड हरदोई को भेजा गया ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शारदा नहर खण्ड हरदोई के पुर्नगठन के फलस्वरूप राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शारदा नहर खण्ड हरदोई को 46 कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुई थी, जिनमें से श्री महबूब अली, सींचपाल की सेवा पुस्तिका को छोड़कर सभी सेवापुस्तिकाओं की त्रुटियां ठीक करा दी गयी हैं । श्री

महबूब अली की बीच-बीच की लम्बी सेवा अवधि में अनुपस्थित रहने के कारण सेवायें सत्यापित नहीं हो पायी हैं।

जी हां।

श्री महबूब अली, सींचपाल की सेवा पुस्तिका को छोड़कर शेष सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की त्रुटियों की पूर्ति करा दी गई है।

अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मण्डल वाराणसी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या के संबंध में जानकारी

160–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के दूसरे बुधवार हेतु निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–104 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या और कब ? क्या शिकायत की जांच में शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु बाद में बुलाना और उससे पूर्व ही स्वयं जांच कर आख्या प्रस्तुत कर देना नियम विरुद्ध है ? यदि हां,तो क्या उसकी पुनः जांच किसी मजिस्ट्रेट से करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

जी हां।

जांच आख्या के परीक्षण पर ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया जिस पर किसी अग्रेतर कार्यवाही की आवश्यकता हो।

शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जांच अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 5-3-94 द्वारा दिनांक 7-3-94 को साक्ष्य हेतु बुलाया गया था। परन्तु पत्र प्राप्त करने के उपरान्त भी वे उपस्थित नहीं हुए। तदोपरान्त जांच अधिकारी ने दिनांक 9-3-94 को अपने पत्र द्वारा जांच आख्या भेजी। इस प्रकार जांच आख्या शिकायतकर्ता को साक्ष्य हेतु बुलाये जाने के पहले प्रस्तुत नहीं की गई।

विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में प्रश्नगत जांच आख्या के आधार पर किसी मजिस्ट्रेट से जांच कराने का औचित्य नहीं पाया गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

डोमा खास, विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज के सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा महराजंगज को आवंटित धनराशि की जानकारी

161–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अता० प्र० संख्या–51 के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर गलत देकर सदन को गुमराह क्यों किया गया है ? क्या सूचना के अनुसार पूर्वांचल विकास निधि के पत्रांक–1786 एल० एन० 92-93, दिनांक 21-12-92 को प्रथम किश्त पांच लाख रुपया एवं पत्रांक–2650 एल० एन०, दिनांक 29-10-93 द्वितीय किश्त तीन लाख रुपये अवमुक्त हुई है ? क्या डोमा खास, विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज के सम्पर्क मार्ग के निर्माण के लिये ग्रामीण अभियंत्रण सेवा महराजगंज को धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बिना सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये ही फर्जी मस्टर रोल में फर्जी मजदूरों का

नाम एवं हस्ताक्षर, अंगूठा निशान फर्जी लगाकर उपरोक्त आवंटित धनराशि निर्माण कार्य के नाम पर फर्जी निकाल ली गयी है ? यदि हां,तो क्या सरकार फर्जी मस्टर रोल आदि खर्च के दस्तावेज को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–.

सूचना सही दी गयी है ।

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । यह कार्य ठेके पर हुआ है । कार्य के सापेक्ष ही ठेकेदार को भुगतान किया गया है । मस्टररोल पर काम नहीं हुआ है ।

प्रश्न नही उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

162-163–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

164–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[3रे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में पंजीकृत एलोपैथिक फार्मेसिस्टों की संख्या एवं उनके नियुक्ति की जानकारी

165–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने एलोपैथिक फार्मेसिस्टों ने नौकरी हेतु पंजीयन करवा रखा है ? प्रदेश में कितने पद एलोपैथिक फार्मेसिस्टों के खाली पड़े हैं ? क्या कारण है कि एलोपैथिक फार्मेसिस्ट उपलब्ध होने पर भी नियुक्ति नही दी जा रही है ? क्या सरकार प्रशिक्षण प्राप्त एलोपैथिक फार्मेसिस्टों को शीघ्र नियुक्ति देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

प्रदेश में 19636 ऐलोपैथिक फार्मेसिस्ट पंजीकृत हैं किन्तु पंजीयन अभिलेखों में इस तथ्य का अंकन नही किया जाता कि उनमें से कितनों ने नौकरी हेतु पंजीयन कराया है ।

वर्तमान में प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के सभी रिक्त पदों को भर दिया गया है एवं उत्तराखण्ड क्षेत्र के रिक्त पदों को भरने हेतु चयन कर लिया गया है, नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के एस० डी० एम० कीर्तिनगर द्वारा गढ़वाल जल संस्थान के सीमेन्ट कट्टों को ब्लैक किये जाने की जांच की मांग

166–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि एस० डी० एम० कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल ने गढ़वाल जल संस्थान के 50 कट्टे सीमेन्ट को ब्लैक किया था ? क्या इसकी जांच क्षेत्रीय पटवारी द्वारा सही पाने पर सीमेन्ट सील कर दिया था ? क्या दो दिन बाद उसी एस० डी० एम० ने यह चोरी का सीमेन्ट रिलीज कर दिया ? क्या एस० डी० एम० सीमेन्ट के रिलीज करने हेतु सक्षम अधिकारी हैं ? यदि नहीं, तो ऐसा किस नियम के तहत किया है ? क्या सरकार इस अवैध कार्य के लिये एस० डी० एम० कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल पर वैधानिक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

167–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला मथुरा खण्ड विकास गोवर्धन के ग्राम गांठौली में स्थित नलकूपों के सार्वजनिक नीलामी की जानकारी

168–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास एवं क्षेत्रीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा मण्डल विकास निगम लि०, आगरा के जिला मथुरा खण्ड विकास गोवर्धन के ग्राम गांठौली में स्थित नलकूपों को सार्वजनिक नीलामी में क्रय करने हेतु तथा पी० बी० सी० पाइप लाइन बढ़ाने हेतु करन सिंह आदि ने यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा, गोवर्धन जिला मथुरा से 2,58,000 रुपये ऋण लिया था ? यदि हां, तो क्या नलकूपों पर स्वामित्व न मिलने की दशा में बैंक द्वारा दिये गये ऋण की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या लिये गये ऋण की वसूली स्थगित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ब्याज एवं दण्ड ब्याज माफ करने हेतु भी शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम यादव–

जी हां ।

श्री करन सिंह ने प्रश्नगत नलकूपों का क्रय नीलामी द्वारा किया था और स्वामित्व का कब्जा उन्हें दिनांक 11-6-91 को दिया गया था । नलकूपों के क्रय करने तथा पी० बी० सी० पाइप लाइन हेतु श्री करन सिंह द्वारा यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा गोवर्धन जिला मथुरा से रु० 2,58,000 का ऋण लिये जाने तथा श्री करन सिंह से ऋण की वसूली स्थगित करने तथा ब्याज एवं दण्ड ब्याज माफ करने का संबंध संबंधित बैंक से है ।

जनपद चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल में स्थापित टी स्टेटों की जानकारी

169–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत मुसेठ तथा जनपद चमोली गढ़वाल के अन्तर्गत बेनीताल तथा गैरसैंण ब्लाक में अनेक टी स्टेट अंग्रेजों के

कार्यकाल से स्थापित हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इनके विकास के लिये क्या कोई ठोस योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । जनपद पौड़ी गढ़वाल के थैलीसैंण तथा चमोली गढ़वाल के गैरसैंण क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने से चाय उत्पादन का कार्य किया जाता था ।

कतिपय कारणवश उक्त चाय बागान लगभग समाप्त हो गये हैं तथा यहां उत्पादन भी नाम मात्र का रह गया है । उत्तराखण्ड में चाय बागान की संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखण्ड चाय विकास परियोजना बनाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी में विकास खण्ड पावौ के अन्तर्गत ग्राम ताल में आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण की मांग

170–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी में विकास खण्ड पावौ के अन्तर्गत ग्रामताल में विगत 20 वर्षों से अधिक समय से आयुर्वेदिक चिकित्सालय गांव के किसी सामान्य कक्ष में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या इस चिकित्सालय के लिये भवन निर्माण अतिशीघ्र कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

चिकित्सालय भवन के निर्माण की प्रश्नगत योजना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के उपरान्त भवन निर्माण कराया जाना संभव होगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद पौड़ी एवं चमोली के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिए औषधियों के क्रय की जानकारी

171–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी एवं चमोली के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये विगत पांच वर्षों में (वर्षवार) कुल कितनी धनराशि की औषधियां क्रय की गयीं ? ये औषधियां किसकी सहमति से ली गयीं ? क्या प्राथमिकता को निर्धारित करके अथवा परिस्थितियों एवं क्षेत्र की आवश्यकतानुसार चिकित्साधिकारियों की संस्तुति तथा मांग पत्र औषधियां क्रय हुई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पावौ के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित हौज पर व्यय की जानकारी

172–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पावौ के अन्तर्गत सरयू ग्राम में डी० पी० ए० पी० द्वारा कब और कितनी राशि से हौज बनाया गया था ? इसको वहां पर बनाने का क्या औचित्य था ? क्या इसमें कभी पानी का संचय किया गया ? क्या यह सही है कि उसमें कभी पानी गया ही नहीं और वह एक वर्ष के अन्दर क्षतिग्रस्त हो गया ? क्या सरकार इसकी

जांच कराकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो उसकी समयावधि क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पावीं के अन्तर्गत (सरयू नहीं अपितु) सन्यू ग्राम में डा० पी० ए० पी० योजनान्तर्गत वर्ष 1992-93 में लघु सिंचाई विभाग द्वारा रुपये 21413.55 की लागत से हौज बनाया गया था ।

ग्राम सभा द्वारा हौज बनाए जाने के प्रस्ताव को सक्षम स्तर पर औचित्यपूर्ण पाये जाने पर ही हौज बनाया गया ।

जी हां ।

जी नहीं । ऐसा नहीं है। हौज निर्माण के उपरान्त उसमें पानी भरा गया था तथा अब भी ग्राम वासी उस हौज से सिंचाई सुविधा का उपयोग कर रहे हैं ? यह हौज एक वर्ष के अन्दर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है । माह सितम्बर, 1994 में की गई संयुक्त जांच रिपोर्ट में हौज सही हालत में पाया गया । अतः जिम्मेदार सुनिश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के गोल्डमेडिल प्राप्त प्रतियोगियों को योग्यतानुसार नौकरी उपलब्ध कराने की मांग

173–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन प्रतियोगियों ने प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में गोल्ड मेडिल प्राप्त किया है, (वर्ष 1992-93/1993-94), उनको सरकार उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विषय विचाराधीन है । शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास किया जायेगा ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के उपखण्ड कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ में कार्यरत मुख्य लिपिक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

174–श्री श्रीराम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग कुण्डा, प्रतापगढ़ खण्डीय कार्यालय में तैनात श्री भानुकर प्रताप सिंह, मुख्य लिपिक कितने वर्षों से एक ही सीट पर कार्यरत हैं ? इनके विरुद्ध वर्ष 1992-93 में कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त कर्मचारी के विरुद्ध जांच कर स्थानान्तरण के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री भानुकर प्रताप सिंह, सिंचाई विभाग के उपखण्ड, कुण्डा, प्रतापगढ़ में माह अगस्त, 1990 से उपखण्डीय लिपिक के पद पर कार्यरत हैं ।

विभागीय अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1992-93 में इनके विरुद्ध कोई भी शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

खण्डीय लिपिकों को एक ही सीट पर 4 वर्ष पूर्ण करने पर उन्हें भिन्न काउन्टर पर स्थानान्तरित करने की नीति है । श्री भानुकर प्रताप सिंह, सिंचाई खण्ड प्रतापगढ़ के उपखण्ड चतुर्थ कुण्डा में एक मात्र लिपिक होने तथा स्थानान्तरण सत्र 1994 के समय श्री सिंह को कार्य करते हुये 4 वर्ष की अवधि पूर्ण न होने के कारण वे स्थानान्तरण की परिधि में नही आते थे ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद चमोली के रानीगढ़ पट्टी के ग्राम जसौली में पेयजल योजना प्रारम्भ किये जाने की मांग

175–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के रानीगढ़ पट्टी के जसौली नामक स्थान को तत्काल पेयजल योजना देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक इस पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद चमोली के रानीगढ़ पट्टी के ग्राम जसौली विकास खण्ड कर्णप्रयाग कोदिमा पेयजल योजना से लाभान्वित था । योजना में स्राव कम हो जाने व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जसौली ग्राम को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । जसौली ग्राम में पेयजल की व्यवस्था के लिए नया स्रोत जोड़ने तथा क्षतिग्रस्त योजना के मरम्मत के कार्य वर्ष 1994-95 की जिला योजनान्तर्गत प्रस्तावित है ।

जिला युवा कल्याण अधिकारी, फैजाबाद को दी गयी धमकी पर कार्यवाही की मांग

176–श्री ऊदल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला युवा कल्याण अधिकारी फैजाबाद के पत्रांक 131, दिनांक 26-1-91 एवं पत्र दिनांक 6-4-91 तथा सी० डी० ओ० फैजाबाद के पत्रांक 161/दिनांक 4-2-91 में वर्णित तथ्य क्रमशः क्या हैं ? क्या उक्त पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत की जायेंगी ? क्या अभिलेख गायब कर देने के तथ्य को बता देने पर बन्दूक दिखाकर जान से मार डालने की धमकी भी अधिकारी को दी गयी है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ? शासन द्वारा धमकी देने वाले का बन्दूक लाइसेन्स कब तक निरस्त किया जायेगा ? क्या बन्दूक जमा करायी जायेगी ? क्या उक्त कृत्यों के लिये दोषी के विरुद्ध अब मुकदमा दर्ज कराया जायेगा ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

तत्कालीन जिला युवा कल्याण अधिकारी, फैजाबाद श्री चन्द्रभाल मिश्र के (1) पत्र दि० 26-1-91 में फैजाबाद नगर कोतवाली के पी० आर० डी० ड्यूटी संबंधी प्रपत्र, श्री विजय नरायन द्वारा गायब करने की सूचना है । (2) 6-4-91 के पत्र में श्री विजय नरायन तिवारी द्वारा शासकीय अभिलेखों को बन्दूक दिखाकर छीन लेने तथा इस बात को कहीं बताने पर जान से मार देने की धमकी देना है ।

मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद के पत्रांक 161 दि० 4-2-91 द्वारा समस्त क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों को दि० 20-11-89 से जनवरी, 91 तक पी० आर० डी० जवानों की आमद/रवानगी संबंधी जी० डी० की नकल व मस्टर रोल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे ।

जी हां । प्रतियां संलग्न हैं । †

जी हां ।

श्री विजय नरायन तिवारी द्वारा ।

इस बिन्दु पर जांच अपेक्षित है ।

इस बिन्दु पर जांच अपेक्षित है ।

—तदैव—

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

---

† छापी नहीं गई ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से एक को छोड़कर सभी 46 सूचनाओं को स्वीकार किया गया । जो माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित होंगे उनकी सूचनाएं स्वीकार की जायेंगी ।

श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री चन्द्र विजय सिंह, श्री करन सिंह, श्री अम्बिका सिंह, श्री समर पाल सिंह, श्री डा० मामचन्द्र लाम्बा, श्री चैनसुख भारती, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री बची सिंह रावत, श्री कोकब हमीद, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री मोहम्मद अरशद खान, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री मन्नू लाल कुरील, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री बदन सिंह, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, डा० सरजीत सिह डंग, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री गया चरन दिनकर, श्री मुरलीधर, श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, श्री मातवर सिंह कण्डारी, श्री राम कृष्ण, श्री स्वयंवर चौधरी, श्री मुक्तिनाथ यादव, श्री घनश्याम शुक्ल, श्री समीर भाटी, डा० रमेश पोखरियाल निशंक, श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री हृदय नारायण, श्री नजमउद्दीन, डा० राम बाबू हरित, श्री रमेश कान्त लवानियां सदन में मौजूद हैं ।

श्री ओम प्रकाश, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री बैजनाथ रावत, श्री बाबूराम वर्मा, श्री रिजवान जहीर, माननीय सदस्य, सदन में उपस्थित नहीं थे । राजाराम त्यागी की सूचना पहले से अस्वीकार थी ।

उपस्थित निम्नलिखित सभी माननीय सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।

जनपद उन्नाव के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम लालपुर में तहसीलदार द्वारा अकारण ग्रामीणों का उत्पीड़न किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुन्दर लाल लोधी–

[महोदय, जनपद उन्नाव के तहसील सदर के अन्तर्गत ब्लाक बिछिया में लालपुर ग्राम में ग्रामीण छोटी-छोटी अपनी दुकानें बनाकर जीविका चला रहे थे । अकारण तहसीलदार सदर अपने कर्मचारियों के साथ पहुंचे और दुकानों को गिरा दिया तथा ग्राम में पुलिस के सहयोग से आतंक मचाया । किसी भी किसान को किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं, न कोई मुकदमें चले । मात्र अपना निजी स्वार्थ सिद्ध न होने के कारण अब भी ग्रामीणों को तंग किये हैं । कृपया जिन कृषकों का नुकसान हुआ है उनका मुआवजा दिलाने तथा दोषी तहसीलदार व कर्मचारियों पर जांच कराकर कार्यवाही कराने का सरकार को आदेशित करें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

लालबाग काम्पलेक्स, आफिसर्स कालोनी, लखनऊ में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु एक ट्यूबवेल की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र विजय सिंह–

[महोदय मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की ओर से सरकारी अधिकारियों के लिये निर्मित लालबाग काम्पलेक्स, आफिसर्स कालोनी, लखनऊ के अध्यासी उत्तर प्रदेश जल संस्थान के अधिकारियों के उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण गम्भीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं । सात मंजिली इस कालोनी में दो ब्लाक जिन में कुल 56 फ्लैट्स हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सुबह और शाम एक-एक घंटे पेयजल की आपूर्ति होने से इस कालोनी के अध्यासियों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा । ओ० सी० आर० सरकारी कालोनी, हुसैनगंज, लखनऊ में इसी प्रकार की व्यवस्था है, फिर लालबाग काम्पलेक्स, जिसमें शासन के उच्च अधिकारीगण रहते हैं, उनके साथ इस प्रकार की दोहरी नीति अपनाये जाने का कारण समझ में नहीं आता है । यह आवश्यक हो गया है कि लालबाग काम्पलेक्स के लिये भी एक ट्यूबवेल की व्यवस्था तुरन्त कराये जाने के आदेश दिये जायं ताकि पीने के पानी जैसी प्राथमिक आवश्यकता के लिये अध्यासियों को कठिनाई न हो ।]

किसान इण्टर कालेज, कोठी, खिदमतपुर व अमरोहा, मुरादाबाद की प्रबन्ध समिति में भ्रष्टाचार की जांच विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री करन सिंह–

[महोदय, जनपद मुरादाबाद में किसान इण्टर कालेज कोठी, खिदमतपुर व अमरोहा की प्रबन्ध समिति को जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद द्वारा गलत तरीके से बदल दिया तथा उसमें जो रिसीवर बैठाया है वह उसी स्कूल में अध्यापक था उस पर भ्रष्टाचार के आरोप थे उसी कारण वह हटाया गया था उसमें कहीं अन्य नौकरी कर ली वह बताया कि मैं कोठी खिदमतपुर इण्टर कालेज में लैक्चरार था किन्तु वह उक्त कालेज में एल० टी० ग्रेड में टीचर था कृपया जांच कराकर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।]

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अम्बिका सिंह–

[महोदय, मैं माननीय सदन का ध्यान विकास प्राधिकरणों में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । शासन ने अपने पत्र संख्या 9/आ-5/94-111ई/94, दिनांक 4 जून, 1994 द्वारा पर निर्देशित किया था कि स्थानापन्न प्रोन्नतियां/कार्यकारी पद स्थापना को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाये । पूर्व में भी शासन के पत्र संख्या 4216/9-आ-5-320ई०/93 दिनांक 19 अगस्त, 1993 द्वारा ऐसी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नियुक्तियां शासन की बिना अनुमत्ति के न किये जाने का निर्देश दिया गया था किन्तु निहित स्वार्थों एवं धन वसूली की नियत से प्राधिकरणों में अब भी इस प्रकार की नियुक्तियां एवं कार्यभार दिये जा रहे हैं जिसमें फर्जी तरीके से धन वसूल कर सार्वजनिक राजस्व की करोड़ों रुपये की हानि पहुंचाई जा रही है। उदाहरण स्वरूप लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आदेश संख्या 10920/सचिव कैम्प दिनांक 3-2-95 का संदर्भ देना चाहता हूं यदि जांच की जाये तो ऐसे अनेक प्रकरण प्रकाश में आयेंगे।

अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की नियुक्तियां एवं प्रोन्नतियां करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये और ऐसे पद तत्काल समाप्त किये जायें।]

मेरठ के निबन्धन कार्यालय में दस्तावेजों में जालसाजी व हेराफेरी विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री समर पाल सिंह–

[महोदय, मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न पर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरठ में अपनी तैनाती के दौरान तात्कालिक सहायक महानिरीक्षक (निबन्धन) श्री आर० एस० वर्मा तथा निबन्धन कार्यालय में तैनात लिपिक हरीश चन्द्र मौर्य आदि ने षड़यंत्र करके दस्तावेजों में भारी जालसाजी व हेरा-फेरी करके सरकारी राजस्व की करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाई है इस संबंध में स्थानीय एडवोकेट श्री सत्य प्रकाश जैन ने तथ्यों सहित शासन से शिकायत की थी जिस पर शासन ने अपने पत्र संख्या एस० आर० 3877/11-92-312/225/92, दिनांक 28 जुलाई, 1992 द्वारा महानिरीक्षक, निबन्धन, उ० प्र० इलाहाबाद से जांच कर आख्या भेजने का अनुरोध किया था किन्तु अभी तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने के कारण जन मानस में भयंकर असंतोष व्याप्त है।

अतः मेरा निवेदन है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर शासन को त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाय।]

जनपद सहारनपुर नागल में वन चेतना पार्क में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० मामचन्द्र लाम्बा–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न की ओर से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद सहारनपुर नागल में वन चेतना पार्क के भ्रष्टाचार के विषय में वृक्षों के भू लेखकों की संख्या में दर्ज वृक्ष कटान की संख्या कम दर्शायी गयी है एवं निर्माण कार्य में भी काफी अनियमिततायें बरती गयी हैं। जिससे करोड़ों रुपयों का गबन किया गया है। इससे आम जनता में भारी रोष है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराये जाने पर बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम सभा भेड़, तहसील कोंच, जालौन की सीलिंग की कृषि योग्य भूमि को भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को वितरित करवाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चैनसुख भारती–

[महोदय, ग्राम सभा भेड़, तहसील कोंच, जालौन की 68 एकड़ सीलिंग की भूमि शासन के अधीनस्थ बगैर किसी कब्जे के पड़ी हुई है । उक्त भेड़ ग्राम में अनुसूचित जाति के सैकड़ों निर्बल भूमिहीन परेशान लोग निवास करते हैं । उक्त भूमि को भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों में वितरण हेतु मैंने स्वयं कार्यवाही की है । किन्तु अमल में नहीं लायी गयी है ।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के तहत सूचना दे रहा हूं । ग्राम भेड़ की उक्त सीलिंग की कृषि योग्य जमीन को अविलम्ब भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों में पट्टा करवाकर वितरित करवाने की कृपा करें ।]

सर्वेन्ट क्वार्टर संख्या 5 जमादारी लेन, दारुलशफा, लखनऊ की जर्जर व्यवस्था को ठीक कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

[महोदय, निवेदन है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं ।

महोदय, सर्वेन्ट क्वार्टर संख्या–5 जमादारी लेन दारुलशफा, लखनऊ के पीछे एवं बगल की दीवार काफी जर्जर-जर्जर होने से पीछे की तरफ से सदैव कमरे के अन्दर सीलन आती है तथा अन्दर के दरवाजे का चौखट में दीमक लगने के कारण काफी जर्जर-जर्जर हो गया है एवं बगल की दीवार दो फीट ऊंची करने के विषयक में अवर अभियन्ता दारुलशफा ने उक्त कार्य करने का आगणन माह मार्च, 1994 में राज्य सम्पत्ति अनुभाग–4 को भेज दिया है किन्तु अभी तक उक्त कार्य करने के आदेश नहीं हुए हैं उपरोक्त कार्य कराने के संबंध में श्री हरेन्द्र सिंह मलिक स० वि० स० एवं सभापति, आश्वासन समिति ने राज्य सम्पत्ति अधिकारी को सम्बोधित पत्र दिनांक 2 अक्टूबर, 1994 तथा 17 अक्टूबर, 1994 को लिखा था किन्तु उक्त कार्य अभी तक नहीं कराया गया ।

जो कि सरकार की सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा रही है जोकि विभागीय अधिकारी/कर्मचारी नियमों के खुलेआम खिलाफ हैं ।

अतः मैं इस महत्वपूर्ण लोक अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न को जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं । को इस माननीय सदन के संज्ञान में आपके माध्यम से इस सूचना के तहत लाना चाहता हूं। ताकि यह मा० सदन इस विषय पर अपना सही निर्णय दे कर उक्त कमरे में रहने वाले कर्मचारी को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े तथा उपरोक्त कार्य शीघ्र हो सके ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद अल्मोड़ा के क्षेत्र रानीखेत में मोटर मार्गों पर नियमित बस सेवा उपलब्ध न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बची सिंह रावत–

[महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाने हेतु अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं :––

जनपद अल्मोड़ा में विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के रींची–विल्लेख–भुजान मोटर मार्ग, 2–मासी–गैरखेत मोटर मार्ग, 3–सोनी–देवली खेत–चमडखान, 4–सोनी–डौड़ाखाल, 5–गनाई–तड़ागताल, 6–गनाई–जौरासी, 7–गनियाधौ–सिंगौली–अम्याड़ी मोटर मार्गों पर बस सेवा उपलब्ध नहीं है । यहां पूर्व में जो बसें चलायी भी जा रही थी वह भी बन्द कर दी गयी है।

इस मोटर मार्गों पर नियमित बस सेवा न होने से आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है । गरीब यात्रियों को अपनी फसलों, रोगियों, खाद्यान्न आदि को पैदल ही लेकर जाना पड़ रहा है अथवा भारी किराया अदा कर निजी वाहन मालिकों के शोषण का शिकार होना पड़ रहा है ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि व्यापक लोकहित में इस सूचना को स्वीकार कर राज्य सरकार को तत्काल बस सेवा प्रारम्भ करने के निर्देश देने की कृपा करें ।]

लखनऊ नगर के मोहल्ला अछूती गली वार्ड मंसूरनगर में अनाधिकृत निर्माण को रोकने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कोकब हमीद–

[महोदय, मैं आपका ध्यान लोकहित के एक मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इधर कुछ समय से लखनऊ नगर में अनाधिकृत कब्जे हो रहे हैं । इस संबंध में, मैं एक विशिष्ट मामले की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरे संज्ञान में आया है कि नगर के मोहल्ला अछूती गली, निकट पुल गुलाम हुसैन, वार्ड मंसूरनगर मकान नम्बर 337/82 द्वारा सार्वजनिक रास्ते को बन्द करके अनाधिकृत निर्माण करा रहे हैं ।

अतः इस मामले की जांच कराकर सार्वजनिक रास्ते से अवैध निर्माण हटाने के निर्देश देने का कष्ट करें ।]

हरदोई जनपद के ग्राम अर्जुनपुर व ज्ञानपुर में पुलिया बनवाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री विश्राम सिंह यादव–

[महोदय, हरदोई जनपद की 90 बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र के गांव अर्जुनपुर व ज्ञानपुर के मध्य गंगा नदी से कुंडा नदी में गिरने वाले नाले पर पुलिया बनी थी जो गत वर्षान्त में तेज गति से बहने के कारण टूट गयी है । जिससे हरदोई व फर्रुखाबाद जिलों की जनता का आवागमन अवरुद्ध हो गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस संबंध में मैंने मा० लोक निर्माण मंत्री को भी लिखित दिया था जिस पर मा० मंत्री जी ने आगणन मांगा था जो शासन के पास आ भी चुका होगा परन्तु अभी तक पुलिया का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है। यदि यह पुलिया जल्दी न बनाई गई और बरसात आ गयी तो दोनों जिलों का संबंध टूट जायेगा और जिससे जनता में काफी रोष है और अधिक आक्रोश पैदा होगा विदित हो यह सड़क जिस पर पुलिया बनना है फर्रुखाबाद जिले के लोक निर्माण विभाग में आती है जबकि पुलिया स्थल हरदोई जनपद में पड़ता है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

ग्राम जुई पापड़ी, विकास खण्ड रिखजीखाल(गढ़वाल) में आदमखोर बाघ को मारने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

[महोदय, जंगली जानवरों द्वारा उत्तराखण्ड में आये दिन जान और माल के नुकसान की घटनाओं से आम जन जीवन अस्त व्यस्त एवं भयाक्रान्त बना हुआ है।

ग्राम जुई पापड़ी विकास खण्ड रिखजीखाल (गढ़वाल) में बाघ द्वारा एक बालक को जान से मार डाला और कई अन्यों को बुरी तरह घायल कर दिया। जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में भय व आतंक का वातावरण बना हुआ है और आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलना बन्द हो रखा है, स्थिति अत्यन्त गम्भीर बनी हुई है।

जंगली जानवरों द्वारा नित प्रतिदिन उत्तराखण्ड में कहीं न कहीं कोई न कोई घटना घटित होने के समाचार अब आम बात हो गयी है किन्तु अभी तक जंगली जानवरों के आतंक को समाप्त करने के कोई ठोस कार्यक्रम सरकार द्वारा नहीं बनाये गये हैं।

आदमखोर बाघ को तत्काल मारने के आदेश दिये जाने को सरकार को निर्देशित किया जाना चाहिए और सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में जंगली जानवारों द्वारा भय व आतंकित वातावरण को शान्त बनाने के लिये सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए।]

श्री के० आर० सिंह, स्थानिक अभियन्ता उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ द्वारा की जा रही अनियमितता की जांच विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मोहम्मद अरशद खान–

[महोदय मैं आपका ध्यान माननीय सदन के माध्यम से एक लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं श्री के० आर० सिंह, स्थानिक अभियन्ता, उ० प्र० निर्माण निगम लि० जो वर्तमान समय में इकाई–14 बापू भवन पर कार्यरत हैं, वह एक अत्यन्त भ्रष्ट, बेईमान, घूसखोर व शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उनकी भ्रष्टता का जीता-जागता नमूना वर्तमान समय में उनके पास एक स्कूटर, एक मारुति कार, एक अम्बेसडर कार तथा इन्द्रानगर में एक आलीशान कोठी होने के साथ-साथ इन्द्रानगर में ही एक काम्पलेक्स मार्केट का होना एक साधारण कर्मचारी की बेईमानी की पोल खोलता है। मान्यवर,

---

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इससे पूर्व भी कई जन प्रतिनिधियों द्वारा श्री सिंह की लिखित व मौखिक शिकायतें उच्चाधिकारियों को की गई परन्तु पैसे के बल पर यह अपनी शिकायतों को दबवाने में कामयाब रहे और आज तक श्री सिंह पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे श्री सिंह के हौसले बढ़े हुए हैं और वह अक्सर शराब के नशे में यह कहते हुए सुने जाते हैं, कि मेरी पकड़ सरकार में मजबूत है और अधिकारी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।

अतः मान्यवर से मेरा अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर अविलम्ब कार्यवाही के निर्देश देने की कृपा करें, मान्यवर, मेरा सुझाव है कि श्री सिंह की सम्पत्ति की जांच किसी गुप्त एजेन्सी से कराने की कृपा करें, जिससे सभी तथ्य सामने आ सकें।]

जनपद गाजियाबाद में राजनगर स्थित नये कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं हेतु चैम्बर के लिये स्थान आरक्षित कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बालेश्वर त्यागी–

[महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद गाजियाबाद में नये जनपद न्यायालयों का निर्माण राजनगर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में पूर्ण हो चुका है तथा शीघ्र ही सभी न्यायालय पुराने स्थान से नव निर्मित स्थान में स्थानान्तरित हो रहे हैं।

जनपद न्यायालयों में लगभग 1500 अधिवक्ता वकालत करते हैं। इन अधिवक्ताओं को पुराने स्थान पर चेम्बर हेतु जनपद न्यायाधीश द्वारा स्थान उपलब्ध कराये गये थे। नये परिसर में अधिवक्ताओं के चेम्बर हेतु कोई स्थान आरक्षित नहीं किया गया है। यदि न्यायालय ने भवन में स्थानान्तरण के साथ ही अधिवक्ताओं को चेम्बर हेतु स्थान आवंटित न किये गये तो अधिवक्ताओं के लिये वकालत करना कठिन हो जायगा या पूरे परिसर में बेतरतीब अधिवक्तागण अपनी सुविधानुसार शैड्स बना लेंगे, जिससे पूरा न्यायालय परिसर अस्त-व्यस्त हो जायेगा।

अधिवक्ताओं को तत्काल चेम्बर बनाने हेतु नये परिसर में स्थान आरक्षित कर आवंटित किया जाना आवश्यक है ताकि एक समुचित नक्शे के साथ एक रूपता में अधिवक्तागण अपने चेम्बर व्यक्तिगत रूप से बना सकेंगे। यदि सरकार ने तत्काल यह व्यवस्था नहीं की तो जनपद में अधिवक्ताओं का एक बड़ा जन आन्दोलन खड़ा हो जायेगा।

आपके माध्यम से सरकार से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी नगर में ईंधन गैस की आपूर्ति कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्याम देव राय चौधरी–

[महोदय, वाराणसी नगर में पिछले कई माह से ईंधन गैस की अनियमित और मनमाने आपूर्ति के कारण सभी उपभोक्ताओं को अपार संकट का सामना करना पड़ रहा है । सभी गैस के एजेंसियों पर दिन भर महिलाओं तथा पुरुषों की लम्बी लाइनें लगी रहती हैं । कई-कई माह से बुक कराये हुए उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ।

उक्त जनकष्ट के संबंध में एजेंसियों पर नागरिकों का प्रदर्शन तथा इण्डियन आयल कारपोरेशन तथा अन्य वितरकों के स्थानीय प्रतिनिधियों का ध्यान तथा जिला आपूर्ति एवं जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराये जाने के बावजूद भी इस समस्या के निराकरण हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किये जिससे जनकष्ट ज्यों का त्यों बना हुआ है और जनरोष भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ।

उक्त समस्या के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि इंडियन आयल के स्थानीय प्रतिनिधि, जिलाधिकारी, वाराणसी तथा सभी गैस वितरकों के बीच उक्त समस्या का निराकरण हेतु आपसी वार्ता हेतु निर्देश शासन स्तर से अविलम्ब दिया जाय ।

अतः मैं उक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय और सुनिश्चित विषय के तरफ माननीय सदन का ध्यान नियम 301 के अन्तर्गत आकृष्ट करते हुए समस्या के निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

प्रतापगढ जनपद गौरा पावर हाउस 33/11 के० वी० के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (गुरू जी)–

[महोदय, प्रतापगढ़ जनपद के वि० ख० गौरा का 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है, विकास खण्ड गौरा की जनता अंधेरे में जीने को मजबूर है, यह क्षेत्र दलितों एवं पिछड़ों का बाहुल्य क्षेत्र है । पिछले बारह वर्षों से जमीन अधिग्रहीत करके इसे उपेक्षित छोड़ दिया गया है । जनता की आशा धूमिल पड़ गयी है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा/तत्काल ध्यान आकृष्ट कराने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सदन में सूचना देता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बाराबंकी के हैदरगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत समस्त माईनरों की खुदाई व सफाई कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

[महोदय, बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र की शारदा नहर शाहपुर मेघार तथा बलीपुर, खानपुर, बेहटा, सुबेहा, शरीफाबाद, हसनपुर आदि लाही माइनरों की खुदाई एवं सफाई का कार्य सिंचाई विभाग अधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही से समय से न किये जाने के कारण किसानों द्वारा बोयी गई फसल सूख रही है किसानों के सामने विकट भुखमरी की गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

बांदा जिले के विकास खण्ड मऊ में स्थित बरगढ़ मड़हा मार्ग में रपटा बनवाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मन्नू लाल कुरील–

[महोदय, बांदा जिले के ग्राम बरगढ़ से मड़हा मार्ग में रपटा न बनने से ग्रामीणों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । ऐसी स्थिति में जबकि बांदा जिले से लगा हुआ मध्य प्रदेश का रीवा जनपद है । यदि यह रपटा बन जाता है तो बरगढ़ ग्राम का विकास मध्य प्रदेश के लोगों के आने जाने से हो सकता है । इसके लिये जिले स्तर पर मैंने काफी प्रयास किया लेकिन उपरोक्त रपटा बनने में जिला प्रशासन की निष्क्रियता प्रतीत होती है ।

अस्तु आपसे प्रार्थना है कि अपने स्तर से जिला प्रशासन को निर्देशित करे कि उपरोक्त रपटा को तत्काल बनाने के लिये धनराशि देने का कष्ट करें, ताकि इस क्षेत्र की गरीब जनता को आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो ऐसी अपेक्षा है ।]

आगरा महानगर को विद्युत कटौती से मुक्त किये जाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश विकल–

[महोदय, आगरा अपनी ऐतिहासिक इमारतों तथा विशिष्ट पर्यटन स्थलों के कारण पर्यटकों की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण शहर है । देश विदेश के लाखों पर्यटक आगरा आते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा तथा लोगों को आय का अर्जन होता है इसके अलावा ताजमहल की सुरक्षा व सौन्दर्य की रक्षा के कारण प्रदूषण की दृष्टि से उद्योगों में जनरेटर चलाये जाने पर प्रतिबन्ध है । वर्तमान में जबकि शीतकाल चल रहा है तब भी हालत यह है कि 4 से 8 घण्टे तक प्रतिदिन वहां विद्युत आपूर्ति से कटौती होने के कारण बिजली गायब रहती है । जिसकी वजह से पर्यटकों को अत्यन्त कष्ट व असुविधा होती है तथा पर्यटन उद्योग विदेशी मुद्रा के अर्जन कर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । साथ ही उद्योग धन्धे चौपट होने से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्रमिकों के सामने मुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है । जलापूर्ति बाधित हो जाने से जनता को बिना बिजली के भारी परेशानी उठानी पड़ रही है । जनता में भारी बेचैनी है कि आगामी ग्रीष्मकाल में भीषण विद्युत संकट से किस तरह जीना मुश्किल हो जायेगा ?

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुए मैं मांग करता हूं कि आगरा के महत्व और महानगर की दृष्टि से उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए आगरा को विद्युत कटौती से पूर्णतः मुक्त किये जाने के लिये शासन की ओर से तत्काल आदेश दिया जाय ।]

वाराणसी के कई क्षेत्रों में बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

[महोदय, वर्तमान समय में नगरीय जनसंख्या के बढ़ने के कारण महानगर की सीमा बढ़ती जा रही है, लेकिन नगर प्रशासन तथा शासन इन क्षेत्रों में जन जीवन की अति आवश्यक सुविधाओं को भी सुलभ नहीं करवा पा रही है । वाराणसी में महुआडीह, रानीपुर, तुलसीपुर, बड़ी गैली स्थित विकास प्राधिकरण आवास क्षेत्र, शिवपुरवा, बजरडीहा क्षेत्र आज के दिन भी पिछले बरसाती पानी से डूबा हुआ है । प्रशासन केवल सड़क के पानी को निकाल पाया है । यह क्षेत्र सैकड़ों वर्षों से अनेक गरीब और पिछड़े लोगों का क्षेत्र है । चारों तरफ कालोनियों से घिर जाने के कारण यह क्षेत्र नीचा हो गया है, और पानी निकासी का कोई साधन न होने के कारण, आज भी ये क्षेत्र पानी में डूबा है । पानी सड़क पर नीला तथा हरा हो गया है और क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है । बरसात के समय इन क्षेत्रों में प्रति वर्ष भयंकर संक्रामक रोग फैल जाता है ।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करती हूं ।]

आगरा के तहसील किरावली के ग्राम ढिलावड़ी में हजारों एकड़ फसल आगरा टर्मिनल नहर के रिसाव से नष्ट होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

[महोदय, जनपद आगरा की तहसील किरावली के ढिलावटी ग्राम की हजारों एकड़ भूमि आगरा टर्मिनल नहर के रिसाव से नष्ट हो गयी है । नष्ट हुई फसल में गेहूं, जौ, लाहा, बरसीम, गल कर सड़ रही है । इस सड़ाध से भयंकर रोग फैलने का अंदेशा हो गया है । किसानों की फसल नष्ट होने से चारा समाप्त हो गया और वे अपने कीमती और दूध देने वाले पशुओं को बेमूल्य बेच रहे हैं और अन्न उत्पादन न होने की कल्पना से उनमें भारी परेशानी और बेचैनी है । प्रभावित किसान दुखी और चिंतित हैं । सिंचाई विभाग ने या नहर विभाग ने उनकी बार-बार प्रार्थना पर ढिलावटी में बनाये हुये सीपेज नाले

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

को साफ नहीं करवाया और अब किसानों की इस बरबादी और दुर्व्यवस्था को आंख मूंदकर सिंचाई विभाग और प्रशासन देख रहे हैं। किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को शासन के संज्ञान में लाकर ढिलावटी से सीपेज ड्रेन को तुरन्त खुदवाने और दोषी अभियंताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद ललितपुर के मंडावरा विकास खण्ड के कितपय ग्रामों में ओलावृष्टि से पीड़ित लोगों को राहत दिलाये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[महोदय, दिनांक 8/9-1-95 एवं दिनांक 3-2-95 को जनपद ललितपुर के विकास खण्ड मड़ावरा के ग्राम–हसरा, हसरी, गैंगवारी, सीरोन लिधौरा, रजौला, पिसनारी, उलदना, भीकमपुर, हीरापुर, सुनौली, पिपरिया, नन्हीं फीडर, कारीटोरन, गिदवाहा में ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र वैसे ही पिछड़ा एवं गरीब है उक्त क्षेत्र का किसान उक्त दैवी आपदा से बुरी तरह पीड़ित है। शासन द्वारा अभी तक कोई सहायता न दिये जाने से तथा सरकार ऋण की वसूली जबरदस्ती होने से किसानों में काफी रोष है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि शासन द्वारा समस्त प्रकार की वसूली रोककर ओला पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाया जाय तथा किसानों के भरण-पोषण हेतु उक्त क्षेत्र में कार्य खोले जायें जिससे मजदूरी कर कृषक अपना भरण-पोषण कर सकें।]

दिनांक 17/18 जनवरी, 95 को इलाहाबाद शहर में हुई घटना की जांच कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[महोदय, 17/18 जनवरी, की रात 10 बजे के लगभग तीन सिपाही जय नारायण दुबे, राकेश कुमार व सुरेश चन्द्र मिश्र जब इलाहाबाद शहर में एक पुलिस अधिकारी के आवास के सामने पहुंचे, वैसे ही एक मारुति कार इन तीनों के बगल में आकर रुकी। इस मारूति में से लगभग आधा दर्जन असलहों से लैस बदमाशों ने उतर कर जय नारायण को धर दबोचा तथा अन्य दोनों सिपाहियों को भाग जाने को कहा। एक बदमाश ने रायफल लोड करके जय नारायण पर गोली चला दी तथा फिर मारूति कार से फरार हो गये।

गम्भीर अवस्था में उक्त सिपाही को उसके साथियों ने राज नर्सिंग होम में दाखिल कराया। जहां हजारों सिपाही सूचना पाते ही अपने साथियों को हर स्तर पर मदद पहुंचाने में जुटे थे, वहीं के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने ही सिपाहियों के खिलाफ 307 का मुकदमा कायम कराने में जुटे थे। यह सपा विधायक के इशारे पर किया जा रहा था, क्योंकि बदमाशों में से एक सपा विधायक का रिश्तेदार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सफेद रंग की मारूति कार–800 (बिना नम्बर की) जो कि विधायक की है पकड़ी गयी है ।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रुख से शहर के पुलिस कर्मियों एवं नागरिकों में काफी रोष व्याप्त है । सरकार से अपेक्षा है कि वह अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे तथा पुलिस कर्मियों को न्याय प्रदान करे ।

अतः लोक महत्व के इस निश्चित अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

जनपद बांदा की कर्वी तहसील में नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

[महदोय, बांदा जिले के अन्तर्गत कर्वी तहसील सबसे पिछड़ा इलाका है, जिसमें जहां एक ओर चित्रकूट धाम है जो देश में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहीं दूसरी ओर अत्यन्त पिछड़ा पाठा इलाका है । पूरा क्षेत्र सिंचित जमीन के मामले में अत्यन्त पिछड़ा है । जिसके लिये पम्प हाउस हैं । पेयजल के निदान के लिये पाठा जल संस्थान है, लेकिन सभी बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण बेकार हैं । देहाती क्षेत्रों में तो कई-कई माह तक विद्युत नहीं आती है । क्षेत्र के पहाड़ी ब्लाक तथा चित्रकूट ब्लाक में लगभग प्रतिदिन 5 बजे से करीब 10 बजे रात्रि तक विद्युत नहीं रहती है गांवों में अंधकार है । बिजली न आने से पम्प हाउस बन्द है । फसलें सूख रही हैं । निजी ट्यूबवेल भी बेकार पड़े हैं । छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है उद्योग बन्द हैं । विद्युत अधिकारी एवं कर्मचारी लापरवाह होकर घरों में पड़े रहते हैं । अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य हेतु नहीं जाते हैं । ट्रांसफार्मर महीनों से जले पड़े हैं । कर्वी पावर हाउस का 5 एम० बी० ए० लाइन ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है । तारें टूटी पड़ी हैं दफ्तरों में जाने से जले ट्रांसफार्मर बदलने के लिये एक हजार रुपया से दो हजार रुपये की मांग की जाती है । बिजली की आपूर्ति नहीं है, फिर भी बिल आ रहे हैं पूरे क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची है । नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए बांदा जिले के कर्वी तहसील में विद्युत आपूर्ति नियमित कराने, कर्वी स्थित पावर हाउस की क्षमता बढ़ाने, जले ट्रांसफार्मर बदलवाने, तार क्लंप एवं अन्य सामान की आपूर्ति उपलब्ध कराने, अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने क्षेत्र में जाकर कार्य कराने एवं लापरवाह अधिकारी एवं कर्मचारियों को दण्डित कराने के लिये शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

सहकारी बैंक, चोपन, जनपद सोनभद्र लैम्पस लोन के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा निर्धनों के शोषण विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० सरजीत सिंह डंग–

[महोदय, लैम्पस के माध्यम से कृषि ऋण खेतिहर किसानों को देने का प्राविधान है । किसानों को खाद, बीज एवं कुछ नकद धनराशि देने की व्यवस्था है लेकिन कौन लैम्पस के माध्यम से सहकारी बैंक, चोपन के ऐसे लोगों को ऋणी दिखाया जिनके पास आवास के अतिरिक्त कोई भूमि या तो नहीं है या एक एकड़ से कम है । कागजों में ऐसे तथाकथित ऋणियों के पास 10–15 एकड़ का फर्जी काश्तकार दिखाया गया है तथा उन्हें 9 से 10 हजार रु० का कर्जदार बना दिया गया है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ये फर्जी ऋणग्रस्त लोग अनपढ़ एवं निरक्षर हैं तथा इन्हें बुलाकर अनुदान अथवा रोजगार के लिये कर्ज देने का लालच दिया गया । सादे कागजों पर अंगूठे का निशान लेकर कागजी कार्यवाही पूरी कर ली गयी ।

कौन लैम्पस मेरे ग्राम सभा में आती है जबकि लैम्पस के बाहरी लोगों के नाम कर्ज दिखाया गया है। कौन लैम्पस के अन्तर्गत आने वाली ग्राम सभाओं में चेरो जाति के आदिवासी बिल्कुल नहीं रहते । किन्तु कौन ग्राम सभा के बीरबल, चेरो, राम प्रसाद चेरो तथा शिव प्रसाद चेरो को ऋणग्रस्त दिखाया गया है । ऐसे नागरिक जिन्हें कृषि के नाम पर ऋण दिया जाना दिखाया गया है जिनके पास कोई भूमि नहीं है उदाहरणार्थ देव नारायण पुत्र श्री भगवत, निवासी खेतकरवा पट्टू चमार पुत्र श्री रामचरित्र ग्राम कोन, राजाराम पुत्र रामचरित्र ग्राम कोन शिव नारायण पुत्र जगदीश ग्राम कोन इत्यादि । इनके पास मकान के अलावा कोई कृषि योग्य जमीन नहीं है ।

झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले डोम भी भ्रष्टाचारी अधिकारियों से बच नहीं पाये हैं । रोगी डोम, गुलाब डोम इत्यादि अत्यन्त निर्धन भूमिहीनों को भी ऋणग्रस्त दिखाया गया है । इसी प्रकार आदित्य मिस्त्री, गुरूराम पुत्र चतुरी राम, जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है को ऋणग्रस्त दिखाया गया है ।

इन सभी फर्जी रूप से ऋणग्रस्त लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है ।

आपसे आग्रह है कि इस सारे प्रकरण की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवायें तथा इन फर्जी रूप से ऋणग्रस्त दिखाये गये अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के निर्धन लोगों का उत्पीड़न तत्काल रोकने का आदेश दिलवायें तथा जांच करवा कर भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा सदन में उठाने की अनुमति प्रदान करें । ।

शाहजहांपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों को पिछले दस माह के बकाये वेतन के भुगतान की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर नगर परिषद् के सफाई कर्मचारियों को पिछले दस माह से अधिक समय का वेतन न मिलने के कारण समस्त सफाई कर्मचारी 34 दिनों से हड़ताल पर हैं पिछले 34 दिनों नगर में सफाई नहीं हुई नालियों का कीचड़ व पानी सड़कों पर बह रहा है । कई मुख्य मार्ग तालाब बन गये हैं । स्थान-स्थान पर कूड़े के ढेर दिखाई पड़ते हैं आवागमन बुरी तरह अवरुद्ध हो चुका है पूरा नगर नरक बन गया है । नगर में गन्दगी के कारण संक्रामक रोग फैलने लगा है । पालिका कार्यालय में ताले लगे हैं सम्पूर्ण जनजीवन इससे प्रभावित है कर्मचारी व प्रशासन की वार्ता विफल हो गयी, कर्मचारी बिना वेतन पाये काम पर आने को तैयार नहीं हैं ।

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सफाई कर्मचारियों के सामने भी भुखमरी की स्थिति है । कई बीमार कर्मचारियों को इलाज कराने की भयंकर समस्या है ।

दो वर्ष पूर्व गन्दगी के कारण शाहजहांपुर में डेगू व वायरल बुखार फैला था जिससे 200 लोगों की मृत्यु हो गयी थी । पुनः वैसी स्थिति दिखाई पड़ती है यदि अविलम्ब कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त न कराई गई तो पूरा नगर संक्रामक रोग की चपेट में हो जायेगा । सैकड़ों लोगों के जीवन को खतरा होगा । मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि अविलम्ब नगर परिषद् शाहजहांपुर के कर्मचारियों का वेतन देकर हड़ताल समाप्त कराई जावे । ताकि सैकड़ों लोग संक्रामक रोग से बच सकें ।]

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के पुनर्वास योजना से संबंधित शासनादेश दिनांक 4 जनवरी, 93 के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गयाचरण दिनकर–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरुष/महिला को सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक आधार पर शोषित, उत्पीड़ित अपमानित करने की परम्परा बरकरार रखने का नियम हमेशा रहा है । अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु शासनादेश सं० 727/26-77-9(37)/76, दिनांक 3 फरवरी, 1978 पुनः परिवर्तित रूप शासनादेश संख्या–5483/26-1-9(37)/76, दिनांक जनवरी, 4, 1983 में स्वीकृत आर्थिक दरें निश्चित की गयी वर्णित शासनादेश बिन्दु–5 पर अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के साथ बलात्कार होने पर रुपये 5000 सहायता राशि देने की व्यवस्था की गयी है, जिस देश में हिन्दू परम्परा के अन्तर्गत नारी को धन (लक्ष्मी) शक्ति (दुर्गा) एवं विद्या (सरस्वती) का प्रतीक मानकर पूज्यनीय दर्जा दिया गया हो, उसी देश की किसी वर्ग विशेष महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे अक्षम्य अपराध को बरकरार रखने के लिये मूल्यांकन निश्चित करके सम्पूर्ण वर्ग के साथ दुर्व्यवहार एवं ज्यादती की गयी है जाति वर्ग, कद रूप रंग भाषा क्षेत्र के आधार पर किसी महिला की इज्जत का मूल्यांकन निश्चित किया जाना जिम्मेदार एवं लायक लोगों का कार्य कदापि नहीं हो सकता ।

मुझे यह नहीं समझ में आता कि किसी महिला की अस्मत लूटने का मूल्यांकन रुपये 5000/- सम्मानित सज्जनों ने कैसे निश्चित कर दिया, यदि अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित महिला के साथ बलात्कार होने की दशा में रुपये 5000 की सहायता राशि देने का प्राविधान है तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उच्च वर्ग की महिलाओं को इस सहयोग राशि से वंचित क्यों किया गया है । शासन को योग्यता, श्रेष्ठता, सामाजिक स्तर को आधार मानकर यह राशि निश्चित करनी चाहिए थी जाति आधार पर नहीं। किन्तु भारतीय संविधान के बजाय मनु-संविधान को बरकरार रखने की मानसिकता से ओत-प्रोत उत्तरदायी व्यक्तियों में मानवीय मूल्यों का हनन किया है, यही कारण है कि 98% घटनाएं केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ ही घटित होती हैं समता, न्याय एवं बन्धुत्व पर आधारित संवैधानिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

व्यवस्था होते हुए भी प्रश्नगत वर्ग की सुरक्षा, संरक्षा, अधिकार, प्रगति एवं स्वाभिमान के प्रति शासन व प्रशासन उदासीन है, यह अत्यन्त खेदजनक व चिन्ता का कारण है ।

अतः उपरोक्त संदर्भ में विनम्र अनुरोध है कि समस्त राजनैतिक दलों/समाजसेवियों/विधिवेत्ताओं (संबंधित वर्ग) के लिखित सुझाव संकलित कर अविलम्ब मानवीय मूल्यों पर आधारित न्यायसंगत शासनादेश जारी करने हेतु उ० प्र० सरकार पारित करने का कष्ट करे ।]

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य कमजोर वर्ग की बस्तियों के समीप खोले गये शराब के ठेकों को हटाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुरलीधर–

[मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिकांशतया शराब की दुकानें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग की बस्तियों के मध्य अथवा समीप खोलकर बिक्री की जाती हैं, शराब के नशे में मानसिक संतुलन बिगड़ने का बहाना लेकर गाली-गलौज, मारपीट एवं अश्लील हरकतें कमजोर लोगों की बहू-बेटियों के साथ की जाती हैं । प्रश्नगत बस्तियों में शराब की दुकानें इस आशय से सफल रहती हैं कि शराब का नशा आसानी से कमजोर लोगों पर उतारा जा सकता है, प्रति उत्तर में उसका कुछ भी मूल्य नहीं मिलता है और न ही उपाय रह जाता है । मुझे प्रतीत होता है कि आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से अविकसित लोगों के साथ बदले की भवना से समाज के कुछ अराजक एवं अमानवीय व्यक्ति इस परम्परा को अनवरत बनाये रखना चाहते हैं । आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से अग्रणी लोगों की बस्तियों के मध्य प्रश्नगत दुकानें स्थापित किया जाना भी जनहित में नहीं है । यदि समस्त शराब की दुकानें सम्बन्धित पुलिस स्टेशन के समीप व्यवस्थित की जायें, तो क्रेता एवं विक्रेता को सहूलियत मिलने के साथ-साथ अन्याय, अत्याचार एवं उपद्रव पर नियंत्रण करना आसान हो जायेगा ।

अतः सानुरोध निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में समस्त शराब की दुकानें मानवीय दृष्टिकोण से बस्तियों के मध्य से हटाकर समीपस्थ पुलिस स्टेशन के करीब स्थापित/व्यवस्थित किये जाने हेतु उ० प्र० सरकार को स्पष्ट आदेश पारित करने की कृपा करें ।]

जनपद देवरिया में विद्युत आपूर्ति सुधार विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[महोदय, प्रदेश में किसानों व्यापारियों एवं उद्योगों की मांग के अनुसार विद्युत आपूर्ति न होने से उपभोक्ता परेशान हैं । सामान्य उपभोक्ताओं को ही विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है । जिससे छात्र, चिकित्सक एवं आम नागरिक दुखी हैं । विद्युत आपूर्ति न होने से पेयजल की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है । अघोषित विद्युत कटौती से नगरों में आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विद्युत उत्पादन गृहों को निर्धारित क्षमता से कम चलाने, कोयले की पर्याप्त व्यवस्था न होने तथा भारी भ्रष्टाचार के पनपे विद्युत की भयंकर चोरी हो रही है। वरिष्ठ अधिकारी गिरोह के रूप में एक ही स्थानों पर अनेकों वर्षों से महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। गम्भीर शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अनेक परियोजनाओं एवं कार्यों में करोड़ों रुपये के घपले किये गये हैं।

देवरिया में भी अघोषित कटौती होने, तार, खम्भे एवं ट्रांसफार्मर की आपूर्ति न होने से भारी संकट पैदा हो गया है। विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है।

मैं शासन से अविलम्ब निरन्तर विद्युत आपूर्ति मांग के अनुसार करने एवं विद्युत सामानों की सुलभता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदान चाहता हूं।]

देशी शराब की दुकान बंसीवाला, देहरादून को स्वीकृत स्थान पर ले जाने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[महोदय, शासन द्वारा देशी शराब की दुकान बंसीवाला पछवा दून, जिला देहरादून के लिये स्वीकृत की गयी थी। किन्तु इस दुकान को ग्राम हैडवाली में चलाया जा रहा है। जबकि दुकान की चौहदी निर्धारित होती है। जनता बार-बार कहती आ रही है कि देशी शराब की दुकान को स्वीकृत स्थान पर ले जाया जाये। किन्तु जिला प्रशासन कोई गौर नहीं कर रहा है।

मेरा शासन से अनुरोध है कि उक्त देशी शराब की दुकान को तत्काल स्वीकृत स्थान पर ले जाया जाये। इसी में जनहित होगा।]

मेसर्स सीतापुर प्राइवेट मैन्युफैक्चर्स लि०, सीतापुर में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों पर हो रहे उत्पीड़न विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कृष्ण–

[महोदय, मेसर्स सीतापुर प्राइवेट मैन्यूफैक्चर्स लि०, सीतापुर में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों को बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। सेवायोजकों द्वारा कर्मचारियों से उनके भविष्य निधि का अंश काट लिया जाता है परन्तु उनके खाते में नियमित नहीं जमा किया जाता। दिसम्बर, 93 से मई, 94 अब तक अक्टूबर, 94 से वर्तमान तक नहीं जमा किया जाता। अक्टूबर, 90 से अब तक मालिकों का अंश भी जमा नहीं होता। परन्तु प्रावीडेन्ट फण्ड आयुक्त द्वारा धन जमा कराने के बारे में कोई समुचित कार्यवाही नहीं हुई। कर्मचारियों को जमा की रसीद भी नहीं मिलती है। ग्रेच्युटी की किश्तें मालिकों द्वारा जमा न होने से रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी नहीं मिलती तथा भविष्य निधि के बारे में अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हमारी मांग है कि (1) सेवायोजकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करके अंशदान नियमित जमा कराया जाय (2) मजदूरों का अंश तत्काल आयुक्त के यहां जमा कराया जाय (3) चूंकि मजदूरों का अंश जमा है अतः आयुक्त अपने विशेष आरक्षित कोष से नियोजक अंश का भुगतान करावें (4) ग्रेच्युटी की पालिसी का धन भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा किया जाये ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के गोपाल कृष्ण गोखले शिक्षा सदन को दैवी आपदा क्षतिपूर्ति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री स्वयंबर चौधरी–

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र 171 इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर में गोपाल कृष्ण गोखले शिक्षा सदन कठेला बाजार में है । इस विद्यालय की भौगोलिक परिस्थिति अत्यन्त पिछड़े क्षेत्र की है और इस विद्यालय से तहसील थाना विकास खण्ड और भी संस्थायें जिनसे जनता को लाभ मिलता है सभी 30 कि०मी० दूरी पर हैं । यहां और दूसरा विद्यालय भी इतनी ही दूरी पर है यहां के गरीब छात्रों की पढ़ाई का एक मात्र सहारा यही विद्यालय है । दुर्भाग्यवश इसी वर्ष 94-95 में 8/9 फरवरी की रात्रि में आई भीषण आंधी में पूरे विद्यालय की टीनशेड और सभी छप्पर को उड़ाकर नष्ट कर दिया तथा दीवालें भी क्षतिग्रस्त हो गयीं । विद्यालय परिसर में कहीं पेड़ भी नहीं है कि उसके नीचे बैठाकर छात्रों को पढ़ाई का कार्य किया जा सके बरसात के समय में सभी बच्चे भीगते रहते हैं जिससे कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है । इस दुर्घटना की सूचना परगनाधिकारी इटवा के माध्यम से जांच कराकर बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा जांच रिपोर्ट 85,000 रु० की क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के कार्यालय में लम्बित है ।

कृपया गोपाल कृष्ण गोखले शिक्षा सदन कठेला बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के पिछड़ेपन तथा विद्यालय की दयनीय स्थिति को देखते हुए जनहित में विद्यालय का दैवी आपदा से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति मिलना अत्यन्त आवश्यक है ।

इसलिये यह एक अति महत्वपूर्ण अविलम्ब विचार योग्य प्रश्न है जिस पर विधान सभा में चर्चा नियम 301 के अन्तर्गत कराने का कष्ट करें ।]

जनपद देवरिया के क्षेत्र रुद्रपुर को गोर्रा व राप्ती नदियों के कटान से बचाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुक्तिनाथ यादव–

[मान्यवर, जनपद देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर जो गोर्रा व राप्ती नदियों के कटान व बाढ़ से बराबर बर्बाद होता चला आ रहा है ।

उक्त नदियों के कटान से प्रत्येक वर्ष दर्जनों गांव नदी के धारा में विलीन हो रहे हैं ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैंने सदन के माध्यम से पूर्व में भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था लेकिन कोई सक्षम कार्यवाही नहीं हुई ।

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल पर सदन के माध्यम से सरकार को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश देने की कृपा करें ।]

जनपद गोण्डा की बलरामपुर चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों की बेसिक कोटे के हिसाब से पर्ची जारी करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री घनश्याम शुक्ल–

[मान्यवर, मेरे जिला गोण्डा के अन्तर्गत गन्ना विभाग में गन्ना माफिया जिला गन्नाधिकारी के संरक्षण में लिप्त हैं । पिछले वर्ष बलरामपुर चीनी मिल द्वारा 63 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई की गयी थी। इस वर्ष जिला गन्नाधिकारी व गन्ने के बड़े माफियों द्वारा 1 करोड़ 11 लाख कुन्टल का फर्जी सट्टा भरा गया है जबकि वास्तविक गन्ना 80 लाख कुन्टल से ज्यादा नहीं है । आज गन्ना माफियाओं की पर्ची तो जारी हो रही है लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आम गरीब गन्ने के किसानों का न तो सर्वे किया गया है और ही उनका बेसिक कोटा फीड किया गया है जिससे कि आम गन्ना किसान आज बड़े माफियाओं से रु० 200 प्रति बैलगाड़ी व रु० 500 प्रति ट्राली की पर्ची खरीदने को मजबूर है । जिला गन्नाधिकारी को उपरोक्त प्रकरण में कई बार लिखकर दिया जा चुका है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हुई है ।

अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि गन्ने की पर्ची पिछले वर्ष की बेसिक कोटे के हिसाब से जारी कराकर एक सप्ताह के अन्दर सर्वेक्षण कराकर गन्ना किसानों को बेसिक कोटे के हिसाब से पर्ची जारी कराने के लिये सरकार को नियमानुसार कार्यवाही करने एवं जवाब दिलाने की कृपा करें ।]

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् से हस्तान्तरित लखनऊ जल संस्थान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी पम्प आपरेटरों को नियमित करने की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री समीर भाटी–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ में लगभग 7-8 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्यरत 100 पम्प आपरेटरों को दिसम्बर, 1992 में जल संस्थान लखनऊ को कार्य-सहित हस्तान्तरित कर दिया गया था । हस्तान्तरण के समय तत्कालीन प्रमुख सचिव, आवास, विशेष सचिव, नगर विकास एवं महाप्रबन्धक, जल संस्थान के मध्य समझौता हुआ था कि हस्तान्तरित कर्मचारियों को दो माह के अन्दर नियमित कर दिया जायेगा किन्तु आज तक वे दैनिक वेतन पर ही कार्यरत हैं जबकि शासन के कई स्तरों पर पत्रावली में नियमितीकरण के आदेश भी हो चुके हैं । उक्त कर्मचारियों में

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*

नियमितीकरण न होने से घोर असंतोष व्याप्त है। जिससे किसी भी समय वे हड़ताल पर जा सकते हैं और लखनऊ में पेयजल आपूर्ति का संकट उत्पन्न हो सकता है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय कृपया इस संबंध में अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।]

जनपद चमोली में भूस्खलन से अनेकों गांवों के बसने व हजारों लोगों के जीवन को खतरा विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[मान्यवर, जनपद चमोली में रामगंगा के कटाव व भूस्खलन के अनेक गांवों को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। अनेक गांव ऐसे हैं जो कभी भी राम गंगा की बलि बन सकते हैं। कालीमाटी, रामकोट, मालकोट, लाटूगेर, टेटुण्डा, कुशरानी क्षेत्र में हाहाकार मची है। उधर गंगा के कटाव से जहां पुजारी गांव का अस्तित्व खतरे में है वहां सुमल्टागांव कभी भी पहाड़ से दबने की स्थिति में है। मकुण्डा गांव धंसता चला जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पौड़ी में भी रोली-बग्वाड़ी क्षेत्र, कुचौली, तथा आंताखोली के लोग दहशत में हैं। सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी इस दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य न किया जाना हजारों लोगों को मौत का कारण बन सकता है।

आपसे अनुरोध है हजारों लोगों के जीवन का ध्यान रखते हुए तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।]

प्रदेश में उच्च शिक्षा आयोग द्वारा चयनित प्राचार्यों को निजी प्रबन्धतंत्रों द्वारा कार्यभार ग्रहण न कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश चन्द्र तितौरिया–

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में एक अति लोक महत्व की समस्या को लेकर न्याय की मांग करता हूं। वर्ष 1989 में उच्च शिक्षा आयोग द्वारा उ० प्र० में महाविद्यालयों के रिक्त पड़े प्राचार्यों के पद हेतु चयन किया गया था परन्तु प्रबन्ध तंत्रों की मनमानी व षड़यंत्र के तहत कई प्राचार्यों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सका। उदाहरण स्वरूप डा० वीरेन्द्र शर्मा का चयन बी० एस० एम० कालेज, रुड़की के प्राचार्य पद पर हुआ था परन्तु आज तक इन्हें प्रबन्ध तंत्र ने न तो नियुक्ति पत्र जारी किया है और न ही कार्यभार ग्रहण कराया है। इसी प्रकार डा० के० के० शर्मा को एम० एस० कालेज, सहारनपुर में ज्वाइन नहीं कराया गया है। इसके विपरीत प्रबन्ध तंत्र अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु अपने गुट के टीचर्स को कार्यवाहक प्राचार्य बनाये बैठे हुए हैं। उदाहरणार्थ रुड़की में डा० योगेन्द्र नाथ को पिछले 7 वर्षों से अनियमित रूप से प्राचार्य का वेतन भुगतान किया जा रहा है। महोदय, उक्त स्थिति से सारे प्रदेश के शिक्षकों में रोष एवं कुंठा व्याप्त हो गयी है जो कि शैक्षणिक माहौल के लिये दुखद है। अस्तु

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरी मांग है कि विधिवत चयनित डा० वीरेन्द्र शर्मा आदि को प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा प्रबन्ध तंत्रों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाय ।]

जनपद उन्नाव में पुलिस उत्पीड़न विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नारायण–

[मान्यवर, उन्नाव जनपद में पुलिस उत्पीड़न की घटनाएं चरम सीमा पर हैं और पुलिस बेलगाम हो गयी है । थाना मौरावां, कस्बा मौरावां के निवासी अब्दुल हफीज की अण्डे की दुकान को मौरावां पुलिस ने उलट दिया और मारा पीटा । थाना अचलगंज में निवासी नन्द किशोर के पुत्र के उन्नाव शहर से लापता हो जाने के बावजूद लापता पुत्र के बाप को पुलिस कोतवाली की पुलिस ने उल्टा लटकाया और पुत्र का पता पूछा । असोहा थाने के थानाध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा, पुरवा के महामंत्री श्री सन्तोष कुमार चौहान को अपमानित किया । दिरगजखेड़ा के निवासी गोकरन कोरी को थानाध्यक्ष ने जूतों से मारा । रामशंकर चौरसिया निवासी दौऊ की एफ० आई० आर० न लिखकर उन्हें ही मारपीट कर भगा दिया ।

मुलायम यूथ ब्रिगेड के जिला उपाध्यक्ष श्री शिवकुमार सोनी की दुकान में बिहार पुलिस ने भयंकर उत्पात किया और पत्नी को बेइज्जत किया । गंगा घाट की पुलिस ने बिन्दा पासी सहित अनुसूचित जाति के तीन लोगों के बाल बनवा दिये । पूरे जनपद में पुलिस के विरुद्ध जनता में आक्रोश है । जनपद की पुलिस आतंकित कर रिश्वतखोरी और उगाही में लगी है । अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासनादेशों की उपेक्षा विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नजमउद्दीन–

[मान्यवर, मैं इस सदन के संज्ञान में लाते हुए लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ।

मैंने लोकहित में नहर-ड्रेन-पुल-साइफन के निर्माण हेतु कई एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा, जिस पर उनका स्पष्ट आदेश/निर्देश हुआ कि यह कार्य कराया जाय, सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी उन आदेशों का खुला उल्लंघन किया । पत्रों का विवरण विधायक प्रकोष्ठ के रजिस्टरों पर जनपद इलाहाबाद, दिनांक 12-4-94 को दो पत्र 23-4-94को 4 पत्र, दिनांक 29-1-94 को एक पत्र, दिनांक 8-4-94 को एक पत्र, 12-7-94 को एक पत्र, 17-8-94 को एक पत्र, 23-8-94 को एक पत्र, 9-9-94 को 8 पत्र, 12-9-94 को एक पत्र, 28-10-94 को एक पत्र, 10-11-94 को 2 पत्र, 17-11-94 को एक पत्र, 19-11-94 को दो पत्र तथा 31-12-94 को एक पत्र दर्ज हैं ।

नोट :– [| यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसे लोक महत्त्व के कार्यों पर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश एवं निर्देश देते हुए संबंधित पत्रों के कार्यों को तत्काल करवाने का सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आदेशित करें।]

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा महानगर में यू० पी० अरबन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट ऐक्ट, 1993 के विरुद्ध कार्य करने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० राम बाबू हरित–

[मान्यवर, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा महानगर में यू० पी० अरबन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट, 1973 के नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है। जैसे धारा 28 को उप धारा (1) एवं धारा 25 व 27 के अन्तर्गत अधिकारी नोटिस देकर शमन शुल्क लाखों में ध्वस्तीकरण का डर दिखा कर जमा करने को बाध्य कर रहे हैं। जबकि यह 10,000 (दस हजार) से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नक्शा पास करने हेतु 5% बाह्य विकास का शुल्क व 8% सुपरवीजन चार्ज होने के बावजूद 180 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क कर दिया है। विकास शुल्क का लिया धन आगरा के विकास पर न खर्च करके अन्यत्र खर्च किया जा रहा है। विकास शुल्क का लिया धन आगरा के विकास पर खर्च न करके हुडको का कर्ज चुकाने में किया जा रहा है। पार्कों को बेचा जा रहा है।

मेरी आपके माध्यम से मांग है कि आ० वि० प्रा० को सरकारी व्यापारी उद्योग के स्थान पर जनता को विकास पर राहत देने वाला विभाग बनाने का कष्ट करें।]

जिला अस्पताल, सीतापुर में रसायनों के न होने से पैथोलोजी का कार्य ठप्प होने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रमेश कान्त लवानियां–

[मान्यवर, जिला चिकित्सालय, सीतापुर पैथौलोजी विभाग में रक्त एवं पेशाब आदि की जांच में प्रयोग होने वाले आवश्यक रसायनों के न होने से पैथोलाजी का समस्त कार्य महीनों से ठप है। रोगियों को रक्त देने के लिये लोग लोग खून निकलवा लेते थे। शासन का आदेश है कि रक्त देने का इच्छुक व्यक्ति रक्त देने से पूर्व एड्स की जांच करा ले परन्तु जांच हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध न कराने से जांच की शर्त पूर्ण करने के नाम पर रक्त नहीं निकाला जाता। रक्त के अभाव में गम्भीर आपरेशन नहीं होते। रोगी दम तोड़ते हैं। एड्स परीक्षणार्थ लखनऊ आना पड़ता है। धनवान लोग तो रक्त लखनऊ से खरीद लेते हैं परन्तु गरीब जो कि अपने संबंधी से खून प्राप्त कर काम चलाना चाहता है वह मर रहा है।

अतः वहां तत्काल पैथोलोजी जांच हेतु आवश्यक रसायन तथा एड्स परीक्षण किट उपलब्ध कराई जाए।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के लाटरी टिकटों की बिक्री से लाखों लोगों के भुखमरी का शिकार होने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल आपने उत्तर प्रदेश में प्रचलित लाटरियों के संबंध में सूचना को स्वीकृत किया था ....

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना कल दी गई थी, लाटरी वाली, सबसे पहले उसे और उसके बाद अन्य सूचनाओं को ले रहा हूं।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, लाटरी वाले मामले के बाद शाहगंज में जो घटना घटी है, जिसमें एक सिपाही की मृत्यु हुई है, के प्रकरण को ले लें।

श्री अध्यक्ष–

ले लेंगे।

लाटरी बन्द किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सर्वश्री प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल, जगदम्बिका पाल, हरिशंकर तिवारी, नरेन्द्र सिंह एवं श्री सुरेश कुमार खन्ना की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं सबसे पहले श्री जगदम्बिका पाल जी को बुला रहा हूं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आपने आज सुबह कहा था कि हम आपकी सूचना को वरीयता के आधार पर ले लेंगे। मान्यवर, यह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रकरण है, आपको कम से कम सहृदय होना चाहिए, दयालुता प्रदर्शित करनी चाहिए। यहां राष्ट्रपिता का मसला आता है तो वरीयता दी जाती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी देश की सेवा की है, इसलिये इस प्रकरण को वरीयता के आधार पर ले लें।

श्री अध्यक्ष–

इसको ले लूंगा, कल मैं लाटरी वाले मामले में आश्वासन दे चुका था।

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश में आज जिससे लाखों करोड़ों परिवार प्रभावित हो रहे हैं, वह विषय जगदम्बिका पाल या कांग्रेस विधान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मण्डल दल का नहीं है । कदाचित इस विषय से विपक्ष या सत्ता पक्ष में बैठे हुये सभी सम्मानित सदस्यों को चिन्ता होगी कि उनके अपने क्षेत्रों में, जिला मुख्यालयों, तहसीलों और ब्लाक स्तर पर जिस तरह से वर्तमान समय में लाटरी का प्रचलन हो रहा है, आज पूरे प्रदेश में यह एक गम्भीर समस्या चली जा रही है । पिछले एक वर्ष में यह समस्या बढ़ी है । आज श्रम करने वाला श्रमिक जिसकी दिन भर की आमदनी कुल होती होगी, वह उन पैसों को अपने घर आटा सब्जी ले जाने के बजाय लाटरी खरीदने में खर्च कर देता है, और उसके बच्चे भूखे रह जाते हैं । आज पूरे प्रदेश में लाखों गरीब परिवार के घर में खाना नसीब नहीं होता है । आज पूरे प्रदेश में जगह-जगह जिस तरह से बस स्टेशन, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, कचेहरी में लाटरियों के स्टाल लग रहे हैं उससे स्थिति काफी भयावह होती चली जा रही है । स्थिति यह है कि आज तीमारदार अपने मरीज की दवा खरीदने के बजाय लाटरी खरीदने में पैसा खर्च कर देता है, परिणाम यह होता है कि उसके अपने घर के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन वह विवश है लाटरी खरीदने के लिये । इस लाटरी को रोकने के लिये कोई प्रयास करना चाहें तो नहीं हो सकता । क्योंकि आज बलिया से लेकर गाजियाबाद तक यह ऐसा रोग हो गया है जिससे शोषित, दलित, मजदूर तबका प्रभावित हो रहा है । उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी ने इस सदन में घोषणा की थी, जैसे कल उन्होंने प्रदेश के छात्रों के लिये घोषणा की कि जो छात्र रोजगार के लिये कहीं साक्षात्कार में जायेंगे तो उनको बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जायेगी । उसी प्रकार माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा की थी कि जो लाटरियां हैं उनको तत्काल प्रभाव से बन्द किया जायेगा । सारे लोगों ने उसका स्वागत किया । 3 दिन तक पूरे प्रदेश में लाटरी बन्द रही, लेकिन 3 दिन बाद पता नहीं किन कारणों से, किसके दबाव में आकर सरकार ने पुनः लाटरी खोल दी । मैं अपनी भावना आपसे और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से व्यक्त की, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि इसको बन्द होना चाहिए । लेकिन इसके साथ ही यह कहा कि इसमें कुछ केन्द्र सरकार की कठिनाईयां हैं ।

आज ही सुबह मैंने दूरदर्शन पर सुना कि दिल्ली राज्य ने तत्काल प्रभाव से लाटरी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया और धारा 144 लगा दिया, यदि दिल्ली हरियाणा प्रतिबन्ध लगा सकती है तो यह कोई कठिनाई नहीं है । केन्द्र सरकार क्या व्यवधान कर रही है ? मैं चाहता हूं कि आज संसदीय कार्यमंत्री जी इस लाटरी को तत्काल प्रभाव से रोकने की घोषणा करें । मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जो पूर्व में कह चुके हैं वह करेंगे । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(समय 2 बजकर 30 मिनट)

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सूचना में पहले जिन लोगों का नाम है, उन्हें मौका दीजिये । आप तो ऐसा करके नियम तोड़ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई आपकी सूचना पर बल देना चाहता है तो श्री अग्रवाल जी उन्हें आप थोड़ा मौका दे दीजिए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी ने जिस मुद्दे को उठाया है, इस प्रदेश के लिए बहुत ही गम्भीर है । इसकी गम्भीरता इसलिए भी ज्यादा हो जाती है कि जब-जब इस विषय को सदन में उठाया गया कि लाटरी जैसे जुये का बन्द होना चाहिये और इस सरकार ने इस आदरणीय सदन के अन्दर घोषणा भी की कि वह इसे बन्द करायेंगे परन्तु सदन के बाहर इस जुये को प्रोत्साहन देने के लिए इस सरकार द्वारा कई उपाय किये गये, परिणाम यह हुआ कि जहां लाटरी की दुकान नहीं भी लगती थी, वहां इसकी दुकान लगने लग गई । स्थिति यहां तक हो गई है कि इन लाटरी स्टालों के कारण आवागमन अवरूद्ध हो जाता है । तमाम लोग मर रहे हैं । यह एक घिनौना खेल है, जिसे यह सरकार खिलवा रही है । इसलिए सरकार घोषणा करे कि हम लाटरी को बन्द करेंगे ताकि जो दीन, दुर्बल व गरीब लोग इसके शिकार हो रहे हैं, वह बच सकें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, किसी भी सरकार का कार्य होता है कि वह लोक महत्व की योजना को लागू करे और गरीबी हटाये । लेकिन यह सरकार जो अपने को गरीबों की सरकार कहती है, गरीबी के बजाय गरीबी को बढ़ाने का काम कर रही है फलस्वरूप जनता में आक्रोश पैदा हो गया । सरकार मात्र संसाधन बढ़ाने का काम न करे बल्कि लाटरी जैसे जुये वाले काम को भी बन्द करें । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में घोषणा की थी कि हम निजी लाटरियों को बन्द कर रहे हैं । हमने भी स्वागत किया था । आज मेरी इस राय से सभी लोग सहमत होंगे कि चाहे वह निजी लाटरी हो या सरकारी लाटरी हो, प्रदेश में गांवों में व कस्बों में कुकुरमुत्ते की तरह फैल चुकी है, जिसके कारण जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । मेरा निवेदन है कि यदि गरीबों की सरकार, लोक महत्व की योजना को दिखाना चाहती है तो आज ही माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी घोषणा करें, हालांकि वह घुमा-फिराकर कहेंगे, जैसी कि उनकी आदत है, आप संसाधनों को मुख्य मुद्दा न बनायें, जैसा कि आपने नशाबन्दी के संबंध में कहा था कि नशे के माफिया आ जायेंगे, लाटरी के संबंध में कह दोगे कि लाटरी के माफिया आ जायेंगे, माफियों को रोकने का कार्य तो सरकार का है, कि आज से प्रदेश में कोई लाटरी नहीं चलेगी तब तो हम समझेंगे कि आप जनता के हित की बात करते हैं । वैसे भी आपको माफी मिलने वाली नहीं है । आज के बाद से ही आप चुनाव की तैयारी कर लीजिए ।

* श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी श्री नरेश अग्रवाल को एक लाटरी की एजेन्सी दे दीजिए ।

*श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आज प्रदेश में इस लाटरी के रोग से सबसे ज्यादा दलित तबके के लोग प्रभावित हो रहे हैं । एक जुये से इतना बड़ा महाभारत हो गया था । आज समाज के हर घर में इस लाटरी के कारण पति और पत्नी के बीच में महाभारत हो रहा है । इससे दलित तबका परेशान है जो अपने दिन भर की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

30- 35 रुपया कमायी है उसे लाटरी में गवां देता है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने लाटरी जैसे रोग को बन्द करने की घोषणा की थी लेकिन बन्द नहीं की जिससे पूरा दलित तबका परेशान है, वह सीधे प्रभावित हो रहा है । इसे तत्काल बन्द किया जाय, यह जूवांखोरी बन्द की जाय ताकि स्वस्थ समाज बन सके ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं कहीं हुई बातों को नहीं दोहराऊंगा, जो बातें लाटरी के संबंध में आ चुकी हैं उससे पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट हुआ है मैं एक बात की ओर पुनः ध्यान आकृट करता हूं कि इस माननीय सदन में 23-2-94 को मैंने 311 के तहत नोटिस दिया था उसके जबाब में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी आज से निजी लाटरी बन्द कर दी जायेंगी । लेकिन आज तक एक वर्ष हो गया है पता नहीं कौन सी मजबूरियां रही वह बन्द नहीं हुई । चाहे व्यापार करने वाला हो या नौकर पेशा आदमी हो या औरत आज यह लाटरी उनके लिये एक महामारी की तरह हो गयी है । इस बीमारी को तत्काल बन्द करना चाहिये था पता नहीं सरकार के सामने कौन सी मजबूरियां रही, सरकार में बैठे लोग इसे बन्द नहीं कर पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आपके विचार आ गये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आर्थिक मसला ऐसा है कि संसाधनों के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं कोई कहता है कि इससे एक करोड़ रोज की आमदनी है तो कोई कहता है डेढ़ करोड़ रोज की आमदनी है । तो ऐसी आमदनी से क्या जिससे हजारों परिवार बरबाद हो जायं । बहुत से लोगों ने इस बीमारी के शिकार हो कर खुदकशी कर ली है । तो सरकार ऐसे संसाधनों को बन्द कर दे तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें और नोटिसों पर भी मुझे सुनना है ।

* श्री किरन पाल सिंह–

श्रीमन्, यह एक महत्वपूर्ण मसला है, गैम्बलिंग और लौटरिंग में ज्यादा फर्क नहीं है, यह प्रदेश लिस्ट में आता है, कनकरेंट या केन्द्र की लिस्ट में नहीं आता है । मान्यवर, जुवां खिलाने पर प्रतिबन्ध है लेकिन लाटरी से सरकार की तरफ से जुवां चलाया जा रहा है और सरकार इस प्रदेश के जनमानस और उसके चरित्र को नष्ट करने पर तुली हुई है । आज इस लाटरी के चलते ही गरीबों की तबाही हो रही है । इसमें गरीब ही इनवाल्व हैं, अमीर इसमें इनवाल्व नहीं है । जो छोटी-छोटी मजदूरी करते हैं उनमें लाटरी का रोग पनप रहा है । संसदीय कार्य मंत्री जी ने सुबह कहा कि जनता यदि शराब की बुराई सीख जायेगी तो शराब बन्द हो जायेगी लेकिन लाटरी खेलना सरकार ने सिखाया जनता नहीं जानती थी

---

* वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लाटरी को । आज अनेकों गरीब ऐसे हैं जो लाटरी से बरबाद हो गये हैं, अनेक परिवार इससे बरबाद हो गये है, बहुत से लोगों ने लाटरी में हारने के बाद अपनी संपत्ति लुटा दी और फिर आत्म-हत्या कर ली है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाटरी के अभिशाप को बन्द करें । थोड़ा बहुत राजस्व इससे आता है लेकिन इससे जनता का हित कहीं अधिक है इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है । यह जो लाटरी चला रहे है यह प्रदेश के जनजीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रदेश के गरीबों के जनजीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसे अविलम्ब बन्द करना चाहिए इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मा० अध्यक्ष महोदय, अभी जब सदन चल रहा था तो समाचार पत्रो में पढ़ने को मिला कि एक व्यक्ति ने अपने परिवार में पत्नी, 3 मासूम बच्चों की हत्या कर दिया और स्वयं भी आत्महत्या कर लिया और सुसाइड नोट में लिखा, चूंकि लाटरी खेलते-खेलते इतना कर्ज हो गया था कि उससे दबकर यह काम मजबूरन करना पड़ा ।

मान्यवर, भारत वर्ष की एक सर्वे की संस्था है उसने जब सर्वे कराया तो एक बात सामने खुलकर आयी कि जो रिक्शा चलाने वाले हैं, दैनिक वेतन भोगी, अल्प वेतन भोगी, जो कर्मचारी हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 20 रुपये कमाते हैं और उसमें से 10 रुपये लाटरी में हम लगा देते हैं और 10 रुपये में स्वयं और परिवार का खर्चा चलाते हैं । मान्यवर, इन बातों से साफ है कि इस लाटरी की मार, इसकी चोट, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कमजोर तबके पर पड़ता है । लाटरी वाले लोगों को हसीन सपने दिखाकर लाटरी खेलने पर मजबूर करते हैं ।

मान्यवर, भारतवर्ष में संविधान के तहत संसद ने इण्डियन गैम्बलिंग ऐक्ट बनाया है और इसकी धारा 13 में कहा गया है कि ऐसा कोई जुआ जो दो इंग्रेडिएन्ट्स पूरा करता हो तो इस सेक्शन 13 का उल्लंघन माना जायेगा । मान्यवर, आप देखें इन दो इंग्रेडिएन्स में एक तो यह है कि सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेला जाता है और दूसरे यह है कि नाल निकाली जाती हो यानि कमीशन लिया जाता हो । तो यहां लाटरी में यह दोनों बातें हैं । इसलिये इंडियन गैम्बलिंग ऐक्ट की धारा 13 का यहां पूरा-पूरा उल्लंघन हो रहा है और यह दोष सिद्ध होता है जिससे यह सरकार सबसे बड़ी जुआड़ी बन गयी है । यह सरकार धारा 13 का उल्लंघन कर रही है । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार कानून की अपराधी है और समाज में विषमता फैला रही है । यह सरकार जो दलितों और गरीबों की हितैषी अपने को कहती है और गांधी, लोहिया, अम्बेडकर के सपने पर चलने वाली सरकार अपने को कहती है उससे मैं आशा नहीं करता हूं कि दलितों और गरीबों की बरबादी समाप्त होगी ।

मान्यवर, लाटरी से सरकार को अधिक धनराशि नहीं मिलती है । प्राइवेट और दूसरे राज्यों की लाटरियां खुलती हैं जिनसे दूसरे राज्यों को लाभ होता है और हानि इस प्रदेश के लोगों को हो रही है । इसलिये दूसरों के कमाने से आपको क्या लाभ मिलता है । मान्यवर, इससे सरकारी कोष में कोई बड़ा लाभ नहीं होता है । इसलिये मैं बधाई दूंगा यदि आज संसदीय कार्य मंत्री को यदि वह अन्य राज्यों की तरह जैसे दिल्ली और हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने वहां लाटरी को समाप्त किया है उसी तरह आप यहां लाटरी को समाप्त करने की घोषणा करेंगे और अपनी कथनी और करनी का अन्तर स्पष्ट करेंगे ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करके चलता हूं कि लाटरी एक ऐसा विकृत रूप समाज में है जो मनुष्य को अन्दर ही अन्दर खोखला कर रहा है। इस लाटरी की विकृति से सबसे अधिक गरीब, कमजोर वर्ग प्रभावित हो रहा है। समाज में ऐसी विकृति के कारण अव्यवस्था पैदा हो रही है और लोग आत्म-हत्या और दूसरे लोगों की हत्यायें कर रहे हैं जैसा कि प्रमोद तिवारी जी ने अभी बताया। मान्यवर, उसी तरह मैं भी बताना चाहता हूं कि आगरा जनपद में इसी तरह 5 लोगों ने आत्म हत्या की इस लाटरी विकृति के कारण। मान्यवर, लाटरी एक जुआ है और इस जुए को प्रोत्साहन देना किसी भी सरकार का लक्ष्य नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि आज समूचा विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है कि लाटरी पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और मुझे यह भी विश्वास है कि सत्ता पक्ष में बैठे सब सदस्य भी इस सामाजिक बुराई को दूर करने के समर्थक होंगे। मेरी मांग तो यह है कि उत्तर प्रदेश में चाहे निजी लाटरियां हों, चाहे स्टेट लाटरियां हों या दूसरे प्रदेशों की इस प्रदेश में चलने वाली लाटरियां हों – उत्तर प्रदेश में इन सभी प्रकार की लाटरियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया जाए।

सरकार ने पूर्व में भी कहा है कि हम इस पर प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं या लगायेंगे। आज नेता कांग्रेस ने हरियाणा की यहां बात कही, वहां की सरकार बधाई की पात्र है और साथ ही दिल्ली की भाजपा सरकार जो खुराना जी के मुख्य मंत्रित्व में चल रही है बधाई की पात्र है, उसने भी अपने यहां लाटरियों पर रोक लगा दी है। यह जो जुआं है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाती है, यह मेरी समझ में नहीं आता है ? इसलिये जो यहां यह प्रस्तुत हुआ है, उस पर मैं बल देते हुए मांग करता हूं कि सब प्रकार की लाटरियों पर तत्काल से प्रतिबन्ध लगा दिया जाए।

(व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

यह आपकी अन्तिम आशा होगी। मान्यवर, हम सहमत हैं नेता विरोधी दल, माननीय नेता कांग्रेस,, वर्मा जी, माननीय जनता दल तथा अन्य सदस्यों ने जो भावनायें यहां व्यक्त की हैं लाटरियों के संबंध में। यह एक सामाजिक रोग है प्रदेश में, जो विशेष रूप से गरीबों को लग रहा है और इससे उनकी जो गृहस्थी है वह तबाह हो रही है। हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। सरकार की संवेदनशीलता इससे स्पष्ट है कि जब यह मामला प्रदेश की इस विधान सभा में उठाया गया था, तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी, जिसका अभी सभी लोगों ने अपने भाषणों में जिक्र किया है। उस पर हम आज भी उसी प्रकार दृढ़ हैं – लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए और जो हमारे अधिकार है, उनका उपयोग करते हुए 17 मार्च, 94 को ही हमने प्रत्येक जिलाधिकारी को यह निर्देश दे दिये थे कि भारतीय दण्ड विधान की धारा 294–ए के अधीन इन्हें प्रतिबन्धित करने हेतु कार्यवाही की जाये। लेकिन इसमें एक विधिक कठिनाई है जो हमारे सामने आयी है और वह यह है कि जो लाटरियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21-4-94 को दिये गये निर्णय के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा संचालित लाटरियों की श्रेणी में आती हैं, उन पर भारतीय दण्ड विधान की धारा का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो मानक प्रदेश सरकारों द्वारा संचालित लाटरियों के संबंध में रखे गये हैं, वह ऐसे हैं कि उन पर हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। फिर भी हमने अपने प्रदेश में लाटरियों के अनियंत्रित संचालन एवं उक्त व्यवसाय से उत्पन्न कुरीतियों और भ्रष्ट कार्यशैली को दृष्टि में रखते हुए उत्तर प्रदेश में ऐसी सभी प्राइवेट लाटरियों तथा अन्य राज्य सरकारों व संघ शासित प्रदेशों के द्वारा चलाई जा रही ऐसी लाटरियां जो राज्य सरकार अथवा संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्वयं नहीं संचालित होकर प्राइवेट आर्गनाइजर्स द्वारा संचालित होती हैं, उन्हें निषिद्ध करने हेतु अध्यादेश का प्रारूप दिनांक 19-7-94 को महामहिम राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को भेजा गया है। भारत सरकार की अनुमति अभी प्रतीक्षित है। उसके प्राप्त होते ही प्रस्तावित अध्यादेश जारी किया जा सकेगा। तिवारी जी की इसमें कृपा हो जायेगी तो यह जल्दी हो जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–I (संघ सूची) की प्रविष्टि 40 के अन्तर्गत भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा संचालित लाटरी पर केवल संघ को ही कानून बनाने का अधिकार है। भारत सरकार द्वारा इस विषय पर अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है परन्तु यदि प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश पर महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होती है तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश से लाटरी व्यवसाय की प्रचलित कुरीतियों पर नियंत्रण पाने में काफी सीमा तक सफलता मिल सकेगी।

अतः हमारे पास ऐसा अधिकार नहीं है कि हम यह कानून बना सकें। जब तक हमको अनुमति नहीं मिल जाती हम इसमें कुछ नहीं कर सकते लेकिन धारा 294-ए के तहत सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये थे कि वह इसका कड़ाई से पालन करें। हम फिर से आदेश जारी कर देते हैं कि इनका कड़ाई से अनुपालन किया जाय। माननीय नरेश जी की सरकार दिल्ली में है अगर यह वहां से अनुमति प्राप्त करा दें तो हम उसमें कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर हमारी कृपा मिल जाय। मान्यवर, आप कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार के पास आपने भेजा है। आपने जुलाई में भेजा है तो यह घोषणा आपने कैसे की थी कि हम प्राइवेट लाटरियों पर तत्काल प्रदेश में रोक लगा रहे हैं। इस तरह से आप यह स्पष्ट करें कि आपने केन्द्र सरकार के पास महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजा है या तो यह असत्य है या माननीय मंत्री जी की घोषणा फर्जी थी। इस तरह से आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, 17-3-94 को धारा 294(ए) के तहत सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया था कि इस धारा के अधीन कार्यवाही करें। 21-4-94 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ गया उससे उसमें बाधा पड़ी। जब तक केन्द्र सरकार से अनुमति नहीं प्राप्त हो जाती तब तक धारा 294(ए) के अधीन कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आगे की सूचना ले रहा हूं, इस सूचना पर....

श्री नरेश अग्रवाल–

यह लाटरी चलाकर गरीबों को लूटना चाहते हैं, यह गरीब विरोधी सरकार है । मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री नरेश अग्रवाल अपने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और यह निर्देश देता हूं कि इस पर यथाशीघ्र यथोचित कार्यवाही करें । अगली सूचना गुप्ता जी है....

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, में एक जानकारी माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि लाटरी एक जुआ है और राज्य सूची में दिया हुआ है केन्द्र की सूची में नहीं है, संघीय सूची में भी नहीं है । लाटरी पर रोक लगाने के लिए मंत्री जी ने यहां पर कहा कि केन्द्र सरकार के पास अध्यादेश अनुमति के लिए भेजा है । इस बात को स्पष्ट करें कि उत्तर प्रदेश में जो भीषण रोग लाटरी का फैला हुआ है उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं है इसको स्पष्ट कर दें ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

हमने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भारत सरकार को अध्यादेश अनुमति के लिए दे दिया है जब तक अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक धारा 294 (ए) के तहत कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये जायेंगे कि वह इसका कड़ाई से अनुपालन करें । जब तक अध्यादेश राष्ट्रपति से प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पायेगा ।

आतंकवादियों द्वारा बाजपुर में जुझारू नेता श्री गुरु वचन लाल शर्मा तथा उनके अंगरक्षक की हत्या किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने आतंकवाद से संबंधित जो सूचना दी है उसके विषय में कहना चाहता हूं कि सरकार बार-बार इस बात को कहती है कि प्रदेश से आतंकवाद को समाप्त कर दिया गया है लेकिन मान्यवर, ऐसा नहीं सरकार प्रदेश में आतंकवाद को समाप्त करने में पूरी तरह से विफल रही है । मुख्य मंत्री और उनकी सरकार के लोग जब पब्लिक में भाषण देते हैं तो कहते हैं कि आतंकवाद पर हमने नियंत्रण पा लिया है लेकिन उनकी घोषणा सत्य से परे है । बाजपुर में एक गुरु वचन लाल शर्मा रहते थे जो आतंकवाद के खिलाफ जनता को सहयोग और सुरक्षा देने के लिए संघर्ष करते रहे । उनके परिवार के चार लोगों को आतंवादी इसके पहले भी काल-कवलित कर चुके हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है । श्रीमन्, गुरु वचन लाल शर्मा जी कृषि फार्म से बाजपुर आये । एक टैक्सी के सामने ट्रक आयी स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी रुकी उसमें से 12 लोग निकले जो असलहों से लैस थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलायीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिससे श्री शर्मा मारे गये । उनका अंगरक्षक भी मारा गया, निजी अंगरक्षक और ड्राइवर घायल हैं । इस तरह का जघन्य और नृशंस हत्याकाण्ड किया एक जीप आती है और उसके ऊपर बैठकर वह दूसरी तरफ चले जाते हैं । मान्यवर, सरकार की तरफ से घोषणा की जाती है कि आतंकवाद समाप्त हो गया है यह गलत है । श्री शर्मा के यहां के चार आदमी पहले भी मारे गये हैं । एक बहुत ही गम्भीर बात कहना चाहता हूं । सरकार ने टाडा खत्म कर दिया टाडा के तहत कितने ही आतंकवादियों को छोड़ दिया गया । श्री शर्मा आतंकवाद से संघर्ष करते रह गये । उनको सरकार ने पुलिस सिक्योरिटी दी थी उसको वापस कर दिया गया । टाडा के मुजरिम छोड़ दिये गये । वह बराबर पुलिस को सूचना दे रहे थे कि जान का खतरा है । परिवार को जान-माल का खतरा है लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं सुनी । एक बोर्ड बैठक हुई जिसके तहत टाडा बन्दियों को छोड़ दिया गया । वहां पर आतंक का वातावरण व्याप्त है अघोषित कर्फ्यू है आतंक और भय व्याप्त है । सरकार की विश्वनीयता नहीं रह गयी है सरकार जान-माल की सुरक्षा करने में पूरी तरह असफल रही है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है । जिस आतंकवाद को कल्याण सिंह जी की सरकार ने दबा दिया था ।

श्री अध्यक्ष–

आप हत्या पर बोल रहे थे अब आप जनरल चर्चा पर आ गये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पूरे प्रदेश में जितना आतंकवाद है इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठ जायें ।

श्री राजीव कुमार–

मेरे क्षेत्र का मामल है मुझे सुन लें ।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

दो मिनट सुन लें उनके क्षेत्र का मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है कहिये ।

* श्री राजीव कुमार–

मान्यवर, जिनकी हत्या हुई है और यह जो मामला उठाया गया है यह मेरे क्षेत्र का मामला है । श्री शर्मा जी मेरे क्षेत्र के निवासी थे । उनको धमकियां दी गयी थीं । उनके घर के दो मेम्बर और दो रिश्तेदार आतंकवादियों द्वारा मार दिये गये हैं । उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा पुलिस सुरक्षा प्रदान की गयी थी । पिछले 15 दिन पूर्व सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गयी । मात्र एक अंगरक्षक उनको दिया गया । जिसके कारण उनकी हत्या हो गयी । मान्यवर, इस समय पूरे क्षेत्र में विषम परिस्थितियां व्याप्त हो गयीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । क्षेत्र में कर्फ्यू का वातावरण व्याप्त है । श्री शर्मा ने इन आतंकवादियों के संबंध में दो माह पूर्व प्रशासन को और उत्तर प्रदेश शासन को सूचना दी थी । उनको धमकी भरे पत्र आतंकवादियों ने भेजे थे उसकी सूचना दो माह पूर्व उन्होंने मुख्य मंत्री जी को भी भेजी थी इसके बावजूद उनकी सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किये गये । इस गम्भीर विषय पर चर्चा करवायी जाय ।

* श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मुझसे पहले श्री हरेन्द्र सिंह को दो मिनट सुन लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों का उल्लंघन मत करें जब उन्होंने कोई सूचना ही नहीं दी है तो उनको कैसे सुना जाय ।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना -

*श्री किरन पाल सिंह–

अध्यक्ष जी, कल मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालयों के छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे । उनकी मुख्य मांग कापियों के पुनः स्क्रीनिंग की थी जो वहां की बहुत पुरानी मांग है । यहां सभी विश्वविद्यालयों में स्क्रीनिंग आज भी जारी है लेकिन मेरठ विश्वविद्यालय में इसको रोक दिया गया । वहां सभी विश्वविद्यालयों के छात्र आये हुए थे और शान्ति पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे । उनके सिर्फ नारे लगाने पर ही वहां पर उपस्थित पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया । सिर्फ लाठीचार्ज ही नहीं किया गोलियां भी चलायीं । 15 छात्र वहां नर्सिंग होम में भरती हैं । कई छात्र गम्भीर रूप से घायल हैं । छात्रों को इतना बेइज्जत किया गया जितना उत्तर प्रदेश में आज तक छात्रों को बेइज्जत नहीं किया गया । प्रेस रिपोर्टरों के कैमरे छीन लिए गये और उनको भी लाठियों से पीटा गया । यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है । चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों के अन्दर रोष व्याप्त है । तमाम कालेज बन्द हो गये हैं । अनेक छात्र गिरफ्तार हैं । इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लाठीचार्ज हुआ है । जो छात्रों के ऊपर गोलियां चलायी गयी हैं वह किसी मजिस्ट्रेट के आदेश से नहीं चलायी गयी हैं पुलिस ने स्वयं गोली चलायी है । इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस घटना की न्यायिक जांच करायी जाय जिससे दोषियों को दण्डित किया जा सके और जो छात्र घायल हुए हैं उनके उपचार के लिए आर्थिक सहायता दी जाय । जो छात्र गिरफ्तार हुए हैं उनको अविलम्ब रिहा किया जाय ।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जनता दल श्री किरन पाल सिंह द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में लाठीचार्ज की घटना की जानकारी सदन को दी गयी है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं । आज सुबह वहां के छात्र नेताओं ने और अध्यापकों ने जानकारी दी है । वहां पर केवल लाठीचार्ज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और गोलीबारी ही नहीं हुई । पुलिस का दमन चक्र यही नहीं रुका छात्रों के घरों पर जाकर उनको गिरफ्तार और प्रताड़ित किया जा रहा है । छात्र इक्ट्ठे होकर शान्तिपूर्वक तरीके से कुलपति से मिलकर स्क्रीनिंग की मांग कर रहे थे क्षेत्राधिकारी पुलिस ने वहां घुसकर बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमीशन के लाठीचार्ज कर दिया । श्री वीरेश्वर त्यागी तथा श्री देवेन्द्र तोमर को दौड़ा-दौड़ा कर मारा । मेरी आपसे मांग है कि छात्रों की जो मांग है उसे तुरन्त स्वीकार किया जाय । घायल छात्रों को मुआवजा दिया जाय और घटना की किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी जाय ।

* श्री अमित अग्रवाल–

मान्यवर, मेरठ में छात्र अपनी कापियों की स्क्रीनिंग की मांग कर रहे थे उनका आन्दोलन शान्तिपूर्ण था । वह कुलपति के सामने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे किसी चीज की तोड़-फोड़ नहीं कर रहे थे और कोई पत्थर ईंट नहीं फेंक रहे थे लेकिन पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज और फायरिंग की । सी० ओ० के आदेश से फायरिंग और लाठीचार्ज हुआ । किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऊपर के अधिकारी ने आदेश नहीं दिया था कि छात्रों पर फायरिंग और लाठीचार्ज किया जाय । अनेक छात्र घायल हो गये हैं । उनको अस्पताल भी नहीं जाने दिया गया । यह जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें सभी राजनैतिक दलों के संबंधित कार्यकर्ता युवक थे वहां के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष का सिर फोड़ दिया गया उनको अस्पताल न ले जाकर गिरफ्तार करके रखा गया । मैं आपके माध्यम से इस अत्याचारी सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी मजिस्टीरियल जांच करायी जाय और जो घायल छात्र हैं उनका उपचार किया जाय और उनको मुआवजा दिया जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, वह स्क्रीनिंग की मांग कर रहे थे । यह लोग किसी राजनैतिक क्षेत्र से संबंधित नहीं थे । स्क्रीनिंग की उनकी मांग पुरानी थी जिसको वह उठा रहे थे । उनकी जायज मांगें मानने के बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया यह बड़ी शर्मनाक घटना है । आज मेरठ में सभी दलों के लोगों ने छात्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है और इस घटना की सभी ने निन्दा की है । शान्तिपूर्ण छात्रों पर लाठी भी चलायी गयी और गोली भी चलायी गयी । मैं मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच कराने की सरकार घोषणा करे ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैंने जो कहा है उस पर आपने क्या व्यवस्था दी है ?

श्री अध्यक्ष–

मैं अभी सुन रहा हूं । जितनी नोटिसें हैं उनको सुनने के बाद एक साथ निर्णय दे दूंगा ।

पूर्वांचल नेता तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री भोला राय पर हमला किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं एक गम्भीर प्रकरण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पूर्वांचल के प्रसिद्ध स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और हमारे दल के नेता श्री भोला राय जो किसानों के हितों की आवाज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उठा रहे थे, किसानों की गाढ़ी कमाई का गन्ना 35 फीसदी कम तोला जाता था, उन्होंने उसको पकड़वाने का काम किया तो कांटे को सील कर दिया गया । इससे मिल के अधिकारी इतने उत्तेजित हो गये, क्योंकि किसानों की गाढ़ी कमाई पर वहां के अधिकारी डाका डालने का काम कर रहे थे इसलिए रंजिश मानकर 21-12-94 को उन्होंने अपने गुण्डों से, मिल के अधिकारियों ने अपने गुण्डों को भेजकर और घोसी की पुलिस से सांठगांठ करके श्री राय के ऊपर प्राणघातक हमला करवाया और जो रुपया उनकी जेब में था और जो सामान था वह लूट लिया गया । जब अपर जिलाधिकारी को खबर मिली कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी भोला राय पर हमला हुआ है तो वह अपनी कार में बैठाकर थाने ले जाते हैं । थाने में भोला राय के खिलाफ पहले से ही रिपोर्ट दर्ज पायी जाती है । जो मारा गया, जिसके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ उसके खिलाफ पेशबन्दी में पुलिस ने मुकदमा कायम किया इससे जाहिर होता है कि पुलिस और अधिकारियों की सांठगांठ थी । इसके बाद अपर जिलाधिकारी उनको दोहरी घाट थाने पर ले गये जहां पर 394 के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ । यह घटना 21-12-94 की है लेकिन आज तक कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया है । वहां की चीनी मिल में भीषण भ्रष्टाचार है ।

श्री कल्पनाथ राय के कारण गुण्डों को बचाकर रखा गया है और पुलिस गुण्डों के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है । पुलिस कहती है कि हमारे ऊपर ऊपर से दबाव है । यही कारण है कि अपर जिलाधिकारी को जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने यह जोखिम लिया उनको दर-दर की ठोकरें खाने को विवश किया जा रहा है और उनका इलाज भी ठीक से नहीं किया गया । मैं सरकार से मांग करता हूं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री भोला राय की सुरक्षा और उनके समुचित इलाज के लिए शासन सहयोग प्रदान करे । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है मुझे भी अवसर दे दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अगर आपको कुछ कहलवाना है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहलवाइये, इसमें किसी दूसरे की गवाही की जरूरत नहीं है ।

*श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, यह चीनी मिल मऊ जिले की है, मैं मुख्य मंत्री जी से कह चुका हूं कि पूरे प्रदेश में आपका शासन है लेकिन मऊ जिला केन्द्र शासित है । केन्द्रीय भूतपूर्व मंत्री जिले को चलाते हैं और यह जो चीनी मिल है उसमें भ्रष्टाचार है । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि वह केन्द्रीय मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके पास 5 हेक्टेयर खेती है लेकिन 10 एकड़ में गन्ना बोते हैं और लाखों रुपयों का पेमेन्ट लेते हैं चीनी मिल से और अगर चीनी मिल के खिलाफ कोई जन प्रतिनिधि बोलता है तो उसको परेशान किया जाता है और उस चीनी मिल के डायरेक्टर को बन्द कर दिया, 26 जनवरी को बन्द किया गया, तो मान्यवर, वहां की स्थिति यह है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

मैंने तीन सूचनाओं पर संक्षेप में सुना । पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की आतंकवादियों द्वारा श्री गुरु वचन लाल शर्मा तथा उनके अंगरक्षक की हत्या के संबंध में, दूसरी सूचना श्री किरन पाल सिंह की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठी चार्ज करने के संबंध में और तीसरी सूचना श्री राम आसरे वर्मा की श्री भोला राय पर किये गये प्राण घातक हमले के संबंध में है । इन पर आप कुछ कहना चाहते हों तो कह दें ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्री गुप्ता जी ने श्री गुरु वचन लाल शर्मा के बारे में सूचना दी है । शर्मा जी की कल हत्या हो गयी । उस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है, वह यह है कि यह आतंकवाद की घटना नहीं है, उनकी निजी रंजिश से हत्या हुई है और उनकी सुरक्षा में जो पुलिस कर्मी तैनात था, उसकी भी हत्या हो गयी है । उनकी जीप का चालक भी घायल हो गया है । शर्मा जी के गांव में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है । वहां पर गोदाम को जला दिया गया, उसकी आग पर काबू पा लिया गया है । इस घटना से उत्तेजना न फैले, इसलिए वहां के प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है । जहां तक किरन पाल सिंह की सूचना का संबंध है और जो बात उन्होंने कही है उसके बारे में किसी वरिष्ठ अधिकारी से दिखवा लिया जायेगा और जो माननीय वर्मा जी ने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के बारे में प्रश्न उठाया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का सम्मान करना हम लोगों का कर्तव्य है । उनके साथ किसी प्रकार का पक्षपात न हो, इस संबंध में अपेक्षित निर्देश आज ही दे दिये जायेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष–

आवश्यक निर्देश दे दिये गये और इससे ज्यादा क्या चाहते हैं ? श्री बदन सिंह व अन्य की सूचना जो स्वर्गीय मधुलिमये जी के निधन के राष्ट्रीय शोक दिवस पर आगरा के लाल किले में सरकारी दावत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को नियम 51 में परिवर्तित करके उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है और दूसरी सूचना श्री रमेश पोखरियाल की आदमखोर बाघ द्वारा 20 से भी अधिक लोगों के मारे जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में है, को भी नियम 51 में परिवर्तित कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है और 6 सूचनायें निरस्त कर दी गयी हैं ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

आपने अपने कक्ष में आश्वासन दिया था....

(डा० सरजीत सिंह डंग व श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल सदन के फ्लोर पर आ गये और कुछ समय उपरान्त वापस चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने श्री भोला राय जी के बारे में जो कहा, उससे स्थिति स्पष्ट नहीं हुई । मैंने यह मांग की थी कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाये । वह जख्मी घूम रहे हैं, उनके समुचित इलाज के लिए शासन की ओर से यथाशीघ्र सहायता की घोषणा की जाये और जो अपराधी खुले आम घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मेरी बात को स्पष्ट कर दें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मैंने पहले ही कह दिया, अपेक्षित निर्देश आज ही दे दिये जायेंगे । शायद आपने सुना नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शर्मा जी का जो निजी मामला बताया गया है, यह गलत है ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है, आप बैठें । माननीय गुप्ता जी, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था मत पैदा करें । यह व्यवस्था की बात आप नहीं कह रहे हैं । कार्य-संचालन के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कार्य-संचालन के बारे में कह रहा हूं एक को तो आपने सुन लिया और दूसरे को नहीं सुना तो इन्होंने क्या गलती की थी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसका मतलब यह हुआ कि सब को सुन लें । (व्यवधान) ऐसा नहीं है सबको नहीं सुनूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज आखिरी दिन है, मैं प्रार्थना करूंगा कि दो-दो मिनट सभी को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी को नहीं सुनूंगा । मैंने औचित्य के प्रश्न पर माननीय बालेश्वर त्यागी को बुला लिया है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, कल मैंने एक मुद्दा उठाया था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में । मैं उसको बार-बार नहीं दोहराना चाहता और यह कोई अच्छी बात भी नहीं है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कल यह आश्वासन दिया था कि लखनऊ से किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर आज ही रिपोर्ट मंगा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि अभी तक सरकार ने कोई भी अधिकारी नहीं भेजा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह जो पीछे का निस्तारित विषय है उसको पुनः उठाने की कोशिश न करें । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

विधान सभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने से याचिकाओं एवं समितियों का कार्य सुचारु रूप से न चलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-संचालन और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विधान सभा की याचिका समिति का गठन होता है । अब तक 100 के करीब याचिकायें लम्बित हैं और विधान सभा का माननीय उपाध्यक्ष इस समिति का पदेन सभापति होता है । विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने के कारण यह समिति कार्य नहीं कर पा रही है । प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर याचिकायें लम्बित हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है, महत्वपूर्ण याचिकाओं पर निर्णय नहीं हो पा रहे हैं । मान्यवर, इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । इस पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

इसी तरह का माननीय गुप्ता जी का भी 300 का औचित्य का प्रश्न है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली के नियम 9 को देखने का कष्ट करें । इसमें यह प्राविधान है कि माननीय उपाध्यक्ष का निर्वाचन इस तिथि को होगा जो माननीय अध्यक्ष नियत करें । वर्तमान विधान सभा गठित हुए काफी अन्तराल हो गया है, हम काफी प्रतीक्षा करते रहे हैं कि आपके द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कोई तिथि तय की जायेगी लेकिन कोई तिथि तय नहीं की गयी । जहां तक माननीय उपाध्यक्ष की समिति का सवाल है तो एक समिति का ही उल्लेख माननीय सदस्य ने किया

है । मान्यवर, 5 समितियां ऐसी हैं जिनका उपाध्यक्ष न होने के कारण काम रुका हुआ है । ये समितियां हैं विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, विधान पुस्तकालय समिति, आवास संबंधी संयुक्त समिति तथा प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति ।

विशेषाधिकार समिति क्या है उसमें हम लोग आदरणीय समिति को जो सूचना देते हैं वह सन्दर्भित होती है । इसी तरह से याचिका समिति है दूर-दराज के तमाम लोगों के दुःख-दर्द की याचिकायें पड़ी हुई हैं लेकिन उपाध्यक्ष के न होने के कारण वह सब डम्प पड़ी हुई है । इसी तरह से प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति है, इस सरकार पर नियंत्रण करने का, प्रतिपक्ष के पास सवाल पूछने का सबसे सशक्त आयुध है । जब कार्य की प्रतिक्रिया के अनुकूल उत्तर दिया जाता है, विधि सम्मत उत्तर नहीं दिया जाता है तब उन पर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके आप प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को संदर्भित करते हैं । मान्यवर, यह सब कमेटी डिफेंस हो गयी है । जहां तक सरकार का सवाल है, मैं एक आरोप लगाना चाहता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह हम लोगों से कहा था कि कोई प्रतिपक्ष का व्यक्ति उपाध्यक्ष होगा । हमने बाबू जगन्नाथ प्रसाद का नाम भी दे दिया था, वे अनुसूचित जाति वर्ग के हैं । कदाचित यह उसे सह नहीं पाये कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ जाये, जानबूझकर आपसे बात नहीं की और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण नहीं किया गया । इसमें आप अपना संरक्षण दें इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और जानकारी भी प्राप्त करना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि क्या है ? क्या शासन की ओर से इस संबंध में आपसे कोई प्रार्थना की गयी है या आपने इसमें शासन को निर्देशित किया है । यह आपका पूरा अधिकार है । आपकी ओर से उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु क्या कोई तिथि तय की गयी है तो बताने की कृपा करें ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह एक प्रकार से नियम विरुद्ध गुप्त जी ने आपसे प्रश्न किया है । मेरा तो चूंकि नाम ले लिया इसलिए मैं खड़ा हो गया । अध्यक्ष से प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, अगर है भी तो उसका दूसरा तरीका है ।

मान्यवर, गुप्त जी माहिर हैं कि हर कुर्सी का राजनीतिकरण कैसे किया जाय ? दर्जनों बार नेता प्रतिपक्ष से पूछने गया । लेकिन उन्होंने नाम कभी नहीं दिया । जिस नाम का आपने उल्लेख किया है, नाम आपने कभी नहीं दिया । इस तरह से सदन में सत्य से परे बात नहीं करनी चाहिए । आज भी हम इस दृढ़ मत के हैं कि प्रतिपक्ष का उपाध्यक्ष होना चाहिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है । यह आपके और नेता प्रतिपक्ष के बीच नूराकुश्ती नहीं चलेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह परम्परा रही है, उस परम्परा को तोड़ना नहीं चाहते हैं, प्रतिपक्ष का उपाध्यक्ष यहां पर हो । लेकिन यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि सभी प्रतिपक्षी दलों में सर्वानुमति बना कर एक नाम

दें । यह आपकी असफलता माननी पड़ेगी । आप सर्वानुमति बनाकर एक नाम दें, हम अभी उपाध्यक्ष का चुनाव करा देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं उसको असत्य तो नहीं कहता लेकिन वह सत्य से परे है । आप पूछने के लिए आये, आपको नाम दिया गया । लेकिन जैसे ही नाम दिया गया, तत्काल मुड़ गये । यहां के उपाध्यक्ष के मामले में, विधान परिषद् को लिंक करना चाहा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह ठीक है कि लेकिन नाम नहीं दिया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नाम बाबू जगन्नाथ प्रसाद जी का ले लिया था । प्रतिपक्ष का कौन बनेगा, यह तो हमारा अधिकार है । अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विषयान्तर कर रहे हैं, टालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अभी तारीख तय कर दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

वह सिर्फ अपने दल में बात कर लें, बात अलग है । मैं नेता विरोधी दल पर आरोप लगाता हूं कि न तो उन्होंने इस संबंध में नेता जनता दल से बात की और न नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल, मुझसे बात की और नेता कम्युनिस्ट पार्टी से बात की है और न निर्दलियों से बात की है । माननीय नेता विरोधी दल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री आपस में पूछते होंगे । इसमें हम सब से बात हो । उपाध्यक्ष के पद पर एक ईमानदार और माननीय अध्यक्ष महोदय की ही तरह अच्छा आदमी वहां बैठ जाय.....

* श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, यह आप पर व्यंग कस रहे हैं । अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष हो ही नहीं सकता है, अध्यक्ष बड़ा होता है । यह माननीय नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल व्यंग कर रहे हैं कि अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष हो ।

[समय 1 बजकर 30 मिनट]

मान्यवर, अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष हो ही नहीं सकता क्योंकि अध्यक्ष बड़ा होता है और उपाध्यक्ष छोटा होता है । इन्होंने आपका मजाक बनाया है, यह आप पर टान्ट कस रहे हैं, आपको कमजोर बना रहे हैं इसलिए इन्हें आज सदन की कार्यवाही से बाहर निकाला जाय यह मैं मांग करता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सास-बहू का झगड़ा है इसमें आप न पड़ें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आज शाम को जब मतदान होगा तब आपको पता चल जायेगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह तो स्पष्ट करा दें कि इसमें सास कौन है और बहू कौन है ।

(श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा के खड़े होने पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सास है और कौन बहू । और फिर आप तो हमारे घर के ही हैं आपको तो पता ही होना चाहिए ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बात करें तो अन्य दलों के नेताओं से भी बात कर लें । और अभी जो आरोप मिश्र जी ने मेरे ऊपर लगाया तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उनसे ज्यादा नाबालिक सदस्य इस सदन में मौजूद नहीं है । उन्होंने कहा कि तुलना करके अपमान कर दिया । मान्यवर, हमारा यह कहना है कि हम तुलना भगवान राम से करें और उन्हीं की तरह मर्यादा बनाये रखें तो अगर तुलना उनसे कर दी तो क्या उनका अपमान हो गया । अगर बाप की तुलना बेटे से कर दी गयी तो क्या अपमान हो गया ? मान्यवर, मेरा भारतीय जनता पार्टी से यह अनुरोध है कि वे अपने नाबालिक सदस्य को समझा दें और हो सके तो इन्हें एक हफ्ते आर०एस०एस० कैम्प भेज दें वहां यह ठीक हो जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, हमारे तो छः-छः बच्चे हैं अगर वह एक और बच्चा कराना चाहते हैं तो हमारे पास आप जायें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप इस झगड़े में न पड़ें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह सास बहू का झगड़ा नहीं है यह सपा-बसपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों सौतों का झगड़ा है और उनके पति के रूप में यह कांग्रेस मौजूद है ।

श्री अध्यक्ष–

श्री त्यागी जी और श्री गुप्त जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उन दोनों की भावनायें एक ही हैं । जो शंका व्यक्त की गयी है कि याचिकाओं में काम नहीं हो रहा है, विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर काम नहीं हो रहा है तो मैं यह कहूंगा कि याचिकाओं पर पूरा काम किया जा रहा है और विशेषाधिकार हनन के प्रश्न सदन में निस्तारित किये जा चुके हैं । जहां तक उपाध्यक्ष के चुनाव का सवाल है आप

लोग कोई नाम मिलकर तय कर लें और मुझे बता दें मैं कोई तिथि तय कर दूंगा । मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या तिथि से पहले नाम जरूरी है ?

श्री अध्यक्ष–

आप तय कर लीजये मैं तिथि निश्चित कर दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या आप सरकार से कोई निर्देश लेकर तिथि तय करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

जो सदन की परम्परा रही है, उस परम्परा के अनुसार होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तारीख भी निश्चित कर दूंगा ।

अब मैं आगे की मद ले रहा हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा, श्री नरेश अग्रवाल, श्री रंगनाथ, सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है, मेरा प्रश्न सुन लीजिये ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मेरा भी औचित्य का प्रश्न है, आपने सुनने के लिए लिया था ।

श्री अध्यक्ष–

मैं मद संख्या–3 ले रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

अभी औचित्य के सवाल खत्म नहीं हुए हैं, उनका क्या होगा ?

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1993 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 3453–ई–2/तेरह–93–372–88, दिनांक 16 अगस्त, 1993 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन)

---

† छापी नहीं गयी ।

नियमावली, 1993 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की धारा (22) की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1993 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री धनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, आबकारी अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 3623–ई–2/तेरह–93–178–93, दिनांक 25 अगस्त, 1993 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1993 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1984 की धारा (22) की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 †

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सन्त बख्श रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, नगर विकास अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या 2616/9-6-94, दिनांक 13 सितम्बर, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश नगरपालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नरेश अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, आपको इस नियमावली के अन्तर्गत चलना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं सारी कार्यवाही नियमानुसार कर रहा हूं। आप बैठें।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 †

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सन्त बख्श रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, नगर विकास अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या 2614/9-6-1994, दिनांक 13 सितम्बर, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1995 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 6 फरवरी, 1995 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 फरवरी, 1995 को वापस प्राप्त हो गया।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1995 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 6 फरवरी, 1995 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 फरवरी, 1995 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 1995 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 6 फरवरी, 1995 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 70वां प्रतिवेदन †

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 70वां प्रतिवेदन, जो समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग तथा ऊर्जा विभाग (वर्ष 1979 से 1990 तक) से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं । मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी ।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम खगौड़ा आदि गांवों को हापुड़ तहसील से हटाकर गाजियाबाद तहसील में शामिल किये जाने विषयक श्री रघुवीर सिंह आदि की याचिका †

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम खगौड़ा, ऊंचा, अमीपुर, सीदीपुर, तातापुर, चौन, उदय रामपुर, नगला व हसनपुर को हापुड़ तहसील से हटाकर गाजियाबाद तहसील में शामिल किये जाने के संबंध में श्री रघुवीर सिंह तथा श्री सेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम डासना देहात की पांचों गढ़ियों को अलग-अलग गांव पंचायत बनवाने विषयक श्री धूम सिंह आदि की याचिका ††

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम डासना देहात की पांचों गढ़ियों (माजरों) भूड़ गढ़ी, कुड़िया, गढ़ी, गूजर गढ़ी, इन्दर गढ़ी व कल्लू गढ़ी को अलग-अलग गांव पंचायत बनवाने के संबंध में श्री धूम सिंह तथा श्री केशव राम आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

†† छापी नहीं गयी ।

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत गिरजाघर चौराहे से रामापुर-रेवड़ी तालाब होकर शेखपुर चौराहा तक की सड़क तथा विजया सिनेमा की सड़कों को अविलम्ब निर्माण कराये जाने विषयक श्री विजय कृष्ण गुप्ता आदि की याचिका †

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद वाराणसी के अन्तर्गत गिरजाघर चौराहे से रामापुर-रेवड़ी तालाब होकर भेलुपुर चौराहा तक की सड़क तथा विजया सिनेमा के सामने से शिवाला जाने तक की सड़कों के अविलम्ब निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री विजय कृष्ण गुप्ता तथा श्री मोती लाल भारती, आदि निवासीगण जनपद वाराणसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कानपुर देहात की तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत हमीरपुर रोड से बुद्धानपुर तक के सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री चन्द्र भान सचान आदि की याचिका †

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कानपुर देहात की तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत हमीरपुर रोड से बुद्धानपुर तक के सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री चन्द्रभान सचान तथा राजेश कुमार निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कानपुर देहात की तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम सिंधौल से बगरिया होते हुए लहुरीमऊ चांदपुर मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री गुलाब सचान आदि की याचिका †

श्री राकेश सचान–

जनपद कानपुर देहात की तहसील व ब्लाक घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम सिधौल से बगरिया होते हुए लहुरीमऊ चांदपुर मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री गुलाब सचान तथा श्री देवी प्रसाद शुक्ला, निवासीगण जनपद कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के दुर्जनपुर घाट से लेकर बेगमगंज तक पी० डी० बन्धे के कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने विषयक श्री शत्रुहन सिंह आदि की याचिका †

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के दुर्जनपुर घाट से लेकर बेगमगंज तक पी० डी० बन्धे के कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में श्री शत्रुहन सिंह तथा डा० सुशील कुमार तिवारी, निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सिद्धार्थनगर के सोहांस घाट पर पक्का सेतु बनवाये जाने विषयक श्री सन्त प्रकाश त्रिपाठी आदि की याचिका †

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद सिद्धार्थनगर के सोहांस घाट पर पक्का सेतु बनवाये जाने के संबंध में श्री सन्त प्रकाश त्रिपाठी तथा श्री रामानन्द वर्मा, निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

प्रथम सत्र 1994 के पहले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–125 के उत्तर के संबंध में नगर विकास राज्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सन्त बख्श रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधन सभा के प्रथम सत्र, 1994 के पहले शुक्रवार को श्री राज कुमार शिवहरे, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०–125 के उत्तर के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश के निदेश संख्या 166 के अन्तर्गत सदन को देता हूं।

भाग–ब

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के पहले शुक्रवार को पूछे गये श्री राज कुमार शिवहरे, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या–125 के उत्तर के संबंध में "प्रक्रिया संबंधी निदेश" के निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत वक्तव्य :–

मूल प्रश्न	दिया गया उत्तर
125–क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा नगर की जनसंख्या के आधार पर नगर में वर्तमान में कुल कितना जल सप्लाई किया जा रहा है ?	बांदा नगर की जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में 17.66 एम० एल० डी० जलापूर्ति की जा रही है।
मानक के अनुसार कितना जल सप्लाई किया जाना चाहिए ?	मानक के अनुसार 20 एम० एल० डी० जल सप्लाई किया जाना चाहिए।
क्या मंत्री जी इतनी कम सप्लाई को मानक के अनुसार करने के लिए विस्तारीकरण की योजना बनाये जाने पर विचार करेंगे ?	बांदा नगर के पेयजल की मात्रा को बढ़ाने हेतु रु० 214.74 लाख अनुमानित लागत की योजना बनायी गयी है।
यदि हां, तो कब तक ?	आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध होने पर उक्त योजना मार्च, 1995 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

संशोधित उत्तर

माननीय सदस्य, श्री राज कुमार शिवहरे द्वारा अपने पत्र दिनांक 31 मार्च, 1994 के द्वारा उत्तर प्रदेश विधान अध्यक्ष सभा को यह सूचना दी गयी कि प्रश्नगत प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि बांदा नगर की जनसंख्या के आधार पर वर्तमान में 17.66 एम० एल० डी० जलापूर्ति की जा रही है। जबकि जल संस्थान के अधिशासी अभियन्ता ने लिखित तौर पर अपनी सूचना दी है कि बांदा शहर में आपूर्ति कर रहे पम्पों की कुल जल क्षमता 12.832 एम० एल० डी० है। माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में जांच करायी गयी। जांचोपरान्त यह स्थिति पायी गयी कि बांदा नगर में आपूर्ति कर रहे पम्पों की कुल क्षमता तत्समय 17.66 एम० एल० डी० के बजाय 12.832 एम० एल० डी० ही थी।

प्रश्नगत विधान सभा प्रश्न के संबंध में शासन को गलत सूचना देने के लिए श्री ए० के० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, श्री आर० के० त्रिपाठी, महाप्रबन्धक, जल संस्थान, श्री मनोहर लाल आहूजा, अधिशासी अभियन्ता तथा श्री वाई० एन० चतुर्वेदी, मुख्य अभियन्ता (दक्षिण)

जल निगम को दोषी पाया गया है जिसके लिए उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त कर दी गयी है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

श्री अध्यक्ष–

महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर श्री अशोक बाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। इसलिए मैं श्री समरपाल सिंह जी को बुलवा रहा हूं।

(श्री समरपाल जी का नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे।)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने कृपा करके मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर कुछ कहने का अवसर दिया। मैंने 20 वर्षों से कभी भी इतने शान्तिपूर्ण तरीके से, इतने सारगर्भित तरीके से और इतने शान्तिमय वातावरण में महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को नहीं सुना। हमारी सरकार ने बहुत ही गम्भीर तरीके से सरकार के पक्ष को उजागर किया है। यदि मैं एक-एक चीज को लूं तो बहुत समय लगेगा परन्तु समय की सीमा है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री कल्याण सिंह जी को सुन रहा था। मैंने अद्योपान्त यह पाया कि उनकी दृष्टि ही कुछ साफ नहीं है। जिसको दृष्टि का दोष होता है, उसे अच्छा पक्ष कभी नहीं दीखता, उसको तो केवल काला पक्ष ही दिखायी पड़ता है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कदाचित अपने भाषण को प्रारम्भ करने से पहले उन्होंने कालीदास जी के उस श्लोक को पढ़ लिया होता, जिसमें कहा गया है "अनन्त रत्नम् प्रभवस्य यस्यः हिं न सौभाग्य विलोपि जातम्, एकोहि दोषी गुण सन्निपाते, निमज्जतीनदोः किरणेशुवांकः। वह हिमालय पहाड़ जिसमें अनन्त रत्न भरे पड़े हैं परन्तु जिन लोगों को दोष ढूंढ़ना होता है वह कह देते हैं कि इसकी चोटियां हमेशा बर्फ से आच्छादित रहती हैं। वह हिमालय जिसकी चोटियां बर्फ से आच्छादित रहती हैं और गंगोत्री तथा जमुनोत्री से गंगा और जमुना बहकर हमें जीवन देती है, अगर वह बहकर जमीन पर नहीं आतीं तो हमारी जीवन की धारा ही सूख जाती। आगे कहा गया है "एकोहि दोषे गुण सन्निपाते" अर्थात् जिस प्रकार गुणों के समूह में एक दोष चन्द्रमा की काली किरणों के बीच में छुप जाता है। आपको तो आधा गिलास खाली नजर आता है परन्तु आधा भरा हुआ गिलास नजर नहीं आता है। इसलिए आपको सकारात्मक तथा आशावादी दृष्टि से देखना होगा। जिन्हें आधा खाली गिलास नजर आता है उनका निराशावादी दृष्टिकोण होता है परन्तु जिन्हें आधा भरा हुआ गिलास नजर आता है, उनका आशावादी दृष्टिकोण होता है। अब रह गई एटीट्यूड की बात है। आज जो सामाजिक परिवेश बना है, जो समीकरण बना है, वर्षों-वर्ष से जो लोग सत्तासीन रहे हैं, उन्हें वही पुरानी व्यवस्था दिखायी देती है–"मार्जान कुलोहत्या मेषम् केशव मुण्डलीक्ष, स्लामो गोधूम्सस्य, शूद्र हत्या हतम चरेत्। उस व्यवस्था के अनुसार शूद्र की हत्या करने पर उतना ही पाप है जितना कि चिड़िया, गधा, उल्लू को मारने पर है। परन्तु इस व्यवस्था को बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपनी एक कलम से समाप्त कर दिया और आज संविधान के आर्टिकल 14 में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। आज रानी व मेहतरानी को बराबर का अधिकार है। अब ऐसा नहीं है कि रानी की पेट से जन्म लेने वाला बच्चा ही राजा बनेगा बल्कि राजा-रानी के पेट से नहीं लोहे की पेटी से पैदा होता है।

---

† दिनांक 6 फरवरी, 1995 की कार्यवाही से।

अब वह वक्त चला गया जब जो जितने अधिक सर काटता था वह सरदार बनता था। आज सिर काटने वाला जेल के सींखचों में जाता है और सिर जोड़ने वाला सरदार बनता है। इस प्रदेश में वह सरकार है जिस पर गांव का गरीब से गरीब आशा लगाये बैठा है गांव का घसीटा राम, मटरवा, मूलिया, रामकली, देवकली जो समाज के गरीब से गरीब है आशा लगाये बैठे हैं कि उनकी समस्या का समाधान होगा और वह समझ गये हैं कि किस तरह से उनकी समस्या का आज समाधान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों के विचार आ जायं केवल तीन मिनट दे रहा हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, लाल बत्ती न जलायें उससे बोलने में भ्रमित हो जाते हैं।

सबसे बड़ी बात इस सरकार ने जो की है यह आरक्षण की बात है उसका कोटा पूरा किया है। जो रोज रोना होता था कि आरक्षण पूरा नहीं होता है। इस समय माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जिसने पी० डब्लू० डी० में दो सौ ए० ई० का स्पेशन रैक्रूटमेंट किया है। एक असिस्टेन्ट इंजीनियर बनाने का मतलब है आने वाले दिनों में वह चीफ इन्जीनियर बनेगा हमारी सरकार ने 57 असिस्टेन्ट इंजीनियरों का और 37 एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों का प्रमोशन किया है। इस तरह से आरक्षण कोटा पूरा किया है। जो इस प्रदेश में लंबे दिनों से समस्या थी उसका समाधान किया है।

यह लोग जानते हैं कि गलती करने वालों को सजा भुगतनी पड़ती है। आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों ने वह दौर भी देखे हैं।

लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है।

आपने 6 दिसम्बर के दिन एक बहुत बड़ी खता कर दी है आने वाली पीड़ी आपको माफ नहीं करेगी। आपने 6 दिसम्बर का ही दिन इस काम के लिये चुना जिस दिन बाबा साहब का निर्वाण दिवस था। इससे न केवल बाबा साहब का अपमान हुआ है बल्कि उनके द्वारा रचे गये संविधान के पन्ने भी फाड़ दिये। लोग आपको समझ गये हैं उसकी सजा आपको मिल गयी है। अब आपको समझ जाना चाहिये। भगवत गीता के श्लोक को पढ़ते हुए इधर आ जाइये कि

सखेतिमत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति,
अजानता महिमानंतवेदं भया प्रमादात पुण्ययेन वाधि।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें। अब आप बैठें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं इनको बताना चाहता हूं–

गर यह कयामत का सामां लिये बैठे हैं,
तो हम भी मर मिटने का अरमां लिये बैठे हैं।
दर्दे दिल सोजे जिगर चाके-गरीबां की कसम,
अपनी हर आह में तूफान लिये बैठे हैं।
गर तड़फ उठे तो बदल जाये जमाने का निजाम,
गो लाख हाल हम परेशान लिये बैठे हैं।
काफिले वालों संभल कर न भटक जाना कहीं,
कितने हर गम पर शैतान लिये बैठे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

(इस समय 2 बजे अधिष्ठाता श्री अखिलेश पीठासीन हुए)

*श्री सतीश महाना–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं उससे अपहरण और हत्या की घटनायें बढ़ रही हैं जिससे प्रदेश में भय व्याप्त है। जहां राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विकास की बात कही वहां यह बात नहीं की कि आज पूरा प्रदेश विनाश की चपेट में आ गया है। मैं कानपुर नगर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कानपुर महानगर में अक्टूबर में पीने का पानी नहीं मिला और आज भी जब शीत लहरी है कानपुर की जनता बूंद-बूंद पानी के लिये तरस रही है और मिल भी रहा है वह दूषित है। जिस प्रकार इनकी सरकार दूषित है उसी प्रकार पानी भी हो गया है। उनके सत्ता में आने के बाद पूरे प्रदेश में विकास के कार्य ठप पड़े हैं, आज बिजली आंख मिचौली खेल रही है, कई-कई दिनों तक बिजली नहीं आती है। कानपुर का उद्योग ठप पड़ा हुआ है। घरों में तो बिजली आने का सवाल ही नहीं होता तो इससे विनाश हो रहा है। यह सरकार चिल्लाती है कि हमने एक साल में सब वायदे पूरे कर दिये हैं मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक वायदा इन्होंने पूरा कर दिया है निश्चित रूप से प्रदेश में गुंडा एक्ट समाप्त कर गुंडों का राज्य स्थापित कर दिया है।

इन्होंने एक वादा पूरा किया है टाडा समाप्त करके लेकिन राज्य में माफियाओं का राज्य स्थापित कर दिया है। इसी प्रकार नकल अध्यादेश समाप्त करके आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। मान्यवर, इनके समय में विकास के सारे कार्य आज अवरुद्ध हो गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, लाटरी के संबंध में कहा गया है कि इससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोग बरबाद हो रहे हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि लाटरी पर प्रतिबन्ध लगाया जाए लेकिन इस सरकार ने उनसे पैसा ले लिया है इसलिये लाटरी पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं बल देता हूं। धन्यवाद।

*श्री पारसनाथ–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मुझे अवसर दिया। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, भाजपा के सदस्यों के आंखों पर बलात्कार का चश्मा लगा है उसको यदि वे उतारकर देखें तो इस सरकार ने जो विकास के कार्य किये हैं वह दिखाई पड़ेंगे। मान्यवर, अयोध्या में विकास के कार्य जो इनके समय में रुक गये थे यदि आज वहां पहुंचकर देखा जाय तो लगेगा कि वहां विकास के कार्य हो रहे हैं। लेकिन उनकी आंख पर मात्र बलात्कार, डकैती, चोरी का चश्मा चढ़ा है, इसलिए विकास की जो योजनायें बनायी गयी हैं और आज कार्यान्वित की जा रही हैं वह उनको नहीं दिखाई दे रही है।

मान्यवर, आज तमाम तरह के आरोप, चाहे वह गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक के कार्यों की बात हो, उनको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है और सरकार के ऊपर आरोप लगाने की बहाना मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास विकास करने का कोई मुद्दा नहीं है। इसलिये हमारी सरकार जो कार्य कर रही है अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, दलित और शोषित वर्ग के लोगों के लिए और जिस तरह से वह आज प्रदेश में सीना तानकर चलते हैं वैसा शायद कभी पहले की सरकारों के समय में सीना तानकर नहीं चले थे और न उनके विकास के कार्य किये गये थे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री तुलसीदास राय चन्दानी–

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर दिया।

मान्यवर, कल सपा के एक सदस्य ने कीर्तिमान स्थापित करने की बात कही थी। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है दलित, शोषित, पिछड़ी महिलाओं के साथ बलात्कार करने का कीर्तिमान स्थापित किया है जबरन जमीन और सरकारी आवासों पर कब्जे का। मान्यवर, गोण्डा में जिला अस्पताल का एक मकान था जिसमें सरकारी डाक्टर रहता था लेकिन उसको सपा के लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया और पार्टी का झंडा लगा दिया। इसी प्रकार नगर परिषद् के चुंगी गोदाम के भवन पर बसपा के लोगों ने कब्जा किया है और मंत्री वहां उद्घाटन करने गये थे। तो इस सरकार के समय में इस तरह से कीर्तिमान स्थापित हुए हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं अपने जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि यदि विकास के नाम पर आयें तो अभी वर्ष 94-95 के लिए हमारे यहां के लिए विद्युत कमेटी में 54 गांव चयनित किये गये थे कि इनमें विद्युतीकरण किया जायगा, परन्तु दुर्भाग्य है कि वर्ष 94-95 समाप्त हो रहा है, पूरे जनपद में जहां से सपा के भी विधायक हैं केवल 9 गांवों के लिए विद्युतीकरण हेतु धन हस्तान्तरित हुआ है। हमारे यहां जो विद्युत की स्थिति है, बड़ी खराब स्थिति विकास कार्यों की भी है। विकास के लिए वहां 94-95 में जिला योजना में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 1 करोड़ 32 लाख रुपये का आवंटन हम लोगों का बताया गया था, किन्तु उसके विपरीत वहां पर अभी तक हर विधान सभा क्षेत्र में 7-7 लाख रुपये के ही कार्य लिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

* श्री फौजदार प्रसाद–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सदन में विपक्ष के नेता माननीय कल्याण सिंह द्वारा जो मनुवादी व्यवस्था के पोषक और समर्थक हैं, दलितों पर अत्याचार की बात कही गई, उसको सुनकर मुझे घोर ताज्जुब हुआ। मनुवादी व्यवस्था के अन्तर्गत जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें समाज में कई जातियां बनाकर दलितों को जानवर से भी बदतर बना दिया गया था, उसके समर्थक आज दलितों के लिए घड़ियाली आंसू यहां बहा रहे हैं, लेकिन हम सब इसको अच्छी तरह समझते हैं। उनको यदि वास्तव में दलितों और पिछड़ों के साथ हमदर्दी है, तो जिस व्यवस्था के खिलाफ उनको गुलाम बनाया गया, उस व्यवस्था को समाप्त करने की वह बात कहें। तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा।

आज हजारों वर्षों से शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का शोषण होता आया है। जो भी आज प्रदेश में उनका शोषण या उत्पीड़न हो रहा है, भाजपा के लोग उसके समर्थक है, किन्तु वही उसका हमारे विरुद्ध, हमारी सरकार के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए जिस तरह से ताश के पत्तों में गुलाम, बादशाह, बेगम और इक्का होता है उसी तरह से मनुवादी व्यवस्था वाले प्रतिपक्ष के नेता गुलाम और उसके पोषक राजा हैं, लेकिन आज जो सपा और बसपा की सरकार बनी है, उसकी एका के सामने यह सब गुलाम बादशाह ध्वस्त हो गये हैं और ताश पत्तों के समान सबसे ऊपर सपा-बसपा का एका यानी इक्का है। ये लोग धर्म के नाम पर अधर्म का काम करते हैं। ऐसे लोग जो पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों को सताने का काम कर रहे हैं वह सदन में बोलते हैं तो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए बोलते हैं..व्यवधान...मैं इसके साथ इसका समर्थन करता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैंने महामहिम राज्पाल का अभिभाषण पढ़ा और उससे मुझे ऐसा लगा कि यह बोतल नई है किन्तु शराब पुरानी। "व्यवधान" नशा तो 4 बजे आएगा। मान्यवर, इसमें जो शिक्षा के गुणवत्ता की बात कही गई है, मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि पूरे पर्वतीय अंचल उत्तरांचल में शिक्षकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। चाहे वह महाविद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक हों।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जल आपूर्ति की बात कही गई है, आज पहाड़ों पर यह हालत है कि जितनी योजनाएं हैं, वहां कोई भी काम नहीं कर रही हैं।

यहां कई योजनायें अधूरी पड़ी हैं और पानी की आपूर्ति नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं नहीं हो रही है। वहां पर गरीबों से 12 प्रतिशत जल कर लिया जा रहा है जहां पर आधा घंटे पानी नहीं है और 12 प्रतिशत कवाल टाउन में भी लिया जा रहा है जहां चौबीस घंटे पानी की नदियां बहती रहती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में गरीबों, किसानों मजदूरों से यह कर लिया जा रहा है।

मान्यवर, विकास की बात इसमें नहीं कही गई है। आज पेंशन की बात नहीं कही गई है। जब से यह सरकार आई है वृद्धावस्था पेंशन बन्द है, विकलांगों की पेंशन बन्द है, निराश्रितों को दी जाने वाली पेंशन बन्द है। आज कोई बजट पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं जा रहा है। हम उत्तराखण्ड की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री जी ढिढोरा पीटते हैं कि वह उत्तराखण्ड बनायेंगे। हम जब सदन में मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं कि आप क्या प्रारूप उस उत्तराखण्ड का देंगे। तहसील बनायेंगे, या विकास खण्ड बनायेंगे। वह कोई जवाब नहीं देते सिर्फ इसके लिए कोई बजट नहीं है। उन्होंने प्रारूप दिया है खटीमा गोलीकाण्ड के रूप में मसूरी गोलीकाण्ड के रूप में, उस प्रारूप का रूप दिया है मुजफ्फरनगर के बलात्कार कांड के रूप में।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री शिव बहादुर सक्सेना–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे संशोधन पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, आज प्रदेश में चारों ओर कानून व्यवस्था नाम की चीज समाप्त हो गई है। जंगल राज्य है और कोई भी व्यक्ति अपने को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। प्रदेश में लगातार हत्याएं, बलात्कार, डकैती, राहजनी इतने ऊंचे स्केल पर बहुत बड़ी संख्या में हो रही है। इसके बाद भी सदन में आकर सदन को गुमराह करने वाली बात कही जा रही है।

आतंकवाद का भय अभी भी कितना है और आतंकवादी गतिविधियां अभी भी हो रही हैं। कल ही देखिये श्रीमन् बाजपुर में रहने वाले पंडित गुरू वचन लाल शर्मा जो कि किसान थे, उनका अपना फार्म था, किसानी करते थे। अपने घर से निकल रहे थे जीप से। रास्ते में ट्रक ने टक्कर मार दी और फिर ट्रक में से लोगों ने उतर कर उन पर गोलियां चलाई। उनका गनर और वह स्वयं वहीं पर मर गये। जो मुलजिम थे, उन्हें देख लिया गया था और एफ० आई० आर० लिखाने लगे तो नहीं लिखी गई। जब पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गये तब जाकर एफ० आई० आर० लिखी गई। यह कैसा राज्य है, यह कैसा कानून है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विकास की बात कही है। लेकिन मान्यवर, विकास के कार्य पिछले दो वर्षों में जहां पर रुक गये थे आज भी वहीं पर हैं। वित्तीय स्वीकृतियां भी कुछ ही क्षेत्रों में जा रही हैं।

मैं समझता हूं कि सभी विधायक, पक्ष या विपक्ष के हों कहीं वित्तीय स्वीकृतियां नहीं पहुंची हैं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां से मैं जीतकर आया हूं वहां की जनता की परेशानी मैं आपके सामने रख रहा हूं। श्रीमन् वहां पर एक नदी है कोसी नदी, यह नदी जो बहती है इसके किनारे चार बड़े मेले लगते हैं। कोसी नदी में दो लाख लोग स्नान करते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। मान्यवर, हमारे यहां इण्डियन ग्लाईकल और चीमा पेपर मिल हैं। इनका काला और जहरीला पानी कोसी नदी में जाता है उसमें मछली हैं और नाका हैं जो भी पानी में रहने वाले जीव-जन्तु हैं वह मर जाते हैं। श्रीमन् चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है।

श्रीमन् जिस कोसी नदी में फैक्ट्रियों ने काला व जहरीला पानी डाला है उस नदी पर खौद लालपुर मार्ग पर लगभग 80 वर्ष पुराना पुल बना हुआ है जिसका एक गोला बैठ गया है भारी वाहनों का आवागमन भी शासन ने रोक दिया है कृपया वह पुल बनवाया जाए। मान्यवर, जो कोसी नदी के किनारे नल लगे हुए हैं जो हाथ वाले नल लगे हुए हैं उनमें भी काला और जहरीला पानी आ रहा है उन हाथ के नलों का पानी भी आदमी नहीं पी सकते हैं ऐसे दौर से वहां की जनता गुजर रही है। मैं कई बार इस सदन में इस बात को उठा चुका हूं मैं एक बार फिर आपके संज्ञान में ला रहा हूं वहां काला वजह टोला पानी नदी में डालना बन्द करने पर कार्यवाही कराने की कृपा करें ताकि वहां की जनता राहत की सांस ले सके।

* श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, आपने श्री अशोक बाजपेई द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन तथा इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को एक संदेश देना चाहता हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि हम चुनाव के मैदान में चलने को तैयार हैं इसका जबाव चुनाव में दिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि किस आधार पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव की बात कही।अगर उनको दिक्कत है तो वह इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर देख लें। सामने वाले स्थान में मेरे मामाश्री भी विराजमान हैं। इतिहास साक्षी है जाने कितने स्थानों पर मामाओं ने हराया है। इस स्थान का हश्र क्या होगा यह सब जानते हैं। मैं आभारी हूं इस सरकार का समता मूलक समाज की स्थापना के तहत वर्तमान सरकार ने शिक्षा जगत के लिए कार्य किया।

(शोर)

विकास कार्यों को गति प्रदान की। युवाओं के कल्याण के लिए मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, कल बेरोजगार युवाओं के लिए एक घोषणा की गई उनको बल प्रदान करने के लिए। साक्षात्कार में जाने हेतु तथा किसी प्रतियोगात्मक परीक्षा में जाने हेतु कोई युवक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में यात्रा करेगा तो वह मात्र एडमिट कार्ड दिखाने से मुफ्त में यात्रा कर सकता है। मैं आभारी हूं मुख्य मंत्री जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का जिनके नेतृत्व में समता मूलक समाज में निष्ठापूर्वक कार्य किए हैं। मान्यवर, मैं बलरामपुर की धरती का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां से अर्न्तराष्ट्रीय व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मात्र 14 महीनों में प्रमुख विपक्षी दल के उम्मीदवार, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हनुमन्त सिंह ने साम्प्रदायिक दंगे भड़काने का प्रयास किया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त।

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो किया गया यह गलत है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रमेशकान्त लवानियां–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में आगरा की समस्याओं के निराकरण के बारे में कुछ नहीं रखा है। आगरा एक एतिहासिक नगर है। वहां देश-विदेश के पर्यटक आते हैं। सबसे ज्यादा विदेश मुद्रा आगरा से आती है लेकिन वहां की समस्याओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया है।

सबसे गम्भीर समस्या वहां पर पेयजल और विद्युत आपूर्ति की है। इसलिए यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक अवलोकन के पश्चात दिल्ली वापस लौट जाते हैं। पेयजल के लिए 600 लाख गैलन के स्थान पर 435 लाख गैलन पानी प्रतिदिन उपलब्ध होता है। वहां पर बैराज की मांग बहुत दिनों से चल रही है लेकिन अभी तक इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर बैराज का निर्माण किया जाए। नई पानी की लाइनों को बिछाया जाए। दूसरी मान्यवर,, जसवन्त सिंह आयोग ने उच्च न्यायालय की बेंच आगरा में स्थापित करने की संस्तुति की है। इसलिए आगरा में मा० उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित की जाए। मेडिकल कालेज को घनी आबादी से निकाल कर दूसरी जगह स्थापित किया जाए। मा० उच्चतम न्यायालय ने कई उद्योग धन्धों को बन्द कर दिया है इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित किये जाएं जिससे वहां पर प्रदूषण न फैले। ताज क्षेत्र से वाहनों के आवागमन से धुंआ फैलता है जिससे प्रदूषण बढ़ता है इसलिए मेरी मांग है कि एक ताज क्षेत्र के बाहर रिंग रोड बनाई जाए जिससे प्रदूषण न फैले।

श्री पूर्णमासी देहाती–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं किआपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, इस समय श्री मुलायम सिंह के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो हमारे विपक्ष के लोग और नेता प्रतिपक्ष सदन के अन्दर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं उनको राम कोला काण्ड की याद दिलाना चाहता हूं। वहां पर किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई और उस समय श्री कल्याण सिंह उनको देखने तक नहीं

गए । अपने शासन काल में नेता प्रतिपक्ष ने जो पाप किए हैं उन पापों को मा० मुख्य मंत्री धो रहे हैं । रामकोला काण्ड में अनेको लोगों के ऊपर जो फर्जी मुकदमें चलाए गए थे उनको वापस ले लिया जाये । मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा सरकार जो थी वह काण्डों की सरकार थी । चाहे रामकोला काण्ड हो, चाहे पथरदेवा काण्ड हो । चाहे महार जिन्दावालिया चाहे पडरौना और लास्ट में अयोध्या काण्ड इन्होंने किया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि मा० मुलायम सिंह की सरकार ने गन्ने के दाम बढ़ाकर किसानों के हित के लिए काम किया है । गांव में जो जमीन बेकार पड़ी थी उसको भूमिहीनों को वितरित किया गया है । और इस समय प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है । मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि छितौनी चीनी मिल में 18 मजदूरों को भाजपा के शासन काल में विलावजह निकाल दिया गया था । इनकी सरकार मजदूर, किसान विरोधी थी । माननीय अधिष्ठाता महोदय,आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं । और इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय,आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं । मैं अपने को प्रतिपक्ष के नेता माननीय कल्याण सिंह के भाषण से सम्बद्ध करते हुये कहना चाहती हूं कि प्रदेश में जो महौल व्याप्त है वह सभी जन प्रतिनिधियों के लिये अच्छा संदेश नहीं है । जनप्रतिनिधियों का चरित्र इस प्रदेश की जनता सूक्ष्म तरीके से देख रही है । सदन के बाहर और सदन के अन्दर सत्ता पक्ष की विशेष जिम्मेदारी होती है । विपक्ष की उठायी गयी बातों को सावधानी से सुनकर तात्कालिक रूप से जो विसंगतियां हैं उस पर प्रभावी कदम उठाने चाहिये लेकिन ऐसा देखने में नहीं मिल रहा है । महोदय, जनपद बाराबंकी के विकास की बात जब आती है तो सिरौली गौस का नाम आता है ।

जनपद बाराबंकी को लखनऊ का मोहल्ला कहा जाता है । मान्यवर, जनपद बाराबंकी पूर्णरूप से एक जिला है, यह फैजाबाद मण्डल का एक जिला है । जनपद बाराबंकी में विकास की जितनी एजेंसियां हैं वह विकास के लिये पर्याप्त नहीं हैं ।आज भी जनपद बाराबंकी विकास के मामले में अत्यन्त पिछड़ा है । इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं,वहां पर साक्षरता का प्रतिशत 33 प्रतिशत है वहां पर प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर अभी महाविद्यालय नहीं हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि जो विकास एजेंसी फैजाबाद मण्डल में पूर्वांचल विकास निधि के रूप में कार्य करती है उससे जनपद बाराबंकी वंचित है । मैंने इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया तो योजना आयोग के माध्यम से मुझे यह सूचित किया गया कि जनपद बाराबंकी मध्य में आता है और मध्य में आने के कारण पूर्वांचल विकास निधि की योजना वहां पर लागू नहीं हो सकती ।इससे हमारे बाराबंकी जनपद का विकास नहीं हो पा रहा है । डी०आर० डी० ए० और जिला योजना में जो धन जानता है वह पर्याप्त नहीं होता है । वहां जो कुछ विकास हो रहा है , चूंकि लोक निर्माण मंत्री वहां के हैं, अगर कुछ धन अतिरिक्त वह ले भी जाते हैं तो वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है । मैं कहना चाहती हूं कि जनपद बाराबंकी का पूरा सर्वेक्षण कराया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाय और पूर्ण रूप से विकसित करने के लिये योजनायें बनायी जायं। मेरे विधान सभा क्षेत्र राम नगर में ऐसे-ऐसे दुर्गम रास्ते हैं और ऐसी नदियां हैं जहां आज भी लोग आ जा नहीं पाते हैं। सड़कों के न होने के कारण कृषि उपज मण्डी तक नहीं आ पाती है जिससे किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। नदियों पर पुल न होने के कारण अनेक जानवर और मनुष्य डूब जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

वहां पर विकास के कार्य अवरुद्ध हैं। मैंने जिन समस्याओं के बारे में यहां पर निवेदन किया है उनको राज्यपाल के अभिभाषण में जोड़ा जाय और बाराबंकी जनपद का समुचित विकास कराया जाय।

*श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, कल मैं अपनी बात नहीं कह सका था.....

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्री राम तेज को बुला लिया है, आप तो कल बोल चुके हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

श्री समर पाल सिंह का भाषण कल जारी था।

* श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, कल कुछ बात रह गयी थी। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मान्यवर, जब से माननीय मुलायम सिंह जी ने शपथ ली है, किसी जिले या तहसील में दंगा नहीं हुआ है, यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में शान्ति है, यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसानों को गन्ने का दाम मिल गया, गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया, यह किसी सरकार ने नहीं किया। चौधरी चरण सिंह की जो इच्छा थी, उसको माननीय मुलायम सिंह जी ने साकार किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पहले बलात्कार होते थे, उन पर इस सरकार ने रोक लगाया है। इस सरकार ने दलितों को, कुम्हारों को जमीन के पट्टे देने का काम किया है। जो भी घोषणा पत्र में कहा गया था, उसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। इन्होंने तो मन्दिर में घंटी बजाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। मैं मुरादाबाद की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, वहां पर नेशनल हाईवे पर पुल बनाया जा रहा है, वह 4 करोड़ की लागत का है। हाई-वे बन्द हो जायेगा, उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री राम बिशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब से यह सरकार आयी है कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज नहीं है, अराजकता का माहौल बना हुआ है । जगह-जगह पर कब्जा करो अभियान चल रहा है । मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि गोण्डा जिला फैजाबाद मण्डल का सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है । 14 महीने हो गये, लेकिन गोण्डा जनपद में एक फावड़ा मिट्टी नहीं डाली गयी है । 1993-94 के अन्तर्गत एक नया पैसा स्टेट सेक्टर के अन्तर्गत नहीं दिया गया है । ....

(समय दो बजकर 30 मिनट)

मान्यवर, वर्ष 93-94 और 94-95 का जिला योजना में एक नया पैसा नहीं गया है । जैसा कि यह विकास की बात करते हैं तो विकास के नाम पर केवल इन्होंने विनाश किया है । इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि पिछड़ों और दलितों में इन्होंने बराबर संघर्ष करवाया है और अपराध को बढ़ावा दिया है और कहते हैं कि हमारी सरकार दलितों की सरकार है, किसानों की सरकार है । मान्यवर, हमारे जनपद गोण्डा में नवाबगंज शुगर मिल है जिसको इस सरकार ने, जो किसानों की दुहाई देती है, किसानों के हितों की, किसानों के हिस्सों की बात करती है, नवाबगंज शुगर मिल को बन्द कर दिया जिससे मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं और किसानों का एक भी नया पैसा गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है । किसान परेशान है । मैं मांग करता हूं कि शुगर मिल नवाबगंज को उच्चीकृत करवा करके उसको तत्काल चलवाया जाय । जिससे किसानों के गन्ने को पेरा जा सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । मैंने राम प्रताप सिंह जी नाम पुकार लिया है ।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

इस सरकार ने किसी योजना के लिए एक भी नया पैसा नहीं दिया है ।

(श्री सत्य प्रकाश विकल का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, मैंने विकल जी को बुला लिया है ।

(श्री शिव प्रताप शुक्ल के खड़े होने पर)

आप बैठें, मैंने विकल जी को बुलाया है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का अवसर दिया । मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा और मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि इतना नीरस और इतना निराशाजनक व निरर्थक अभिभाषण

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

पहली बार देखने को मिला । इस अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों की काफी चर्चा की गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि इन उपलब्धियों का बखान अधूरा रह जायेगा, इसमें वह कथानक अधूरा रह जायगा । जब तक उसमें छोड़ दी गयी कुछ और चीजें न जोड़ी जायं । मुझे खुशी होती अगर श्री राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में यह भी जोड़ दिया होता कि इस सरकार ने समाज में जातिवाद का जहर घोलकर इसे तोड़ने में डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है । इस सरकार ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का रिकार्ड कायम किया है ।

अभिभाषण में यह भी जोड़ दिया गया होता कि इस सरकार के शासनकाल में अपहरण को एक उद्योग बनाकर उसमें विशेषज्ञता हासिल की गयी है, अपहरण एक व्यापार बन गया है । मान्यवर, जिगस प्रकार से इस प्रदेश में अत्याचार लूट चोरी डकैतियां बढ़ी हैं उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है । मैं आगरा जनपद से चुनकर आता हूं वहां एक हफ्ते के अन्दर 12 घटनाएं हुई हैं खदौली में पुलिस थाने के निकट 8 लाख की चोरी हो गयी, रिंग रोडक पर शाम 7 बजे कोठी में घुसकर लुटेरे लूट कर ले गये रोडवेज की बस का कैश लेकर जा रही गाड़ी को हथियार बंद लुटेरे दिनदहाड़े हमला करके चार लाख रुपया लूट ले गये यही सब चल रहा है । सरकार ने गांवों को 16 घंटे बिजली देने की घोषणा की थी लेकिन प्रदेश में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 6 घंटे भी बिजली मिलती हो । यह कहा गया कि नहरों में टेल तक पानी पहुंचेगा लेकिन टेल तक क्या कहें, बम्बे के सिरे तक पानी नहीं पहुंच रहा है ।

मान्यवर, मैं आगरा की दुखभरी कहानी कहूं, माननीय नगर विकास मंत्री जी बैठे हुए हैं । मैं चाहता हूं कि वह इस समय विशेष ध्यान दे । आगरा एक ऐतिहासिक महानगर और पर्यटन केन्द्र है । लाखों-करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा वहां से अर्जित होती है। सैकड़ों-हजारों देशी-विदेशी पर्यटक वहां प्रतिदिन आते हैं । लेकिन वहां मार्ग प्रकाश के लिये सबसे कम बजट मिलता है । वहां की सड़कें टूटी हुई हैं और सड़कों पर अंधेरा रहता है । सड़कों के लिये बहुत कम बजट मिलता है । गंभीर पेयजल संकट और बिजली के संकट से भी आगरा त्रस्त है । मान्यवर, बिजली की हालत यह है कि आगरा में बिजली कटौती 8-8 घंटे रोज होती है । वहां इस कटौती को बन्द करने के उपाय नहीं किये गये हैं । वहां उद्योगों में जनरेटर नहीं लगते हैं प्रदूषण के कारण, वहां बिजली न होने से उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के आगे भुखमरी की समस्या पैदा हो रही है । उद्योगों की दृष्टि से आगरा बरबाद न हो, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा । भा० ज० पा० के सदस्य श्री अमर सिंह एवं श्री परमानन्द दण्डी स्वामी द्वारा सत्ता पक्ष की सीट पर बैठने पर सत्ता पक्ष की ओर से तालियां बजायी गयीं ।

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। जहां पर उपलब्धियों का जिक्र किया गया है, वहां आगरा जैसे महानगर और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक केन्द्र में आवश्यक पानी, बिजली पार्क और सड़कों की व्यवस्था न होना और साथ ही अन्य विकास के कार्यों में ध्यान न दिया जाना चिन्ता का विषय है । मैं चाहूंगा कि आगरा के विकास के लिये सरकार विशेष ध्यान दे ।

श्री मुक्तिनाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय,महामहिम श्री राज्याल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, अभी मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के अनर्गल प्रलाप को सुनकर दंग रह गया मान्यवर, वे वही नेता प्रतिपक्ष हैं जो नेता सदन के रूप में जब बैठे थे, उस समय राम कोला काण्ड हुआ था और

जिसके चलते हम लोग यहां पर आ गये । गन्ना किसानों पर गोली चलाने वाले लोगों को यह याद नहीं आ रहा है कि हमारे तमाम नेताओं को जेलों में बन्द किया गया था, उन पर अत्याचार किये गये थे और उसी के चलते, किसानों के आशीवाद से हम लोग सत्ता पक्ष पर आसीन हुए हैं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, इन्हें याद नहीं आ रहा है कि जहां पर विकास की किरणें अछूती थी, शोषित पीड़ित जनता के ऊपर तमाम अत्याचार हो रहे थे, सदियों से वे उपेक्षित थे, जैसे कुम्हार, राजभर, निषाद माननीय मुलायम सिंह जी ने इनको पट्टा देने का काम किया । उनको नदी के ठेके दिये गये, बालू के ठेके दिये गये ।

मान्यवर, मुझे सुन लें । विधवा पेंशन की बात कही जा रही थी, मैं कहना चाहता हूं कि इनके राज्य में तो पेंशन बन्द कर दी गयी थी, माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का राज्य हुआ पेंशन पुनः शुरू कर दी गयी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मकानों के कब्जों की बात करते हैं, [x x x] मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं यह पहली सरकार है जिसने कि गन्ना किसानो के दाम बढ़ाये और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा दाम देने का काम किया है । मैं कहना चाहता हूं मान्यवर वर्ष 89-90 में मा० मुलायम सिंह यादव जी देवरिया जिले में 6 कन्या इण्टर कालेज खोलने की स्वीकृति प्रदान किये थे जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरस्त कर दिया ।

मान्यवर, मैं मा० मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि भा० ज० पा० ने जो पाप किया है । उसे दूर कर अपनी कृपादृष्टि अवश्य प्रदान करें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह कहना चाहता हूं कि कृपा पूर्वक माननीय नेता विरोधी दल से कह दें कि वे कृपया संशय की स्थिति मिटा दें और अपनी स्थिति स्पष्ट करें । यह एक-एक दो-दो करके भेज रहे हैं क्यों नहीं इकट्ठे करके भेज देते । जिन लोगों को आना जाना हो एक बार में जायें आयें। आज इनके चेहरे में कालिख पुत गयी है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं ।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मेरे ऊपर आरोप लगाये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उमानाथ यादव कौन से [xxx] नहीं हैं । उन्होंने इतना बड़ा काण्ड कर डाला वे अपराधी हैं । वे मुख्य मंत्री कार्यालय में अभी भी बैठे हैं...

(व्यवधान)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अपिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

शुक्ल जी आप [x x x] नहीं कह सकते हैं। मैं निर्देश देता हूं कि अपराधी शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

(व्यवधान)

* श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस सरकार ने ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए कोई ऐसी कार्य योजना नहीं बनायी है जिससे इनका विकास हो सके। मान्यवर, चुनाव से पूर्व इन्होंने घोषणा की थी कि वे ग्रामीण अंचलों में विद्युतीकरण करेंगे लेकिन इन्होंने उसकी कोई योजना नहीं बनायी है। पूर्वांचल विकास निधि और उत्तराखण्ड का तो अलग बजट है लेकिन वर्तमान सरकार ने पश्चिमी अंचलों के लिए हलांकि यह जनपद सम्पन्न है, लेकिन फिर भी वहां पर विकास की आवश्यकता है, वहां पर सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ अधूरी पड़ी हैं और कही विद्युतीकरण नहीं हुआ है, कोई योजना नहीं बनायी है। पश्चिम में एक जो कि तीन-तीन जनपदों से होकर गुजरती है, जब जल प्लावन होता है तो उससे बहुत नुकसान होता है, उसके सफाई की कोई योजना इस सरकार ने नहीं की है। अन्त में मैं कांग्रेस द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और वर्तमान सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वे कोई ऐसी कार्य योजना लाये जिससे ग्रामीण अंचलों का जीवन उठ सके।

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस सदस्यों द्वारा रखे गये संशोधन पर, जो आज की कार्य सूची का अंग है, पर बोलने का अवसर दिया मान्यवर, अगर समय का ध्यान रखते हुए इतना ही कह दूं कि यह महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण अब तक का सबसे दिशाहीन, सबसे निराशाजनक, सबसे प्रगतिविहीन बजट है और अन्धेरे से और अन्धेरे की ओर ले जाने वाला बजट है तो यह अनुचित नहीं होगा।

इसमें कहीं दूर-दराज तक आशा की किरण नहीं दिखाई पड़ रही है, कहीं दूर-दराज तक उन वायदों की, उन इरादों की झलक नहीं दिखाई पड़ रही है, जिन इरादों के लिये यह सरकार आई थी। मान्यवर, अगर गौर से देखें तो 14 महीने के पूर्व जब मुलायम सिंह और बसपा गठबन्धन की सरकार को बड़ी उम्मीदों, मुद्दों पर आधारित समर्थन दिया गया था, तो उस समय हमें उम्मीद थी कि यह सरकार अपने कार्यकाल में, जो वायदे इसने जनता से किये हैं, देश की जनता से किये हैं, उसके अनुसार काम करेगी। मान्यवर, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा समर्थन मुलायम सिंह जी की सरकार को केवल साम्प्रदायिकता से लड़ने के लिये दिया गया समर्थन था, उस समर्थन के बाद आज 14 महीने बीत गये।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम जब नजर डालते हैं कि इन 14 महीनों में सरकार कहां से कहां पहुंची है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि साम्प्रदायिकता से तो यह लड़ नहीं पाये, बल्कि 14 महीनों से इन्होंने खुलकर इस समाज को, जो साम्प्रदायिकता से टूटकर बिखर रहा था, को जोड़ने की कोशिश तो नहीं की, बल्कि जातीयता का जहर इस समाज में और डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में साम्प्रदायिकता के विष से जो यह समाज टूटन की कगार पर था, उसमें जातीयता का विष मिलाकर इन्होंने इसे पूरी तरह विखन्डित करने का भरपूर प्रयास किया, इसीलिये केन्द्र ने इस सरकार से समर्थन वापस लेकर हमको दोनों चीजों से लड़ने के लिये पूरी तरह से विपक्ष की भूमिका निभाने की इजाजत दी है। मान्यवर, इनका चेहरा कैसा है, इनका चेहरा कैसा है, अगर यह देखा जाय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक तरफ जातीयता लिखा है और दूसरी तरफ साम्प्रदायिकता लिखा है, एक तरफ सांपनाथऔर दूसरी तरफ नागनाथ बैठे हैं और इन दोनों के बीच में धर्मनिरपेक्षता की बू आती है।

श्री अध्यक्ष–

आपको कोई डस तो नहीं रहा है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आंकड़े देकर सदन का समय जाया नहीं करना चाहता। आंकड़ों की तरफ यदि ध्यान दिया जाय तो बिल्कुल ही ऐसी लगेगा, हम जरा जमीनी हकीकत की तरफ जायं, धरातल पर उतर आयें तो देखने पर लगेगा कि इस सरकार के कार्यकाल में विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई है। मान्यवर, अगर गौर से देखें तो विकास का कार्य रुक गया है। वर्ष 1989 में जब नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में विकास नाम की चीज रुक गई है। अगर कहीं विकास हुआ भी, तो एक-दो क्षेत्रों में हुआ होगा और जो कुछ क्षेत्रों में हुआ भी है तो वह राजनीतिक मजबूरियों के कारण हुआ, सामाजिक कारणों से नहीं हुआ। मुझे तो सामने बैठे दिक्कत नजर आती है। मुलायम सिंह यादव जी पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, यही बता दें कि बेनी प्रसाद वर्मा की जाति का कितना भला हुआ है, सिवाय इसके कि बेनी प्रसाद वर्मा का हुआ है।

मान्यवर, केन्द्रीय सहायता से चलने वाली योजनाओं को अगर हम छोड़ दें और प्रदेश के नक्शे पर आप देख लें तो पायेंगे कि केन्द्रीय सहायता की योजनायें, केन्द्र द्वारा पोषित योजनाओं, केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं को छोड़कर अन्य कोई भी नई योजना इस सरकार द्वारा नहीं चलाई गई, कोई नया कार्यक्रम नहीं चलाया गया,बस इतना हुआ कि कुछ के नाम अवश्य बदल दिये और इन योजनाओं का दलितों, पिछड़े तबकों को कोई लाभ नहीं पुहंचा। मैं यह कह सकता हूं कि जो योजनायें चल रही थीं और उनके जो वास्तविक लाभार्थी थे, उनसे वह दूर चली गई।

मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात करें या ला एंड आर्डर की बात करें, तो इतना ही कह सकता हूं कि इस सरकार के समय में ला एण्ड आर्डर, अनलाफुल एंड डिसआर्डर हो गया है। न कोई कानून है, न कोई व्यवस्था है। जहां तक उद्योगों का प्रश्न है, एक उद्योग अवश्य फल-फूल रहा है, वह है अपहरण का उद्योग। अपहरण में भी, जैसे सेल टैक्स, इन्कम टैक्स आदि का होता है, मुझे बताया गया है कि अपहरण में भी जो टैक्स लगता है, उसका निश्चित हिस्सा, बहुत ही निश्चित जगह से दूसरी

निश्चित जगह पर पहुंच जाता है, इससे ज्यादा लज्जाजनक बात और क्या हो सकती है ? मान्यवर, निश्चित रूप से इस सदन की एक गरिमा है और पूरा प्रदेश आदर्श निगाहों से इस सदन की ओर देखता रहता है लेकिन क्या यह सच नहीं है और क्या यह सुनकर और अखबारों में पढ़कर हमारा सिर नहीं झुक जाता है कि इस सम्मानित सदन में जिसकी सरकार हो, उसी सत्तारूढ़ दल के दो विधायकों पर हत्या के नामजद मुकदमें चल रहे हों तो इससे ज्यादा इस सरकार के संरक्षण में पलने वाले अपराधों की क्या तुलना कर सकते हैं ? इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी इधर स्थितियां बनी हैं, उनमें सभी तरफ से कहीं न कहीं गिरावट आयी है । सारा राष्ट्र या यूं कहें कि सारी दुनियां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 125 वीं जयन्ती मना रही है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 125 वीं जयन्ती पर क्या किया है ? 1/2 अक्टूबर की रात्रि में जब सारा राष्ट्र सो रहा था तो सरकार अपने ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी ।

(व्यवधान)

(माननीय भा० ज० पा० सदस्य श्री अमर सिंह के सत्ता पक्ष में आकर बैठने पर, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेंजे थपथपाई)

मान्यवर, जैसे कोई ड्रामा होता है, नाटक होता है तो उसका उपसहांर भी होता है । मैं देख रहा हूं कि मुलायम सिंह और कल्याण सिंह जी में पुरानी दोस्ती है क्योंकि दोनों लोग एक ही मंत्रिमण्डल में रह चुके हैं और आज पुरानी दोस्ती का कर्ज उतारा जा रहा है । ये दोनों लोग एक नूराकुश्ती चला रहे हैं । कल्याण सिंह जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अभी तक आपने 3 प्रतिनिधि भेजे हैं जो और भेजने हों वह भेज दें ताकि असली चेहरा सामने आ जाये । बाहर कहते हैं कि कांग्रेस बिकी हुई है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे नेतृत्व में 32 कांग्रेस के विधायक बैठे हैं और वह सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे । आपने 3 विधायक भेजकर जो मुलायम सिंह यादव सरकार की मदद की है उसके लिये उत्तर प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि 3-4 विधायकों के ऊपर ही सब कुछ निर्भर था । आपने इन्हें जीवनदान और अभयदान दिया है, उसके बदले में आपको जो कुछ मिला हो, यह आप जाने और गुप्ताजी जाने, मैं नहीं कह सकता । अगर आप में जरा भी नैतिकता है तो कांग्रेस की तरफ उगली उठाना बन्द कर दीजिए । मान्यवर, मैं मुजफ्फर नगर काण्ड के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि जब सारा राष्ट्र गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था, उस समय सरकार अपने ढंग से श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी । मान्यवर, मानवाधिकार आयोग हो, चाहे राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे सी० बी० आई० हो तीनों ने दोषी करार दिया है । क्या मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को उनका वायदा याद दिलाऊं, उन्होंने कहा था कि यदि बलात्कार की घटना साबित हो जायेगी तो मैं स्वयं राष्ट्र से क्षमा मांग लूंगा । अब आप किसका इन्तजार कर रहे हैं ।

जिस वक्त वह दुखद घटना हुई थी उस समय न हम थे, न आप थे, इसलिये जो जांच रिपोर्ट आयी है उस पर भरोसा करना पड़ेगा । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब आप विपक्ष में थे तो कहा करते थे कि हमें सी० आई० डी० की जांच पर भरोसा नहीं है, सी० बी० आई० से जांच करायी जाये । अगर आपने जांच में विश्वास नहीं किया तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कल मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी क्यों दर्ज करा दी ? जब

आपने एफ० आई० आर० दर्ज करा दी तो नैतिक रूप से यह माना जायेगा कि आपने सत्यता को स्वीकार कर लिया है। अगर हम देखें तो आपके शासनकाल में कोई नई चीनी मिल नहीं लगी, बल्कि आपने कई चीनी मिलों को औने-पौने दाम पर बेच दिया। अगर आप गौर से देखें तो न बिजली है, न पानी है, न खाद है। खाद है तो बहुतायत में, लेकिन इनके संरक्षण में अनेक एजन्सियां चल रही हैं खाद की कोई कमी नहीं है, केन्द्र सरकार ने उपलब्ध करा दिया है। वितरण व्यवस्था तो आपके हाथ में है परन्तु इनके द्वारा नामित जो ब्लैक मारकेटिंग एजेन्सियां हैं उनके द्वारा रु० 200-250 की दर से यूरिया खाद बेची जा रही है मान्यवर, इन दोनों के बीच में जो नूराकुश्ती हो रही है आदरणीय अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि इन दोनों को आप गले मिला दें ताकि यह रोज की नूरा कुश्ती समाप्त हो जाय। यह काम भी आपके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मान्यवर, मुझे अहसास था कि माननीय मुख्य मंत्री जी विदेश जा रहे हैं वहां से पूंजी निवेश करायेंगे। आप जरा आंकड़े देख लीजिए। हिन्दुस्तान में जो पूंजी निवेश हुआ है गुजरात में कितना हुआ है, चिमनभाई पटेलजी वहां पर मुख्य मंत्री थे, कर्नाटक में कितना हुआ है, आपके गोवा में कितना हुआ है, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, परन्तु अपने प्रदेश को देख लीजिए। आप यह बतायें कि जो पूंजी निवेश हुआ है क्या उसके एक प्रतिशत से ज्यादा भी आपके यहां पूंजी निवेश हुआ है ? आपने कहा कि हम इनकम टैक्स व सेल्स टैक्स की व्यवस्था कर देंगे, परन्तु यह जो अपहरण हो रहे हैं, उसके लिए अपहरण टैक्स की व्यवस्था आप कहां से करेंगे ?

मान्यवर, कर्मचारियों के प्रति जो रवैया इस सरकार ने दर्शाया है ऐसा रवैया तो केवल दुश्मनों के साथ ही हो सकता है। सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही की है, उसे समाप्त करके उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लेने का वातावरण बनाया जाना चाहिए। मान्यवर, बस्ती और शाहगंज में, हमारी पार्टी के मुख्य सचेतक श्री जगदम्बिका पाल जी के भतीजे की हत्या हुई, सत्तारुढ़ के लोगों द्वारा हत्या हुई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। कभी-कभी एक बात कही जाती है कि कांग्रेस और बी० जे पी० मिली हुई है। हम तो उनको अछूत समझते ही हैं, साम्प्रदायिक समझते ही हैं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए हमने कभी भी इनके साथ गठबन्धन नहीं किया, न ही कभी करेंगे। आज हम फिर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता के विकासकी लड़ाई को अकेले लड़ेंगे। कभी मिलकर नहीं लड़ेंगे। 1989 में आप लोगों का चुनावी गठबन्धन हुआ था हमने तब भी सहयोग नहीं दिया। आपके, जनता दल ने तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग लिया, परन्तु हमने उस समय भी नहीं दिया। पंचायत राज्यों के माध्यम से लोगों को अधिकार मिले हम भी इसके पक्षधर हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जनता दल का नाम लिया। मैं तो कहना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर को जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो उस समय इनके प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी की तथा बी० जे० पी० की सांठ-गांठ हुई थी, जिसके कारण यह मस्जिद शहीद हुई।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर,मैं जवाब देता हूं। ६ दिसम्बर की घटना न घटित हुई होती अगर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री इस समय न बने होते भारयीय जनता पार्टी के सहयोग से। उन्होंने अगर श्री आडवानी जी को रथ यात्रा न निकालने दी होती तो वातावरण इतना विषाक्त नहीं होता। अगर कोई दोष है तो जो आज ये जो जनता दल में बैठे हैं, इनका है। अच्छा हुआ श्री राम आसरे वर्मा जी का साथ छोड़कर लोग इधर चले आये। अब 27 में से केवल 4 रह गये हैं। भगवान करे अब ये अकेले ही रह जाये।

श्री राम आसरे वर्मा–

लगता है कि श्री तिवारी जी यही रास्ता बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपस में कोई बात–चीत नहीं होनी चाहिये।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आज भी इनकी साम्प्रदायिक ताकतों से सांठ–गांठ है।

श्री प्रमोद तिवारी–

कौन साम्प्रदायिक ताकतों के साथ है और कौन जातीय तत्वों के साथ है। हमने जो संशोधन रखे हैं, उन पर मैं बल देता हूं और आपसे आगह करता हूं कि आप अपने विवेक से इसे निर्धारित करवा दें और इस सरकार से हमें फुरसत दिलवायें। आप कहीं ऐसी जगह जायें, जहां हम आपके साथ बैठ सकें।

नेता विरोथी दल (श्री कल्याण सिंह)

मान्यवर, यहां पर जो चर्चा हुई, उस पर उत्तर देने के लिए आपने मुझे मौका दिया।

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी बात कह लें, उसके बाद आपको समय मिलेगा।

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव–)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके बहुत आभारी हैं और साथ ही कृतज्ञ भी है कि सदन में माननीय नेताओं ने और माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार रखे, उन पर उत्तर देने के लिए मौका दिया।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त किये और माननीय नेता कांग्रेस माननीय श्री तिवारी जी ने विचार व्यक्त किये, तथा सभी पक्षों ने अपने जो विचार व्यक्त किये, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज आपके समक्ष, उत्तर देने का जो हम प्रयास कर रहें हैं, वह बहुत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का एक विशाल राज्य है, उत्तर प्रदेश देश का ह्रदय कहलाता है और देश की राजनीति का केन्द्र बिन्दु बना हुआ है।

और उस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री को हमारे देश के सर्वोच्च न्यायलय ने सजायाप्ता घोषित किया है, उन्हें अपराधी घोषित किया है। इसलिये जो कुछ उन्होने कहा है जिस तरह से एक सजायाप्ता की बातों पर काई विश्वास नहीं करता है उसी तरह से सजायाप्ता नेता बैठे है उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए मान्यवर, प्रतिपक्ष ने भी उनके संशोधन के प्रस्ताव को कोई गंभीरता से नहीं लिया है और यह हमारा दुर्भाग्य है, हमारी मजबूरी है, नेता सदन होने के नाते उत्तर देना पड़ रहा है। सजायाप्ता नेता जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से सजा पाई हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहला अवसर है, सुप्रीम कोर्ट का यह ऐसा निर्णय है जिस निर्णय के विरुद्ध कहीं कोई अपील नहीं हुई वह इस सदन में इस तरह की बाते करते हैं और सदन में कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी ऐसे लोगों से जोड़ने की बात सोचते हैं, हाईकोर्ट के वकील होने के नाते उन्हें इस बात को समझना चाहिये।

उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की धज्जियां उड़ाने के कारण ही तो सजा मिली है। आज हिन्दुस्तान में कोई भूतपूर्व मुख्य मंत्री सुप्रीम कोर्ट का सजायाप्ता नहीं है जिसने वहां से सजा पाई हो। संविधान की धज्जियां उड़ाने के कारण ही, न्यायालय का अपमान करने के कारण ही सजा मिली है। सजा सजा है चाहे वह एक घंटे की हो, एक दिन की हो एक साल की हो, 10 साल की हो या 20 साल की हो। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सजा है। इसकी न अपील है और न ही अपील की हिम्मत कर सकते हैं क्योंकि संविधान की किस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं ? उस समय जब राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक दिल्ली में हो रही थी हम भी उसमें थे, यह जो देश में राष्ट्रीय एकता का सर्वोच्च मंच है उसमें आश्वासन दिया कि हम संविधान की पूरी तरह रक्षा करेंगे, संविधान की शपथ ली कि हम उसका पालन करेंगे और कहा था कि हम मस्जिद की हिफाजत करेंगे, न्यायालय का सम्मान करेंगे, देश के सर्वोच्च मंच के सामने खुल्लमखुल्ला यह बात कही और उसके बाद बदल गये। उस पर सजा पाने के बाद गर्व महसूस करते हैं तो इससे ज्यादा बेहया और शर्म की बात कोई क्या हो सकती है, कोई नहीं हो सकती है जो उस निर्णय को चुनौती देता वह कोई नेता हो वह सबसे बड़ा बेहया है, जो संविधान की धज्जियां उड़ाये और दूसरों पर आरोप लगाये इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है और वह इस तरह की बात कहे कि उत्तर प्रदेश को विनाश के कगार में रख दिया है। आज हम फक्र के साथ कह सतके हैं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने प्रदेश को विनाश के कगार से बचा लिया है और आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को सरकार बनाने का अवसर दि[illegible]

याद कीजि[illegible] समय को मान्यवर, जब सूरत, अहमदाबाद और बम्बई में जो कुछ हुआ उससे उत्तर प्रदेश क[illegible] सम्मान तो गिरा ही देश का सम्मान भी गिरा, यह हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है राजनीति में [illegible] यिक स्थान रखता है इससे उत्तर प्रदेश का ही अपमान नहीं हुआ है सारे विश्व के अन्दर अपमान हुआ है तो वह सजायाप्ता हैं संविधान की धज्जियां उड़ाने कें उसी से सूरत, अहमदाबाद और बम्बई में जो कुछ हुआ उसके लिये आदरणीय जनेश्वर मिश्र की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी जिसने रिपोर्ट दिया है जिसको देखें तो वह दिल दहलाने वाली रिपोर्ट है। उसको पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं

लेकिन जो इंसान नहीं बेहया है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप सील भंग और बलात्कार की बात करते हैं, तो इस संबंध में मैं आगे अपनी बात रखूंगा।

मान्यवर, कहा गया कि ला एन्ड आर्डर, कानून व्यवस्था भंग हो गयी लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह लोग गवर्नर के अभिभाषण को न सुनेंगे और न पढ़ेंगे किन्तु अखबारों से सुन लेंगे या किसी से पूछ लेंगे और यहां कहेंगे कि कानून व्यवस्था भंग हो गयी। वह प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और आज आप नेता विरोधी दल हैं तो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिये चाहे बाहर आप कुछ भी कहते रहें लेकिन सदन के अन्दर कम से कम असत्य और निराधार आंकड़े तो न प्रस्तुत करें।

मान्यवर, प्रदेश की जो आपराधिक स्थिति है, जिसके संबंध में हमारी सरकार के नहीं बल्कि केन्द्र सरकार की जो आपराधिक संस्था है उसके आंकड़े मैं यहां प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, मा० नेता विरोधी दल ने कहा कि वर्ष 1994 में पूरे वर्ष हमारी सरकार रही और 1992 में उनकी सरकार थी। तो इन दोनों वर्षों में जो आपराधिक आंकड़े हैं उन्हें में प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर, वर्ष 1992 में 9866 हत्यायें हुई हैं और वर्ष 1994 में 9854 हुई हैं, तो अपराध घटे हैं हत्याओं के। वर्ष 1992 में अपराध हुए हैं 9124 और 1994 में 8982 हुए हैं, इसमें भी अपराध घटे हैं। फिरौती के लिए अपहरण हुए हैं 1992 में 347 और 1994 में 281 हुए हैं। इस प्रकार 19 प्रतिशत अपराध घटे हैं। डकैती 1992 में 1729 पड़ी और वर्ष 1994 में 1381 हुई हैं। इसमें 30 प्रतिशत की कमी हुई है। लूट की घटनायें 1992 में 6562 और 1994 में 4966 हुई, इस प्रकार 12 प्रतिशत की इसमें कमी हुई है। रोडस–अपहोल्डिंग 1992 में 192 और 1994 में 166, इस प्रकार 17 प्रतिशत की कमी हुई है। नकबजनी 1992 में 14,748 और 1994 में 13,734 हुई, इसमें भी कमी आयी है। ट्रान्सफारमर की चोरी 1992 में 596 और 1994 में 293 हुई, इसमें 51 प्रतिशत की कमी हुई है। आई० पी० सी० के कुल अपराध 1,96,551 वर्ष 1992 में और 1994 में 1,88,190 हुए, तो इसमें भी कमी हुई है। मान्यवर, इस प्रकार हर अपराध में हमारे समय में कमी हुई है। मान्यवर, यह आंकड़े भारत सरकार का जो राष्ट्रीय अपराध अभिलेख संस्थान है उसके द्वारा प्रकाशित आंकड़े हमने यहां प्रस्तुत किए हैं। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अहस्तक्षेपीय अपराधों में देश का चौबीसवां स्थान है और जब भाजपा राज्य था तो पांचवां स्थान इस प्रदेश का था। अब फिर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि चौबीसवां स्थान है उत्तर प्रदेश का, जो राष्ट्रीय अभिलेख संस्थान के द्वारा प्रकाशित आंकड़े के अनुसार है। यह उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश का 24 वां स्थान है यानी 23 सूबों में शान्ति व्यवस्था की स्थिति हमसे खराब है, और राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका पांचवा स्थान है। इसी तहर इसमें दिल्ली का तीसरा स्थान है। वह कहेंगे कि दिल्ली तो केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है। हम भुक्तभोगी हैं इस बात के कि जितने अपराधी हम पश्चिम से खडेड़ते हैं, उन्हें वहां पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता संरक्षण देते हैं और वह भारत सरकार को सहयोग नहीं देते हैं। वास्तुविक स्थिति यही है कि राजस्थान और दिल्ली से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में ज्यादा अच्छी है। परन्तु इनको और कोई चिन्ता नहीं है, प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण की कोई फिक्र नहीं है, केवल झूठे अफवाह फैलाने की और जनता को गुमराह करने की।

जहां तक बेहमई, अलीगढ़ और बिजनौर जितने भी काण्ड है, उनका संबंध है, आज तक इतनी कठोर कार्यवाही कभी नहीं की गई है, जितनी इस शासनकाल में की गई है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अलीगढ़ में सस्पेण्ड किया गया है, बेहमई में दो-दो थानेदार, हेड कांस्टेबेल और कांस्टेबेल मुअत्तल कर दिये गये हैं । अपराध होते हैं, लेकिन इसमें सरकार की नीयत देखी जाती है । आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपराधियों के खिलाफ इतनी कठोर और शीघ्र कार्यवाही कभी नहीं की गई है । यह जो अपराध पेश किये गये हैं, वह जो अपराधों की संख्या गिना रहे हैं, उनकी आज अपराध दर्ज कराने की हिम्मत पड़ी है । वह भी इसलिए हैं कि आज ऐसा वातावरण है यहां कि उत्तर प्रदेश के गरीब, दलित और अनुसूचित जाति के साथ कोई भी ज्यादती होती है तो उसकी हिम्मत है पुलिस में रिपोर्ट करने की । आपके शासन में तो गरीबों, दलितों और किसानों को हिम्मत ही नहीं थी कोई रिपोर्ट लिखाने की, थाने पर जाने की, और यदि गया भी गरीब रिपोर्ट लिखवाने तो लिखकर फाईनल रिपोर्ट लगा दी जाती थी और कुछ नहीं होता था । यहां तक होता था कि राजनैतिक कार्यकर्ता को कोई अधिकारी परेशान करता था, तो मुख्यमंत्री खुद उसे अपने चैम्बर में बुलाकर उसकी पीठ थपथपाते थे और आज यह हिम्मत करते हैं दूसरों पर, हम पर आरोप लगाने की ।

आप (श्री कल्याण सिंह) वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत दिनों तक सदनकी सेवा की है, मुख्य मंत्री भी रहे हैं और अपोजीशन के नेता भी रहे हैं और हम और आप साथ-साथ रहे हैं । और इस संबंध में अभी यह भी बताऊंगा कि साथ-साथ रहते हुए भी हम क्या करते थे और यह क्या करते थे ? तो हम अपराधियों के विरुद्ध जो भी कठोर से कठोर कार्यवाही कर सकते थे की है और कुख्यात अपराधियों के खिलाफ योजना बनाकर कार्यवाही की है। जिस दिन मैंने मेरठ विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय रखा है, उसी दिन कहा था कि एक महीने में शान्ति व्यवस्था में आपको बड़ा फर्क दिखाई देगा । पश्चिमी जिलों के जितने भी माफिया हैं, जिन पर 25 हजार से 2 लाख तक का इनाम है, उनको राजनैतिक संरक्षण दिया गया था और यह सब संरक्षण 92 में दिया गया था । यह कहा गया कि हम बदले की भावना से काम करते हैं, यदि हमने आपकी मानसिकता से काम किया होता तो वहां पर ऐसे-ऐसे लोग बैठे हैं, जिनको असेम्बली में नहीं बैठना चाहिए था, जेल में रहना चाहिए था ।

श्री नरेश अग्रवाल–

ऐसे कौन से लोग हैं ? आपने आरोप लगाया है नाम भी बता दें ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम उनका आदर करते हैं ।

इतना आदर करते हैं माननीय नेता विरोधी दल का कि अगर वह पूछना चाहेंगे तो हम चैम्बर में बात कर सकते हैं, उनके चैम्बर में भी बात कर सकते हैं । मैं कहना नहीं चाहता हूं लेकिन जब आप मजबूर कर देते हैं तो कहना पड़ता है । हमने कहना छोड़ दिया है पिछले साल से जब उन्होंने कहा था इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए । मैं तो आपकी सरकार की नीतियों और उसकी मानसिकता बता रहा था । हमारी सरकार की मानसिकता क्या है, नीतियां क्या हैं यह तो आपको मालूम ही है । हम कोई ऐसी बात या ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपको यह लगे कि हम बदले की भावना ऐसा कर रहे

हैं। शारदा प्रसाद रावत की हत्या करके हत्यारे कहां छुप रहे ? मुझे मालूम है वह एक सांसद के घर में छुपे रहे। आप कहें तो बता दूं।

अगर हमारी सरकार में ऐसा हुआ होता तो आप कहते कि हमने संरक्षण दिया है अपराधियों को। मैं तो एक बात बता रहा था। हम तो चाहते हैं कि ऐसा वातावरण बने ताकि जनता के मन में, गरीबों, दलितों को मानवता के नाते प्रोटेक्शन मिले नाकि आपराधिक लोगों को। अगर किसी गरीब के साथ अपराध होता है, उसके साथ कोई जुर्म होता है तो उससे जितनी हमदर्दी आपको होगी जितना दुख आपको होगा उतना ही दुख दर्द, हमदर्दी हमको तब भी होगी जब किसी उच्च जाति के साथ अन्याय होगा। हमको ऊंची जाति के साथ अन्याय होने पर भी उतना ही दुख होगा जितना कि अल्प संख्यकों के साथ अन्याय होने पर होता। हम ऐसा कोई भेद-भाव नहीं रखते। मानवता को मानने वाली हमारी सरकार है। हम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। समरस समाज का जो अर्थ आप लगाते हैं वह हम नहीं लगाते। हमने अपराधियों की एक सूची जारी की थी वह इसलिए की थी कि अपराधियों को सजा मिले। आपको उसमें ऐतराज हो सकता है। उसमें किसी अपराधी के नाम को आप सूचित करेंगे कि यह गलत है तो हम उसको सूची से निकाल देंगे। हमने 25 हजार से 3 लाख के ईनाम अपराधियों को पकड़वाने के लिये रखे हैं। हमारी और आपकी मानसिकता में फर्क है। आप पुलिस को बलात्कारी कहते ही। यह पहली बार है कि जब किसी दूसरे देश ने हमारी पुलिस को बधाई पत्र भेजा है उनकी बहादुरी के लिये। उत्तर प्रदेश पुलिस के दो जवान जाधव लाल और राजेन्द्र यादव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आतंकवादियों से विदेशी नागरिकों को छुड़ाया और अपनी जान दे दी। उन्होंने सारे हिन्दुस्तान का सम्मान दुनिया के अन्दर किया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किस सरकार के जमाने में चिट्ठी लिखकर बधाई दी है ? हमारी सरकार के समय में। क्योंकि हमारी मानसिकता साफ है। अपराधियों को बख्शा नहीं जायेगा।

अपराधी समाज विरोधी हैं, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। आप ला एण्ड आर्डर की बात करते हैं। यह पुलिस ही है जिसने विदेशी नागरिकों को आतंकवादियों से छुड़वाया और जिसके लिये विश्व के राजदूतों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। आप बलात्कार की बात करते हो, पुलिस, पी० ए० सी० फौजी जवान को बलात्कारी कहते हो। बलात्कारी कौन है, हम अभी बतायेंगे। पुलिस पी० ए० सी० के अन्दर पिछड़े लोग भरे जा रहे हैं, जो चरित्रवान हैं और ईमानदार भी हैं। आप जैसे जातिवाद की बात करने वाले कलंकित लोग नहीं हैं जो जरा सा खतरा होने पर पीठ दिखाकर भागने वाले हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है और सद्भाव का वातावरण है तो आप उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता के बीच प्रचार हो लेकिन जनता अब बहुत समझ चुकी है इसलिए 1992 में दंगे हुए और 1994 में एक भी दंगा नहीं हुआ। इससे बड़ी प्रदेश की सेवा की भावना क्या हो सकती है जबकि आपकी तरफ बैठे लोगों में से कुछ लोगों ने, आपके साथियों ने आपके संगठन की मानसिकता ने एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया। कभी पर्चा बांटेंगे कभी थाली पीटेंगे। कभी हिन्दू की दुकान में कुछ जाकर कहेंगे, कभी मुसलमान की दुकान में कुछ जाकर कहते हैं, इस तरह से यह लोग जनता की भावनाओं को भड़काते हैं। हमें खबर मिली है दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है हमने कहा गिरफ्तार न करो। इनके नेता लखनऊ में दंगे कराने के लिए कहते हैं। आखिर दंगे कहां नहीं होते हैं, भाई-भाई में दंगे हो जाते हैं घर-परिवार में दंगा हो जाता है। हमने सोचा कि दंगा करने वाले यदि ठीक कर दिए जायेंगे तो कहेंगे कि बदले की भावना से किया जा रहा है। हमारे किरनपाल सिंह जी और रामआसरे वर्मा जी सभी कहते हैं कि यह बदल गये हैं। वह इसलिए कि आतंक से बचाया जा सके।

(मेंजे थपथपाई गई)

इनकी मानसिकता को बदलने के लिए हम बदले हुए हैं। वरना सभी लोग बैठे हैं आपकी मानसिकता बदल देंगे।

(मेजें थपथपाई गई)

मान्यवर, साम्प्रदायिक दंगे 1992 में 13 बढ़े । जबकि 1994 में शून्य रहे । 1992 में तनाव की घटना 105 जगह हुई जबकि 1994 में 29 जगह तनाव हुआ । यह सरकार झूठ नहीं बोलेगी । आप काला बच्चा की बात करते हैं उसकी मौत हो गई उसका दुख है । अपराधी कोई हो मौत, मौत है । काला बच्चा के बारे में अखिलेश कुमार सिंह जी ने कहा, ठीक कहा मेरे तो दिमाग में ही नहीं आता, कांग्रेस के अखिलेश कुमार सिंह जी ने कह दिया कि इस आधार पर जांच करा लो, हो सकता है वैसे गल्ती कर जाते, जब उनके आधार पर जांच कराई तो पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के मेम्बर ने हत्या की है और सदन में काला-बच्चा, काला-बच्चा करते हैं–

(शोर)

सबसे बड़े आतंकवाद का हमारी सरकार में सफाया हुआ । 1992 में आतंकवाद के अपराध 125 हुए जबकि 1994 में नौ हुए । आतंकवाद की घटना में 1992 में 163 लोग मारे गये जबकि 1994 में छः लोग मारे गये । मुठभेड़ में 38 आतंकवादी मारे गये । आपने निर्दोष लोगों को मारा दंगों में मार दिया,आज उछल-उछल कर बोल रहे हैं । हमने टाडा को खत्म कर दिया । सजा देने के लिए धारा 302 है जब भी चाहे सजा दिलाई जा सकती है । टाडा की आवश्यकता क्या थी ? मैं बताना चाहूंगा गुरुवचन लाल शर्मा की जो मौत हुई है उसमें दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्यवाही हम करेंगे किसी तरह से बख्शा नहीं जायेगा यदि आपको ढिलाई लगे तो बता दें किसी अपराधी को बचाया नहीं जायेगा ।

(समय 3 बजकर 30 मिनट)

पूरा इतिहास देखें तो पता चलेगा कि गुरु बचन लाल शर्मा की कितनी दुश्मनी थी ? जितनी उनको सुरक्षा की आवश्यकता थी उतनी दी गई । आप कहते तो और सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाती । आपने एक महिला की हमीरपुर में सुरक्षा की बात की थी हमने पूरी फोर्स लगा दी थी । हम किसी भी तरह से किसी की हत्या नहीं होने देना चाहते हैं । उसके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों में बढ़ते हुए अपराधों के बारे में आपने बड़ा शोर मचाया । जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 1992 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1780 हत्याएं हुई थीं और 1994 में 1641 हत्यायें हुई । फिरौती के लिए अपहरण की 1993 में 96 घटनाएं हुई जबकि 1994 में 66 घटनाएं हुई । डकैती की 1994 में 180 घटनाएं हुई जबकि 1992 में 274 हुई । आई० पी० सी० के अपराध 1994 में 29054 हुए जबकि 1992 में 31,682 अपराध हुए ।

हर स्तर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध 1994 में घटे हैं । हम जब श्री टिकैत से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि "आपके शासन काल में शांति व्यवस्था की स्थिति सुधरी है । और किसानों को सबसे ज्यादा आपकी सरकार ने पहुंचाया ।" यह भाजपा वाले कहते हैं कि हम किसान विरोधी हैं । यह कहते हैं कि यह गिरोहों की पार्टी है, लुटेरों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है कैसे-कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं । आप नेता प्रतिपक्ष हैं आपको तो शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं आपकी पार्टी के जैसा कोई बेहया संगठन नहीं है । यह देखिए इंडिया टुडे इसमें साफ लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान में अगर कोई अपराधियों की पार्टी है तो यह भारतीय जनता पार्टी है । आपने शायद इसको नहीं पढ़ा होगा । आपको सच बात बोलनी चाहिए । इंडिया टुडे के 15 अगस्त, 1993 के अंक को देखें उसमें लिखा हुआ है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अन्दर 77 माफिया हैं जबकि समाजवादी जनता पार्टी में केवल 7 माफिया हैं ।

आपने आर्थिक अपराधों की बात कही, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं नहीं तो एक-एक बात का जवाब देता कि आर्थिक अपराधी किसकी पार्टी में हैं ? लवानियां साहब आप तो जानते होंगे कि सबसे बड़ा आर्थिक अपराधी कौन है ? सबसे बड़ा आर्थिक अपराधी अशोक सिंघल का भतीजा रवि सिंघल है, यह प्रमुख अर्थिक अपराधी है । अगर सब आर्थिक अपराधों को जोड़ दिया जाय, पूरे प्रदेश के आर्थिक अपराधों को जोड़ दिया जाय और उनको तराजू के एक पलड़े पर रखा जाय और अशोक सिंघल जो इनके महामंत्री हैं और जिनके नेतृत्व में यह काम कर रहे हैं और जिनके चरण यह धोते हैं उनके भतीजे को तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाय तो अशोक सिंघल के भतीजे वाला पलड़ा नीचे जायगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा आर्थिक अपराधी कौन है ? मैं यह बात वैसे ही नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं रिकार्ड और आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं ।

मैं सोच रहा था कि अबकी बार शायद ऐसी बातें नहीं कही जायेंगी जैसे पिछली बार कही गयी थीं। आपने कहा कि यह लुटेरों की सरकार है, जैसे चौराहे पर मजदूरों की सभा में कहा जाता है वैसे ही आपने कह दिया कि यह लुटेरों की सरकार है । यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, इस तरह की बातें नहीं कही जाती हैं । आप कहते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह बात सभी जानते हैं सारी दुनियां जानती है, बी० बी० सी० से मैंने सुना था । आप मुख्य मंत्री भी रहे हैं, नेता विरोधी दल हैं, बहुत बड़ी आपकी हैसियत हो गयी है । मैं बताना चाहता हूं कि आपके एक सांसद थे, उस लड़की का नाम मैं नहीं लूंगा सबको पता है । सांसद ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, लीपापोती की, उन सांसद ने जो किया उस लड़की के साथ उसको आप जानते हैं, लेकिन उनको कोई सजा नहीं दी गयी । हमारे सांसद की बात छोड़ दीजिये अगर हमारे किसी मामूली कार्यकर्ता ने भी ऐसा किया होता तो भी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती । उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया । 18 फरवरी को लड़की पकड़ी गयी, वह नाबालिग लड़की थी । लड़की को अयोध्या में पकड़ा गया और बाराबंकी में पकड़ा जाना दिखाया गया । आप कहें तो मैं इसकी जांच करवा दूं कि वह लड़की कहां पर और कैसे पकड़ी गयी ? तभी मैं कहता हूं कि मैं एक बात बता सकता हूं । मैं सोचता था कि आप नीतियों के आधार पर हमारी आलोचना करेंगे लेकिन आपने ऐसा नहीं किया ।

बहन जी आपको गुस्सा क्यों नहीं आया कि वह आपकी पार्टी के सांसद थे । (मेजों की थपथपाहट) एक मिनट भी हमारी बहनों को उधर नहीं बैठना चाहिए । आज हम माताओं और बहनों की इज्जत के लिये लड़ रहे हैं । यह लोग आपके साथ बैठे हैं वह महिलाओं की इज्जत लूटने वाले और लुटवाने वाले बैठे हैं । (मेजों की थपथपाहट) मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं और कहें तो जांच करवा दूं । अध्यक्ष महोदय, एक लड़की थी उसको एक सांसद और इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उस लड़की को अस्पताल जाना पड़ा जहां पर उसकी मौत हो गयी । हम नहीं जांच करा रहे हैं । लड़की की मौत हुई है, केवल इसलिये कि इज्जत को छिपाने के लिये । उसकी मौत हुई है । उसके साथ व्यभिचार किसने किया ? अविवाहिता लड़की थी, उसके साथ किसने बलात्कार किया था और आपको शर्म नहीं आयी, शील भंग करते हुए । आप खड़े हो जाते हैं, कल्याण सिंह जी । आप नेता विरोधी दल हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं, आपका सम्मान है, आपकी इज्जत है, भूतपूर्व नेता विरोधी दल तो बने ही रहेंगे, आगे नहीं जाना है नेता विरोधी दल से । तो आप ऐसे लोगों की परवाह न करें ।

आप आइये और सुधरिये और अपनी मानसिकता ठीक करें। अगर दलितों को धोखा दे दिया, गरीबों को धोखा दे दिया, तो आपको कोई माफ नहीं करेगा। मैंने पिछले साल भी कहा था, आप आ जायें।

अब मान्यवर, क्या-क्या कहा गया, उसको बताता हूं। शंकराचार्य जी ने कह दिया कि महिलायें वेद नहीं पढ़ सकती हैं, तो आपने क्यों नहीं आन्दोलन किया ? आपको गला पकड़ लेना चाहिए। हमारी बहनें हैं, निरक्षर हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, वह अभी अपनी ताकत नहीं बना पा रही है। क्या कह दिया, कोई भी देश की महिला वेद नहीं पढ़ सकती है, ऐसे लोगों का गला पकड़ कर पटक-पटक कर ठीक करें। आप कह रहे हैं, शील भंग किया गया है, आप उनको आदर देते हैं, हम ऐसे लोगों को जेल में बन्द करते हैं।

मान्यवर, आगे बताता हूं, महारानी जी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वह एअर पोर्ट पर मिली थी। एक बहन सती हो गयी, सती नहीं हुई, किरन पाल जी को पता है, किस तरह से जबरदस्ती जला दिया गया। महारानी जी आपकी पार्लियामेंट की नेता हैं, उपाध्यक्ष भी आपकी पार्टी की रह चुकी हैं, वह कहती हैं कि सती प्रथा होनी चाहिए, (भाजपा की महिला सदस्यों की ओर संकेत करके) क्या आप लोग इसको स्वीकार करेंगे। यह नहीं कहेंगी। यह सती नहीं हुई। हम महारानी जी का आदर करते हैं, इज्जत देते हैं, अगर वह सूचना देकर यहां आवें तो हम स्टेट गेस्ट बना देंगे, उन्होंने कहा कि सती प्रथा होनी चाहिए। इससे ज्यादा महिला विरोधी और व्यभिचारी और कोई नहीं हो सकता है। है कोई तो जवाब दीजये, इसका जवाब दीजिये। अगर जवाब है, तो बता दें।

मान्यवर, जहां तक उत्तराखण्ड का सवाल है, उसके बारे में गलत प्रचार किया गया। मुझे खुशी है कि गलत प्रचार किया। एक जांच कमेटी आयी थी, उसने दोनों अखबारों को दोषी साबित कर दिया। उत्तराखंड में देश भक्त हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, आजादी के बाद यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है पहाड़ के ही प्रथम मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी हुए हैं जो एक महान सेनानी रहे हैं, हेमवती नन्दन बहुगुणा प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं वह भी पहाड़ के रहे हैं उनके साथ मैंने काम किया है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और मैं प्रदेश का रहा हूं। पंत जी के साथ नहीं रहा हूं लेकिन दूर से देखा सुना है। मान्यवर, आज भी आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जिन्होंने गिरफ्तारी दी है उनके लिये हमारे मन में बड़ा सम्मान है इसलिये सरकार बनते ही पहले हमने कहा कि उत्तराखण्ड का हम विकास करेंगे, रुपये का प्राविधान कर दिया और जब आपने देखा कि गढ़वाल और देहरादून में उत्तराखण्ड के लोगों ने हमारा अभिनन्दन किया तो आपकी छाती पर सांप लोट गया फिर हमने नैनीताल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। वहां पूरा का पूरा विकास का काम किस तरह से होगा उसको देखा और वहां की एथारिटी को उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार दे दिया और यह कह दिया कि 3 माह में खुद विकास की समीक्षा करुंगा।

मैं बम्बई भाग करके गये था उत्तराखंड के विकास के लिये गया था लेकिन आपने उन लोगों को गुमराह किया और उनके साथ विश्वासघात किया। उनका विकास होने वाला था यह सब देखकर आपने उत्तराखंड की मांग के बजाय आरक्षण विरोधी आन्दोलन वहां शुरू करवा दिया। नेता विरोधी दल, आप बतायें कि आप आरक्षण विरोधी हैं कि नहीं और अगर आप आरक्षण विरोधी नहीं हैं तो आरक्षण विरोधी आन्दोलन का समर्थन क्यों किया। आपने तो एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया था हमने

6 माह में 4 मिनिस्टर को लगाकर 600 पेज की रिपोर्ट बनाकर भेजी है इसका डाकूमेन्ट रहेगा । आपने एक लाइन पास कर दिया, आपने आरक्षण के नाम पर विरोध करा दिया और जो भी दुर्भाग्य से हमारे मुजफ्फरनगर और उत्तराखण्ड में हुआ है हमें उसका अफसोस है ।

मान्यवर, जहां तक जांच की बात करते हैं, महिलाओं का संगठन है और पहली रिपोर्ट निष्पक्ष होती है और सही होती है । महिला आयोग ने पहली रिपोर्ट में कहा है कि बलात्कार की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसमें सभी दलों के पार्लियामेन्ट के मेम्बर भी हैं यह पूरी रिपोर्ट है । मैं इसे आपके पास अध्यक्ष महोदय, भिजवा दूंगा इसमें सारे दल के माननीय सांसदों ने कहा है कि कोई भी बलात्कार के सबूत नहीं मिले । हमने कहा है कि अगर बलात्कार सिद्ध हो जायेगा तो पूरे राष्ट्र के सामने अफसोस जाहिर करूंगा । हमने ही मुजफ्फरनगर में सी० बी० आई० जांच के लिये भारत सरकार को लिखा है, हमने गृह मंत्री को लिखा है उसको आपके सामने पेश कर देंगे ।

सी० बी० आई० ने कभी नहीं कहा कि कोई भी अधिकारी यहां पर उनकी जांच में अवरोध पैदा कर रहा है लेकिन जैसे ही इनके वकील ने बहस में कहा वैसे ही मैंने वहां के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया और जो दोषी पाया जायेगा उसको कड़ी सजा देंगे । माननीय नेता विरोधी दल, उत्तराखण्ड के बारे में हम ऐसा रिकार्ड दे देंगे । आप स्वयं फैसला कर लेना । आप उससे सहमत हो जायेंगे । मान्यवर, उत्तराखण्ड में पूरी सरकार बना ली कोई मुख्य मंत्री बना, कोई डी० एम० बना, कोई कोतवाल बना, चौकियां जला दी गयी गाड़ियां जला दी गयीं, पुलिस की हत्या की गयी । विदेशियों से मुकाबला करने के लिये जो हथियार दिये गये थे उनको भी छीन लिया गया है और आज तक वापिस नहीं दिया गया है लेकिन हमने गोली चलाने की इजाजत नहीं दी है । और आप पढ़ लीजिये, आप जानते हैं, देश विरोधी बात करते हैं, पेइचिंग नजदीक है, दिल्ली दूर है । इससे ज्यादा देशद्रोही बात कौन हो सकती है, और जिनके बारे में नाम लिया, समर्थन करेगा, नाम लेगा, वह देशद्रोही हो सकता है, वह देशद्रोही है । यह कहा जाता है कि पेइचिंग नजदीक है, दिल्ली दूर है । आपने पार्टी में रखा है, आपकी पार्टी में है । सब खबरें पढ़ लीं, यह खबर नहीं पढ़ी, यह कहा गया है कि पेइचिंग नजदीक है, दिल्ली दूर है । यह मान्यवर, नेता विरोधी दल जी संगठन से संबंधित समाचार पत्रों में आया है । इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, इस तरह का जो संगठन का कार्यकर्ता, नेता काम करता है, वह सबसे ज्यादा देशद्रोही है । उससे ज्यादा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है, किसी भी संगठन का हो । देशद्रोही का जो साथ देगा, वह देशद्रोही है ।

हल्ला बोल की बात आयी, हल्ला बोल के जो खिलाफ 5 सैकड़ा वे लोग हैं, जिन्होंने आजादी से पहले आजादी के बाद पूरी सामाजिक सुख सुविधा, कोटा, परमिट, धन-दौलत के बलबूते समाज में इज्जत पायी और सुख सुविधा भोगी, और 95 प्रतिशत लोगों को उपेक्षित किया गया, उन पर अत्याचार किया गया और उनको जीने नहीं दिया गया । हम उन 95 सैकड़ा को इकट्ठा कर रहे हैं । पांच सैकड़ा की बात आयी, कहा गया कि कौन हैं, माफिया हैं, बलात्कारी हैं, डकैत हैं लेकिन ये माफिया और बलात्कारी कौन निकले । ये वही हैं जिनके दम पर आप हैं । ये पांच सैकड़ा बलात्कारी सांसद हैं, महिलाओं को सती कहने वाले लोग हैं । इनके खिलाफ हम 95 सैकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं । इन 95 सैकड़ा को इकट्ठा करके, इस देश के गरीबों को, पिछड़ों मुस्लिमों, दलितों और हर जाति और हर धर्म के गरीब पिछड़े शोषितों को इकट्ठा करके देश को एक बनायेंगे । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की

थपथपाहट) आप इन 95 सैकड़ा की शक्ति को दबा नहीं पायेंगे । इस शक्ति को बनाकर हम आदमी-आदमी के फर्क को मिटाना चाहते हैं, गरीब-अमीर के बीच जो भेदभाव किया जा रहा है, उसको मिटाना चाहते हैं ।

भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर औरत-मर्द के बीच, काले और गोरे के बीच जो भेद बनाया गया है, जिन्होंने मनुवादी व्यवस्था को बनाये रखा है, सती प्रथा का समर्थन किया है, जिन्होंने महिलाओं का शीलभंग किया है, अविवाहित महिलाओं के जीवन को बर्बाद किया है उनके खिलाफ 95 सैकड़ा इकट्ठा हो रहे हैं, हिन्दुस्तान में इकट्टा हो चुके है और इनको कोई रोक नहीं सकता है । हमें जातिवादी कहा गया । हमने कुम्हारों को पट्टा दे दिया इसलिये जातिवादी हो गये, हमने निषादों को पट्टा देने का काम किया है तो आप जातिवादी कहते हैं, हमने किसानों को पेंशन दी तो इसे आप जातिवादी कहते हैं, विधवाओं को पेंशन दी इसे आप जातिवादी कहते हैं, 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया इसलिये जातिवादी हो गये, तीन सैकड़ा, 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया अनुसूचित जाति का आरक्षण, इसलिये जातिवादी कहते हैं । आप जातिवादी किस आधार पर कहते हैं ।

ऊर्दू हमारी भारतीय भाषा है और इस भारतीय भाषा का अपमान करने वाला वफादार नहीं है, वह देश के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकता है । हमने उर्दू को रोजी रोटी से जोड़ा है, उर्दू को किसी सम्प्रदाय विशेष की भाषा कहने वाले जो लोग हैं, वह देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं । जिस माइनारिटी को आपने पी० ए० सी० पुलिस में भर्ती नहीं होने दिया, एक दो सैकड़ा ही रहे, हम उनको स्थान दे रहे हैं । आपको दर्द तो मुसलमान से है, यादव तो पहले से ही होते रहे हैं यादवों को समुद्र में फेंक दिया, आपको तो नफरत हो गयी है उनसे कौन कहता है कि हम जातिवादी हैं । कहा गया कि खानदान के बल पर वहां जीते । मैं तो उस जगह से भारी बहुमत से जाता जहां जो जातिवाद की बात करने वाले लोग है, वे लोग देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं । हम 95 सैकड़ा को इकट्ठा करके, हम गरीबों को इकट्टा करना चाहते हैं और साम्प्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं । हम 95 सैकड़ा के बल पर हैं और उसके बल पर सरकार चलायेंगे और जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक इनका आन्दोलन चलेगा । आज बिजली नहीं मिल पा रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, धरती नहीं बंट पा रही है, अपमान नहीं बन्द हो रहा है और जब तक यह नहीं होगा तब तक इनका आन्दोलन जारी रहेगा । इनको 95 सैकड़ा और हल्ला बोल का अर्थ नहीं मालूम है अगर नहीं मालूम था तो हमसे पूछ लेते हम बता देते । न्यायपालिका की बात इन्होंने की कि इन्होंने इसका सम्मान तोड़ा है । हमारे सब भाई यहां पर बैठे हैं ठीक है वे हमारी नीतियों को नहीं मानते तो न माने लेकिन हमारे पत्रकार भाई को मानते हैं । सारी दुनिया जानती है 6 दिसम्बर, 1992 को पत्रकारों के साथ क्या हुआ, क्या जुल्म उनके साथ किया गया ? हमारी बहनें भी पत्रकार हैं उनके साथ अत्याचार किया गया, किस तरह से उनके कैमरे छीने थे, उनके कैमरों को तोड़ दिया था जिसकी क्षति पूर्ति हमने की है तो यह सब किसने किया था ? विदेशी पत्रकारों के सर से खून बह रहा था तो यह सब किसने किया ? आपके लोग लुटेरे बने हुए थे और लोगों को लूट रहे थे तो न्याय पालिका का सम्मान तोड़ने का काम किसने किया ? हमने तो उसका सम्मान किया है ।

अब इन लोगों ने यह कहा कि हम लोकतन्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं और फासिस्टवादी हैं । यह तो वहीं कहावत हो गयी कि उल्टा चोर कोतवाल को डाटे । मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि फासिस्ट

कौन है ? फासिस्ट वह है जो अदालत को न माने, फासिस्ट वह है जो पत्रकारों को मारे, फासिस्ट वह है जो लोक सभा और विधान सभा को न माने, फासिस्ट वह है जो राष्ट्रीय एकता परिषद् को न माने, फासिस्ट वह है जो शपथ लेने के बाद उसको तोड़े । तो अब यह आप खुद ही जान गये होंगे कि कौन फासिस्ट है ? हमें उसमें कुछ नहीं कहना है । हमारे सपा और बसपा के लोग लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं ।

मान्यवर, अब राज्य कर्मचारियों का सवाल इन्होंने उठाया । ये बड़े हमदर्द बनते हैं । मान्यवर, मेरा यह कहना है कि राज्य कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं और हमारे ही परिवार के लोग हैं । जब हमारी और उनकी बात हुई तो उन्होंने बिना शर्त अपनी हड़ताल वापस ले ली । हमने यह उनसे कहा कि आपकी जो जायज मागें होंगी उन्हें हम मान लेंगे और उन्होंने बिना शर्त हड़ताल वापस ले ली । हमने उनसे यह भी कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखिये । हम गरीबों के लिए चुनकर आये हैं और हमें उनकी आमदनी बढ़ानी है जिस दिन उनकी आमदनी बढ़ जायेगी हम आपकी भी आमदनी बढ़ा देंगे । हड़ताल किसने करायी यह भी आप जानते होंगे । मैंने भी कहा कि कब तक हड़ताल करवाओगे । आखिर में जब कर्मचारियों ने कहा कि हम गुमराह हो गये थे, मैं तो दौरे पर चला गया था, जब बात हुई तो उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी । अब इनकी जो जायज मांगें होंगी, वह मानेंगे । राज्य कर्मचारी तो हमारे परिवार के लोग हैं । आपको तो कोई काम नहीं है, बस झूठ बोलना, फरेब करना ही आपका काम है । फासिस्ट खुद बैठे हैं, हमको फासिस्ट कहते हैं । यूरिया की खाद चोरी हो गयी, वैसे तो ठीक है, भारत सरकार थोड़ा सा कम आयात कर पायी थी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश को ज्यादा दी है, अच्छी सिंचाई इस बार हुई है, आप बोलने लगे कि सिंचाई नहीं हुई ।

मान्यवर, 8 लाख टन यूरिया का स्टाक कम था, लेकिन उसके बाद भी अक्टूबर से जनवरी तक साढ़े 16 लाख टन यूरिया प्राप्त हुई, जबकि पिछले साल की इस अवधि में मात्र 15 लाख टन थी, यह तो उससे बढ़कर है । जहां तक सिंचाई की बात है, आपके अलीगढ़ में तो नहरें साफ हुई हैं, अब यह जरुर है कि पिछले कई सालों का कूड़ा-करकट था, एकदम से तो साफ नहीं हो जायेगा । अगर आपके ही यहां, जहां आप रहते हैं, कूड़ा न उठे, तो इतना कूड़ा हो जायेगा कि ट्रैक्टर, मजदूर लगाना पड़ेगा, अब हम नहरों की सफाई करवा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं और आपने स्वयं देखा होगा कि कितना पानी पहुंचा दिया है ।

मान्यवर, 3/7 की धारा लगा दी, जो खाद में मिलावट करेंगे, हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, इसी क्रम में 30 जनवरी, 1995 तक इस प्रदेश में 1800 छापे पड़े, इसमें 91 की एफ० आई० आर० दर्ज हुई और 38 डीलरों की गिरफ्तारी हुई । प्रमोद जी, हमारी बात सुनिये, अभी तो आप हमें बहुत गाली दे रहे थे, तमाम जगह कालाबाजारी की एफ० आई आर० दर्ज हुई ।

श्री किरन पाल सिंह–

दवाइयों में मिलावट जो करेगा, उसका क्या होगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो भी मिलावट करेगा, साबित होने पर उसको भी जेल भेजा जायेगा । अब आप बताइये, यह लोग कौन हैं और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मेसर्स रमेश चन्द्र जायसवाल, गोरखपुरिया, बताइये

कौन है यह ? मान्यवर, 100 बार झूठ बोलकर सत्य हो जाता है, यह बतायें गोरखपुर में यह किस पार्टी से संबंधित है, भाजपा से संबंधित है । इसी तरह मेसर्स पारस नाथ जायसवाल, गोरखपुर, यह कौन है, बी० जे० पी० । अनिल कुमार गुप्ता, लखनऊ, यह भी बी० जे० पी०, कमलेश कुमार, सीतापुर, यह आपके सहयोगी हैं, मेसर्स गुप्ता एण्ड कम्पनी, सीतापुर..

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह तो आपकी पार्टी के हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सब बी० जे० पी० के हैं । मेसर्स ओम प्रकाश पुत्र श्री हीरा लाल, यह भी बी० जे० पी० के हैं, मेसर्स अवस्थी खाद भण्डार, यह भी बी० जे० पी० के हैं । हमने इसीलिए नाम सुनाये कि आप भी जान लें, अगर इनमें से कोई गलत होगा, आप जांच करके सूचना देंगे तो मैं सुधार लूंगा । मान्यवर, कह देंगे कि यह गलत है, मेरे पास तो रिकार्ड है, ये सब बी० जे० पी० के समर्थक हैं । इसी तरह से भाजपा समर्थक एक नेता हैं, वी० पी० सिंघल, हम चुप रहते हैं कि चलो पड़ोस का मामला है, आगरा का मामला है । श्री सिंघल की कीटनाशक दवाओं की फैक्ट्री में सब-स्टैण्डर्ड दवायें बनती थी इसके कारण उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

फिर भी उसको 40 लाख रुपये का पेमेण्ट दिया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

नरेश अग्रवाल जी को जानकारी है यह सही बत कह रहे हैं । अब इसी तरह अशोक सिंघल फर्म की कीटनाशक दवायें थी उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, हाईकोर्ट से स्टे हुआ, उसके बाद भी आपने अपनी सरकार में 40 लाख रुपये का भुगतान किया । लेकिन दवायें खराब, कूड़ा-करकट थी । हम आपको कितना बतायें ?

बेसहारा किसानों को हमने अपने हाथ से किसान पेंशन बांटे हैं, जहां-जहां गये हैं, सभी जगह किसानों को पेंशन दी है । आज किसान पेंशन दुनिया के अन्दर 6-7 जगह दिये जा रहे हैं, हिन्दुस्तान में तो केवल उत्तर प्रदेश में ही दिया जा रहा है । इसमें 125 रुपया मासिक पेंशन देते हैं । बड़ौत में हम पहली बार गये और इसीलिये गये कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के हमदर्द रहे हैं । हमने सोचा कि चौधरी चरण सिंह की कर्मस्थली और जन्मक्षेत्र से ही बांटना शुरू किया जाये । हमने कहा कि हर जाति के लोगों को पेंशन मिले । लेकिन वहां त्यागी जाति के लोग रह गये । हमने वहां के डी० एम० से कहा कि ढूढ कर उस जाति के लोगों को भी दे दो । हम गरीब किसानों को पेंशन दे रहे हैं किसी जाति विशेष को नहीं ? लेकिन जातिवाद की बात करने वाला किसान है । यह हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है । हमारा हिन्दुस्तान असली गांव में बसा है, किसानों की तरक्की से देश की तरक्की है । किसानों का विरोध करने वाला कोई संगठन हो, वह सबसे बड़ा देश विरोधी है, किसान विरोधी है, किसानों के बल पर ही देश चलेगा । गुप्त जी आप मुझसे लिस्ट ले लीजियेगा और जाकर पता कर लीजियेगा कि किस-

किस जाति के व्यक्ति को कितना-कितना पैसा मिला है ? जातिवाद करने वाले तो आप हैं । आप तो गोत्र भी जानते हैं, मुझे गोत्र भी नहीं पता है । हम तो समाजवादी हैं, आप तो मनुवादी हैं ।

निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण के लिये 1994-95 में 28 करोड़ रुपये, विकलांगों के भरण-पोषण के लिये पांच करोड़ छप्पन लाख रुपये और वृद्धावस्था में 52 करोड़ 50 लाख रुपये वर्तमान सरकार की योजना में प्राविधान किया गया है । माननीय तिवारी जी, यह गरीबों के लिये योजना है । 1992-93 में विधवाओं के भरण-पोषण के लिये 16 करोड़ रुपये था, 1994 में 31 करोड़ 40 लाख का प्राविधान किया गया है । तो जाने आप कहां से बोल रहे थे कि निराश्रित विधवाओं, विकलांगों के लिये कुछ नहीं किया गया । पहले समझ में नहीं आया इसलिये चले गये, मस्जिद तोड़ी । राष्ट्रीय एकता परिषद् में बोलते थे तो भीगी बिल्ली की तरह और बाहर निकलते ही यह कहते थे हमने मस्जिद तोड़ी है । अब ऐसी ऊंट-पटांग मत बोलिये । हम आपसे कह रहे हैं कि आपका एक सम्मान बन गया है, इसलिये आप उसी तरह से बोलिये । आप तो गुप्ता जी के भड़कावे में आ गये । आपके खिलाफ ये क्या-क्या कहते हैं, मेरे पास तो रिपोर्ट है । मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं । गुप्ता जी, टण्डन जी और केशरी नाथ त्रिपाठी जी, जिनका हम आदर करते हैं, इनके साथ रह कर आप कुछ नहीं कर पायेंगे । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जिस दिन मुलायम सिंह यादव कमजोर हो गया तो उस दिन आपको ये लोग इस कुर्सी पर भी बैठने नहीं देंगे, इधर की बात तो छोड़िये । इसलिये माननीय नेता विरोधी दल जी, जब तक हम मजबूत रहेंगे तब तक वी० जे० पी० वाले आपका सम्मान करते रहेंगे । श्री ब्रह्मदत्त जी आपके बारे में क्या-क्या राय रखते हैं और वह पब्लिकली आपके बारे में क्या-क्या कहते हैं, उसे मैं यहां पर नहीं कह सकता । जातिवादी-जातिवादी कह कर आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, क्या मैं इनके मौन को इनकी स्वीकृति मान लूं । या फिर ये खण्डन करें ।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

ये दो-मुंही बातें करते हैं । एक ओर नेता मानते हैं तो दूसरी तरफ गालियां देते हैं । हमारी आदरणीया श्रीमती प्रेमलता कटियार जी बैठी हुई हैं, उनके दिल में गरीबों के लिये कुछ है । इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह उधर कहां बैठ गई ? श्री कल्याण सिंह जी को साथ लेकर इधर आ जायें । मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब हम मजबूत रहेंगे, तभी तक आप भी मजबूत रहोगे । जिस दिन हम कमजोर हो गये, उस दिन माननीय नेता विरोधी दल जी ये लोग आपको इज्जत नहीं देंगे । आज गरीबों की शक्ति बढ़ रही है, परन्तु आप गरीबों, दलितों, पिछड़ों व माइनोरेटीज की शक्ति को तोड़ने का षडयंत्र कर रहे हैं । इसी लिये आपको आगे किया गया है ताकि गरीबों की ताकत न बढ़ने पाये । उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री होना कोई मामूली बात है ? आपको बड़ा पद मिल जायेगा यहां आ जाइये, आपकी मानसिकता चेंज हो जायेगी तो हम आपको बहुत इज्जत देंगे लेकिन इनसे पिण्ड छुड़ाइये, हमने पिण्ड छुड़ा लिया, मेरे भी हाल ऐसे ही हुये थे ।

तो मैं कह रहा था वृद्धावस्था पेंशन 92-93 में 49 करोड़ रही, 1993-94 के अन्त में 73 करोड़ रही । इस वर्ष नयी किसान पेंशन योजना लागू की है जिसमें 125 रुपया महिना दे रहे हैं । अनेक स्थानों पर

मैंने दी, चीफ सेक्रेटरी ने दी, डी० एम० और कमिश्नरों ने सबने किसान पेंशन बांटी है इसका आपको कैसे पता नहीं है इसके लिये 16 जनवरी का दिन चुना था थोड़े से जिले रह गये बाकी सब जिलों में थोड़ी-थोड़ी किसान पेंशन बांटी थी।

अब उर्दू की बात करते हैं और कहते हैं कि हम संस्कृत को हटा रहे हैं, हम संस्कृत नहीं हटा रहे हैं, संस्कृत तो हमारी सब भाषाओं की जननी है संस्कृत को कैसे हटा देंगे ? सवाल उर्दू को इज्जत देने का है, वह भी भारतीय भाषा है जब तक उर्दू तरक्की नहीं करेगी तब तक अंग्रेजी का बरचश्व बना रहेगा। जो उर्दू का विरोध करते हैं वह अंग्रेजी का समर्थन करते हैं हमें उसे हटाना है। इसलिये हम काम रहे हैं आप खां-म-खां उर्दू का विरोध करने में पड़े हैं। इन्हें रहने दो, गुप्त जी का, ब्रह्मदत्त जी का केशरी नाथ त्रिपाठी जी का साथ छोड़ो, केशरी नाथ जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं लेकिन उनकी पार्टी की मानसिकता के खिलाफ हूं। उन्होंने इसीलिये आपको आगे कर दिया है, आपको मोहरा बनाया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय कल्याण सिंह जी हमारी पार्टी के नेता हैं, हमारे प्रवक्ता हैं, हमारे तरीकों में कोई मतभेद किसी तरह का नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

रहने दीजिये क्यों सफाई दे रहे हैं ? आप उम्र में बड़े हैं यहां आ जायेंगे तो हम आपका वैसा ही आदर करेंगे। इनकी कृपा पर आप बैठना चाहते हैं, हम नेता विरोधी दल के अपमान की बात नहीं कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव आपकी कृपा से नहीं उत्तर प्रदेश की जनता की कृपा से मुख्य मंत्री बना है। (व्यवधान) आप जैसे लोग आडवानी अटल बिहारी बाजपेयी जी जैसे लोगों के पैर पकड़ कर बने हैं हम जनता के बल बूते पर आये हैं अटल बिहारी बाजपेयी जी या आडवानी जी की कृपा पर आप रहते हैं।

अब आपने प्रदेश के दिवालियेपन की स्थिति बता दी इतना वित्तीय अनुशासन उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं रहा एक दिन भी ओवर ड्राफ्ट नहीं किया, गलती से ओवर ड्राफ्ट का प्रचार कर दिया बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने, भारत के वित्त मंत्री ने खेद व्यक्त किया, लिख कर किया जब उन्होंने जांच कराई तो ओवर ड्राफ्ट नहीं मिला। यह सही है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा संसाधन जुटायें हैं उससे 2 हजार करोड़ का गैप था पूरा किया।

सम्पूर्ण योजना जो मिली थी वह 4750 था उसमें 1650 करोड़ के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का जो वायदा किया था उस दिशा में प्रयास किया। इसमें राष्ट्रीय बचत योजना का 8 सौ करोड़ रुपया ऋण प्राप्त होना था जिसमें एक हजार करोड़ ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा हमने बिजली की दरों में वृद्धि की है जिसे आपने चौपट किया था उसमें हम एक घंटे भी नहीं दे सकते थे तो हमने 16 घंटे देनी थी, हमने वह दर तब बढ़ाई जब सभी सूबों में दर बढ़ी आज हम 16 घंटे बिजली दे रहे हैं। इसी तरह से बसों का किराया भी बढ़ाया सिंचाई की दरें बढ़ी, हमने नहरों में पानी पहुंचाया है अगर सिंचाई की दर बढ़ाई है तो टेल इंड तक पानी पहुंचायेंगे। और नजूल की जमीन से जो आय होगी उससे हम संसाधन जुटायेंगे और उत्तर प्रदेश के विकास को आगे ले जायेंगे।

मान्यवर, उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत जिला योजना में कटौती किया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि कुछ जिला योजनाओं के लिये 1106 करोड़ रुपये का प्राविधान निर्धारित था जिसमें कोई कटौती नहीं की गयी है और 794 शासकीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं। जो 72 प्रतिशत हैं। वर्ष 1992-93 में देखें तो 4035 करोड़ रुपये के विरुद्ध 3640 करोड़ रुपये व्यय हुआ और 10 प्रतिशत गैप रहा था आपके समय में। लेकिन 1993-94 में 4.250 करोड़ रुपये की योजनाओं के विरुद्ध 3825 करोड़ रु० व्यय हुआ और 9 प्रतिशत का गैप रहा और ओवर ड्राफ्ट नहीं हुआ।

मान्यवर, आपने आकस्मिकता निधि के बारे में कहा कि इसका हमनें दुरुपयोग कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने कोई दुरुपयोग नहीं किया है। मान्यवर, जो सरकार संसाधन नहीं जुटा पाती है तो वह सरकार निकम्मी सरकार कहलाती है। आप संसाधन जुटायेगे नहीं। इसलिये यह सरकार संसाधन जुटाएगी और तब तक जो जरुरत पड़ेगी उसे आकस्मिकता निधि से खर्च करेगी और वह किया है और गरीबों की बीमारी में उपयोग किया है। इसलिये इसमें ज्यादा खर्च हुआ है, इसलिये इस संबंध में आपको नहीं कहना चाहिये और यदि गल्ती हुई है तो उसकी जांच करायेंगे।

मान्यवर, यह भी कहा गया कि 16 घंटे बिजली देने की जो घोषणा की गयी थी वह थोथी, झूठी है, तो ऐसा नहीं है। मान्यवर, कुछ जिलों में पूरे 16 घन्टे बिजली दी गयी। लगभग 15 जनपदों में 15 घंटे बिजली दी गयी और 190 सब-स्टेशनों में 15 घंटों से कम बिजली दी गयी है। ओवर-लोडिंग के कारण कुछ जगहों पर कमी है। मान्यवर, सिंचाई में सुधार हुआ है और खरीफ में नहरों से 1,80,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई हुई है। इस प्रकार 91 प्रतिशत टेल तक पानी पहुंचा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 प्रतिशत टेल तक पानी पहुंचे। ट्यूबवेल से 19 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल की सिंचाई किया है जो पिछले साल से ज्यादा है। इस प्रकार कुल 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की अतिरिक्त सिंचाई हुई है और सिंचाई में हम आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, सेफई गांव के विकास के बारे में कहा गया तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप भी जिस गांव का नाम बता दें तो उसका विकास करा देंगे। इसके पहले आपने कहा था कि पुल बनवा दें तो हमने उसके लिये 3 करोड़ रुपये दे दिया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया था ? आपने तो सेफई का सारा काम बंद करवा दिया था। वहां पानी की टंकी बनाने का काम आपने कहा था नहीं किया जायेगा। स्टेडियम नहीं बनाया जायेगा, सड़कें नहीं बनायी जायेंगी और डाक बंगला नहीं बनाया जायेगा, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिये था। इस प्रकार मान्यवर, आपने अपने समय में कोई विकास के कार्य नहीं किये थे। यदि किया हो तो आप बता दें। लेकिन हम हर गांव का विकास करना चाहते हैं किन्तु सेफई में स्टेडियम आपने रोका, टंकी आपने रोकी, जानवरों का अस्पताल रोका और चौकी का कार्य रोका, आपने वहां का इस प्रकार से सारा कार्य रोक दिया। वहां का 90 परसेंट काम रोक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिये था। आप कहिये तो, जितना सेफाई में विकास कार्य हुआ है उतना आपके यहां भी करा दूं।

* श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही–

मान्यवर, आप स्व० चौ० चरण सिंह के दत्तक पुत्र कहलाना चाहते हैं। लेकिन चौधरी चरण सिंह के गांव नूरपुर मड़ैय्या का रास्ता अब भी कच्चा है। अतः वी० वी० नगर बाबूगढ़ से नूरपुर मडैय्या से पैदपुर तक की सड़क बनवाने की घोषणा करने का कष्ट करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आप उनका नाम लेते रहिये, उनके लिये आपको करना कुछ नहीं है। हमने तमाम काम किया है। उनके नाम का जो डिग्री कालेज है, उसमें बी० ए० से एम० ए० किया है और बी० एड० भी करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया है और उनकी मूर्ति भी लगा दी है, जिससे आपको सांप सूंघ गया है। वैसे ही जैसे उनके दर्शन किये बिना आप असेम्बली में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं। इससे आपको परेशानी है। (व्यवधान) आगामी पांच वर्ष में औद्योगिक नीति के बारे में आपने कहा है। आप कुछ कहिये। 25 हजार करोड़ की पूंजी निवेश हमारा हुआ है, "व्यवधान"।

श्री किरन पाल सिंह–

चौधरी चरण सिंह जी जहां पैदा हुए थे नूरपुर ग्राम में वहां पक्की सड़क भी अभी नहीं बनी है। यही शायद वह कह रहे थे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं आज ही घोषणा इसकी करता हूं और लोक निर्माण मंत्री जी से कहूंगा कि वह आज ही इसके आदेश दे दें। फौरन उस सड़क को बनवायें। चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो भी कार्य कहें, मैं करा दूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

उस नूरपुर गांव में अपनी किसान यात्रा के दौरान मुझे भी जाने का मौका मिला है, आज तक वह गांव सड़क से नहीं जुड़ा है। इस पर आप तरस खायें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

कहा तो है "व्यवधान" आप मिलेंगे, लिखकर लायेंगें तो वह भी सब करा दूंगा। जो भी होगा करा दूंगा। इसीलिये में कलकत्ता और बम्बई गया था। 15 हजार करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश हो रहा है "व्यवधान" जो तकनीकी प्रवेश की बात है, 6 हजार करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश हो गया है और डीजल के माध्यम से बिजली उत्पादन की 10 योजनायें स्वीकृत कर दी गई है और उसमें 35 सौ करोड़ की पूंजी लगेगी। उस पर यह कहेंगे कि हम पूंजीपतियों से सांग-गांठ कर रहे हैं। श्री प्रमोद तिवारी जी ने कहा है कि सबसे ज्यादा निराशाजनक है यह महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण। वह तो आज तक के उत्तर प्रदेश के आदर्श राज्यपालों में से एक है। उनके भाषण का आप विरोध करेंगे। क्या हो गया है आपको (श्री प्रमोद तिवारी) "व्यवधान"।

श्री प्रमोद तिवारी–

लेकिन आपने ऐसे आदर्श पुरुष से भी निराशाजनक अभिभाषण दिलवा दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उनके निर्देशों के बिना हम अभिभाषण पेश ही नहीं कर सकते।

श्री राम आसरे वर्मा–

हम अपने आदमी के विरोध में हाथ उठाने की प्रमोद तिवारी जी की आदत है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमारी आपको बधाई, आपको धन्यवाद, आपने इधर बहुमत पहले ही स्वीकार कर लिया है। यह बहुत ही खुशी की बात है! "व्यवधान" ठीक है, अब कर लिया है तो क्या बुरा है इसमें "व्यवधान"।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह जो सदस्य भाजपा से सपा में चले गये हैं, इसके अलावा भी अगर नेता प्रतिपक्ष भेजना चाहते हैं उनके प्रति मित्रता दिखाने के लिये तो थोक में भेज दें। यह जो बारी-बारी से भेज रहे हैं इससे हम लोगों को सस्पेंस बना हुआ है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपने कहा है कि बारी बारी से भेजकर बहुमत कर दिया है।

(समय चार बजकर 30 मिनट)

तो आप दोनों मिलकर करेंगे। इनका साथ देंगे। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मुख्य मंत्री जी आप इतना तो आश्वस्त रहें कि यह आपकी गर्दन दबाना चाहें तो नहीं दबा सकेंगे, दोनों मिल करके दबाना चाहें तो नहीं दबा सकेंगे।

(सत्ता पक्ष से मेजों की थपथपाहट)

आप पूरी बात तो सुन लीजिये। इनकी गर्दन दबायेंगे तो राम आसरे वर्मा ही दबायेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं सभी दलों के नेताओं के और माननीय नेता विरोधी दल के सुझावों पर चलने का प्रयास करेंगे और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह संशोधन को वापस ले लें और सर्वसम्मति से पास करायें।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

(भाजपा की तरफ से मेजें थपथपाई गई)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। मैंने प्रारम्भ में भी कहा था कि मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। अब भी यही कह रहा हूं। मेरा प्रयास होगा कि संक्षेप में उन मुद्दों का उत्तर दूं जो मुख्यमंत्री जी ने उठायें हैं और उनका उत्तर देना इसी कारण आवश्यक भी हो गया है। मैं यह सोचकर बड़े शान्ति चित्त से उनका भाषण सुन रहा था कि कदाचित् उनमें कोई बदलाव

हो गया होता लेकिन लगता ऐसा है कि जो आज से साल भर पहले थे उसमें और कुछ ग्राफ नीचे की ओर गया है, ऊपर की ओर नहीं । हम तो सोच रहे थे कि आज कुछ समझदारी की बात करेंगे, कुछ शालीनता की बात करेंगे । मुझे खेद है कि उतने लम्बे भाषण को सुनकर बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है । श्रीमन्, जो मुख्यमंत्री जी को न जानता हो और प्रदेश के हालात न जानता हो उसके सामने अगर मुख्य मंत्री का आज का यह भाषण प्रस्तुत हो जाय तो वह जरूर यह कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सारी समस्याओं का समाधान हो गया है और पूरी तरह से राम राज्य कायम हो गया है, बहुत विकास के कार्य हो गये हैं जो नहीं जानता है वह ऐसा सोच सकता है इस भाषण से । अगर मुख्य मंत्री जी भाषण मात्र से ही विकास कार्य हो जाते, प्रदेश में अराजकता समाप्त हो जाती, अनैतिकता मिट पाती अथवा किसी अपराध और अपराधी पर नियंत्रण पाया जा सकता होता तो फिर आपका आज का भाषण बहुत ही अच्छी दवा का काम करता । लेकिन मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इन भाषणों से प्रदेश के अन्दर शान्ति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती, अपराधियों और अपराधों पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता । आज शायद झूठ बोलने माहिर थोपक्त की आत्मा भी कराह उठी होगी कि मुझसे भी ज्यादा असत्य बोलने में कोई माहिर है । मैंने कुछ मुद्दे उठाये थे मुख्यमंत्री जी ने उनका उत्तर नहीं दिया । मैं संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहूंगा ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह कोई बजट स्पीच नहीं थी । कुछ मुद्दे तो जिनका उत्तर दे दिया गया था ।

श्री कल्याण सिंह–

नहीं श्रीमन्, आपने देखा होगा कि उनकी बातों को बड़ी शालीनता और शान्ति से मैंने सुना है और आशा करता हूं कि वह भी उसी तरह से शालीनता और शान्ति का परिचय देंगे । श्रीमन् मेरा कहना यह है और मैं फिर अपने आरोप को दोहराता हूं । वर्तमान शासन में वित्तीय अनुशासनहीनता बढ़ी है आर्थिक दिवालियापन प्रदेश में आ गया है । विकास की दर से उत्तर प्रदेश 15 साल पीछे चला गया है । श्रीमन् यह सरकार वित्तीय प्रबन्धन में कितना अक्षम है इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरा समय मिलने के बावजूद पूरे वर्ष का बजट पेश करने का साहस नहीं कर पाई चार माह के और एक लम्बे समय के लिये लेखानुदान लिया है । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि 1994-95 की योजना का आकार 4750 करोड़ का था उसके आकार और वास्तविक वित्तीय साधनों में दो हजार करोड़ रुपयों का गैप है । तथ्य यह है कि प्रदेश पिछड़ेगा, जब योजना की कटौती होगी । विवेकाधीन कोष में पैसे का अपव्यय हुआ है । मुख्यमंत्री कोष से कितना पैसा किस मद में खर्चा हुआ है इसमें श्वेत-पत्र जारी करें और पूरी जनता को बतायें कि इस मद में कितना पैसा खर्चा हुआ है ? और वह किस किस को दिया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह क्या आप बजट भाषण कर रहे हैं ?

(शोर)

आपको विषयान्तर नहीं होना चाहिये ।

श्री कल्याण सिंह–

आकस्मिकता निधि से कितना पैसा किस मद में खर्चा किया गया इस पर हम चाहते हैं कि श्वेत-पत्र जारी हो। ग्रामीण विकास के लिये 70 प्रतिशत योजना की धनराशि देने की घोषणा की थी किस योजना पर कितना-कितना पैसा आवंटित किया गया यह बता दें ? मेरा आरोप है, इस सरकार ने वायदा किया था उसको पूरा नहीं कर पाई। विकास के कार्य पूरी तरह से ठप हैं। बिजली के बारे में मैं आज भी कहता हूं कि 16 घंटे का दावा खोखला है। 4-5 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। डीजल मंहगा है, पम्पिंग सेट नहीं चल रहे हैं। सरकारी ट्यूबवेल पचास प्रतिशत खराब हैं। रजबहों के पेट में पानी नहीं है और यह टेल तक पानी पहुंचाने की बात करते हैं। रवी की फसल का 262 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा किसान तबाह हो जाएगा। मुख्य मंत्री जी एक बात कही कि उनके खिलाफ जातिवाद के आरोप गलत लगाये जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि किसानों को पेंशन देना जातिवाद खत्म करना नहीं है। हम उनके समर्थक हैं लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर 27 प्रतिशत आरक्षण एक जाति विशेष को और वह भी केवल जिलों के ही लोगों को दिया जा रहा है।

(बी० जे० पी० के मा० सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

यह जातिवाद का नंगा नाच है। प्रदेश की 55 प्रतिशत जाति में एक जाति विशेष को लाभ मिल रहा है और एक जिला विशेष के लोग लाभ उठा रहे हैं आप 54 जातियों का गला रेत देंगे। सच्चाई को स्वीकार करें, मैं चाहूंगा कि पुलिस, पी० ए० सी० की जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें श्वेत पत्र जारी किया जाए, पिछड़े वर्ग में कितने लोगों का चयन किया गया। 1350 में 54 जातियों में से 64 लिये गये और एक जाति विशेष के 1218 लिये गये हैं (व्यवधान) यह है जातिवाद का जहर जातिवाद का घिनौना रूप।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जातिवाद कहने वाले जाति विरोधी हैं।

श्री कल्याण सिंह–

मैं कहना चाहूंगा मेरे पास टिप्पणी है पत्र संख्या–17-के–एल० वी० आर० नं० 95/सं०-सी-762 मुख्य अभियन्ता (सिविल कैम्प) 1990-95 दिनांक 3/1/1995 का है, जो नियुक्तियां हुई है यह एक जाति विशेष और जिला विशेष में हुई हैं। मैं नाम बता दूं–श्री जनभेद सिंह यादव, इटावा, श्री खेलन सिंह यादव, इटावा, श्री धारा सिंह यादव, इटावा, श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, इटावा, श्री उमेश चन्द्र यादव, इटावा, श्री अहिबरन सिंह यादव, इटावा, इन्द्रवीर सिंह यादव सेफई इटावा, रामदास यादव, इटावा, शिशुपाल सिंह यादव, इटावा, हरिश्चन्द्र यादव, मैनपुरी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शेष 54 पिछड़ी जातियों में एक भी नौजवान नहीं मिला जिसकी नियुक्ति के लिये आदेश हुए हों। यह है जातिवाद का हमारा आरोप। यह है सरकार का जातिवादी चेहरा। श्रीमन् आपने हमारे ऊपर कह दिया कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है और हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है। हमको सजा-याफ्ता बताया जाता है। मैं विनम्र शब्दों में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हुए कहना चाहता हूं कि कदाचित न्याय के इतिहास में 24 अक्टूबर, 1994 का निर्णय है जिसमें मुझे न

आरोप बताया गया न मुझे नोटिस दिया गया और न मुझे नोटिस के जबाव में अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दिया गया। मैं आज भी सुप्रीम कोर्ट के प्रति आदर का भाव रखते हुए कहना चाहता हूं कि [x x x] चूंकि हमारे मन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति श्रद्धा और सम्मान है हमने सिर झुकाकर निर्णय स्वीकार किया। 13 सितम्बर, 1994 को जिन्होंने इलाहाबाद में सपा-बसपा के लोगों के साथ, अपराधियों के साथ हिंसक लोगों के साथ हमला करा दिया। मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी तोड़ डाली। मुख्य न्यायाधीश अगर भाग न गये होते तो मार दिये जाते। मुख्य न्यायाधीश का विश्वास इस सरकार पर से उठ गया उन्होंने सेना बुला ली। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस सरकार पर अविश्वास करते हुए न्यायालय की सुरक्षा के लिये भारत के प्रधान न्यायाधीश को संदेश दिया और उन्होंने इस सरकार पर अविश्वास करते हुए सेना भेजी। यह संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जातिवाद के नाम पर समाज को बांट कर रख दिया। कार्यपालिका को ध्वस्त कर दिया। इसी विधायिका को लहू लुहान कर दिया। श्रीमन कल भी इनका इरादा हिंसक हमला करने का था। [x x x] श्रीमन् जहां तक अपराधियों का प्रश्न है मैं आकंड़े नहीं देना चाहता जो आंकड़े मैंने कल दिये हैं, वह आंकड़े सही हैं। आज मा० मुख्य मंत्री जी ने गलत आंकड़े देकर सदन को गुमराह किया है। आज महिलाओं का शील भंग हो रहा है, मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। श्रीमन् यह कहां के अपराधियों की बात कर रहे हैं। आज के दैनिक जागरण में मुख्य पृष्ठ पर समाचार छपा है कि विधायक बनने के बाद भी अपराधों का सिलसिला जारी। मान्यवर, आज सपा बसपा के कई ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर संगीन अपराधिक मामले हैं। श्रीमन्, जिन्होंने जौनपुर में तीन-तीन लोगों की हत्या कर दी वह किस पार्टी के हैं ? वह सपा-बसापा के हैं। क्या यह भाजपा के विधायक हैं जो यह हत्यायें कर रहे हैं ? क्या वह बसपा के विधायक नहीं हैं ? मान्यवर, इसी प्रकार से जगदम्बिका पाल के भतीजे की हत्या की गयी क्या वह भाजपा के लोग हैं, क्या वह सपा के विधायक नहीं हैं श्रीमन्, भा० ज० पा० के भूतपूर्व विधायक मंगरे सिंह की हत्या की गयी जिसमें सपा के एक विधायक का हाथ है, क्या यह हत्या भा० ज० पा० के लोगों ने की है मान्यवर, इस सरकार के चलते अपहरण एक उद्योग बन गया है। हिमांचल प्रदेश के असेम्बली में एक सवाल किया गया तो वहां की सरकार ने जवाब में माना कि उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जो आज सत्तारूढ़ दल के साथ है और भूतपूर्व राज्य मंत्री रह चुका है उसने आतंकवादियों से हथियारों की खरीद की। क्या वह भा०ज०पा० के सदस्य हैं ? क्या वह सपा के सदस्य नहीं हैं ? मान्यवर, लखनऊ में डायमंड डेयरी में जो मकान पर हमला किया गया क्या वह स० पा० के सदस्य नहीं हैं ? मान्यवर, हजरतगंज में एक मकान पर कब्जा करने का काम क्या भा० ज० पा० ने किया है ? मैं कहना चाहता हूं कि शीशे के महल में रहने वालों को दूसरे पर कंकर फेंकने से पहले अपने गिरहबान में झांकना चाहिये। अब मैं बहुत गम्भीर बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह जो भी उपदेश सिंह विधायक हैं रात में उनके घर पर आप छापा मरवाते हैं।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अफीम की चोरी की है इसलिये ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, आज तक जब आपके साथ थे तो उनकी चोरी याद नहीं आयी थी आज उनके घर पर छापा मरवा रहे हैं । श्रीमन्, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को हटाया जा रहा है । मेरा आरोप है कि यह सरकार उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और एक दिन ऐसा न आये कि आपको यहां उनकी कंडोलेंस करनी पड़े । श्रीमन्, इसी तरह से विधान परिषद् के सभापति ने कोई रूलिंग दे दी । रूलिंग देना श्रीमन् आपका अधिकार है जो भी आप रूलिंग देंगे उसको सर झुकाकर स्वीकार करेंगे । यदि आप कोई रूलिंग देते हैं तो किसी की कोई असहमति हो सकती है लेकिन रूलिंग के आधार पर आपको कोई जान से मारने की धमकी दे क्या यह उचित है ? विधान परिषद् के सभापति को टेलीफोन पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं । मुख्य मंत्री जी के बारे में सभापति जी ने एक गम्भीर टिप्पणी की है आपको शपथ भंग का दोषी करार दिया गया है । मैं भी कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने शपथ भंग कर दी है । आज मुख्य मंत्री द्वेष से प्रेरित होकर काम रह रहे हैं, मुख्य मंत्री पद की गरिमा मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं और शपथ तोड़ने का काम कर रहे हैं । यह एक गम्भीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । मैं तो सोचता था कि मुख्य मंत्री जी आज मेरी बातों का जवाब देने के लिये नहीं आयेंगे क्योंकि आज वह मुख्य मंत्री के पद पर बैठने के लायक नहीं हैं । उन्होंने मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बने रहे की पात्रता और अर्हता खो दी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप कीजिये यह बजट भाषण नहीं है ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इधर आ जाइये, मुझे उधर आने का निमंत्रण दिया ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मानसिकता बदल कर आयें ।

श्री कल्याण सिंह–

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ दिनों और इन्तजार कीजिये पूरी भा० ज० पा० सत्ता में बहुमत के साथ आयेगी हम उधर बैठेंगे और आप इधर बैठेंगे ।

एक आवाज–

अभी दिल्ली दूर है ।

श्री कल्याण सिंह–

आज भ्रष्टाचार कैंसर की तरह बढ़ रहा है । स०पा० ब० स० पा० की मिनिस्टिरों में एक भी ऐसा मिनिस्टर नहीं है जो भ्रष्टाचार में आकंठ न डूबा हो । प्रदेश की लुटाई हो रही है । इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह दो राजनीतिक दलों की सरकार न होकर दो लुटेरे गिरोहों की सरकार है और यह दोनों हाथों से प्रदेश की जनता को लूट रही है ।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप कीजियेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

आपने उत्तरांचल के बारे में कहा, आप घड़ियाली आंसू बहाना बन्द करें । आपने कहा कि उत्तरांचल के कारण हमारी सरकार नहीं बनी है । जहां से जीत कर आप आयें, क्या उनके साथ अत्याचार किया जायेगा ? मां और बहनों की इज्जत लूटी जायेगी ? नारे लगवाये जा रहे हैं और जन आन्दोलन को बदनाम किया जा रहा है । आज हमारे एम० पी० पर आरोप लगाया जा रहा है, मैं उसका खण्डन करता हूं । मान्यवर, मुसलमानों की बात कही गयी, तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि भाजपा किसी के खिलाफ नहीं है, न मुसलमान के खिलाफ है और न अल्पसंख्यक के खिलाफ है । श्रीमन् हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वाद के खिलाफ हैं । अलगाववाद के खिलाफ हैं, सम्प्रदायवाद के खिलाफ हैं क्योंकि अल्पसंख्यक वाद से पैदा होता है सम्प्रदायवाद सम्प्रदायवाद से पैदा होता है अलगाववाद और अलगाववाद से निकलता है देश का विभाजन, इसलिये हम अल्पसंख्यकवाद की उसकी खिलाफत करते हैं । मुसलमानों के खिलाफ होते तो सिकन्दर बख्श भारतीय जनता पार्टी में क्यों होते ? किन्तु आप केवल वोट बैंक के लिये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप नदवा कालेज में जाकर अली मियां से माफी मांगी । हम अली मियां से मांफी नहीं मांग सकते और न वोट बैंक की खातिर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ही अपनायेंगे, हमारी नीति स्पष्ट है कि न्याय सबकी किन्तु तुष्टीकरण किसी का नहीं । श्रीमन् देश की स्वतंत्रता, स्वाधीनता और उसकी अस्मिता सर्वोपरि है । इन शब्दों के साथ मैं उन सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे संशोधन के प्रस्ताव के पक्ष में अथवा विपक्ष में अपने विचार व्यक्त किये । माननीय मुख्य मंत्री जी, 100 बार असत्य को बोला जाये तो वह सत्य नहीं हो जाता है । आज इम्तहान है, हम मतदान चाहते हैं और लाबी में मतदान चाहते हैं । हम देखना चाहते हैं कि कौन किस पाले में खड़ा है ? जनता अपने आप अपना फैसला कर लेगी । लाबी में "हां" और "ना" में मतदान करायें जो लिखित में होगा । जनता को यह जानने का संवैधानिक अधिकार है कि कौन बहुमत में है ? आपको बहुमत मिल जायेगा तो आपकी सरकार चलेगी और नहीं मिलेगा तो आपकी सरकार चली जायेगी और जनता जान जायेगी कि कौन कहां पर खड़ा है ? इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, इस सदन की परम्परा रही है और यह सभी लोग मानते हैं कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर किसी प्रकार की टिप्पणी करे । इन को एक दिन की सजा मिल गयी तो उसके निर्णय को विधि विरुद्ध बताया, यह टिप्पणी नहीं होनी चाहिये । आप इसको कार्यवाही से निकाल दें । श्रीमन्, मैं नेता विरोधी दल से कहूंगा कि उनको यादव ही नजर न आयें ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वेंकटचलैया ने 24 अक्तूबर को यह जजमेन्ट दिया और जब 24 अक्तूबर, 1994 को ही वह रिटायर हो गये तो वह भी हमारी तरह ही एक नागरिक हो गये तो उन्होंने उसके औचित्य को स्वीकारने का कमेन्ट किया था तो मुझे भी कमेन्ट करने का संवैधानिक अधिकार है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जो फैसला हो गया श्रीमन्, उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना है उस पर जो टिप्पणी व्यक्त की गयी है उसको कार्यवाही से निकाल दें।

दूसरी बात यह है कि नेता विरोधी दल को सिर्फ यादव ही नजर न आये, जो सूची आपने पढ़ी है उसमें एक सैनी भी है दो हरिजन भी हैं।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् यह संसदीय कार्य मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। पुलिस और पी० ए० सी० की भर्ती का प्रकाशन किया जाय, अधीनस्थ चयन सेवा में जो इन्होंने भर्तियां की हैं उसमें एक ही जाति विशेष को लेकर बाकी पिछड़ी जातियों का गला काट दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आभारी हूं। मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को आभारी हूं चाहे वह इस पक्ष में बैठे हों या उस पक्ष में बैठे हों।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, जो आपत्तिजनक हैं, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

जो आपत्तिजनक है वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री अशोक बाजपेयी–

इस धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा पर भाग लेने वाले सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया और जो भी जिज्ञासाएं व्यक्त की हैं, माननीय नेता सदन ने अपने उत्तर भाषण में उनकी एक-एक जिज्ञासा को दूर कर दिया। मान्यवर, महामहिम श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो विस्तार से प्रकाश डाला और उसके संबंध में माननीय सदस्यों ने जो अभिव्यक्ति की है वह सदन के सामने आप देख चुके हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है परन्तु नेता सदन ने

उनकी सभी शंकाओं और जिज्ञासाओं को दूर कर दिया है । अब वह अपने द्वारा प्रस्तुत संशोधन को वापस लेने की कृपा करें । जिससे यह धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री कल्याण सिंह–

नहीं, मान्यवर, मैं बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उससे वह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया)

"ना" की संख्या अधिक है और हां की संख्या कम है इसलिये यह संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । इसके साथ ही अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किये गये माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर मतगणना की मांग

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, गिनती करा लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, घंटियां बजाई जाएं, सचिव [x x x] व्यवस्था करायें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, अगर आप संतुष्ट हो गये हैं कि हां और "नां" में किसकी संख्या ज्यादा है तो किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं कोई शंका नहीं रहने देना चाहता हूं । मैं व्यवस्था करा रहा हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने शंका प्रकट की है इसलिये शंका का समाधान कर देना चाहता हूं हाथ उठवा करके और उसकी गणना करा करके ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस पर तो आप अपनी व्यवस्था दे दें और कांग्रेस पार्टी द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उस पर मतदान कराने की कृपा करें ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं कि माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने पर अन्य सभी संशोधन के प्रस्ताव अस्वीकृत माने जायेंगे।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, आप देख लें कि बहुमत किसके साथ है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

कोई असंसदीय बात न होने पाये इसलिये आप मेरा एक निवेदन सुन लें। एक धन्यवाद का प्रस्ताव आया, उस धन्यवाद प्रस्ताव पर एक संशोधन आया ....

श्री अध्यक्ष–

मानीनय वर्मा जी आप बैठ जायं।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप पहले सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

उसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन पर आपने मतदान कराया हां या ना की संख्या आपने देखी अगर आप संतुष्ट हैं ...

श्री अध्यक्ष–

हां या ना की संख्या को चैलेंज किया जा रहा है। इसलिये मैं हाथ उठाकर इस शंका का समाधान कर देना चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

प्रस्ताव के पक्ष में विरोध पक्ष में जो मत पड़े हैं, अगर आप संतुष्ट हैं तो आगे किसी तरह की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यह संसदीय परम्परा है।

(व्यवधान)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप सुन लें। आप मेरी बात को सुन लीजिये। आप खड़े रहेंगे किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं यह तो कोई तरीका नहीं है।

जब कुछ माननीय सदस्यों ने इस तरह की बात की है हां ना की संख्या के बारे में, ज्यादा है कम है तो शंका का समाधान हो जाना चाहिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है सुन लीजिये !

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें भी कोई व्यवस्था होगी ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मुझे यह जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के चालीस से अधिक सदस्य सत्तापक्ष के समर्थन में मतदान करना चाहते हैं आप उनकी भावनाओं को देखते हुए गुप्त मतदान करवा दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव में नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उससे यह सदन सहमत है ?

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों, वह कृपया हाथ उठायें गणना की जाय ।

(गणना के उपरान्त)

अब जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हों, वह कृपया हाथ उठायें गणना की जाय ।

(गणना के उपरान्त)

श्री अध्यक्ष–

जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, वह इस प्रकार है–

प्रस्ताव के पक्ष में 161 तथा प्रस्ताव के विरोध में 219 मत पड़े हैं । अतएवं जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, वह अस्वीकृत हुआ । इसके साथ ही अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किये गये माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा तालियों की थपथपाहट के कारण–घोर व्यवधान)

(नेता विरोधी कल्याण सिंह तथा भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर जोर-जोर से शोर मचाने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 1 फरवरी, 1995 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?

(उक्त प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ)

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुरेश अग्रवाल व श्री प्रमोद तिलरी तथा कई कांग्रेस के माननीय सदस्य, यह कहते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये कि उनके द्वारा जो संशोधन रखे गये हैं, उन पर मतदान कराया जाय)

(व्यवधान)

सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के स्थगित की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष–

अब राष्ट्रगान होगा।

अब मैं राष्ट्रगान प्रारम्भ करता हूं –

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता ॥
पंजाब सिंध गुजरात मराठा।
द्राविड़ उत्कल वंग ॥
विंध्य हिमाचल यमुना-गंगा,
उच्छल जलधि तरंग ॥
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे ॥
गाहे तब जय गाथा ॥
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता ॥
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे ॥

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :

8 फरवरी, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49-50 पर)

संलग्नक

प्रश्नगत परियोजनाओं की वर्तमान लागत एवं पुनरीक्षित परियोजना

योजना आयोग, भारत सरकार को भेजे जाने की स्थिति

क्र० सं०	परियोजना का नाम	विवरण
1–	गंडक नहर परियोजना	इस परियोजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन वर्ष 1669 में केवल उ० प्र० के हिस्से के लिये रु० 50.38 करोड़ धनराशि के लिये स्वीकृत किया गया । पुनः परियोजना को कई परिवर्तनों के फलस्वरूप पुनरीक्षित करके वर्ष 1991 में केन्द्रीय जल आयोग को उपलब्ध कराया गया जो वर्ष 1/94 में रु० 154.38 करोड़ धनराशि के लिये पर्यावरण की स्वीकृत के प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित की गई । पर्यावरण की स्वीकृति के बाद योजना आयोग स्वीकृत निर्गत करेगा ।
2–	सरयू नहर परियोजना	सेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना को पुनरीक्षित करके वर्ष 1983 में सरयू नहर परियोजना के नाम से रु० 696 करोड़ धनराशि के लिये केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया । केन्द्रीय जल आयोग के निर्देशानुसार परियोजना को पुनः वर्ष 1994 में के० ज० आ० को रु० 1256 करोड़ के लिये पुनरीक्षित परियोजना अनुमोदनार्थ भेजी गई है । अष्टम् योजना के प्रारम्भ तक रु० 329.92 करोड़ व्यय हो चुके थे तथा अष्टम् योजना में रु० 175 करोड़ व्यय करने का प्राविधान है । वर्ष 1994 के पुनरीक्षण के अनुसार शेष रु० 751.08 करोड़ नवीं योजना में आवश्यक होंगे ।
3–	शारदा सहायक परियोजना	यह परियोजना वर्ष 1986 में रु० 733.23 करोड़ के लिये पुनरीक्षित करके केन्द्रीय जल आयोग को उपलब्ध कराई गयी थी । केन्द्रीय जल आयोग में परीक्षण के उपरान्त इसके लिये प्राप्त टिप्पणियों का समावेश करते हुये परियोजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है । वर्ष 1992-93 के आधार पर परियोजना की लागत रु० 1064.60 करोड़ है । अष्टम् योजना के अन्त तक रु० 733.46 करोड़ व्यय हो चुके थे तथा अष्टम् योजना में रु० 300 करोड़ व्यय करने का प्राविधान है। शेष रु० 31 करोड़ नवीं योजना में आवश्यक होंगे ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 140 का उत्तर पीछे पृष्ठ 93-94 पर)

परिशिष्ट–1

योजना का नाम	जनपदों की संख्या	आच्छादित जनपद
1–यू० पी० सोडिक लैण्ड रिक्लेमेंशन प्रोजेक्ट (विश्वबैंक पोषित)	19	एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं सुल्तानपुर ।
2–यू० पी० अल्कलाइन लैण्ड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट (ई० ई० सी० वित्त पोषित)	3	उन्नाव, कानपुर (देहात) जौनपुर ।
3–केन्द्र पुरोनिधानित ऊसर सुधार की एकीकृत योजना (50% केन्द्रीय सहायता प्राप्त)	38	बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फर-नगर, सहारनपुर, कानपुर, (नगर), आगरा, मथुरा, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, खीरी, शाहजहांपुर, बुलन्दशहर, मऊ, गाजियाबाद, इटावा, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, वाराणसी, आजमगढ़,फर्रुखाबाद, फैजाबाद,कानपुर (देहात), फतेहपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव एवं हरदोई ।
4–भूमि सेना योजना	12	फिरोजाबाद, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, आजम-गढ़, मऊ, शाहजहांपुर, फैजाबाद एवं वाराणसी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा